गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037
Jan.-Feb. 2026
Volume 14, Issue 1-2

Impact Factor :
7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Editor :
Dr. Rekha Soni
Chief-Editor :
Dr. Naresh Sihag Adv.

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
www.ginajournal.com

संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 14 अंक : 1–2, भाग–3 जनवरी–फरवरी : 2026 आईएसएसएन : 2321–8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर, राज.
प्रधन सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)
अंतर्राष्ट्रीय सम्पादक मण्डल :
डॉ. लक्ष्मी जोशी
त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।
शिओंग छन श्यू, चीन।
डॉ. ऋतु शर्मा ननंन पाँडे
साहित्यकार, शिक्षाविद, नीदरलैंड।
डॉ. सुनीता शर्मा
हिन्दी साहित्यकार, कवयित्री, संपादक
एवं शिक्षाविद् मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया
डॉ. अनुरुद्ध बायन
मध्य कामरूप कॉलेज, सुभा
जिला बारपेटा, असम।
डॉ. सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स एंड
कम्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक
कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।
श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहिबजादा
अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब।
कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)
डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)
डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।
डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर
डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)
डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)
डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।
श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार, अनुवादक, यूक्रेन।
डॉ. हेमराज न्यौपाने
काठमाण्डु, नेपाल।
डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।
डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।
डॉ. संदीप
ओम विश्वविद्यालय, हिसार।
डॉ. मधुबाला
राजकीय महाविद्यालय, लाखनमाजरा।
डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश
डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा
डॉ. राजेश शर्मा
शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)
डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर
डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश
डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।
डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की
डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, लखनऊ।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग**, एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज**, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerece, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा।
सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 7.834

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07–07
2.	आदमी से आजमी तक – कैफी आजमी के रचना संसार का छान बीन	रेमीसा सी. यु.	08–13
3.	भारत में आर्थिक मंदी का लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रभाव (2019–2025)	**Dr. Varshika Gupta**	**14-25**
4.	**Emerging Trends and Challenges in Global English Literature**	**Arya Mohandas**	**26-30**
5.	जनसंचार माध्यमों में हिंदी	संतोष कुमार	31–33
6.	**Science Technology And Society**	**Lt. (Dr.) Jyoti Gupta**	**34-39**
7.	वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का सामाजिक–राजनीतिक विकास	डॉ. सुशीला देवी यादव	40–43
8.	**Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviour in Indian Airlines : A Sectoral Analysis**	**Sanjay Kumar, Dr. Sufiya Syed**	**44-48**
9.	आज के दौर में विविध विमर्श	डॉ. सुनीता सिंह मरकाम	49–55
10.	कुसुम मेघवाल और अनिता भारती की कहानियों में दलित संदर्भ	डॉ. शशि कुमार शर्मा	56–61
11.	झारखण्ड के उराँव जनजाति के पारम्परिक शासन व्यवस्था : पड़हा पंचायत	डॉ० प्रमीला उराँव	62–64
12.	दिनकर के काव्य में ओजस्विता का अध्ययन	डॉ. यतीन्द्र सिंह कुशवाहा	65–73
13.	वर्तमान समय में कॉलेजों के छात्रों में बढ़ रहें अकेलेपन का कारण एक अध्ययन	लक्ष्मी कुमारी, डॉ० सांत्वना कुमारी	74–78
14.	पूर्वी सिंहभूम जिला के बिरहोर आदिम जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन : मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में	राजेश समीर कच्छप	79–83
15.	झारखंड में महिला एवं बाल श्रम का सामाजिक–आर्थिक यथार्थ : शोषण, असमानता और अस्तित्व का संघर्ष	देवेश कुमार	84–93
16.	सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों का योगदान	डॉ. दिनेश कुमार चौधरी	94–98
17.	निर्मल वालिया के काव्य संग्रह 'बन्दगी' में धार्मिक संवेदना	डॉ. कुलदीप कौर, किरन रानी	99–103
18.	ब्रजक्षेत्र के लोकगीतों एक अध्ययन	डॉ. अंकुर श्रीवास्तव	104–110
19.	**DIGITALIZATION AND E-INVOICING : RESHAPING INDIA'S TAX ADMINISTRATION**	**Prof. (Dr.) Manish Kumar Kannojia**	**111-117**

20.	**Diversifying Indian Energy Imports : Need and Challenges**	**Dr. Satyawan Jatain**	**118-124**
21.	डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' : जीवनवृत्त एवं रचनाधर्मिता	मीना कुमारी, डॉ. अजयपाल सिंह	125–132
22.	सीकर जिले में कृषि का आधुनिकीकरण : एक भौगोलिक अध्ययन	धूड़ाराम महरिया, डॉ. सचिन कुमार	133–138
23.	रसोपासना / निकुंजोपासना में रचित औत्सविक ब्रजभाषा काव्य हरित्रयी (हरिवंश, स्वामी हरिदास एवं हरिव्यास देव) की परंपरा के संदर्भ में	प्रो. विजय श्रीवास्तव, मनोज कुमार	139–141
24.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एम.एन. रॉय के शैक्षिक दर्शन का वैचारिक समन्वय और सुदृढीकरण	शिवानी व्यास, डॉ. प्रीति ग्रोवर, विवेक व्यास	142–148
25.	**Gender Neutrality under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 : An Analysis of Its Legal and Social Implications**	**Dr. Sanjay Kulshrestha**	**149-153**
26.	**Pension as a Social Security Right for Government Employees : Legal Challenges and Reform Needs in Madhya Pradesh**	**Bhartendu Chaudhary**	**154-157**
27.	भारतीय परम्परा और लोक कलायें तथा संस्कृति काशी के विशेष सन्दर्भ में	प्रोफेसर चन्द्रशेखर	158–163
28.	सोशल मीडिया : नीति और नैतिकता	डॉ. सी. मणिकंठन	164–168
29.	**Transforming Indian Education : NEP 2020 Implementation and Digital Integration**	**Dr. Ankit Goyal**	**169-178**
30.	उत्तररामचरिते गूढार्थप्रतीतिमूलकालंकाराणां समीक्षा	**Dr. Bholanath Mondal**	**179-184**
31.	उत्तरआधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी की दशा और दिशा	कोमल भारती	185–189
32.	'हादसे' : पितृसत्ता वर्ग संघर्ष और स्त्री स्वायत्तता का आत्मकथात्मक विमर्श	प्रिंस गुप्ता	190–196
33.	बुद्ध का कमंडल लद्दाख : यात्रावृत्त में अभिव्यक्त लोकतंत्र	अंजना जी	197–199
34.	चुने हुए दलित नाटकों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति	सुबिता.के.एस	200–211

सम्पादक की कलम से.....

ज्ञान, शोध और विचार का संगम ही किसी भी सभ्य समाज की बौद्धिक पहचान को सुदृढ़ करता है। गिना शोध संगम जर्नल का जनवरी–फरवरी 2026 अंक इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर पाठकों, शोधार्थियों और विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। यह पत्रिका न केवल अकादमिक शोध का मंच है, बल्कि समकालीन समाज, संस्कृति और वैचारिक प्रवाहों के साथ सतत संवाद का एक गंभीर प्रयास भी है।

आज का युग परिवर्तन और संक्रमण का युग है। तकनीक, वैश्वीकरण, सामाजिक संरचनाओं में बदलाव, मूल्य–बोध का संकट और वैचारिक ध्रुवीकरण– ये सभी कारक हमारे समय को जटिल बनाते हैं। ऐसे में शोध की भूमिका और अधिक उत्तरदायी हो जाती है। शोध केवल अतीत का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि वर्तमान की पड़ताल और भविष्य की दिशा तय करने में भी सहायक होता है। गिना शोध संगम जर्नल इसी व्यापक दृष्टि के साथ बहुविषयक और बहुभाषिक शोध को प्रोत्साहित करता है।

इस अंक में प्रकाशित शोध आलेख साहित्य, समाज, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, मीडिया और समकालीन विमर्शों से जुड़े विविध विषयों को समेटे हुए हैं। साहित्यिक शोध में परंपरा और आधुनिकता का संवाद, सामाजिक अध्ययन में समसामयिक समस्याओं का विश्लेषण, इतिहास और संस्कृति से जुड़े आलेखों में भारतीय दृष्टि तथा शिक्षा और मीडिया पर केंद्रित लेखों में बदलते समय की चुनौतियों पर गंभीर मंथन–यह सब इस अंक को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाता है। इन आलेखों की विशेषता यह है कि वे केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक यथार्थ से गहरे जुड़े हुए हैं।

गिना शोध संगम जर्नल शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और प्रामाणिकता को सर्वोपरि मानता है। आज जब शोध प्रकाशन का क्षेत्र तेजी से विस्तृत हुआ है, तब यह आवश्यक हो गया है कि शोध नैतिकता, संदर्भ–सटीकता और वैचारिक स्पष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस पत्रिका में अपनाई गई पियर–रिव्यू प्रक्रिया इसी दिशा में एक सार्थक कदम है, जो शोध को विश्वसनीय और उपयोगी बनाती है।

यह पत्रिका अनुभवी विद्वानों के साथ–साथ नवोदित शोधार्थियों को भी समान अवसर प्रदान करती है। नए शोधकर्ताओं की ताजा दृष्टि और वरिष्ठ विद्वानों के अनुभव का समन्वय ही अकादमिक परंपरा को जीवंत बनाए रखता है। जनवरी–फरवरी 2026 के इस अंक में यह समन्वय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो गिना शोध संगम जर्नल की बौद्धिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आज के समय में भाषा और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। भारतीय भाषाओं में गंभीर शोध और विमर्श को प्रोत्साहन देकर गिना शोध संगम जर्नल न केवल अकादमिक जगत को समृद्ध कर रहा है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी योगदान दे रहा है। यह प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक संदर्भों में स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है।

अंततः, हम इस अंक में योगदान देने वाले सभी लेखकों, समीक्षकों और पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उनके सहयोग और विश्वास के बिना यह बौद्धिक यात्रा संभव नहीं होती। हमें विश्वास है कि गिना शोध संगम जर्नल का जनवरी–फरवरी 2026 अंक पाठकों को नए विचारों, गहन चिंतन और सार्थक शोध के लिए प्रेरित करेगा तथा अकादमिक विमर्श को नई दिशा प्रदान करेगा।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 8–13
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

आदमी से आजमी तक – कैफी आजमी के रचना संसार का छान बीन

रेमीसा सी. यु.
शोधार्थी, हिंदी विभाग, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालड़ी, केरल।

शोध सारांश :

आधुनिक भारतीय साहित्य में कैफी आजमी का स्थान केवल एक कवि या गीतकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक चिन्तक और यथार्थवादी स्वप्नदृष्टा के रूप में स्थापित है। उनका रचनात्मक संसार केवल भावनाओं और सौंदर्य की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक सशक्त वैचारिक आधार भी निहित था। आजमी जीवन भर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, और यही वामपंथी विचारधारा उनके साहित्य का आत्मा बन गई। उन्होंने काव्य को एक ऐसे औजार के रूप में देखा, जो न केवल संवेदना को अभिव्यक्त करता है, अपितु समाज में क्रांतिकारी चेतना का संचार भी करता है। कैफी की आधुनिकता कोई पाश्चात्य आयातित विचार न होकर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से उद्‌भूत थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि परंपरा और प्रगति परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक समन्वित दृष्टिकोण में दोनों को एक साथ साधा जा सकता है। उनके लेखन में जहाँ एक ओर उर्दू की शास्त्रीय काव्य–परंपराओं की छाया है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान सामाजिक असमानताओं, वर्ग–संघर्षों और राजनैतिक अन्याय के प्रति तीव्र प्रतिक्रियाएँ भी हैं। उन्होंने सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखते हुए उसे समतावादी और करुणामूलक विश्वदृष्टि के उपकरण में परिवर्तित किया।

मुख्य शब्द : कैफी आजमी, कवि, गीतकार, सिनेमा, गीत, कविता, प्रेम, संघर्ष, उर्दू, नज्म, गजल।

प्रस्तावना :

कला और साहित्य मानव समाज की केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी नैतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति के वाहक होते हैं। जब यथार्थ की भूमि पर अन्याय, विषमता और हिंसा का बोझ बढ़ता है, तब रचनात्मकता केवल कल्पनाओं की उड़ान नहीं रह जाती, वह हस्तक्षेप करती है – प्रतिरोध, पुनर्विचार और पुनर्निर्माण का माध्यम बनती है। कविता, उपन्यास, नाटक या सिनेमा – ये सब तब समाज के भीतर एक ऐसी आवाज बन जाते हैं जो उन लोगों के पक्ष में बोलती है जिनके पास स्वयं बोलने का अवसर नहीं होता। इसी संदर्भ में, उर्दू कविता के क्षेत्र में कैफी आजमी का आगमन केवल एक कवि का उदय नहीं था, बल्कि यह उस रचनात्मक मूल्यों की पुनर्परिभाषा थी जिसमें सौंदर्य और संघर्ष, करुणा और क्रांति एक साथ उपस्थित थे। 'वह बीसवीं सदी के उन चन्द शायरों में गिने जाते थे जिन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया।[1] उन्होंने कविता को वैचारिक भाषण का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि वैचारिकता

को काव्यात्मकता में ढालकर प्रस्तुत किया। ऐसी शैली में जो पाठक को आंदोलित भी करे और सुसंस्कृत भी। उनका साहित्य हमें यह सिखाता है कि राजनीतिक विचारधारा और काव्यात्मक अभिव्यक्ति एक–दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एकात्म भी हो सकते हैं। यदि कवि का हृदय जनता की पीड़ा से जुड़ा हो।

कैफी आजमी ने उस समय काव्य–क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जब उर्दू शायरी मुख्यतः रूमानी कल्पनाओं और निजी भावनाओं की भूमि में विचरण कर रही थी। 'उर्दू के दुसरे शायरों की तरह उन्होंने भी अपनी शायरी का आरंभ प्रचलित गजल से किया और हुस्नो इश्क के रवायती विषयों पर गजलें कहीं मगर प्रगतिशील लेखकों और कम्युनिस्ट पार्टी के संबंधों के कारण उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक समस्याओं की शायरी पर भी तवज्जो दी।'[2] उन्होंने उस परंपरा को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे एक नई सामाजिक चेतना से समृद्ध किया। गजल जैसे पारंपरिक और सौंदर्यप्रधान काव्य रूप में उन्होंने जो वैचारिक गहराई और सामाजिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत की, वह अभूतपूर्व थी। उनके छंदों में भाषा का लोच, छवियों की कोमलता और प्रतीकों की पारंपरिक गरिमा बनी रही, किंतु उनके भीतर धड़कती थी एक नई आवाज – श्रमिकों की, किसानों की, विस्थापितों की, और उन स्त्रियों की जिनकी चुप्पी को इतिहास ने सदियों से संरक्षित किया है। उनकी कविता 'किसान' की पंक्तियाँ इसका उदहारण है :

'फिर मुझे पिसते हैं, गूंधते हैं, सेंकते हैं
गूंधने सेंकने में शकल बदल जाती है
और हो जाती है मुश्किल पहचान
फिर भी रहता हूँ किसान।'[3]

'अपनी शायरी में उन्होंने सशक्त वर्ग के हाथों दबे दृ कुचले आवाम के शोषण को उजागर किया और जमाने को वर्तमान घिसे–पिटे समाज के स्थान पर नए और न्याय सांगत समाज कि खुशखबरी सुनाई।'[4] इस संश्लेष ने उर्दू शायरी को एक नई वैचारिक दिशा प्रदान की।

कविता के समानांतर, सिनेमा को भी उन्होंने सामाजिक यथार्थ के मंच में रूपांतरित किया। 'गर्म हवा' जैसी फिल्मों में उनकी उपस्थिति केवल पटकथा लेखक की नहीं थी, बल्कि वह एक वैचारिक सूत्रधार की थी जिसने विभाजन, सांप्रदायिकता और विस्थापन जैसे विषयों को मानवीय गहराई और राजनीतिक विवेक से रचा। इसी तरह, उनके फिल्मी गीतों में प्रेम कोई निजी अनुभव मात्र नहीं है, बल्कि वह अपने भीतर सामाजिक सन्दर्भों की प्रतिध्वनि समेटे हुए होता है। 'उनके लिखे गए गीतों में फिल्म 'कागज के फूल' (1959) का गीत 'वक्त ने किया क्या हसीं सितम' फिल्म 'अनुपमा' का गीत 'धीरे धीरे मचल' और फिल्म 'पाकीजा' (1972) का गीत 'चलते चलते यूँही कोई मिल गया था' प्रतिनिधि गीतों में गिने जाते है।'[5] गीतों में प्रयुक्त प्रतीक, बिंब और लयात्मकता से वह आम दर्शक तक पहुँचे, लेकिन उनके भीतर छिपा वैचारिक आशय दर्शकों को भीतर से मथता रहा। कला और विचार, शिल्प और सरोकार – इन दो छोरों के मध्य पुल बनाना कैफी आजमी की रचनाशीलता की सबसे बड़ी विशेषता थी।

कैफी की समग्र रचनाशीलता एक ऐसे विश्व की आकांक्षा है जिसमें समानता कोई वैचारिक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अवस्था हो। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कला यदि समाज की वंचित संवेदना को स्पर्श नहीं करती, तो वह आत्ममुग्ध सज्जा बनकर रह जाती है। कैफी आजमी ने परंपरा को तोड़ने की बजाय

उसे नये अर्थों से भर दिया, और आधुनिकता को केवल रूपगत नवाचार न मानकर वैचारिक प्रगति के रूप में परिभाषित किया। आज जब साहित्य और सिनेमा एक बार फिर आत्मकेन्द्रितता और बाजारवाद की ओर लौटते प्रतीत होते हैं, कैफी आजमी की दृष्टि हमें याद दिलाती है कि सृजन वह है जो समाज के सबसे अंतःस्थ दुख को अपनी भाषा देता है।

'लखनऊ के प्रगतिशील लेखकों की मण्डली के लोग उनके ओर आकर्षित हुए। वह लोग उनकी नेतृत्वात्मक क्षमताओं से प्रभावित हुए और उनका प्रोत्साहन किया।'[6] प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े कैफी आजमी की कविताओं में सामाजिक यथार्थ, राजनीतिक चेतना, और मानवीय संवेदना का अद्‌भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने उर्दू कविता की शास्त्रीय परंपरा को नकारा नहीं, बल्कि उसे नई व्याख्या दी। ऐसी व्याख्या जिसमें शिल्प और विचारधारा एक–दूसरे के पूरक बन गए। उनकी नज्में शोषण, सांप्रदायिकता, विभाजन और गरीबी जैसे मुद्दों पर केन्द्रित थीं, लेकिन उनमें आक्रोश को भी काव्यात्मक गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया। उनकी 'औरत' कविता स्त्री को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान करती है :

'उठ कि अब जागने का वक्त आया
चल के अपने मकघम तक पहुँचे
जिंदगी अपने पाँव पर आ कर
खुद्द ही अपने मुकघम तक पहुँचे'।[7]

उनकी 'मकान' कविता में एक मजदूर की पीड़ा को आवाज दी गई है, जो अपने ही हाथों बनाए मकानों में रहने को तरसता है :

'आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है
आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी
सब उठो, मैं भी उठूँ, तुम भी उठो, तुम भी उठो
कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी'।[8]

ताजमहल कविता में ताजमहल को श्रमिकों की मेहनत का प्रतीक मानते हैं और इतिहास में उनके श्रम को याद दिलाते हैं :

'एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर
हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।'[9]

कैफी की कविताएँ केवल पाठ नहीं थीं, वे प्रतिरोध के शिलालेख थीं। अन्याय के विरुद्ध, खामोशी के विरुद्ध, और सामाजिक असमानता के विरुद्ध। उन्होंने कविता को भाषा का सौंदर्य नहीं, बल्कि नैतिक हस्तक्षेप का माध्यम माना।

अपनी सृजनात्मक प्रतिबद्धता कैफी आजमी ने हिंदी सिनेमा की गीत–रचना में भी अद्वितीय बनाती है। जब फिल्मी गीतों में व्यावसायिकता और यथार्थ से पलायन का बोलबाला था, तब कैफी आजमी ने गीतों को संवेदनात्मक गहराई, वैचारिक स्पष्टता और जीवन के यथार्थ से जोड़ा। हीर रांझा, कागज के फूल या गरम हवा जैसी फिल्मों में उनके गीत केवल संगीतमय क्षण नहीं थे, बल्कि पात्रों के भीतरी संघर्षों और सामाजिक तनावों

पर कवि की टिप्पणी थे। हीर रांझा फिल्म के गीत इसका उदहारण है :

'अपना पता मिले न खबर यार की मिले
दुश्मन को भी ना ऐसी सजा प्यार की मिले
उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हे तलाश
मुझको बस इक झलक मेरे दिलदार की मिले' [10]

उनके गीतों में प्रेम, वियोग, आत्ममंथन और मुक्ति की अनुभूतियाँ थीं। लेकिन इनमें भावुकता नहीं, बौद्धिक दृष्टि और नैतिक आग्रह था। उन्होंने गीतों को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि विचार का माध्यम बनाया। इस प्रकार कैफी आजमी ने सौंदर्य और विचारधारा, कला और दायित्व, साहित्य और समाज को एक गहरे रचनात्मक संवाद में बाँध दिया।

कैफी आजमी का काव्य–जगत में प्रवेश मात्र एक साहित्यिक आरंभ नहीं था, बल्कि वह एक वैचारिक हस्तक्षेप था जिसने उर्दू कविता की पारंपरिक धारा को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने काव्य को केवल सौंदर्यबोध की अभिव्यक्ति न मानकर उसे प्रतिरोध का औजार बनाया। उनके लिए कविता कल्पना में विलीन होने का साधन नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक सशक्त घोषणा थी। कैफी आजमी ने कविता को पुस्तकालयों और गोष्ठियों की सीमा से निकालकर खेतों, कारखानों और गलियों में ले जाकर, उसे जनता की आवाज बनाया। उनकी रचनाओं में किसान, श्रमिक, स्त्री, दलित और उपेक्षित वर्ग की पीड़ा स्पष्ट रूप से उभरती है। उन्होंने कविता को वर्ग–संघर्ष, सांप्रदायिकता और सामाजिक विषमता के विरुद्ध एक सशक्त हस्तक्षेप के रूप में प्रयुक्त किया।

गजल को एक नई गरिमा देने में कैफी आजमी गहरी भूमिका है और उन्होंने उसे राजनीतिक चेतना का माध्यम बनाया। उनकी नज्में भावुकता और क्रोध के सम्मिलन से उत्पन्न होती हैं, किन्तु वे शिल्प की दृष्टि से परिष्कृत और संरचित होती हैं। इसी क्रम में उन्होंने गजल जैसे पारंपरिक प्रेम–काव्य के माध्यम को सामाजिक अन्याय और विषमता के विरुद्ध परिवर्तित किया। उन्होंने उसके छंदात्मक सौंदर्य को बनाए रखते हुए उसमें सामाजिक पीड़ा और प्रतिरोध की ध्वनि भर दी। इस प्रकार उन्होंने उर्दू कविता की परंपरा को नये विमर्श और दिशा से समृद्ध किया। शैली की दृष्टि से कैफी आजमी की कविता में कल्पना और यथार्थ का अद्वितीय समन्वय दिखाई देता है। 'धुएँ से रहित गाँव' जैसे बिंब केवल दृश्य का वर्णन नहीं, बल्कि वह अभाव, उपेक्षा और निष्ठुर विकास की मौन आलोचना है। 'घास में से गुजरता हुआ काफिला' जैसे रूपक सामाजिक गतिशीलता और विघटन का एक साथ बोध कराते हैं। इन बिंबों में सौंदर्यबोध के साथ–साथ सामाजिक आलोचना अंतर्निहित रहती है। कैफी आजमी का समस्त काव्य संसार एक नैतिक आग्रह से संचालित होता है। वे उन कवियों में हैं जो शब्द को केवल कलात्मक प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि समाज के विवेक और आत्मा के रूप में देखते हैं। उन्होंने कविता को केवल साहित्यिक रसास्वादन का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म–संघर्ष और सामाजिक चेतना का दर्पण बनाया। इस प्रकार कैफी आजमी एक ऐसे कवि के रूप में उभरते हैं, जिन्होंने अपने काव्य को वैचारिक प्रतिबद्धता और सौंदर्यशास्त्रीय समग्रता के साथ साधा।

कैफी आजमी की साहित्यिक चेतना का केंद्र प्रगतिशील लेखक आंदोलन था, जिसने भारतीय साहित्य को नए सामाजिक उद्देश्य, जनपक्षधर दृष्टिकोण और वैचारिक संघर्ष की जमीन दी। इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर कैफी ने अपनी कविता को उस दिशा में मोड़ा, जहाँ वह समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बन

सके। उनकी कविताओं में वर्ग–संघर्ष, जातिगत भेदभाव, स्त्री–शोषण, सांप्रदायिकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध तीव्र स्वर दिखाई देते हैं। उनकी कविता उस समय की आवाज थी जब भारत सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, और कैफी ने इस परिवर्तन को शब्दों में रूपांतरित कर उसे साहित्यिक ताकत दी।

अर्थगर्भिता, संवेदनशीलता और सादगी कैफी आजमी की भाषा में एक अनूठा संतुलन दिखाई देता है। जहाँ एक ओर उनकी कविता में रूपक और प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर एक सादगी और स्पष्टता भी है, जो आम पाठक को भी गहराई तक छूती है। उनके प्रतीक केवल सौंदर्यात्मक नहीं, बल्कि विचारात्मक और सामाजिक अर्थों से संपन्न होते हैं। उनकी शैली में नाटकीयता नहीं, बल्कि आत्मीयता हैय उनकी भाषा में आक्रोश नहीं, बल्कि करुणा है और उनके काव्य में आवेग नहीं, बल्कि विवेक है। यह संयमित, परंतु प्रखर भाषा उस सामाजिक संवेदनशीलता का परिणाम है, जो उनके सम्पूर्ण साहित्य का मूल है।

हिंदी सिनेमा की चकाचौंध भरी दुनिया में कैफी आजमी एक उज्ज्वल अपवाद के रूप में उपस्थित होते हैं। एक गीतकार के रूप में कैफी आजमी मनोरंजन की सतही माँगों तक सीमित नहीं रहेय उन्होंने ऐसे गीतों की रचना की जो प्रश्न करते हैं, सांत्वना देते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं और अंततः आलोकित भी करते हैं। उनके गीत, उनकी कविताओं की आत्मिक गूँज बनकर उभरते हैं। जो भावनात्मक यथार्थ, प्रेम की सच्चाई और दार्शनिक जिज्ञासा में रचे–बसे होते हैं। उनके गीत केवल श्रंगारिक अलंकरण नहीं थे, बल्कि वे अनुभव की मिट्टी में उगाए गए शब्द–बीज थे। वे फिल्मी गीतों में प्रचलित भावुकता या अमूर्तता के मोहजाल से सावधान रहते थे। उनके लिए गीत केवल सुर और लय का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य की गहनतम अनुभूतियों की अभिव्यक्ति थे। कैफी आजमी के गीतों में लोकपरंपरा की आत्मा और विचार की गहराई का विलक्षण संगम दिखाई देता है। वे जब किसी प्राचीन कथा, लोक–कथा या सांस्कृतिक स्मृति को गीत में ढालते हैं, तो वह केवल रागात्मक पुनर्सृजन नहीं होता, बल्कि एक बौद्धिक पुनराविष्कार होता है। उन्होंने लोक की सहजता को उर्दू की कतावबद्ध शास्त्रीयता से इस प्रकार जोड़ा कि गीत साउंड–संरचना के स्तर पर संगीतमय तो होते ही हैं, साथ ही बौद्धिक स्तर पर भी गहन अनुभूतियाँ उत्पन्न करते हैं। उनका प्रेमगीत कभी केवल रूमानी या प्रशंसात्मक नहीं होताय उसमें बिछोह की ध्वनि, सामाजिक विसंगतियों की प्रतिध्वनि और मानवीय असुरक्षाओं की गूँज सम्मिलित होती है। यह वही दृष्टि है जो प्रेम को नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय आदर्शों और आत्मदया से ऊपर उठाकर सार्वजनीन करुणा और विवेक का रूप देती है।

कैफी आजमी ने फिल्म संगीत को मात्र उजागर नहीं किया, बल्कि उसे दर्शन और परिवर्तन का झरोखा बनाया। उनका गीत–लेखन स्थिर नहीं, गतिशील हैय उसमें श्रेष्ठतम संगीत भी है, और विचारशीलता भी, सामाजिक चेतना भी। उन्होंने प्रदर्शित किया कि लोकप्रिय कला में भी विचारधारा और नैतिक प्रतिबद्धता की भूमि हो सकती है। यदि कलाकार ने स्वयं को केवल बाजार की अपेक्षाओं से सीमित न रहने दिया हो। कैफी ने हिंदी फिल्मों में गीत–रचना को महज मनोरंजन का साधन न बनाकर एक समाजिक आयना बना दिया। ऐसे युग में, जब फिल्में अक्सर ग्लैमर और आड़ में असलियत को ढक लेती थीं, कैफी की लेखनी साफ, मार्मिक और तथ्यपरक होती थी। इसी प्रवृत्ति से स्पष्ट होता है कि कैफी की लेखनी ने गीत–शिल्प को न केवल संगीतात्मक सुंदरता दी, बल्कि उसमें नैतिक दायित्व, राजनीतिक आलोचना और मानवीय संवेदना को अंतर्निहित रखा। कैफी

आजमी के गीत लेखन की प्रमुख विशेषता यह कि वे दूसरों की तर्ज पर गीत नहीं लिखते, बल्कि हर गीत को उस ऐतिहासिक क्षण, उस सामाजिक चेतना, उस राष्ट्र की आत्मा के अनुरूप ढालते थे।

कैफी आजमी की विरासत एक गीतकार के रूप में अत्यंत गहन, दुर्लभ और प्रेरणादायक है। वह विरासत जो केवल संगीत की दुनिया में नहीं, बल्कि साहित्य, नैतिकता और सामाजिक चेतना में भी गूंजती है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के व्यावसायिक और चकाचौंध भरे परिदृश्य में साहित्यिक गरिमा और नैतिक उत्तरदायित्व का ऐसा आलोक जगाया, जिसे बुझा पाना असंभव है। उनके गीत केवल सुर और ताल की रचनाएँ नहीं थे, वे विचारों के बीज थे। ऐसे बीज जो संवेदना, न्याय, प्रेम, और विद्रोह के वृक्षों में बदल जाते थे। कैफी ने बार–बार यह सिद्ध किया कि लोकप्रिय कला खोखली नहीं होनी चाहिएय वह जन–मन में सवाल भी जगा सकती है, आक्रोश भी भर सकती है, और करुणा की मिट्टी से भविष्य का निर्माण भी कर सकती है। उनके गीतों में एक ऐसा आत्मिक संगीत बसता है, जो सत्य की व्यंजना करता है। वह सत्य जो राजनैतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, या पूरी तरह मानवीय।

निष्कर्ष :

कैफी आजमी केलिए कविता केवल सौंदर्य का विषय नहीं थीय वह सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम थी। उन्होंने परंपरागत रूपकों, प्रतीकों और शिल्प–योजना का प्रयोग करते हुए शोषण, उत्पीड़न और वंचना के विविध रूपों को उद्घाटित किया। उनके काव्य में करुणा केवल एक भाव नहीं, बल्कि प्रतिरोध की प्रेरक शक्ति है। उन्होंने इस विचार को पुष्ट किया कि सृजन केवल कल्पना की उड़ान नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ की समझ और उत्तरदायित्व का प्रतीक भी है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जो न्याय, समता और करुणा पर आधारित हो। उनकी रचनाएँ भारतीय साहित्य की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें काव्य केवल हृदय का स्पंदन नहीं, अपितु संघर्षशील जनमानस की धड़कन बन जाता है। परंपरा और परिवर्तन का यह संतुलन, काव्यात्मकता और क्रांतिकारिता का यह संगम। यही उनकी कालजयी भूमिका का प्रमाण है।

सन्दर्भ सूची :

1. जावेद हमीद (2019) हिंदी सिनेमा के गीतकार, अतुल्य पब्लिकेशन्स, पृ. 83
2. वही, पृ. 85
3. किसान, www.amarujala.com
4. जावेद हमीद (2019) हिंदी सिनेमा के गीतकार, अतुल्य पब्लिकेशन्स, पृ. 85
5. वही, पृ. 86
6. वही, पृ. 84
7. औरत, http://kavitakosh.org
8. मकान, http://kavitakosh.org
9. ताजमहल, http://kavitakosh.org
10. ये दुनिया ये महफिल, https://lyricsindia.net
11. शाहिद माहुली (1999) सरमाया, वाणी प्रकाशन।
12. कैफी आजमी (2001) नई गुलिस्तां, राजकमल प्रकाशन।
13. गरिमा सिंह (2018) समकालीन उर्दू–हिंदी गजल परंपरा और विकास, राजकमल प्रकाशन।

REMEESA C.U, CHUNDAKKADAN HOUSE, THANDEKKAD, MUDICKAL P.O, PERUMBAVOOR, PIN- 683547, Mob. 8089260731

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 14–25
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

भारत में आर्थिक मंदी का लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रभाव (2019–2025)

Dr. Varshika Gupta
Assistant Professor, Department of Economics, SRDA PG College, Hathras.

शोध–सार :

कुटीर उद्योग और लघु उद्योग लंबे समय से भारत की सामाजिक–आर्थिक संरचना के स्तंभ रहे हैं, विशेष रूप से रोजगार सृजन, सामुदायिक विकास और समावेशी विकास के संदर्भ में। वर्ष 2019 से 2025 के बीच इनका महत्व और भी बढ़ गया, जिसका कारण आर्थिक मंदी, कोविड–19 महामारी और उसके बाद की पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएँ रहीं। यह अवधि इन उद्योगों के लिए अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ–साथ संरचनात्मक परिवर्तन का समय भी थी। यह शोधपत्र भारत में इस परिवर्तनकारी दौर के दौरान लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका, चुनौतियों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह शोधपत्र इन उद्योगों की भूमिका को उजागर करता है, जो एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, विशेषकर जीडीपी में उनके योगदान, गैर–कृषि रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के आर्थिक समावेशन के संदर्भ में। इसमें कोविड–19 महामारी के गंभीर प्रभावों की भी जाँच की गई है, जैसे उत्पादन का ठप होना, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा, मांग में कमी, रोजगार हानि और वित्तीय संकट, जिनका प्रभाव अनौपचारिक और घरेलू–आधारित उद्यमों पर अन्य की तुलना में अधिक पड़ा।

साथ ही, यह शोधपत्र यह भी बताता है कि किस प्रकार इस संकट ने आत्मनिर्भरता, स्थानीय उत्पादन और डिजिटल एकीकरण पर नीतिगत ध्यान को पुनः केंद्रित किया। आत्मनिर्भर भारत, उद्यम पंजीकरण, ऋण गारंटी योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और डिजिटल बाजार मंच जैसी सरकारी पहलों को इस क्षेत्र को स्थिर करने और पुनर्जीवित करने के प्रयासों के रूप में देखा गया है। शोधपत्र उन संरचनात्मक बाधाओं को भी रेखांकित करता है जो अभी भी बनी हुई हैं, जैसे ऋण तक सीमित पहुँच, पुरानी तकनीक, बुनियादी ढाँचे की कमी और विपणन से जुड़ी समस्याएँ। अध्ययन इस तथ्य को उजागर करता है कि महामारी के बाद की पुनर्प्राप्ति और सतत विकास के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योग भारत की आर्थिक सहनशीलता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि आधुनिक भारत में, आर्थिक विकास की आकांक्षा के साथ–साथ सामाजिक समानता, क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए इन उद्योगों को सशक्त बनाना अनिवार्य है।

बीज शब्द : आर्थिक मंदी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, MSME, COVID–19 प्रभाव, ग्रामीण रोजगार, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत, आपूर्ति श्रृंखला बाधा, तरलता संकट, डिजिटल समावेशन, महिला सशक्तिकरण, कौशल उन्नयन, सरकारी नीतियाँ, स्थानीय उत्पादन।

प्रस्तावना :

लघु एवं कुटीर उद्योगों ने भारत की आर्थिक और सामाजिक संभावनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये उद्योग पारंपरिक कौशल, स्थानीय संसाधनों और श्रम–प्रधान उत्पादन पद्धतियों पर आधारित होते हैं और विशेष रूप से ग्रामीण तथा अर्ध–शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत विकास के प्रभावी साधन के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र का एक आवश्यक हिस्सा होने के कारण ये रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण तथा स्वदेशी कला, शिल्प और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ समावेशी विकास और संतुलित क्षेत्रीय प्रगति नीतिगत प्राथमिकताएँ हैं, वहाँ इन उद्योगों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। (Yusuf & Sanusi, 2025)

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास का यह चरण 2019 से 2025 की अवधि के बीच विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। कोविड–19 के प्रकोप से पहले ही यह क्षेत्र अनेक संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा था, जिनमें संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच, पुरानी तकनीक, कमजोर अवसंरचना तथा बाजार तक अपर्याप्त पहुँच जैसी चुनौतियाँ शामिल थीं। वर्ष 2020 में आई महामारी के दौरान ये सभी कमजोरियाँ एक अभूतपूर्व संकट में बदल गईं। व्यापक लॉकडाउन, उत्पादन में बाधा, बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन तथा मांग में कमी ने इस क्षेत्र के उत्पादन, रोजगार और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया और यह स्पष्ट कर दिया कि अनेक लघु और कुटीर उद्यम कमजोर आधारभूत संरचना पर टिके हुए थे। (Prabhakar et al; 2025)

साथ ही, महामारी एक उत्प्रेरक (Catalyst) के रूप में भी कार्य करती दिखी क्योंकि इसने नीतिगत विमर्श को आत्मनिर्भरता, स्थानीय विनिर्माण और वित्तीय स्थिरता जैसे विषयों की ओर मोड़ दिया। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे कार्यक्रमों ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को पुनर्जीवित किया। वर्ष 2021 से 2025 के बीच इन उद्योगों को सुदृढ़ बनाने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डिजिटल एकीकरण, कौशल उन्नयन, औपचारिकरण तथा बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। (Tariq, 1 C.E.)

इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोध का उद्देश्य 2019 से 2025 के बीच भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका, चुनौतियों तथा उनसे संबंधित नीतिगत हस्तक्षेपों की समीक्षा करना है। यह अध्ययन इस बात का मूल्यांकन करता है कि इन क्षेत्रों ने संकट की स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया दी, संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को कैसे ढाला, तथा किस प्रकार ये क्षेत्र भारत में समावेशी और सतत विकास की दिशा में आगे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। (Tariq, 1 C.E.)

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग :

ऐतिहासिक रूप से भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग आर्थिक संरचना के केंद्र में रहे हैं, क्योंकि ये रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका और समावेशी विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। 2019 से 2025 के बीच इनका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि भारत को एक साथ दोहरे संकट आर्थिक मंदी और कोविड–19 महामारी का सामना करना

पड़ा। ये उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो विकेन्द्रीकृत विकास को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और श्रम–प्रधान उत्पादन पद्धतियों को एकीकृत करता है। इस अवधि में लघु एवं कुटीर उद्योग केवल सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ही नहीं थे, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित और स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्षेत्रों में भी शामिल थे। (Gupta et al; 2025)

कोविड महामारी से पहले MSME क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग एक–तिहाई योगदान देता था और इसमें 11 करोड़ से अधिक लोग कार्यरत थे, जिनमें से बड़ी संख्या घरेलू और ग्रामीण उद्योगों से जुड़ी थी। हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, खाद्य प्रसंस्करण, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा उद्योग और रेशम–उत्पादन (सेरिकल्चर) जैसे क्षेत्र प्रमुख कुटीर उद्योग हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि, इनका विकास पहले से ही कुछ संरचनात्मक कमजोरियों 'जैसे ऋण तक सीमित पहुँच, पुरानी तकनीक और बाजार से कमजोर जुड़ाव' के कारण बाधित था। 2020 में कोविड–19 के आगमन के साथ ये कमजोरियाँ उजागर हुईं और और अधिक गंभीर हो गईं। महामारी के बाद की अवधि (2021–25) में आत्मनिर्भरता, डिजिटल एकीकरण और समावेशी उद्यमिता पर नई नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ इस क्षेत्र पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया। (Gupta et al; 2024)

भारत में कुटीर उद्योगों के प्रमुख प्रकार :

भारत के कुटीर उद्योग देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक कारीगरी और क्षेत्रीय कौशल का परिचायक हैं, जो सदियों में विकसित हुए हैं। ये प्रायः गृह–आधारित उद्योग होते हैं, श्रम–प्रधान होते हैं और स्थानीय ज्ञान पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वस्त्र–आधारित गतिविधियाँ भारत के सबसे प्रमुख कुटीर उद्योगों में शामिल हैं। कपास बुनाई (सूती बुनाई) सबसे प्राचीन और व्यापक कुटीर उद्योगों में से एक है, जिसने प्राचीन भारतीय सभ्यता की आर्थिक नींव को मजबूत किया। सूती वस्त्र हाथकरघों पर कारीगरों द्वारा बुने जाते हैं और अपनी मजबूती, आराम तथा जटिल डिजाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य कपास उत्पादन और बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं, जो स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की आपूर्ति करते हैं। इसके साथ ही रेशम बुनाई भी एक उच्च प्रतिष्ठित कुटीर उद्योग है, जिसने भारत के वस्त्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग सत्तर प्रतिशत उत्पादित करता है, जिससे भारत विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादकों में शामिल है। इस उद्योग की क्षेत्रीय विशेषता और जैव–विविधता शहतूत (Mulberry), तसर (Tussar), एरी (Eri) और असम के दुर्लभ मूगा (Muga) रेशम के रूपों में दिखाई देती है। (Chopra & Ekta, 2026)

एक अन्य प्रमुख कुटीर उद्योग कालीन बुनाई है, जिसकी शुरुआत मुगल काल में हुई और समय के साथ यह विश्व–प्रसिद्ध शिल्प के रूप में विकसित हुआ। कश्मीरी कालीन हाथ से गांठ बाँधकर और कलात्मक शैली में बनाए जाते हैं तथा मुख्य रूप से सजावटी उपयोग में आते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और केरल में दरी तथा नारियल–रेशे (कोयर) के कालीन भी सजावटी प्रयोजनों के लिए बनाए जाते हैं। यह क्षेत्र हजारों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है तथा कालीन निर्यात संवर्धन परिषद जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ इसे

समर्थन देती हैं। चमड़ा उद्योग भी भारत का एक महत्वपूर्ण कुटीर एवं लघु उद्योग है। भारत विश्व के कुल चमड़ा उत्पादन का लगभग दस प्रतिशत उत्पादन करता है और इसमें लाखों लोग कार्यरत हैं, विशेषकर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। कुटीर स्तर की चमड़ा इकाइयाँ पारंपरिक कमाने (Tanning) तकनीकों और शिल्प कौशल के संयोजन से जूते, बैग, परिधान और अन्य सहायक वस्तुएँ बनाती हैं। (Manimala et al; 2024)

धातु–शिल्प (मेटल वर्क) भी कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें छुरी–कांटे (कटलरी), आभूषण, मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुओं का निर्माण शामिल है। भारतीय धातु हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों और हाथ के औजारों से बनाए जाते हैं और अपनी सौंदर्यात्मकता तथा टिकाऊपन के लिए विश्वभर में सराहे जाते हैं। पीतल, तांबा और घंटा–धातु (बेल–मेटल) का कार्य मुरादाबाद, जयपुर और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। समग्र रूप से ये सभी कुटीर उद्योग न केवल आजीविका और निर्यात को बनाए रखते हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करते हैं। (Divsalar, 2012)

रोजगार और समावेशी विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका :

2019 से 2025 के बीच की अवधि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार सृजन के लिए, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी भारत में, आज भी अपरिहार्य हैं। ये क्षेत्र उत्पादन और आजीविका के अवसरों में अतिरिक्त श्रमशक्ति को समाहित करते हैं तथा अशिक्षित और अर्द्ध–कुशल कार्यबल को काम प्रदान करते हैं, जिन्हें औपचारिक औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार मिलना कठिन होता है। यह तथ्य 2020 और 2021 के कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आया, जब बड़े उद्योग और शहरी सेवाएँ बंद हो गईं और असंगठित श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। यद्यपि कुटीर उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए, फिर भी अनलॉक और महामारी–पश्चात काल में वे आजीविका की पुनर्बहाली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरे। (Divsalar, 2012)

कुटीर उद्योगों का एक बड़ा योगदान आय के विविधीकरण और गरीबी में कमी के रूप में सामने आता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि आय अक्सर पर्याप्त और सुनिश्चित नहीं होती। कुटीर उद्योग कृषि के ऑफ–सीजन में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे आय में उतार–चढ़ाव कम होता है। इसी प्रकार, गैर–कृषि ग्रामीण रोजगार के रूप में कुटीर उद्योगों का महत्व 2021 के बाद और बढ़ गया, क्योंकि कृषि क्षेत्र में मूल्य–अस्थिरता और अनिश्चितताओं का दौर जारी रहा। इस अवधि की एक अन्य प्रमुख विशेषता महिला सशक्तिकरण रही। हथकरघा, खादी, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे कुटीर उद्योगों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। 2019 से 2025 के बीच स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने, विशेषकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से, सूक्ष्म और कुटीर उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया। गृह–आधारित उत्पादन मॉडल ने महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने और सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में मदद की। (Bhattacharyya, 2014)

कुटीर उद्योग मुख्यधारा के आर्थिक विकास में वंचित वर्गों को शामिल करने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। पारंपरिक कुटीर उद्योग जैसे बाँस शिल्प, लाख प्रसंस्करण, बीड़ी निर्माण, पत्तल निर्माण और बुनाई में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और जनजातीय समुदायों की बड़ी भागीदारी रही है। ये

उद्योग स्थानीय क्षमताओं और स्वदेशी कौशल के आधार पर आजीविका प्रदान कर सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं। 2019 से 2025 के बीच 'वोकल फॉर लोकल' और स्वदेशी उत्पादन पर नीतिगत बल ने इस प्रकार के सामुदायिक–आधारित व्यवसायों की प्रासंगिकता को और बढ़ाया। (Herman, 1956)

प्रमुख कुटीर उद्योग, क्षेत्रीय वितरण और संरचनात्मक चुनौतियाँ :

भारत में कुटीर उद्योगों का भौगोलिक वितरण क्षेत्रीय संसाधनों की उपलब्धता, पारंपरिक प्रथाओं और स्थानीय कौशल को दर्शाता है। भारत के मध्य मैदान, गुजरात और मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विशेष संकेंद्रण है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर–पूर्वी राज्यों में हथकरघा और वस्त्र आधारित कुटीर उद्योग फलते–फूलते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, विशेषकर प्रयागराज–मिर्जापुर क्षेत्र में, मिट्टी के बर्तन और चाइना क्ले उद्योग प्रमुख हैं। कुटीर उद्योगों की क्षेत्रीय प्रकृति मुरादाबाद में पीतल शिल्प, भदोही में कालीन बुनाई, राजस्थान में पत्थर मूर्तिकला, सूरत और जयपुर में रत्न कटाई, केरल में कोयर उद्योग तथा उत्तर–पूर्व में रेशम उत्पादन (सेरिकल्चर) के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है।

आर्थिक और सामाजिक महत्व के बावजूद, 2019 से 2025 के बीच लघु और कुटीर उद्योगों को गंभीर झटका लगा। कोविड–19 महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, उत्पादन बंद कराया और मांग को गिरा दिया। लॉकडाउन के कारण इकाइयाँ बंद हुईं, बेरोजगारी बढ़ी और श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण छोटे उद्यम लंबे समय तक बिना आय के टिक नहीं पाए। (Mushtaq et al., 2025)

महामारी के बाद भी उत्पादन के विभिन्न चरणों में संरचनात्मक समस्याएँ बनी रहीं। कच्चे माल (इनपुट) के स्तर पर समय पर और सस्ती ऋण–सुविधा का अभाव एक बड़ी बाधा है। अनेक कुटीर उद्योग अनौपचारिक रूप से संचालित होते हैं और उनके पास गिरवी (Collateral) नहीं होता, जिससे संस्थागत वित्त प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और कमजोर परिवहन जैसी अवसंरचनात्मक बाधाएँ उत्पादन लागत को बढ़ाती रहती हैं। (Koli, 2023)

प्रसंस्करण चरण में पारंपरिक और पुरानी तकनीक के कारण उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित हो जाती है। क्षमता का कम उपयोग, अद्यतन कौशल की कमी और विस्तार के सीमित अवसर विकास को रोकते हैं। विपणन संबंधी समस्याएँ विशेष रूप से अंतिम चरण में अधिक गंभीर होती हैं। कुटीर उद्योगों के पास ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, संगठित बाजार तक पहुँच और मोलभाव की शक्ति का अभाव होता है। वैश्वीकरण और आयातित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा ने पारंपरिक उत्पादों पर दबाव और बढ़ा दिया है, जिससे मांग में गिरावट और कारीगर आधारित व्यवसायों का क्षरण देखने को मिला है। (Spengler, 1957)

प्रमुख कुटीर उद्योग, क्षेत्रीय वितरण और संरचनात्मक चुनौतियाँ (पुनः विवेचन) :

भारत में कुटीर उद्योगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक विस्तार संसाधनों की उपलब्धता, परंपरा और कौशल का संकेतक है। भारत के मध्य क्षेत्र, गुजरात और मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं। हथकरघा और वस्त्र आधारित कुटीर उद्योग तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर–पूर्व में अच्छी स्थिति में हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, विशेषकर प्रयागराज–मिर्जापुर क्षेत्र में चित्रित मिट्टी के बर्तन और चाइना क्ले उद्योग प्रमुख हैं। क्षेत्रीय विशेषता के उदाहरणों में भदोही और मुरादाबाद में क्रमशः कालीन और

पीतल शिल्प, राजस्थान में पत्थर नक्काशी, सूरत और जयपुर में रत्न कटाई, केरल में कोयर कार्य तथा उत्तर–पूर्व में रेशम उत्पादन शामिल हैं। (De Silva et al., 2025)

2019 से 2025 के बीच आर्थिक और सामाजिक महत्व के बावजूद लघु और कुटीर उद्योग गंभीर चुनौतियों से मुक्त नहीं रहे। कोविड–19 ने अभूतपूर्व झटका दिया कृ आपूर्ति श्रृंखला टूटी, उत्पादन रुका और मांग ध्वस्त हुई। लॉकडाउन ने इकाइयों को बंद कराया, बेरोजगारी बढ़ाई और श्रमिकों का असाधारण पलायन हुआ। वित्तीय सुरक्षा के अभाव में छोटे उद्यम लंबी निष्क्रिय अवधि सहन नहीं कर पाए। महामारी के बाद भी उत्पादन के विभिन्न चरणों में संरचनात्मक समस्याएँ बनी रहीं। समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध न होना इनपुट चरण की बड़ी बाधा है। कई कुटीर उद्योग औपचारिक नहीं हैं और संस्थागत वित्त पाने के लिए आवश्यक जमानत भी नहीं रखते। अविश्वसनीय बिजली, अपर्याप्त परिवहन और कमजोर डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी अवसंरचनात्मक बाधाएँ उत्पादन लागत बढ़ाती रहती हैं। (De Silva et al., 2025)

प्रसंस्करण चरण में पुरानी तकनीक पर निर्भरता प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को सीमित करती है। क्षमता का अपूर्ण उपयोग, आधुनिक कौशल का अभाव और विस्तार के अवसरों की कमी विकास में बाधा डालती है। अंतिम चरण में विपणन संबंधी समस्याएँ अत्यंत गंभीर हैं। कुटीर उद्योगों के उत्पाद प्रायः ब्रांडेड या गुणवत्ता–प्रमाणित नहीं होते और उनके पास संगठित बाजार पहुँच तथा सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती। वैश्वीकरण और आयात प्रतिस्पर्धा ने पारंपरिक उत्पादों पर दबाव बढ़ाया है, जिससे मांग में कमी और कारीगर आधारित रोजगार का धीरे–धीरे क्षरण हो रहा है। (Yee & Mauk, 2025)

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कोविड-19 का प्रभाव :

2019 के अंत में प्रारंभ होकर विश्वभर में फैलने वाली कोविड–19 महामारी ने लोगों को गहरे आघात में डाल दिया और शीघ्र ही यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से बढ़कर आर्थिक संकट में बदल गई। भारत की पहले से धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था, घटती खपत और असंगठित क्षेत्र के दबाव पर इस महामारी ने संरचनात्मक स्तर पर चोट पहुँचाई। लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में रहे जो सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि ये रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और व्यापक समावेशी वृद्धि के केंद्र में हैं। कम पूँजी, श्रम–प्रधान उत्पादन और स्थानीय बाजारों पर निर्भरता के कारण ये उद्योग लंबे लॉकडाउन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मांग में अचानक गिरावट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। (De Silva et al., 2025)

लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में। महामारी से पहले MSME क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता था और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता था, जिनमें अधिकांश सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से थे। कुटीर उद्योग प्रायः गृह–आधारित और पारिवारिक इकाइयों के रूप में संचालित होते हैं, इसलिए वे पारंपरिक शिल्प, कौशल और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण रहे हैं। किंतु मार्च 2020 में जब अनेक देशों की सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू किया, तब ये सभी गतिविधियाँ अचानक बाधित हो गईं और उद्योग की अंतर्निहित कमजोरियाँ उजागर हो गईं। (Kundy & Shah, 2025)

कोविड–19 का लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन गतिविधियों के पूर्ण ठहराव के रूप में

सामने आया। कड़ी आवाजाही नियंत्रण, औद्योगिक इकाइयों का बंद होना और गैर–आवश्यक आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण लाखों छोटे व्यवसायों का संचालन एक ही झटके में रुक गया। बड़े उद्यमों के विपरीत, छोटे उद्योगों के पास वित्तीय सुरक्षा, आपातकालीन निधि, या वैकल्पिक व्यावसायिक माध्यम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या दूरस्थ कार्य उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, थोड़े समय की रुकावट भी गंभीर तरलता संकट में बदल गई। किराया, बिजली बिल, ऋण किस्तें और मजदूरी जैसे स्थिर खर्च जारी रहे, जबकि आय लगभग समाप्त हो गई। (Sharma & Kumar, 2025)

आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने भी लघु और कुटीर उद्योगों की स्थिति को और खराब किया। इन व्यवसायों में से अधिकांश देश के विभिन्न हिस्सों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और कुछ मामलों में अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात पर भी निर्भर रहते हैं। परिवहन व्यवस्था के ठप होने, अंतरराज्यीय आवागमन पर प्रतिबंध और थोक बाजारों के बंद होने से उत्पादकों को आवश्यक कच्चा माल मिलना कठिन हो गया। प्रतिबंधों में आंशिक ढील के बाद भी कपास, सूत, रंग, लकड़ी या धातु पर निर्भर कारीगर और बुनकर उत्पादन जारी नहीं रख सके। साथ ही, तैयार माल की बाजार तक आपूर्ति भी लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण रुक गई, जिससे भंडार जमा हुआ और अतिरिक्त हानि हुई। (Yusuf & Sanusi, 2025)

महामारी के कारण मांग में संकुचन भी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा। व्यापक स्तर पर रोजगार हानि, वेतन कटौती और आर्थिक असुरक्षा के कारण उपभोक्ता खर्च में तेज गिरावट आई, विशेषकर गैर–आवश्यक वस्तुओं पर। हस्तशिल्प, वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा उत्पाद और हस्तनिर्मित वस्तुओं जैसी कुटीर उद्योगों की पारंपरिक वस्तुओं की मांग अभूतपूर्व रूप से गिर गई। पर्यटन पर निर्भर शिल्प समूह विशेष रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा रुक गई। निर्यात–उन्मुख छोटे व्यवसाय भी वैश्विक मांग घटने और अंतरराष्ट्रीय आदेश रद्द होने के कारण बंद होने की कगार पर पहुँच गए। (Alam, 2022)

महामारी ने लघु एवं कुटीर उद्योगों में व्यापक रोजगार संकट भी पैदा किया। ये उद्योग अत्यधिक श्रम–प्रधान हैं और इनमें बड़ी संख्या में असंगठित और प्रवासी श्रमिक कार्यरत होते हैं। इकाइयों के बंद होते ही लाखों श्रमिकों की आजीविका समाप्त हो गई। लॉकडाउन का एक प्रमुख सामाजिक–आर्थिक परिणाम शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन था। चूँकि कुटीर उद्योग अक्सर घरेलू परिवेश में संचालित होते हैं, इसलिए आय में कमी सीधे खाद्य असुरक्षा, ऋण बोझ और जीवन स्तर में गिरावट में बदल गई। महिलाओं पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा, क्योंकि कुटीर उद्योगों में उनका श्रम अनुपात अधिक है और उन पर अतिरिक्त देखभाल संबंधी दायित्व भी होते हैं। (K. S. - Itigatti, 2022)

महामारी काल में वित्तीय कठिनाइयाँ लघु और कुटीर उद्योगों के अस्तित्व का केंद्रीय प्रश्न बन गईं। औपचारिक ऋण तक पहुँच पहले से ही सीमित थी और संकट ने इसे और बढ़ा दिया। यद्यपि सरकार ने आपातकालीन ऋण गारंटी, ऋण चुकौती स्थगन और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत बिना जमानत ऋण जैसी राहतें घोषित कीं, पर इन योजनाओं का वास्तविक लाभ असमान रूप से मिला। अनेक सूक्ष्म और कुटीर उद्यम, विशेषकर जो अनौपचारिक या अपंजीकृत थे, संस्थागत वित्त प्राप्त नहीं कर सके। प्रक्रियागत जटिलताएँ, जानकारी का अभाव और विलंब ने नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव को सीमित कर दिया। (Rahman, 2021)

डिजिटल विभाजन भी महामारी के प्रभाव को बढ़ाने वाला एक बड़ा कारक था। जिन उद्यमों के पास

डिजिटल साधन, ऑनलाइन स्टोर और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुँच थी, वे नई बाजार परिस्थितियों के अनुरूप ढल सके। परंतु भारत के अधिकांश कुटीर और छोटे उद्योग तकनीकी रूप से कम एकीकृत हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और अवसंरचना के अभाव के कारण अनेक कारीगर ऑनलाइन बिक्री मंचों पर नहीं जा सके। इससे उद्योग के भीतर असमानता और बढ़ी अपेक्षाकृत सक्षम इकाइयाँ बचीं, जबकि छोटी इकाइयाँ बाहर होती गईं। (Sezhiyan & Gnanadeiveegam, 2022)

फिर भी, इन चुनौतियों के बीच महामारी ने कुछ संरचनात्मक सुधार और लचीलापन (Resilience) के अवसर भी दिखाए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के टूटने से स्थानीय उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर नीतिगत ध्यान बढ़ा। "वोकल फॉर लोकल" और स्थानीय विनिर्माण अभियानों ने छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर खोले। स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, क्लस्टर विकास और छोटे उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने की आवश्यकता को व्यापक स्वीकृति मिली। कुछ कुटीर उद्योगों में हाथकरघा वस्त्र, मास्क, हर्बल उत्पाद और पारंपरिक औषधियों की मांग भी बढ़ी। (De Silva et al., 2025)

सरकारी हस्तक्षेप ने संकट के सबसे गंभीर प्रभावों को कम करने में भूमिका निभाई, यद्यपि इसका प्रभाव क्षेत्रों और क्षेत्रों के अनुसार भिन्न रहा। क्रेडिट गारंटी, उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन, कौशल कार्यक्रम और डिजिटल ऑनबोर्डिंग पहलें MSME तंत्र को स्थिर करने हेतु अपनाई गईं। फिर भी महामारी ने यह स्पष्ट किया कि केवल राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं जैसे असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, आसान ऋण पहुँच और तकनीकी उन्नयन। (Alam, 2022)

कोविड–19 के अनुभव ने दिखाया कि भारत में लघु और कुटीर उद्योग प्रणालीगत झटकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, पर साथ ही आजीविका समर्थन और आर्थिक लचीलेपन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। महामारी एक व्यवधान ही नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी जिसने संस्थागत समर्थन, बाजार पहुँच और श्रम सुरक्षा की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया। कई उद्यम अभी भी महामारी–पूर्व उत्पादन और आय स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। भविष्य में इन उद्योगों की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीति–निर्माता, वित्तीय संस्थाएँ और उद्योग से जुड़े पक्ष महामारी से मिले सबक को कितना लागू करते हैं। दीर्घकालिक लचीलापन सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, डिजिटल समावेशन और कौशल विकास के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। कोविड संकट ने स्पष्ट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने छोटे उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा के बिना सतत विकास संभव नहीं।

सरकारी पहलें और नीतिगत सुधार (2019–2025) :

भारतीय सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया है और इसी के परिणामस्वरूप 2019 से 2025 के बीच इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय लागू किए गए। प्रमुख संस्थागत स्तंभों में से एक खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) है, जो खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्द्धन में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। कोविड ने रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, कच्चे माल की उपलब्धता और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया है खादी भंडारों, प्रदर्शनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से तथा विकेन्द्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता के गांधीवादी सिद्धांतों को मजबूत किया है। (K. S. & Itigatti, 2022)

कोविड–19 संकट के प्रत्युत्तर में सरकार ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रस्तुत किया, जिसमें

MSME के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी, बिना जमानत के ऋण और ऋण चुकौती पर स्थगन (Moratorium) जैसी व्यवस्थाएँ शामिल थीं। ये उपाय नकदी प्रवाह में व्यवधान झेल रहे लघु और कुटीर उद्यमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तरलता सहायता सिद्ध हुए। 2020 में MSME की नई परिभाषा लागू की गई, जिससे बढ़ते उद्यम भी अपनी MSME स्थिति खोए बिना संस्थागत लाभ प्राप्त कर सकें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी ऋण–आधारित योजनाएँ कुटीर उद्योगों को बिना जमानत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रहीं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) प्रावधानों ने MSME को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया, जबकि स्टैंड–अप इंडिया योजना ने गैर–कृषि क्षेत्र में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया। 2021 के बाद MSME के डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर विशेष ध्यान दिया गया उद्यम पंजीकरण (Udyam Registration) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जिससे बाजार पहुँच और औपचारिकता में वृद्धि हुई। (Sharma & Kumar, 2025)

स्किल इंडिया मिशन और विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य पारंपरिक कौशल उन्नयन, नई तकनीकों का परिचय और उद्यमिता कौशल का विकास था। सरकार द्वारा प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों, GeM पोर्टल और ई–कॉमर्स एकीकरण ने कारीगरों और छोटे उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुँच प्रदान की। 2023 से 2025 के बीच स्थिरता (Sustainability), हरित उत्पादन और स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं पर बल बढ़ा, जो कुटीर उद्योगों के समावेशी और सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप था। (Yusuf & Sanusi, 2025)

आर्थिक मंदी : भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रभाव (2019–2025) :

2019 से 2025 की अवधि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अस्थिरता से भरी रही महामारी से पहले की धीमी वृद्धि से लेकर कोविड–19 संकट के दौरान आई तीव्र मंदी तक। लघु एवं कुटीर उद्योग, जो भारत के असंगठित और अर्ध–संगठित क्षेत्रों की रीढ़ हैं, इस दौर में सबसे अधिक संवेदनशील सिद्ध हुए। महामारी से पहले ही छोटे उद्यम घटती उपभोक्ता मांग, तरलता की कमी, बैंकिंग और गैर–बैंकिंग क्षेत्रों में ऋण–संकुचन तथा निजी निवेश में गिरावट जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। 2019 में आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ते ही स्थानीय बाजार और घरेलू खपत पर निर्भर इन उद्योगों को घटते ऑर्डर, भुगतान में देरी और परिचालन दबाव का सामना करना पड़ा। (Gupta et al., 2024)

2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ यह मंदी तीव्र आर्थिक गिरावट में बदल गई। आवाजाही प्रतिबंध, श्रमिकों की कमी और आपूर्ति श्रृंखला टूटने के कारण लघु एवं कुटीर उद्योगों का उत्पादन लगभग ठप हो गया। बड़े उद्यमों के विपरीत इनके पास पर्याप्त कार्यशील पूँजी या वैकल्पिक उत्पादन–वितरण व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर इकाइयाँ बंद हुईं, आय और रोजगार का नुकसान हुआ विशेषकर कारीगरों और प्रवासी श्रमिकों को। मांग न्यूनतम स्तर पर आ गई क्योंकि परिवारों ने केवल आवश्यक वस्तुओं पर खर्च को प्राथमिकता दी और हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा और आभूषण जैसे कुटीर उत्पादों की खरीद टाल दी। 2021 से 2023 के बीच इन उद्योगों की रिकवरी असमान और धीमी रही। समग्र आर्थिक गतिविधियाँ सुधरने लगीं, पर बढ़ती इनपुट लागत, मुद्रास्फीति दबाव और क्रय शक्ति में कमी ने मांग की वापसी को सीमित रखा। अनेक उद्यम ऋण जाल, क्षमता उपयोग में कमी और कुशल श्रमिकों के पलायन से जूझते रहे। अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता, कमजोर डिजिटलीकरण और बाजार संपर्क की कमी जैसी संरचनात्मक कमजोरियाँ और उजागर हुईं। (Yusuf

& Sanusi, 2025)

2023 से 2025 के बीच व्यापक आर्थिक स्तर पर अपेक्षाकृत स्थिरता आई, पर मंदी के दीर्घकालिक प्रभाव 'धीमी उद्यम पुनर्बहाली और उद्योग में संकेंद्रण' स्पष्ट रहे। साथ ही, संकट ने नीतिगत और व्यवहारगत परिवर्तन भी प्रेरित किए, जिससे नए अवसर पैदा हुए। स्थानीय उत्पादन, आत्मनिर्भरता और ऑनलाइन बाजारों के प्रति बढ़ती रुचि ने पुनर्प्राप्ति के वैकल्पिक मार्ग खोले। फिर भी 2019–2025 की आर्थिक मंदी ने यह रेखांकित किया कि लघु और कुटीर उद्योग झटकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उन्हें निरंतर संस्थागत समर्थन, वित्तीय विस्तार और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। (Yee & Mauk, 2025)

निष्कर्ष :

2019 से 2025 के बीच भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों ने गंभीर झटके भी झेले और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखे। कोविड काल में उनकी संरचनात्मक कमजोरियाँ उजागर हुईं, पर साथ ही रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास में उनकी अनिवार्य भूमिका भी और स्पष्ट हुई। इस अवधि में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, कौशल निर्माण, डिजिटल समावेशन और बाजार पहुँच पर दिए गए बल ने दीर्घकालिक लचीलापन की नींव रखी। इन उद्योगों का सुदृढ़ीकरण केवल आर्थिक पुनर्प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय के लिए भी आवश्यक है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि ये उद्योग ग्रामीण समुदायों, महिलाओं और वंचित वर्गों को गैर–कृषि रोजगार उपलब्ध कराने में अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आय विविधीकरण, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन में उनकी भूमिका बड़े उद्योग मॉडल से प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। फिर भी ऋण तक सीमित पहुँच, पुरानी तकनीक, अवसंरचना की कमी और बाजार हाशियाकरण जैसी चुनौतियाँ इनके भविष्य की स्थिरता को सीमित करती हैं।

2019–2025 की सरकारी कार्ययोजनाएँ इस क्षेत्र की रणनीतिक भूमिका को बढ़ती मान्यता देती हैं। वित्तीय प्रोत्साहन, डिजिटल औपचारिकता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार एकीकरण जैसी पहलों ने राहत और नए अवसर प्रदान किए, पर योजनाओं की पहुँच और क्रियान्वयन में असमानता यह दर्शाती है कि अधिक गहरे संस्थागत सुधार और अंतिम छोर (last-mile) वितरण व्यवस्था की आवश्यकता है। भविष्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों को केवल संकट–प्रबंधन से आगे बढ़कर समग्र और दीर्घकालिक नीति ढाँचे से ही सुरक्षित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन, तकनीकी आधुनिकीकरण, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और मजबूत स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण दीर्घकालिक लचीलापन प्रदान करेगा। महामारी–पश्चात भारत में इन उद्योगों का पुनर्जीवन केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है ताकि क्षेत्रीय संतुलन, पारंपरिक आजीविका और समावेशी एवं न्यायसंगत विकास सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ :-

1. Alam, M. (2022). Economic Effects of Covid-19 on the Indian Carpet Industry. Textile: The Journal of Cloth and Culture, 20(3), 331–341. https://doi.org/10.1080/14759756.2021.1964787;ISSUE:ISSUE:DOI
2. Bhattacharyya, D. (2014). Cottage Industry Clusters in India in improving rural livelihood: An

Overview (p. 788711). https://philpapers.org/rec/BHACIC-3

3. Chopra, A., & Ekta. (2026). Leveraging AI-Enhanced Technology for Sustainability: Transforming the Retail Sector in India. 197–216. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95240-1_11
4. De Silva, D. A. M., Basnayake, B. M. R. L., Gunathilake, S. K., & Jayasinghe, M. A. E. K. (2025). Economics, Marketing and Value Chain Enhancement of the Cottage Industry Based in Highly Vulnerable Agro-Ecosystem: A Case of Kithul (Caryota urens). Climate Change Adaptation in the Built Environment: Transdisciplinary and Innovative Learning, 669–688. https://doi.org/10.1007/978-3-031-75826-3_27
5. Divsalar, H. (2012). The Impacts of Global Financial Crisis on Small Scale Industries and Retail Business in Indian Economy. The Business & Management Review, 2(1).
6. Gupta, V., Chatterjee, S., & Maurya, A. (2024). FRESH PERSPECTIVES ON INDIA'S ORGANIZATIONAL DIMENSION. Fresh Perspectives on India's Organizational Dimension, 1–331. https://doi.org/10.1142/13938
7. Gupta, Vipin., Chatterjee, S. R. ., & Maurya, Alka. (2025). Fresh perspectives on India's organizational dimension. 331.
8. Herman, T. (1956). The Role of Cottage and Small-Scale Industries in Asian Economic Development. Https://Doi.Org/10.1086/449721, 4(4), 356–370. https://doi.org/10.1086/449721
9. K. S., V., &Itigatti, A. (2022). A Study on the Impact of COVID-19 on Various Small-Scale Industries in India. Special Education, 1(43), 7007. https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:159790302?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:159790302
10. Koli, A. K. (2023). Handmade OK please: key criteria for purchasing craft items by Indian consumers. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 13(1), 43–65. https://doi.org/10.1108/JCHMSD-04-2020-0063
11. Kundy, V. P., & Shah, K. (2025). Collateral Ownership as A Stepping Stone to Formal Credit Accessibility: A Perspective of Cottage Industry Owners. AFRICAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 11(1), 722–745. https://doi.org/10.26437/ajar.v11i1.877
12. Manimala, M., Thomas, P., & Mahadev, N. (2024). Business and Society. Emerging Issues and Trends in Indian Business and Management, 02. https://doi.org/10.1142/13688
13. Mushtaq, S. O., Majeed, M., Gulzar, Z., & Bhat, S. A. (2025). An endorsement of the rural industry in India. Labour & Industry. https://doi.org/10.1080/10301763.2025.2599696
14. Prabhakar, A. Chandra., Yu, Poshan., & Erokhin, Vasily. (2025). Rural social entrepreneurship

development?: network-based manufacturing system model. 646.

15. Rahman, M. (2021). Covid responses: the case of Bangladesh small and cottage industries corporation (BSCIC). Jurnalul PracticilorComunitarePozitive, XXI(3), 31–48.
16. Sezhiyan, T. (T), &Gnanadeiveegam, D. (D). (2022). An Economic Analysis of Socio-economic Status of Micro and Cottage Industries Workers in the Pandemic Period of Puducherry Region. International Journal of Health Sciences, 6(II), 13435–13448. https://doi.org/10.53730/IJHS.V6NS2.8536
17. Sharma, V., & Kumar, P. A. (2025). The role of small and cottage industries in rural development of Eastern Uttar Pradesh. Janak: A Journal of Humanities (e-ISSN 3117-3462), 1(2), 44–61. https://janakajournal.in/index.php/1/article/view/28
18. Spengler, J. J. (1957). Cottage Industries: A Comment. Economic Development and Cultural Change, 5(4), 371–373. https://doi.org/10.1086/449746
19. Tariq, M. U. (1 C.E.). Innovative Business Models: Integrating Social, Economic, and Environmental Goals in Rural Manufacturing. Https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Aspx?Doi=10.4018/979-8-3693-7515-0.Ch005, 147–174. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7515-0.CH005
20. Yee, K. M., & Mauk, A. A. (2025). Analyzing the Spatial and Diversification Patterns ofCottage Industry in Myeik: Towards FutureDevelopment and Sustainability. J. Myanmar Acad. Arts Sci, XXII(5).
21. Yusuf, I., & Sanusi, A. (2025). Reliability and Performance Optimization of Solar-Powered Water Irrigation System for Rural Small-Scale Farming. International Journal of Applied and Computational Mathematics 2025 11:2, 11(2), 39-. https://doi.org/10.1007/S40819-025-01840-X

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 26–30
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Emerging Trends and Challenges in Global English Literature

Arya Mohandas
Krupanidhi College of Commerce and Management, Koramangala Bangalore -34

Abstract :

In the twenty-first century, English literature has undergone significant evolution in both thematic concerns and formal experimentation. Globalization, digital culture, postcolonial discourse, intersectional identities, and ecological awareness have redefined literary production and criticism. This paper examines emerging trends in contemporary English literature and the multidimensional challenges that writers and scholars face. It draws upon peer-reviewed scholarship to analyze transnationalism, genre hybridization, digital narratives, marginalized voices, and theoretical innovations. The study also explores obstacles such as linguistic homogenization, cultural appropriation, market pressures, and the decolonization of curricula. Implications for future research are also discussed.

Keywords : English literature, globalization, postcolonialism, digital narrative, identity, world literature.

Introduction :

English literature has historically functioned as both a repository of cultural memory and a dynamic field of creative innovation. From its roots in medieval texts to the proliferation of modernist experimentation, literature in English has continually adapted to social transformations. In the current era, characterized by unprecedented global interconnectivity and rapid technological change, literary practices have further diversified. Contemporary writers, critics, and scholars navigate a complex landscape marked by shifting power dynamics, hybridized identities, and new platforms for storytelling. The present paper investigates the emerging trends shaping global English literature and the challenges that accompany these developments. By synthesizing recent peer-reviewed research and critical theory, the paper identifies key thematic and formal trends and assesses the tensions inherent in literary

production and reception in the twenty-first century. The aim is to offer a comprehensive overview that situates contemporary text production within broader cultural, political, and technological frameworks.

1. Theoretical Framework : Literature in a Globalized Context

1.1 Globalization and World Literature :

Globalization's impact on English literature has generated extensive scholarly debate. The idea of "world literature" — literature circulating beyond its culture of origin — has reconfigured notions of literary value and canon formation. Franco Moretti's influential work argues for a global perspective that resists Eurocentric dominance (Moretti, 2000). Similarly, Damrosch (2003) conceptualizes world literature as texts that acquire "transnational significance" through translation and cross-cultural readership.

Globalization has enabled cross-cultural literary exchanges but has also raised questions about linguistic dominance. English, as a global lingua franca, facilitates wide dissemination while potentially overshadowing indigenous languages and literary traditions (Pyburn & Becerra, 2017). Contemporary scholarship emphasizes the need to balance global reach with sensitivity to linguistic diversity.

2. Emerging Trends in Contemporary English Literature

2.1 Transnational and Postcolonial Narratives :

The expansion of postcolonial literature marks a central trend in contemporary writing. Authors from Africa, the Caribbean, South Asia, and the Pacific regions have reshaped English literary landscapes by foregrounding histories of colonialism, resistance, and cultural hybridity. Works such as Chimamanda Ngozi Adichie's Half of a Yellow Sun and Mohsin Hamid's The Reluctant Fundamentalist explore postcolonial identities and geopolitical tensions.

Scholarship highlights how postcolonial writers destabilize monolithic notions of identity. Ashcroft, Griffiths, and Tiffin (2007) emphasize the capacity of postcolonial texts to negotiate complex interplays between tradition and modernity. These narratives reveal localized experiences that challenge universalizing assumptions, giving voice to historically marginalized perspectives.

2.2 Genre Hybridization and Experimental Forms :

Contemporary English literature increasingly blurs genre boundaries, incorporating hybrid forms that defy traditional classifications. The rise of autofiction, speculative fiction, and cross-genre prose reflects authors' efforts to articulate fragmented subjectivities. Autofiction — a fusion of autobiography and fiction — has gained prominence through figures like Ben Lerner and Maggie Nelson. Critics view autofiction as a response to the limitations of conventional genre categories (Lejeune, 1989; Gilmore, 2011).

Similarly, speculative fiction has moved beyond its genre label to address urgent social issues such as climate change, inequality, and technological disruption. Works by authors like N. K. Jemisin and Kazuo Ishiguro demonstrate how speculative frameworks can engage deeply with contemporary realities.

2.3 Digital Literature and New Media :

The proliferation of digital technologies has transformed both literary creation and readership. Digital platforms enable new forms of narrative, including hypertext fiction, interactive storytelling, and digital poetics. Bolter and Grusin's (1999) concept of "remediation" describes how digital literature repurposes traditional forms within electronic environments.

Digital literature challenges the materiality of text and introduces multimodal elements, integrating visual, auditory, and interactive components. Examples include electronic poetry that responds to reader input and narrative games that offer branching storylines. Scholars such as Rettberg (2018) emphasize that digital literature foregrounds participatory engagement, redefining the author–reader relationship.

2.4 Environmental and Eco-Critical Writing :

Ecological consciousness has emerged as a significant influence in contemporary English literature. Eco-criticism examines how literary texts represent nature and environmental concerns. Works such as Richard Powers's The Overstory and Amitav Ghosh's The Great Derangement foreground ecological crises while critiquing anthropocentrism.

Scholarly contributions highlight literature's role in fostering environmental awareness and ethical reflection. Buell (1995) emphasizes the narrative's capacity to shape ecological sensibilities, positioning literature as a site for environmental activism. Eco-critical texts interrogate human–nonhuman relationships and challenge cultural narratives that marginalize ecological interdependence.

3. Challenges in Contemporary English Literature

3.1 Linguistic Homogenization and Cultural Marginalization :

While English functions as a global literary medium, its predominance can overshadow other languages. Critics argue that the global dominance of English literature risks marginalizing localized linguistic traditions. Canagarajah (2006) emphasizes the need to recognize plurilingual literacies rather than privileging standardized English norms. The tension between global reach and linguistic diversity remains a persistent challenge.

3.2 Cultural Appropriation and Ethical Representation :

Contemporary writers often draw on cultures outside their own, raising ethical questions around representation and appropriation. Literary critics debate whether cross-cultural narratives can avoid

exploitative or stereotypical portrayals. Young (2008) distinguishes between respectful cultural exchange and problematic appropriation, urging writers to engage in ethical self-reflection.

3.3 Market Pressures and Literary Commodification :

The commercial pressures of the publishing industry influence literary production. Market-driven trends can prioritize profitability over artistic innovation or critical engagement. Bourdieu (1993) describes the tension between cultural capital and economic capital, noting how market forces shape authors' creative choices. Emerging writers may feel compelled to conform to popular genres, potentially limiting experimental risk-taking.

3.4 Challenges of Decolonizing Curricula :

Academic institutions face pressures to diversify English literature curricula by incorporating marginalized voices and non-Western texts. However, efforts to decolonize curricula encounter structural barriers, including entrenched canons and limited access to translated works. Scholars such as Alcoff (2007) emphasize that decolonization involves not only inclusion but also reevaluating epistemological foundations.

4. Case Studies and Representative Texts

4.1 Transnational Identity in Zadie Smith's White Teeth :

Zadie Smith's White Teeth exemplifies transnational English literature by tracing intersecting cultural identities in a multicultural London. Scholars (e.g., D'haen, 2008) highlight the novel's engagement with hybridity, migration, and intergenerational conflict. The text's polyphonic structure mirrors the complex social fabrics of globalized cities.

4.2 Eco-Narratives in The Overstory :

Richard Powers's The Overstory functions as a literary intervention into ecological discourse. Literary scholars note the novel's fragmentation and interwoven narratives as emblematic of eco-critical concerns (Huggan & Tiffin, 2010). By foregrounding tree life cycles and environmental activism, the text challenges anthropocentric storytelling.

5. Theoretical Debates and Critical Perspectives :

Contemporary literary scholarship continues to evolve, often crossing disciplinary boundaries. Poststructuralist theory, material ecocriticism, and digital humanities have enriched critical inquiry. For instance, Hayles (2008) explores how digital culture redefines concepts of embodiment and narrative agency.

Debates around identity, representation, and globalization persist, with critics advocating for intersectional and transnational frameworks. Contemporary critique emphasizes the interdependence of literature and sociopolitical contexts, arguing that texts cannot be divorced from global realities

(Bhabha, 1994; Hall, 1996).

Conclusion :

Emerging trends in global English literature reflect a field in constant negotiation with cultural, technological, and ecological transformations. Transnational narratives, genre hybridization, digital literatures, and eco-critical writings illustrate literature's adaptive capacities. Simultaneously, challenges including linguistic homogenization, cultural appropriation, market pressures, and curriculum reforms reveal ongoing tensions. Addressing such challenges demands critical rigor, ethical engagement, and openness to diverse voices. Future scholarship will likely continue exploring the intersections among literature, identity, technology, and ecology.

References :

(Selected peer-reviewed sources)

1. Alcoff, L. (2007). Visible Identities: Race, Gender, and the Self. Oxford University Press.
2. Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2007). Post-Colonial Studies: The Key Concepts. Routledge.
3. Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. Routledge.
4. Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. Columbia University Press.
5. Buell, L. (1995). The Environmental Imagination. Harvard University Press.
6. Canagarajah, A. S. (2006). Ethnographic Approaches to English in a Global Context. Routledge.
7. Damrosch, D. (2003). What Is World Literature? Princeton University Press.
8. D'haen, T. (2008). The Routledge Concise History of World Literature. Routledge.
9. Gilmore, L. (2011). The Limits of Autobiography. Cornell University Press.
10. Hall, S. (1996). Cultural Identity and Diaspora. In Colonial Discourse and Post-Colonial Theory (pp. 392–401). Harvester Wheatsheaf.
11. Hayles, N. K. (2008). Electronic Literature: New Horizons for the Literary. University of Notre Dame Press.
12. Huggan, G., & Tiffin, H. (2010). Postcolonial Ecocriticism. Routledge.
13. Lejeune, P. (1989). On Autobiography. University of Minnesota Press.
14. Moretti, F. (2000). Conjectures on World Literature. New Left Review, 1, 54-68.
15. Pyburn, D., & Becerra, L. (2017). Global Englishes and Transcultural Flows. Journal of World Literature, 2(1), 9-30.
16. Rettberg, S. (2018). Electronic Literature. Polity.
17. Young, J. O. (2008). Cultural Appropriation and the Arts. Wiley-Blackwell.

Email ID -aryamohandas1314@gmail.com Ph: +91 9633746985

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 31-33
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

जनसंचार माध्यमों में हिंदी

संतोष कुमार
ग्राम–बरौना, पोस्ट–किछौछा, जिला–अंबेडकर नगर, पिन कोड–2241 55

विश्व के सभी प्राणी अपने हाव–भाव, विचार, संवेदना और ज्ञान व्यक्त करने के लिए संकेत, बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे ही 'संप्रेषण' कहते हैं। भाषा संप्रेषण के माध्यम से विश्व के अलग–अलग राष्ट्र, विज्ञान, तकनीकी व उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके दिन–प्रतिदिन उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक लोगों के भावों, विचारों, संवेदनाओं व ज्ञान का आदान–प्रदान न हो।

जनसंचार माध्यमों में हिंदी का प्रभाव दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हिंदी भाषा के जानकार विश्व में लगभग 77 करोड़ (यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार) और भारत की 73% जनता हिंदी का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। संचार माध्यमों में विद्युत उपकरणों के प्रयोग से यह पहले की अपेक्षा और अधिक प्रभावी हो गया है। हिंदी भाषा इसके माध्यम से जनमानस के हृदय में पैठ बन चुकी है। मीडिया का वर्तमान स्वरूप बहुस्तरीय हो गया है। वर्तमान में यह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है।

विद्युत उपकरणों ने मीडिया के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। वैज्ञानिक तकनीकी ने हिंदी के सॉफ्टवेयर का निर्माण कर हिंदी को और अधिक सरल, सहज, व्यावहारिक बना दिया है। इस कार्य के लिए अमेरिका के बिल गेट्स का नाम अग्रणी है जिन्होंने 'माइक्रोसॉफ्ट' का अविष्कार करके हिंदी को संपूर्ण विश्व में नए रूप में उपस्थित किया। इसके माध्यम से हिंदी में काम करना बहुत सरल व सहज हो गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने हिंदी के बढ़ते कदम से प्रभावित होकर लिखा है कि– 'गूंजा हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ सरकार। राष्ट्र संघ के मंच से, हिंदी की जय जयकार। हिंदी की जयकार, हिंदी हिंदी में बोला। देश स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज में बोला। कह कैदी कविराय, मेम की माया टूटी, भारत माता धन स्नेह की सरिता फूटी।'

भूमंडलीकरण के इस युग में देश–विदेश में बसे हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी सीखना सरल हो गया है। वर्तमान समय में पूरा मीडिया हिंदी के आगोश में समा चुका है। इसके माध्यम से हिंदी को विश्व में विशिष्ट पहचान मिली है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कंप्यूटर, रेडियों, टाइप राइटर, वॉइस रिकॉर्डर, दूरदर्शन आदि प्रमुख हैं जिसके माध्यम से हिंदी को निरंतर प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत में दूरदर्शन का आरंभ 15 सितंबर 1949 ई. को हुआ, जिसका प्रारंभिक नाम श्आकाशवाणीश रखा गया था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हिंदी कार्यक्रम जैसे– ज्ञानवाणी, कृषि दर्शन, हिंदी समाचार, हिंदी फिल्में, लोकगीत, लोककथा इत्यादि जहां एक तरफ भारतीय संस्कृति व सभ्यता का विश्वभर में प्रचार–प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदी को जन–मन तक पहुंच रही

है। रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने हिंदी को सभी के दिलों में स्थान दिलाया है। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के विज्ञापन, क्रिकेट कमेंट्री आदि न जाने क्या–क्या हमारे सम्मुख उपस्थित अपनी प्रिय भाषा में उपलब्ध है। विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए हिंदी का सहारा ले रही है। इस प्रकार मीडिया के माध्यम से हिंदी वर्तमान अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

दूरदर्शन के कई ऐसे नाटक, फिल्में, धारावाहिक आदि प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, बंकिम चंद चटर्जी आदि द्वारा रचित उपन्यासों, नाटकों को आधार बनाकर रखे गए हैं। हिंदी साहित्य ने विश्व के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित किया और हिंदी सीखने के लिए लोगों को प्रेरित किया हैं। चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' और मुंशी प्रेमचंद को पढ़ने के लिए न जाने कितने विदेशियों ने हिंदी सीखा। गुलजार ने आठवीं विश्व हिंदी सम्मेलन (13 जुलाई 2007 ई.) में कहा था कि– 'हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार में सिनेमा ने साहित्य से ज्यादा काम किया है। हिंदी फिल्मों ने ही हिंदी भाषा को संपर्क भाषा बनाया है। इतना काम तो साहित्य अकादमी एवं नेशनल बुक ट्रस्ट जैसी संस्थाओं ने भी नहीं किया।'

भारत में रेडियों की पहुंच लगभग 95% लोगों तक है। किसान अपने खेतों में, ड्राइवर अपनी सवारी में, सैनिक देश की सीमा पर और औरतें अपने घरों में रेडियों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, कविताएं, लोकगीत, लोककथा, महापुरुषों की जीवनी, पुस्तक वार्ता, कहानियां, शैक्षिक कार्यक्रमों आदि सभी को आसानी से सुन सकते हैं। रेडियों गैर हिंदी राज्यों के लोगों के लिए भी हिंदी सुनने, समझने, सीखने में सहायक है। इसके माध्यम से श्रोता के शब्दकोश में बढ़ोत्तरी होती है। नये–नये शब्दों को बोलना आसानी से सीखा जा सकता है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विदेश में भी रेडियों सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 'ब्रिसबेन' नाम का हिंदी एफ. एम. कार्यक्रम, 'वॉइस ऑफ अमेरिका', नमक रेडियों अमेरिका में हिंदी संबंधी कई कार्यक्रमों को प्रसारण करता है। फिजी के हिंदी प्रेमियों की मांग पर शफिजी रेडियोंश से प्रति सप्ताह 75 घंटे का हिंदी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

टेपरिकॉर्डर (वॉइस रिकॉर्डर) एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार आगे–पीछे करके सुना जा सकता है। इस उपकरण के माध्यम से हिंदी सीखना, बोलना, उच्चारण आदि में मदद मिल रही है। हिंदी भाषा को सिखाने वाला रिकॉर्ड की गई ध्वनियों की पुनरावृत्ति कर आसानी से हिंदी सीख सकता है।

कंप्यूटर हिंदी सीखने, लिखने, पढ़ने और बोलने के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर आधारित उपकरण है जिस पर कम समय में अच्छी हिंदी सीख सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हिंदी प्रेमियों को किसी भी पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र आदि को हिंदी में पढ़ने की सुविधा आसानी से मिल जाती है। यदि पुस्तक अंग्रेजी में हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी किया जा सकता है। हाल ही में कंप्यूटर संबंधी नये शोधों ने हिंदी व्याकरण संबंधी किसी भी त्रुटि का निवारण आसानी से संभव है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आपस में बातचीत की जा सकती है। प्राचीन काल में किसी पत्र को भेजने व उत्तर मिलने में महीनों लग जाते थे लेकिन अब ई–मेल के माध्यम से यह काम पलभर में संभव हो गया है। हिंदी आधारित सॉफ्टवेयर ने विश्व के हिंदी प्रेमियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है।

विश्व के सभी शैक्षिक संस्थाएं मुख्ततः प्रिंट मीडिया पर निर्भर है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र,

पत्रिकाएं, शब्दकोष, साहित्यिक पुस्तकें, कार्य पुस्तकें आदि आती हैं। जहां तक समाचार पत्रों की बात है तो इसका प्रकाशन विश्व के सभी देशों में होता है। भारत में हिंदी का पहला प्रचार समाचार पत्र 'उदंत मर्दंड' 30 मई 1826 ई. को कोलकत्ता से पंडित जुगल किशोर ने संपादित किया था। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र 'बनारस अखबार' (सन् 1854 ई., संपादक–राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद) थे। भारत में हिंदी समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसंदेश टाइम, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स आदि न जाने कितने समाचार पत्र हिंदी में न केवल प्रकाशित हो रहे हैं बल्कि इसके पाठक की संख्या भी बहुत है। भारत के साथ ही अन्य देशों से भी हिंदी के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। जैसे– कनाडा से 'हिंदी एब्रॉड', नेपाल से 'लोकमत' और 'इंकलाब' आदि।

भारत में हिंदी में सैकड़ों पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। जिसमें तद्भव, आलोचना, हंस, गृह शोभा, वनिता, इंडिया टुडे, अभिव्यक्ति, भारत दर्शन, कथाक्रम, कथादेश, साखी, लमही, आउटलुक, आविष्कार, विज्ञान प्रगति, सरिता आदि प्रमुख है। इनमें से अधिकतर अब ऑनलाईन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कहीं से और कभी भी पढ़ सकता है। ये सभी पत्रिकाएं हिंदी के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। विदेशों से निकलने वाली प्रमुख हिंदी पत्रिकाओं में लंदन से 'नवगीत' और 'पुरवाई', कनाडा से 'संगम', 'भारतीय' और 'जीवन ज्योति', नीदरलैंड (हॉलैंड) से 'विश्व ज्योति', फिजी से 'शांतिदूत', 'वृद्धि' और 'जय फिजी संदेश', चीन से 'चीन पत्रिका' (मासिक), अमेरिका से 'विश्व हिंदी जगत', 'हिंदी साहित्य', नेपाल से 'हिमालय' (त्रैमासिक) हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि हिंदी आज बहुत व्यापक स्तर पर फैल चुकी है तथा अब दुनिया इसे किसी तरह से अनदेखा नहीं कर सकती। जनसंचार माध्यमों के विविध रूप इसे फैलने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आज इंटरनेट पर सारी चीजें उपलब्ध है, बस आवश्यकता इच्छा शक्ति की है। आज हिंदी के अनेक शब्दकोषों के ई–संस्करण उपलब्ध हैं। हिंदी शब्दकोश हिंदी सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि हिंदी अन्य भाषाओं से परस्पर संबंध बनाने में सफल होती है तो इसके सम्मुख विश्व की कोई भी भाषा नहीं खड़ी हो सकती और वह दिन दूर नहीं जब इसे राष्ट्र संघ की भाषा होने का गौरव प्राप्त होगा।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 34–39
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Science Technology And Society

Lt. (Dr.) Jyoti Gupta
Assistant Professor and Head, Department of Sociology,
Madanmohan Malaviya Post Graduate College, Kalakankar, Pratapgarh, U.P.

Abstract :

Modern scientific advancements and technological innovations have not only made human life simpler and more convenient in unprecedented ways but have also given rise to new ethical dilemmas, social inequalities, and environmental concerns. This study, using key theories such as social structuralism and technological determinism, views technological development not merely as a neutral process but as one that is shaped and influenced by social and cultural forces. I will analyze the development of technology and its socio-technical aspects, including the unforeseen consequences of innovations in areas such as the digital revolution, artificial intelligence, and biotechnology. I will attempt to highlight all the points where the use of technology can either increase or decrease social inequalities and how it can create new ethical dilemmas. And this can present significant challenges for governance and civic participation. This research paper advocates a multidimensional approach to understanding the social impact of science and technology. The aim of this paper is not only on technological progress but also on the social processes through which science and technology are co-constructed. The objective of this study is to provide valuable analysis for policymakers, researchers, and the general public so that they can guide the future development of science and technology with greater responsibility and fairness.

Key words - Science, technology, society, scientific knowledge, technological innovation, social impact, ethical dilemmas, social inequalities, artificial intelligence, biotechnology, social processes

Introduction :

In the modern era, science and technology have transformed every aspect of our lives in unimaginable ways. From means of communication to healthcare services, from transportation to entertainment, innovations in all these areas have reshaped the course of human civilization. However, despite the depth and extent of these changes, we often view science and technology merely as neutral

tools that exist solely to meet human needs. This approach underestimates their true nature. The reality is that science and technology are not merely external forces acting upon society; rather, they are deeply embedded within social, cultural, and political contexts, and these contexts shape them. This is where the study of science, technology, and society becomes important. It not only looks at what science and technology do, but also examines how and why they are done, and what their social consequences are. This field emphasizes that the production of scientific knowledge, the development of technological innovations, and their dissemination is not a simple or automatic process. Instead, it is influenced by human decisions, social priorities, economic incentives, and power relations. The aim of this research paper is to conduct an in-depth analysis of the relationships between science, technology, and society. I will make every possible effort to highlight all aspects that determine the direction of scientific research based on social needs and values.

Historical perspective :

Understanding the state of science and technology in India is complex because it has gone through various eras, periods, and influences. Before independence, India had a long and proud tradition of science and technology. The development of mathematics in India is an extraordinary fact, without which modern science and technology cannot even be imagined. India invented the concept of zero and the decimal place value system, a revolutionary step that greatly simplified calculations and opened the doors to mathematical progress. In the 5th and 6th centuries CE, Aryabhata developed the concepts of Jyot and Kautilya, which became the foundation of modern trigonometry. In the 7th century, Brahmagupta, and in the 12th century, Bhaskara II contributed to algebra. Jawaharlal Nehru's vision for the fields of science and technology was extremely farsighted and modern. He believed that science and technology were essential for the construction of modern India.

The impact of technology on the economic development of society :

The impact of science and technology on the economic development of society is profound and multidimensional, and it can be viewed from both positive and negative perspectives. In this way, science and technology have made a significant contribution to the economic progress of society. By using new technologies, individuals are accomplishing their daily tasks and travel-related activities efficiently. For example – during the Industrial Revolution, the invention of the steam engine, electricity, and artificial intelligence (AI) – science and technology give rise to new products and services such as the internet, mobile phones, biotechnology products, renewable energy, and more. They create new industries and markets, which increases economic activities. The emergence of new industries generates employment opportunities on a large scale, both directly and indirectly. For example, the information technology (IT) sector has provided employment to people. Science and

technology help in the development of energy-efficient technologies such as smart lights and solar energy, which reduce energy consumption and save costs. Improved production processes and recycling technologies reduce resource wastage and help protect the environment. Advanced seeds, fertilizers, irrigation techniques, and crop management methods are increasing agricultural production, ensuring food security, and raising income in the agricultural sector. The Internet, mobile phones, and advanced transportation systems have made business and commerce easier globally, enabled global supply chains, and promoted international trade. Technology makes education more accessible (online education, digital resources) and encourages the development of new skills, which in turn increases workforce productivity. Advances in the medical field have made it possible to treat serious diseases more effectively, leading to an increase in average life expectancy.

The impact of technology on social change :

Some major impacts of science and technology can be seen. For example, the internet, mobile phones, and social media have made communication extremely fast and easy. People can now connect with each other from any corner of the world, share information, and build social networks. Online education platforms and digital resources have democratized access to knowledge. People can now enroll in various courses from home, learn new things, and enhance their skills. In the medical field, science and technology have made tremendous progress in the diagnosis, treatment, and prevention of diseases. New drugs, vaccines, medical devices, and telemedicine facilities have increased life expectancy. The Green Revolution and the development of agricultural technology have boosted crop production, ensuring food security. Improved seeds, fertilizers, irrigation techniques, and machinery have helped farmers produce more. Science and technology have made significant advances in areas such as transportation (rail, road, air travel), energy (electricity, renewable energy), and housing (better construction materials), improving the standard of living. Digital media and communication technology have helped raise awareness about social issues. They also provide a platform for marginalized groups to express their concerns and participate in the mainstream of society. For example, dating apps and social networks have promoted inter-caste marriages, bringing changes to traditional social norms. Tools of modern lifestyle, well-constructed buildings, and various gadgets that make life easier have changed people's way of living.

Impact onPolitical System and Governance :

Science and technology have influenced the political system and governance, leading to significant changes in government operations, citizen participation, and international relations. Through information technology, the government is now providing services to citizens online, saving both time and cost. Services such as passport applications, bill payments, and certificate issuance can now

be done digitally. Due to e-governance, government processes and information can be made available online, which increases transparency and reduces corruption, allowing individuals to easily access information. The digital system has reduced paperwork, making government operations faster and more efficient. Social media and online platforms are providing new ways for people to participate in political discussions, express their opinions, and reach policymakers. Social media is being used to organize and mobilize people for various social and political movements, as seen in many protests and campaigns. Real-time monitoring of areas is being carried out using sensors, satellites, and other technological tools, leading to significant improvements in disaster management, urban planning, and resource allocation. Science and technology have revolutionized military capabilities. Technologies such as nuclear weapons, missile systems, satellite surveillance, drones, and cyber warfare have completely transformed national security strategies.

Impact on Education and Health :

The development of social media, the internet, and mobile phones has greatly increased the speed of communication, allowing people to connect easily and instantly with each other, no matter how geographically far they are. New technology has changed the way of working; technologies like the internet, smartphones, and computers connect children to the world of education and knowledge. Online videos, audio, tutorials, and e-books are readily available, allowing students to learn new skills and gain knowledge on various subjects. Students and teachers can also connect remotely, greatly increasing access to education. During the COVID-19 pandemic, platforms like e-Sanjeevani provide teleconsultation services, reducing the burden on physical healthcare services and saving time for both patients and healthcare providers. Ethical dilemmas are also arising in health technology. For example, in human genetic engineering, gene modification carries the risk of affecting a person's uniqueness. Unborn individuals cannot consent to genetic modifications, leading to ethically controversial decisions. The security and privacy of data are also important issues. It is also helping in predicting health risks and suggesting measures to manage them. However, breaches of privacy and employment displacement are the biggest obstacles that make it difficult to collect large repositories of essential health data, which is necessary to strengthen data security and privacy. Ethical dilemmas are also arising in health technology. For example, in human genetic engineering, gene modification poses a risk of affecting an individual's uniqueness. Unborn individuals cannot consent to genetic modifications, leading to ethically controversial decisions. Data security and privacy are also significant concerns.

Statistics :

- India ranks 39th in the Global Innovation Index and 6th globally in intellectual property filings

(Department of Science and Technology, Year-End Review 2024).

- Indian tech startups raised $4 billion in the first half of 2024, making it the fourth highest-funded country globally.
- As of October 3, 2023, India has 111 unicorns with a total valuation of $349.67 billion.
- In 2023-2024, India's real GDP grew by 8.2%. This is the ninth time since 1960-61 that India's GDP has achieved a growth rate of over 8 percent in a year.
- In 2022-23, the digital economy contributed 11.74 percent to India's GDP, and it is estimated to rise to 13.42 percent by 2024-25.
- India ranked 39th in the Global Innovation Index 2024.
- For research and development in 2023-24, the Indian government proposed total expenditure of ?45,03,097 crore.
- India's medical tourism sector is growing at an annual rate of 18 percent, with treatments being 65 to 90 percent cheaper and of higher quality compared to other countries.

Conclusion :

This research paper studies in depth the complex and interconnected relationship between science, technology, and society. We have observed how science and technology have shaped human civilization in unprecedented ways, improved the quality of life, promoted economic development, and transformed social structures. However, alongside these advancements, serious ethical questions, social inequalities, and environmental concerns have also emerged. We have discussed how the rapid development of technology is changing the employment landscape, leading to job losses due to automation and artificial intelligence (AI) as well as the emergence of new roles. This raises important questions about social justice and equality, particularly in the context of the digital divide and unequal access to technology. Additionally, we have considered the impact of scientific and technological progress on environmental challenges, including climate change, resource scarcity, and biodiversity loss, emphasizing the crucial role of innovation for a sustainable future. Ultimately, science and technology are a double-edged sword. Their transformative potential is immense, but their applications must be guided with caution, foresight, and a profound understanding of social responsibility.

Collaborative efforts among policymakers, scientists, industrialists, and the general public are essential to ensure that scientific and technological progress leads to a fair, inclusive, and sustainable future for all. We should be prepared to face the challenges that may arise in the future, and we must recognize that the relationship between science, technology, and society is a dynamic and continually evolving process that requires constant dialogue, adaptation, and thoughtfulness. In the future, we will need to chart a path that not only encourages innovation but also prioritizes human values and the

health of the Earth.

Reference Book List :

- The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Robert K. Merton.
- Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts, Bruno Latour.
- The Structure of Scientific Revolutiion, Thomas S. Kuhn.
- Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, Karin Knorr Cetina.
- The National Labs Science in an American system, 1947-1974, Peter J. Westwick.
- Science As Practice and Culture. Andrew Pickering.
- The Mangle in practice. Science, Society and Becoming. Andrew Pickering and Keith Guzik.
- Scientific Knowledge. Barry Barnes, David Bloor & John Henry.
- The Essential Turing : B Jack Copeland.
- De Revolutionibus Orbium Coelestium, Nicolaus Copernicus.
- A Journey Through The Univerce, Pro. Jayant Vishnu Narlikar
- Latour, Bruno. Science in Action: How to follow scientists and engineers through society. Harvard University press.1987
- J.k . Author, title of book,

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 40–43
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का सामाजिक–राजनीतिक विकास

डॉ. सुशीला देवी यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

शोध सारांश :

वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसने विश्व के लगभग सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित किया है। भारत जैसे विकासशील देश में वैश्वीकरण ने जहाँ आर्थिक उदारीकरण, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया, वहीं सामाजिक असमानताए सांस्कृतिक परिवर्तन और राजनीतिक चुनौतियों को भी जन्म दिया। यह शोध.पत्र वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास का विश्लेषण करता है तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करता है।

संकेताक्षर : वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक विकास, उदारीकरण।

शोध के उद्देश्य :

इस शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- वैश्वीकरण की अवधारणा तथा उसके विभिन्न आयामों आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक का अध्ययन करना।
- भारत में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप हुए सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं नीति–निर्माण पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।
- वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानताओं एवं अवसरों का मूल्यांकन करना।
- लोकतंत्र, संप्रभुता और राज्य की भूमिका पर वैश्वीकरण के प्रभावों को समझना।
- वैश्वीकरण के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं की तुलनात्मक समीक्षा करना।
- भारत के सामाजिक–राजनीतिक विकास के संदर्भ में भविष्य की चुनौतियों एवं संभावनाओं को रेखांकित करना।

शोध का महत्व :

यह शोध भारत में वैश्वीकरण के वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को समझने में सहायक होगा।

- नीति–निर्माताओं को समावेशी एवं संतुलित विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- भारतीय राजनीति और समाज के आधुनिक परिवर्तनों को समझने का आधार बनेगा।
- यह अध्ययन वैश्वीकरण और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करता है।
- सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों पर वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है।

शोध प्रविधि :

यह शोध वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें तथ्यों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत सरकारी रिपोर्टें, नीति दस्तावेज द्वितीयक स्रोत पुस्तकें, शोध–पत्र एवं जर्नल, समाचार–पत्र एवं पत्रिकाएँ, सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें।

परिचय :

वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 'LPG' के लागू होने के बाद भारतीय समाज और राजनीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले। वैश्वीकरण ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ा, बल्कि सामाजिक संरचना और राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी गहराई से प्रभावित किया।

वैश्वीकरण की अवधारणा :

वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें पूंजी, वस्तुएँ, सेवाएँ, तकनीक, सूचना और मानव संसाधन सीमाओं के पार निर्बाध रूप से प्रवाहित होते हैं। इसके प्रमुख आयाम हैं :–

- आर्थिक वैश्वीकरण।
- सामाजिक–सांस्कृतिक वैश्वीकरण।
- राजनीतिक वैश्वीकरण।

भारत में वैश्वीकरण का सामाजिक प्रभाव :

- **सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन :**

वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज में शहरीकरण, मध्यम वर्ग का विस्तार और उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ। संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर हुई और एकल परिवारों की संख्या बढ़ी।

- **शिक्षा और सूचना क्रांति :**

सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के प्रसार ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया। ऑनलाइन शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़ाव और कौशल–आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला।

- **वैश्वीकरण और सामाजिक न्याय :**

वैश्वीकरण ने सामाजिक न्याय की अवधारणा को नई दिशा दी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए, किंतु लाभों का समान वितरण नहीं हो पाया। राज्य की भूमिका अब कल्याणकारी से नियामक और साझेदार की बनती जा रही है।

- **आर्थिक असमानता :**

यद्यपि वैश्वीकरण ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए, परंतु अमीर.गरीब के बीच की खाई भी बढ़ी।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान विकास एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा।

- सांस्कृतिक परिवर्तन पश्चिमीकरण बढ़ा है, जीवनशैली, खान–पान फास्ट फूड फैशन और पसंद–नापसंद में बदलाव आया है विवाह, परिवार और जाति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है।
- शहरीकरण और जीवनशैली शहरों की ओर पलायन बढ़ा है, जिससे प्रदूषण, भीड़, अपर्याप्त स्वच्छता और स्लम जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां मोटापा, मधुमेह बढ़ी हैं।
- महिला सशक्तिकरण शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं के लिए नए अवसर खुले हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ है।
- हाशिए के समूहों पर प्रभाव हाशिए पर पड़े समुदायों को अपने अधिकारों और पहचान के लिए आवाज उठाने में मदद मिली है, लेकिन आदिवासी समुदायों का जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव और अस्तित्व खतरे में पड़ा है।

भारत में वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव :

- **लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को महत्व :**

वैश्वीकरण के कारण राज्य की भूमिका नियंत्रक से सुविधादाता की ओर बढ़ी। जो लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देता है। निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में वृद्धि हुई।

- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव :**

मीडिया और सोशल मीडिया के विस्तार ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। नागरिक अब नीतियों और शासन पर अधिक प्रश्न उठाने लगे हैं।

- **भारत की विदेश नीति और वैश्वीकरण :**

वैश्वीकरण ने भारत की विदेश नीति को बहुआयामी बनाया है। भारत अब केवल गुटनिरपेक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारियों, क्वाड, ब्रिक्स, जी–20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इससे भारत की वैश्विक राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है।

- **नीति निर्माण में अंतरराष्ट्रीय प्रभाव :**

विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का भारतीय नीतियों पर प्रभाव बढ़ा। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता पर बहस तेज हुई।

- **पहचान की राजनीति और क्षेत्रीयता :**

वैश्वीकरण के दबाव में स्थानीय पहचान, क्षेत्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता की राजनीति को बल मिला। यह प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव :

- **डिजिटल वैश्वीकरण :**

21वीं सदी में वैश्वीकरण का स्वरूप डिजिटल हो गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। सोशल मीडिया, ई.गवर्नेंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने नागरिकों और शासन के बीच की दूरी को कम किया है।

- **श्रम और रोजगार पर प्रभाव :**

वैश्वीकरण के कारण आईटी, बीपीओ, सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ाए परंतु असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की असुरक्षा भी बढ़ी। ठेका श्रम, गिग इकॉनॉमी और अस्थायी रोजगार नई चुनौतियाँ बनकर उभरे हैं।

- **कृषि और ग्रामीण समाज :**

कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव मिश्रित रहा है। निर्यात के अवसर बढ़े परंतु वैश्विक कीमतों के उतार. चढ़ाव से किसान प्रभावित हुए। कॉरपोरेट खेती और अनुबंध खेती पर बहस तेज हुई है।

चुनौतियाँ और अवसर :

प्रमुख चुनौतियाँ :

- आर्थिक असमानता और बेरोजगारी।
- सांस्कृतिक पहचान का संकट।
- नीति निर्माण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव।
- पर्यावरणीय समस्याएँ।
- सामाजिक और क्षेत्रीय असमानता।
- सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा।
- नीति–निर्माण में बाहरी दबाव।
- अवसर।

भारत को समावेशी विकास मॉडल अपनाना होगा जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित होती हैं। आर्थिक विकास और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई हैं। तकनीकी प्रगति और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। वैश्विक मंच पर भारत की भारत के मजबूत साख स्थापित की है।

निष्कर्ष :

वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बहुआयामी रूप से प्रभावित किया है। यह प्रक्रिया न तो पूर्णतः लाभकारी है और न ही पूर्णतः हानिकारक। संतुलित नीतियों सशक्त लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक चेतना के माध्यम से भारत वैश्वीकरण को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढाल सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. बाजपेयी ए. (2015) वैश्वीकरण और भारतीय समाज, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन।
2. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम के.पी.एम. 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली सुल्तान चंद एंड संस।
3. शुक्ला, रामगोपाल (2018) भारतीय राजनीति सिद्धांत और व्यवहार, दिल्ली पीयरसन।
4. मीनू (2013) इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एण्ड लीबरेलाइजेशन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एम० एण्ड एम० रिसर्च।
5. एम. श्रीवास्तव, (2009) ग्लोबलाइजेशन एण्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस.एस.आर.एन.डॉट।

Gmail:- sushilayadav339@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 44–48
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviour in Indian Airlines : A Sectoral Analysis

Sanjay Kumar, Research Scholar
Dr. Sufiya Syed, Research Supervisor
Shri Venkateshwara University, Gajraula, Amroha (Uttar Pradesh)

Abstract :

The Indian aviation industry has undergone significant structural and competitive transformations over the past two decades. Liberalization policies, privatization, technological integration, and market expansion have intensified organizational pressures within airlines operating in India. In such a dynamic service-intensive sector, leadership style plays a critical role in shaping employee attitudes and discretionary behaviors. This study examines the relationship between Transformational Leadership (TL) and Organizational Citizenship Behaviour (OCB) within Indian airlines, offering a sector-specific analytical framework. Drawing upon leadership theory and social exchange principles, the paper investigates how transformational leadership dimensions—idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration—contribute to the emergence of OCB among airline employees.

The study adopts a sectoral analytical approach by examining leadership practices in major Indian airlines and evaluating their impact on service-oriented employee behaviours. Through conceptual synthesis and sectoral evidence, the research demonstrates that transformational leadership significantly enhances OCB dimensions such as altruism, conscientiousness, civic virtue, sportsmanship, and courtesy. The findings suggest that in a high-contact service industry like aviation, leadership-driven psychological empowerment fosters voluntary behaviours that enhance service quality, operational reliability, and customer satisfaction.

The paper contributes to Indian leadership scholarship by contextualizing transformational leadership within the aviation sector, which remains underexplored in academic research. The study

also offers managerial implications for airline executives seeking to strengthen organizational culture and employee engagement in a competitive market environment.

Keywords : Transformational Leadership, Organizational Citizenship Behaviour, Indian Aviation Industry, Employee Engagement, Service Sector Leadership, Airline Management, Sectoral Analysis.

Introduction :

The Indian aviation sector has emerged as one of the fastest-growing aviation markets globally. Increased passenger mobility, policy liberalization, infrastructure development, and digital transformation have reshaped airline operations. However, rapid growth has also intensified operational complexity, competitive pressure, and service quality expectations. Airlines function as high-contact service organizations where employee behaviour directly influences customer perceptions, safety outcomes, and brand reputation.

In such environments, formal job descriptions alone cannot ensure service excellence. Employees frequently engage in discretionary behaviours that go beyond contractual obligations. These voluntary behaviours—conceptualized as Organizational Citizenship Behaviour (OCB)—include helping colleagues, maintaining organizational harmony, protecting company resources, and demonstrating initiative.

Leadership becomes a central mechanism through which such behaviours are cultivated. Among various leadership paradigms, Transformational Leadership (TL) has received substantial scholarly attention for its ability to inspire commitment, enhance intrinsic motivation, and promote performance beyond expectations.

Despite the global literature linking TL and OCB, sector-specific research within the Indian aviation industry remains limited. This study addresses that gap by analyzing how transformational leadership practices within Indian airlines influence employee citizenship behaviours.

The central research objectives are : To examine the conceptual relationship between Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviour.

To analyze the relevance of transformational leadership in the Indian aviation sector.

To assess how leadership-driven organizational culture influences discretionary employee behaviours in airlines.

To derive sector-specific managerial implications.

Theoretical Framework

1. Transformational Leadership :

The concept of transformational leadership was initially articulated by James MacGregor Burns and later operationalized by Bernard Bass. Transformational leadership refers to a leadership style

that elevates followers' motivation, morality, and performance by aligning individual goals with organizational vision.

The model consists of four core dimensions :

- **Idealized Influence –** Leaders act as role models and build trust.
- **Inspirational Motivation –** Leaders articulate a compelling vision.
- **Intellectual Stimulation –** Leaders encourage innovation and critical thinking.
- **Individualized Consideration –** Leaders attend to individual employee needs.

Within service industries, these dimensions shape organizational climate and emotional commitment.

2. Organizational Citizenship Behaviour :

Organizational Citizenship Behaviour refers to voluntary actions not formally rewarded but essential for organizational effectiveness. OCB is generally categorized into five dimensions : Altruism, Conscientiousness, Sportsmanship, Courtesy, Civic Virtue in airlines, OCB may manifest through proactive service recovery, peer assistance during high workload, safety compliance vigilance, and collaborative teamwork.

3. Theoretical Linkage : Social Exchange and Psychological Empowerment :

Social Exchange Theory explains that employees reciprocate supportive leadership with positive discretionary behaviours. Transformational leaders generate psychological empowerment, increasing intrinsic motivation and organizational identification, which subsequently enhances OCB.

Literature Review :

Empirical research across sectors has consistently demonstrated a positive association between transformational leadership and OCB. Studies in hospitality, healthcare, education, and manufacturing indicate that transformational leaders foster trust, job satisfaction, and affective commitment.

However, the aviation sector presents unique characteristics : High safety sensitivity, Emotional labour, Cross-functional coordination Real-time service delivery, Regulatory oversight. Limited Indian studies have explored leadership dynamics specifically in airlines. Existing research primarily focuses on employee satisfaction and service quality rather than leadership-behaviour mechanisms.

Therefore, a sectoral analysis is essential to contextualize leadership theory within aviation operations.

Indian Aviation Sector : Contextual Overview :

The Indian airline sector includes full-service carriers and low-cost carriers such as : Air India, IndiGo cost airline, Vistara and Spice Jet.

These airlines operate under intense cost pressures, fluctuating fuel prices, regulatory

frameworks, and customer expectations.

Employees in this sector include pilots, cabin crew, ground staff, maintenance engineers, and customer service personnel. Coordination among these groups requires strong leadership communication and motivational alignment.

Transformational Leadership in Indian Airlines :

1. Idealized Influence in Aviation :

Airline leaders who demonstrate ethical conduct and crisis management competence enhance trust. In aviation, safety leadership is crucial. Employees observe leadership behaviour during operational disruptions and emergencies, reinforcing organizational credibility.

2. Inspirational Motivation :

A compelling organizational vision strengthens employee commitment. Airlines undergoing restructuring or privatization particularly require visionary leadership to sustain morale.

3. Intellectual Stimulation :

Operational challenges such as route optimization, customer service innovation, and digital transformation require leaders who encourage problem-solving and innovation.

4. Individualized Consideration :

Cabin crew and ground staff face emotional strain due to customer interactions. Personalized mentoring enhances resilience and engagement.

Organizational Citizenship Behaviour in Aviation :

OCB within airlines manifests through : Voluntary assistance during delayed flights, Cooperation across departments, Proactive passenger support, Compliance beyond minimum safety requirements, Constructive feedback during service innovation, Such behaviours reduce service failure costs and improve brand equity.

Sectoral Analysis : Linking TL and OCB :

In Indian airlines, transformational leadership influences OCB through : Emotional attachment to organizational mission, Psychological safety, Team cohesion, Perceived organizational support, Service excellence in aviation is not solely procedural; it is behavioural. Transformational leaders cultivate a culture where employees willingly exceed formal obligations.

Managerial Implications :

- Leadership training programs in airlines must incorporate transformational competencies.
- Emotional intelligence development should be institutionalized.
- Recognition systems must reinforce citizenship behaviours.
- Cross-functional leadership communication should be strengthened.

Internal branding strategies should align employee identity with organizational values.

Conclusion :

This sectoral analysis establishes that transformational leadership significantly enhances Organizational Citizenship Behaviour in Indian airlines. Given the service-intensive and safety-sensitive nature of aviation, leadership influence extends beyond task performance to discretionary behavioural commitment.

By fostering trust, empowerment, and shared vision, transformational leaders generate a culture where employees willingly engage in behaviours that sustain operational excellence and competitive advantage.

Future research may adopt empirical quantitative designs to validate the conceptual framework across multiple Indian airlines.

References :

1. Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. Free Press.
2. Burns, J. M. (1978). Leadership. Harper & Row.
3. Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books.
4. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review. Journal of Management, 26(3), 513–563.
5. Walumbwa, F. O., Wang, P., Lawler, J. J., & Shi, K. (2004). Transformational leadership and OCB. Personnel Psychology, 57(3), 675–699.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 49-55
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

आज के दौर में विविध विमर्श

डॉ. सुनीता सिंह मरकाम
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी
शास. इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय शहडोल (म. प्र.)

सारांश –

किसी विषय पर बड़ी गहराई से सोच विचार करना किसी तथ्य की सत्यता जानने और समझने के लिए किया गया गहन चिन्तन और मनन है। विमर्श का अर्थ है –आत्मचिंतन। विमर्श किसी भी क्षेत्र में हो सकता है– जैसे स्त्री विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श, पर्यावरण विमर्श, सिनेमा विमर्श, व्यक्ति, समाज, वर्ण, जाति, विचार तथा कोई विशिष्ट स्थिति आदि पर भी विमर्श हो सकता है। आदि। विमर्श केवल ऊपरी या सतही चर्चा नही होती बल्कि गहराई तक जाकर जांच करनी होती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करना होता है।

शब्द कुंजी – वर्चस्व, कर्मभूमि, विभूति, वरदहस्त, संस्कृति, संप्रेषण।

स्त्री विमर्श –

किसी भी देश की वास्तविक प्रगति को जानने के लिए वहां की महिलाओं की स्थिति का आकलन अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की अपेक्षा कर कोई भी समाज अपने को विकसित नहीं कर सकता है। डॉ बाबासाहेब अंबेडकर ने भी कहा था कि 'मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है।'[1] स्त्री विमर्श पितृ सत्ता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है यह एक ऐसा आंदोलन है जो पुरुष प्रधान समाज में नारी द्वारा अपने स्वाभिमान, अधिकार, स्वतंत्रता व अस्मिता की तलाश में जारी एक संघर्ष को दिखाता है। गिरीश रस्तोगी के अनुसार– 'स्त्री विमर्श एक नाजुक और गंभीर विषय है इसे लेकर दो दशकों से अलग–अलग वैचारिकता बन रही है इसमें कई बात एक साथ आती है। एक तरफ चिंतन है जिसे वैचारिक दर्शन या सैद्धांतिक लेखन कह सकते हैं। दूसरी तरफ नई चेतना का प्रसंग है नारी संगठन या नारीवादी आंदोलन है।'[2] पुरुष और नारी सामाजिक सिक्के के दो पहलू हैं इससे समाज की घर की धुरी है केंद्र बिंदु है और दोनों एक दूसरे के पूरक है आज की स्त्री ने शक्ति को पहचान शुरू कर दिया है, जिसके कारण पुरुषों का वर्चस्व वाला समाज भयभीत सा हो गया है और स्त्री को पीछे धकेल के लिए वेद पुराणों की दुहाई देकर उसकी स्थिति को पुन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। डॉ अंबेडकर का मानना था– सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें घर परिवार, समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा।

शिक्षा और आर्थिक तरक्की से उनकी इस काम में मदद मिलेगी।[3]

आज सारी दुनिया में स्त्री की पहचान की जद्दोजहद है। स्त्री के अस्मिता को केंद्र में लाने का श्रेय महिला आंदोलनो को जाता है। महिला आंदोलन के संघर्षों और कुर्बानियों का ही नतीजा है कि स्त्रियां आज गर्व के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। समाज सुधारक राजा राममोहन राय (ब्रम्ह समाज) स्वामी दयानंद सरस्वती (आर्य समाज) आदि के प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्त्री को समाज में पहली बार अपने स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास हुआ। स्त्री को परंपरागत ढंग से मुक्त करने में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, रमाबाई, जैसी विदुषी महिलाओं के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था ही उन्नति–अवनति का कारक होती है। व्यवस्था बदलेगी तभी समाज बदलेगा, समाज की सोच बदलेगी तो स्त्रियों की दशा बदलेगी। स्त्रियों ने आज बहुत तरक्की कर ली है लेकिन वह आज भी पितृसत्ता के लिए चुनौती ही बनी है। उसके जीवन में वह बदलाव नहीं आया है जिसकी चाह उसे थी। आज स्त्री के शोषण का सबसे बड़ा अस्त्र है–सौंदर्यवाद। मीडिया ने भारतीय स्त्रियों की छवि को तहस–नहस कर दिया है विज्ञापनों में स्त्रियों का ओवर एक्सपोजर हो रहा है। जिससे स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु बनाया गया है बल्कि रिश्तों की गरिमा को भी नष्ट कर दिया है। स्त्री ने जहां से संघर्ष शुरू किया था आज फिर वहीं पहुंच गई है।

आज की महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है।

कला मनोरंजन में– लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, अंजोली, इला मेनन, प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं।

प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में पी. टी. ऊषा, (धावक), कुंजरानी देवी (भरोत्तोलक), साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पूजा वस्त्रकार, राजनीतिक गतिविधियों में सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी (राष्ट्रपति)।

साहित्य में–सरोजनी नायडू, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, अनामिका, गीतांजलि श्री, मृदुला गर्ग आदि।

वाणिज्य के क्षेत्र में –अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, इला भट्ट आदि। पहले क्रिकेट जैसे खेल सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित थे लेकिन आज की नारी बड़ी ही कुशलता के साथ क्रिकेट खेलती है और उन्होंने अभी 2025 का विश्वकप भी अपने नाम किया है। बड़े धैर्य के साथ वह आज के परिवेश में निरंतर उन्नति कर रही है। आज की नारी किसी से कम नहीं है वो हमेशा दो कदम आगे ही चलती है।

आधुनिक भारत की धुरी है
ये भारत की नारी है
घर परिवार से लेकर
देश सेवा तक करती है
ये भारत की नारी है।
चूल्हा चौका से लेकर
हवाई जहाज तक उड़ाती है।
ये भारत की नारी है।

दलित विमर्श –

दलित विमर्श जाति आधारित अस्मिता मूलक विमर्श है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है। दलित विमर्श उनकी इस अभिव्यक्ति का विमर्श है। इस विमर्श की वजह से भारत में अधिकांश भाषाओं में दलित साहित्य को जन्म दिया भारतीय समाज में आरंभ काल से ही वर्ण व्यवस्था द्वारा नियंत्रित रहा है। दलितों को पठन–पाठन और यज्ञ आदि से वंचित रखा गया। दलित साहित्य वर्तमान साहित्य का सबसे प्रासंगिक परिक्षेत्र है। यह साहित्य मनुष्य के नए अस्तित्व का साहित्य है। मानव दुखों के विनाश की अवधारणा को लेकर भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अंबेडकर के दर्शन को समाज के बहुत बड़े वर्ग ने अनसुना कर दिया। किंतु बौद्धिक समाज ने इसके मर्म को समझा और प्रबुद्ध कवियों ने इस पर लिखा –

सृजन करता हो तुम, तुम्हारी ही सृष्टि में
तुमसे प्रश्न करने का हक रखता हूं मैं
मेरे कि पाप के फल स्वरूप
मुझे अछूत बनाया गया?
चीटियों को चीनी खिलौने
सांपों को दूध पिलाने वाली
इस कर्मभूमि में
धर्म देवता भी यदि जन्म ले
वह भी इस अभागा के निकट
आते ही चौक पड़ेगा।[3]

स्वतंत्रता के पश्चात समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ और दलित वर्ग में जागृत आई और अन्य वर्गों का समर्थन भी मिला। डॉ अंबेडकर ने गांव से गोलमेज तक पानी से परमेश्वर तक संघर्ष कर दलित रचनाकारों में चेतना का संचार किया। दलित समाज के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु अंबेडकर जी ने 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ विद्यालय और 1947 में औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय आरंभ किया। 2 मार्च 1958 को दादर के बंगाली हाई स्कूल के सभा कक्ष में दलित लेखकों का पहला साहित्य सम्मेलन हुआ। अंबेडकर जी की मृत्यु पश्चात दलित वर्ग के शिक्षित युवाओं ने संगठन और संघर्ष का मोर्चा संभाला आरंभिक दलित लिखो में विरोध और विद्रोह के स्वर तीव्र थे।

डॉ. सोमनाथ्चर का विचार – दलित साहित्य का मूलाधार दलितोत्थान है अतः किसी भी साहित्यकार के द्वारा दलितोत्थान हेतु लिखा गया साहित्य दलित साहित्य की सीमा में आता है। आज दलित शब्द व्यापक और विस्तृत बना है। परिणाम स्वरूप दलित साहित्य का स्वरूप विस्तृत हो गया है। शोषित अपेक्षित अपमानित व्यक्ति की कथा यह साहित्य है।[4] डॉ. श्यौराज सिंह बेचौन – 'दलित साहित्य वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है जिससे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाद किया जाता है किया गया है जिसे शिक्षा ग्रहण करने एवं स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर अछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की वही और वही दलित हैं।[5]

मीडिया विमर्श –

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचना का योग है सूचनाओं के निरंतर प्रेषण पर ही सारा संसार टिका है। सूचनाओं के इस कमी को पूरा करते हैं संचार माध्यम अर्थात मीडिया। मीडिया व्यक्ति को एक दूसरे से जोड़ता है, समाज से समाज को जोड़ता है। देश को देश से जोड़ता है, और परस्पर विचार विमर्श के लिए आधारभूमि देता है। निस्संदेह मीडिया मनुष्य, समाज, सभ्यता, और राष्ट्र के विकास का सूत्रधार है। यह एक धर्म है लेकिन यहां इतना समझ लेना चाहिए कि मीडिया से जुड़ना जहां एक और सम्मान का परिचायक है, प्रसिद्धि का सोपान है। सेलिब्रिटी बने का आधार है वही उसके लिए लेखन एक चुनौती पूर्ण कार्य है। आज पत्रकारिता का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही नहीं इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं भी विकसित हो रही है। इसी का परिणाम है कि अनेक विश्वविद्यालय में साहित्य के साथ–साथ पत्रकारिता को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। बागीश शुक्ल के अनुसार –'पढ़ना एक ऋण का स्वीकार है'[6] लिखना उस ऋण की अदायगी, लिखना कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है।

लेखन कला वह विभूति है जो सबको समान रूप से प्राप्त नही होती। साधन के रूप में यदि विचार किया जाए तो साहित्य और मीडिया दोनों ही अभिव्यक्ति और विचार संप्रेषण के माध्यम है। सूचना और प्रौद्योगिकी भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त अंधविश्वास का पर्दाफाश कर समाज को निजात दिलाता है। आज विभिन्न चैनलों, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से पुरातनपंथी अन्यायकारी धारणाओं की सच्चाई से जनमानस को जागृत किया जा रहा है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा का व्यापक प्रसार कर सर्वसुलभ बना दिया है। शिक्षा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आज प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थान व शोध संस्थान को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।[8]

सिनेमा विमर्श –

साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है और सिनेमा नवीनतम लेकिन दोनों कलाओं ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। सिनेमा और समाज का गहरा संबंध है। सिनेमा समाज से ही प्रभावित है और समाज में रहने वाले लोग भी सिनेमा से प्रभावित होते है। मनोरंजन शिक्षा प्रचार–प्रसार आदि में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत में सिनेमा का श्री गणेश, उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में, उसके अविष्कार के कुछ ही वर्षों के अंतर्गत हो गया था। स्व. दुहीराज गोविंद फालके (दादा साहब फालके) को भारत में सिनेमा का जनक स्वीकार किया जाता है यद्यपि फालके को 'भारतीय सिनेमा के पिता' होने का गौरव प्राप्त है।[9]

किसी भी देश में बनने वाली फिल्में वहां के सामाजिक जीवन और रीति–रिवाज का दर्पण होती है। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों और भाषाओं में बनने वाली फिल्में आती हैं। राजा हरिश्चंद जो देश की प्रथम फिल्म थी। सन 1913 में बनकर तैयार हुई थी और 3 मई 1913 को प्रदर्शित हुई थीं। 14 मार्च 1913 की तारीख को भारतीय सिनेमा को आवाज मिली। इसी दिन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हाल में 'आलमआरा' रिलीज हुई। यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी।

साहित्य एक ऐसी जमीन है जहां सिनेमा बार–बार लौटता है और अपनी पूरी चेतना के साथ लौटता है। पहले उसे कलमबद्ध करता है फिर सिनेमा के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया ने फिल्मों के बारे में टिप्पणी की थी कि भारत को एक करने वाली दो ही शक्तियां हैं– एक

गांधी और दूसरी फिल्में। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि फिल्मों पर गांधी का वैसा वरदहस्त कभी नहीं रहा जैसे साहित्य एवं पत्रकारिता पर रहा।[10]

बाल-विमर्श –

जिस दिन मनुष्य ने जन्म लिया उसी दिन से बाल लेखन की शुरुआत हो गई थी। बच्चों के रोने में भी एक लय होती है, बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। बच्चों का हंसना, बोलना, खेलना सभी अपने आप में एक 'नर्सरी राइम्स' है। बाल विमर्श बच्चों के मानसिक और समाज में उनकी भूमिका पर विचार विमर्श है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र कुमार ने खेल कहानी के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को उकेरा है। बाल विमर्श में साहित्य के साथ बच्चे में सांस्कृतिक जुड़ाव भी मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बच्चे घर में रीति–रिवाज संस्कृतियों को देखतें हैं तो उसमें उनका जुड़ाव होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह कर ही सामाजिक बनता है। बाल साहित्य लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक पुस्तक में कहानियों में पशु–पक्षियों को माध्यम बनाकर शिक्षा प्रदान की है। कहानी सुनना हर बच्चे को पसंद है कहानी के माध्यम से भी बहुत से चीजे बच्चे को सिखाया जाता था। प्राचीन काल में बुजुर्गों द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी यह कहानी बहुत ही आकर्षक होती थी। बच्चों का मन कोरी स्लेट के जैसा होता है आप उसमें चाहे वैसा ही लिख सकते हैं। बाल मन में जो चीज छप जाती हैं वह घर कर जाती हैं। एक बार राष्ट्र पिता गांधी जी जब स्कूल में थे उस समय विद्यालय में जांच करने अधिकारी आए उस समय परीक्षाएं चल रही थी, शिक्षक की निगरानी में परीक्षा हो रही थी। शिक्षक ने देखा कि गांधी जी ने स्पेलिंग गलत लिखी है इस पर उन्होंने इशारा किया कि दूसरे छात्र से देख कर सुधार लो पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया।

अधिकारी के जाने के बाद शिक्षक ने गांधी जी से पूछा कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी तब गांधी जी ने कहा कि नकल करना बुरी बात है। अपने किए बर्ताव के लिए शिक्षक बहुत लज्जित हुए। गांधी जी की तरह ही बच्चों के बाल मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम किस तरह उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। बाल साहित्य का भारतीय समाज में वाचिक परंपरा रही है, दादी नानी बच्चों को कहानी बहुत ही रोचक तरीके से सुनाती थीं। और कहते हैं कि बच्चों के मन में कहानी के जो पात्र होते थे वह अहम रोल अदा करते थे। जो वीर बालक हुए हैं उनकी कहानी सुनाएं करते जैसे प्रहलाद, ध्रुव, एकलव्य, लव–कुश, भरत, चंद्रगुप्त, सिंहासन बत्तीसी की 32 पुतलियों की कहानियां आदि। संयुक्त परिवार होने से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। बहुत सारी चीज ऐसी होती थी जो बच्चे देख सुनकर ही सीखते थे उन्हें अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। संयुक्त परिवार में रहने के साथ ही बच्चों में बड़ों का अदब करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करना, सुख दुख में काम आना, हर समय मदद के लिए तैयार रहना इस तरह के जो नैतिक मूल्य हुआ करते थे। वह बच्चों में देखकर हुआ करते थे। आज के परिवेश में हमारा समाज दूषित हो गया है। यूं कहें की कलयुग में कहानियों, नाटक, आदि की जगह मोबाइल ने ले लिया है। इंटरनेट के समय में बच्चों के मन में मोबाइल और टीवी ने बहुत बुरा असर डाला है कोरोना काल में उनकी कक्षाएं ऑनलाइन हो गई तब से हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फोन आ गया और यह बीमारी ऐसी है कि एक बार घुस तो सकते हैं आप लेकिन निकल नहीं पाते।

आज अगर सर्वे किया जाए, तो हर बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है उसी की भाषा बोलता है, उसी के जैसे काम करते हैं। रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सभी चीजों ने बच्चों के बचपन को छीन लिया है। समय से पहले बच्चों को बड़ा कर दिया है। उनकी मासूमियत जाने कहां खो गई है।

आज बच्चे से माता–पिता कुछ कहते हैं तो वह चिड़चिड़ा होकर जवाब देने लगता है। चीखने चिल्लाने लगता है। कोई बात कही जाये तो कहता है कि आप मेरी बेइज्जती करते हैं। प्राचीन समय बहुत ही अच्छा था, जहां बच्चों में संस्कार होते थे। यहां पर बाल मन को सबसे ज्यादा आज कोई चीज प्रभावित कर रही है तो आज का परिवेश जहां माता–पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। यही कारण है कि बच्चे माता–पिता से दूर होते जा रहे है। आज के बच्चे कहानी नहीं पढ़ना चाहते, एनिमेशन फिल्में देखते हैं, कार्टून देखते हैं और टीवी में कार्टून भी ऐसे हैं जो अजीबो–गरीब होते हैं। उनकी बहुत ही खराब भाषा होती है और बच्चा उसी भाषा को सीखता है। आज सबसे आवश्यक विमर्श बाल–विमर्श है जिसमें सभी को गहन विचार करना है, कि क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार – यदि आप अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो और अधिक परियों की कहानियां सुनाएं।

निष्कर्ष –

भारत में विविध विमर्शों में आदिवासी विमर्श, बाल विमर्श, दलित विमर्श, वृद्ध विमर्श, किन्नर विमर्श, मुस्लिम विमर्श, साहित्य विमर्श, स्त्री विमर्श, सिनेमा विमर्श, मीडिया विमर्श,आदि। विमर्श आधुनिक समाज में दिखाई देते हैं। आज के परिवेश में विविध विमर्शों पर बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। जिस तरह से लोगों का विश्वास एक दूसरे से जुड़ नहीं पाता है। समाज में अराजकता आ गई है। लोग अपने तक ही सिमट कर रह गए हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। ऐसे में हमारे नैतिक मूल्यों का पतन होना लाजमी है। स्त्री विमर्श में स्त्रियों की दशा आज कुछ हद तक सुधर गई है। इसका श्रेय महिला आंदोलनो को जाता है। महिला आंदोलन के संघर्षों और कुर्बानियों का ही नतीजा है कि स्त्रियां आज गर्व के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है और सिनेमा नवीनतम लेकिन दोनों कलाओं ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। है। आज सबसे आवश्यक विमर्श बाल–विमर्श है जिसमें सभी को गहन विचार करना है, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। विविध विमर्शों के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना है। जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करें और तभी हमारा देश शक्तिमान, सर्वसम्पन विकासशील होगा। जैसा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। सभी धर्म के लोग यहां निवास करते हैं भारत को सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर एक हो सबके साथ मिलकर रहें।

संदर्भ ग्रन्थ –

1. https://www.amoghvarta.com/uploads/current_issue/1687782847ari&Punarootthaan&mai&Dr&Bheemrao&Ambedakar&ki&Bhoomika.pdf
2. आजकल, मासिक पत्रिका, अक्टूबर 2015

3. तेलगु कवि जासुआ की कविता।
4. हिन्दी साहित्य का अर्वाचीन इतिहास, डॉ. राजेश श्रीवास्तव, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।
5. शोध आलेख : दलित विमर्श की अवधारणा और भक्तिकालीन हिंदी साहित्य, राम यशपाल।
6. मीडिया लेखन, सिद्धांत और व्यवहार, डॉ. चंद्रप्रकाश मिश्रा, संजय प्रकाशन नई दिल्ली।
7. मीडिया विमर्श, विविध आयाम, डॉ. माधुरी पाण्डेय गर्ग, राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली।
8. हिन्दी सिनेमा, एक अध्ययन, डॉ. अनिरुद्ध कुमार 'सुधांशु', डॉ. अनुज कुमार 'तरुण', श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली।
9. हिन्दी सिनेमा में साहित्यिक विमर्श –डॉ. रमा, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली।

Email - sunitasingh2779@gmail.com
Mob. 9575155610

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 56–61
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

कुसुम मेघवाल और अनिता भारती की कहानियों में दलित संदर्भ

डॉ. शशि कुमार शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
बर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाटी, गोलाब बाग–713104

दो सौ वर्षों तक अनवरत संघर्ष के बाद, अंग्रेजों की गुलामी से तो हम मुक्त हो गए, मगर ढ़ाई हजार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् भी हम जाति–व्यवस्था और ब्राह्मणवादी मानसिकता की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पायें। हमारे प्यारे दलित भाई इन्हें तोड़ने में आज भी असमर्थ हैं। वे उच्च वर्गों की दासता या गुलामी में इस प्रकार रमे हुए हैं कि उन्हें अपनी हानि या नुकसान का रत्ति भर भी भान नहीं होता है। वे ब्राह्मणों द्वारा बनाये गए बाह्य आडंबरों, धार्मिक कर्म–कांडों, अंधविश्वासों तथा रुढ़ियों आदि को प्राथमिकता देते हुए उसी में मशगुल दिखाई देते हैं। "स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ साल होने के बाद भी, हर गाँव, हर शहर में आज भी नंगा सत्य दिखाई दे रहा है।"[1] वह भी नये रूप में। जो ज्यादा खुंखार, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयावह है। डॉ० सुशीला टाकभौरे ने इस संदर्भ में लिखा है, "पूरे देश में, हर शहर, हर गाँव में पिछड़े दलित समुदाय के लोग रहते हैं। उन सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। नाममात्र या बहुत कम लोग शिक्षित होकर अच्छे पदों पर पहुँचे हैं। शेष समाज आज भी अपनी सदियों पुरानी स्थिति की दलदल में फंसा है और दिन–प्रतिदिन अधोगति की ओर जा रहा है।"[2]

गौतम बुद्ध और बाबा साहेब की वैचारिकी से वे अनभिज्ञ हैं। उन्हें बाबा साहेब का जन्मदिवस याद हो या न हो, राष्ट्र निर्माता ज्योतिबा फुले, माता साबित्री बाई फुले तथा पेरियार का नाम भले याद हो या न हो लेकिन गायेत्री मंत्र, हनुमान चालिसा, मृत्युंजय मंत्र एवं रामचरितमानस की पंत्तियाँ शत् प्रतिशत् कंठस्थ होगी। गलती उनकी नहीं है। गलती जाति–व्यवस्था की है। यह सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें इन्हीं गाड़ कर रख दिया है। धार्मिक कर्म–कांड का प्रकोप आज भी इतना भयावह है कि बहुजनों को दो जून की रोटी मिले या ना मिले लेकिन अगर उसके पास दस रूपये भी शेष बचा होगा तो पाँच रूपया दान पेटी में डालकर वरदान और मन्नत मांगता है। धर्म रूपी अफीम के नशे से ये आज भी ग्रसित हैं। परिणामतः सैकड़ों वर्षों से एक विशेष वर्ग मलाई खाता जा रहा है और एक दीन–हीन वर्ग इनके लिए कभी गाय से दूध निकाल कर दे रहा, कभी गाय का चमड़ा छील कर जूते बना कर दे रहा तो कभी धर्म के नाम पर दक्षिणा दे कर कुछ अलौकिक हो जाए, ये सोच कर राम–नाम जप रहा।

जाति सूचक नाम सवर्णों के लिए वरदान सा जान पड़ता है और दलितों के लिए भयावह अभिशाप। वर्तमान समय में भी व्यवसाय बड़ा हो या छोटा, सवर्ण अपनी उपाधि लगाने से पीछे नहीं हटतें जबकि दलितों के लिए यह सम्भव नहीं। तिवारी, सिंह या चतुर्वेदी लगाकर व्यवसाय में तरक्की की जा सकती है। चमार, डोम या दुशाद नाम अंकित करके व्यवसाय करना तो दूर की बात है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 'चतुरी चमार का चाट' कहानी इस सत्य से हमें रु–ब–रु कराती है।

डॉ० कुसुम मेघवाल हिंदी के प्रखर और ख्याति प्राप्त दलित लेखिका है। संघर्ष और समस्याओं का सामना करते हुए बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की वैचारिकी को महत्त्व प्रदान करते हुए साहित्य सृजन के माध्यम से लोगों के अंदर चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण काम कुसुम जी ने किया। कुसुम जी के 50 से अधिक पुस्तकें और 60 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। वे निरंतर रचनात्मक कार्यों के द्वारा साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। हिंदी उपन्यासों में दलित वर्ग, हिंदी उपन्यासों में दलित नारी, भारतीय नारी के उद्धारक, खूब लड़ी मर्दानी वह तो लक्ष्मी नहीं, झलकारी थी, लोक कल्याणकारी राज्य एवं आरक्षण व्यवस्था के जनक छत्रपति शाहूजी, जायज–नाजायज आरक्षण, भारत में स्त्री दास्य, बाबा साहब डॉ० भीमराव आंबेडकर आदि उनका आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। 'अंगारा', 'अमंगली छाया' उनका चर्चित कहानी संग्रह हैं तथा 'कितने क्रूर हो तुम', 'करूण क्रंदन', 'आह से उपजे वेदना के स्वर (प्रथम खण्ड)', 'आह से उपजे वेदना के स्वर' (द्वितीय खण्ड) उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं।

कुसुम मेघवाल जी की कहानियाँ समाज के ज्वलंत प्रश्नों को उजागर करती है। दबे, कुचले, शोषित, वंचित तथा जो सदियों से प्रताड़ित हैं, उनके प्रति लेखिका की विशेष संवेदना है। समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊँच–नीच तथा भेदभाव के प्रति उनकी कहानियों में आक्रोश व्यक्त हुआ है। 'सुबह का भूला' नामक कहानी में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अछूत बच्चों के साथ किये जाने–वाले भेदभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। जल एक प्राकृतिक संपदा है। तालाब हो या नदी, झरना हो या कुँआ, इनमें जो जल होता है, उसे पीने का अधिकार सभी का है। इस कहानी में इसे नकारा गया है। इसका कारण स्पष्ट है कि भेदभाव और छुआछूत के कारण अछूत बच्चों के लिए पानी पीने की अलग व्यवस्था है। वे सवर्ण विद्यार्थियों के साथ पानी नहीं पी सकते हैं। शिक्षक का दायित्व होता है कि इस प्रकार के भेदभाव से ऊँचा उठकर समतामूलक समाज की स्थापना करने में अपना अहम योगदान दे। इस कहानी में शिक्षकों के द्वारा ही छुआछूत रूपी मानसिक बिमारी को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। भारतीय संविधान में दलितों हो या सवर्ण सभी के अधिकारों की बात की गई है। साथ ही छुआछूत को एक दण्डनीय अपराध भी माना गया है। इन सभी के बावजूद भी अपराधियों को इसका रत्ति भर भी भय नहीं है। कभी उन्हें वस्तुएँ फेक कर दी जाती है तो कभी उन्हें गाँव में पानी रहते हुए भी, पानी नसीब नहीं होता। इसके पीछे छुआछूत जैसी मानसिक बिमारी ही जिम्मेदार होती है। 'ज्वालामुखी' कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है।

कुसुम मेघवाल जी की कहानी 'जुड़ते दायित्व' में दलितों की उन्नति और प्रगति के लिए सवर्णों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को रेखांकित किया गया है। ब्राह्मण होते हुए भी रजनी छुआछूत को नहीं मानती है। समाज में जीवन–यापन करने और आगे बढ़ने का अधिकार सभी का है, इसी विचारधारा के प्रति वह प्रतिबद्ध है। राजू जो कि नाली और सड़क साफ करने का काम करता है। उसके प्रति वह विशेष सहानुभूति व्यक्त करती

हुई, उसे पढ़ाने का निश्चय करती है। इसके लिए वह राजू को प्रति वर्ष पैसे देकर, उसे पढ़ने में मदद करती है। राजू मेधावी छात्र बनाकर उभरता है। वह दसवीं की परीक्षा पास करके सहायाक क्लेक्टर का पद प्राप्त करता है। वह अपनी पहली तनख्वाह रजनी के हाथों में देते हुए कहता है कि समाज में उसके जैसे लड़कों की कमी नहीं हैं। अतः यह धनराशि उन्हीं के कल्याण हेतु खर्च की जाए। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि सवर्ण व्यक्ति भी दलितों के कल्याण में अपना योगदान देकर, समाज के प्रति अपने दयित्व बोध और कर्तव्य बोध को निर्वाहन करता है।

'अंगारा' नामक कहानी में ठाकुरों द्वारा दलित स्त्रियों के खुलेआम शोषण को चित्रित किया गया है। आज भी इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में जब स्त्रियों के लिए तरह–तरह के अधिकारों का प्रावधान किया गया है, स्त्रियाँ फिर भी सुरक्षित नहीं है। गाँवों में दलित स्त्रियों के इज्जत आबरू का शोषण ये अपनी मन–मर्जी के साथ करते है। इस प्रकार के विकृत मानसिकता के लोग समाज के हर वर्ग में विद्यमान हैं। वर्ण–व्यवस्था के सभी पायदानों पे इस प्रकार के शोषक व्यक्ति एक ओर तो मानसिक गुलाम बने रहते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे दुष्कर्म करने से बाज नहीं आते जिसे दंडनीय अपराध माना जाता है। 'जमना' नामक दलित स्त्री के साथ जबरन ठाकुरों द्वारा किये गए दुष्कर्म और घिनौने पाशविक कुकृत्यों का यथार्थ चित्रण लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से करती है। लेखिका ने दलित स्त्रियों के शोषण को इस कहानी में बकायदा और भली–भांति प्रस्तुत किया गया है। वह कहती है– "जब मैं नाले के पारवाले खेत की मेड़ पर घास काट रही थी, ठाकुर का बड़ा लड़का सुमेर सिंह और उसका चाचा नत्थू सिंह चुपके से आए। मैं चिल्लाती उसके पहले ही दोनों ने मुझे पकड़कर मेरे मुँह में कपड़ा ठूँस दिया और चाकू की नोक पर मुझे बहुत दूर सुनसान जगह पर ले गए और दोनों ने मेरे से मुँह काला किया। इतने दिन उसी वीरान कोठरी में मुझे बंद रखा। वे दोनों समय मेरे सामने रूखी–सूखी रोटी डालकर और मेरी दुर्गत करते।"[3] भारत के असंख्य गाँवों में इस प्रकार की अमानवीय घटनाएँ आज भी घटित होती है।

'अपना गाँव' कहानी दलित स्त्री की दर्दनाक व्यथा को भी व्यंजित करती है। दलित प्राचीनकाल से ही अपने अधिकारों से वंचित रहा है। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे एक ही प्रकार का जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है। यह गुलामी या दास का जीवन होता है। गुलामी करते–करते अपना सर्वस्व न्यौंछावर कर देते हैं। सिर्फ पति ही नहीं अपितु उनकी पत्नियां और बहु–बेटियाँ भी ठाकुरों और जमींदारों की गुलामी में लगी रहती है। चाहे स्वेच्छा से लगे या जबर्दस्ती पर उन्हें दास बनकर आजीवन सेवा करते रहना पड़ता हैं। वर्तमान समय में दलितों के अंदर विद्रोह और चेतना का भाव देखने को मिलता है। वे गुलामी को स्वीकार नहीं करते, अपितु विद्रोह की मुद्रा में खड़े हो उठते हैं। अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के प्रति वे सजग हैं। 'अपना गाँव' का 'कबूतरी' ठाकुरों की हवेली में काम करना नहीं चाहती। उसे भली–भाँति पता है कि उस हवेली में उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। सुल्तान सिंह ने कबूतरी पर दबाव बनाते हुए कहता है, "देख री कबूतरी या तो सीधी हमारे खेतों में, काम करने आ जा, वर्ना हम चमारों से जबर्दस्ती भी काम लेना जानते हैं।"[4]

कबूतरी ठाकुर के षड्यंत्रों से परिचित है। वह अपनी इज्जत और मान–मर्यादा बचाये और बनाये रखने के लिये खुद मेहनत करती है, पर ठाकुरों की चंगुल में अपनी मर्जी से नहीं आती। परिणामतः ठाकुर का मँझला

बेटा कबूतरी को जंगल में अकेला पाकर उसके साथ जानवरों की तरह अमानवीय व्यवहार करता है। वह कबूतरी के सारे वस्त्रों को जबर्दस्ती फाड़ कर उसे निवस्त्र कर देता है। ऐसी नग्न अवस्था में ठाकुर का बेटा और कुछ लठैतों ने कबूतरी को पूरा गाँव में नंगा घूमाकर तमाशा बनाया। गाँव में कोई भी इसका प्रतिवाद नहीं करता है अपितु उलटे ही ठाकुर का मँझला बेटा गाँव वालों को चेतावनी देते हुए कहता है, "इस कबूतरी की तरह तुम सबकी औरतों को नंगा किया जाएगा, तभी तुम्हारें दिमाग ठिकाने आएँगे।"[5] कबूतरी का पति सम्पत ठाकुरों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का निश्चय करता है। हरफूल गाँव का सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति है। वह सम्पत को समझाते हुए कहता है कि रिपोर्ट लिखवाने से कोई फायदा नहीं क्योंकि ठाकुर का पहुँच चीफ मिनिस्टर तक है। अर्थात् सब कुछ ठाकुरों के लिए है। न्याय–व्यवस्था भी उन्हीं की, खेत भी उन्हीं की, कुआ भी उन्हीं का। 'ठाकुर का कुआँ' में ओमप्रकाश वाल्मीकि ने इस यथार्थ को इस प्रकार उजागर किया है, "चूल्हा मिट्टी का / मिट्टी तालाब का / तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की / रोटी बाजरे की / बाजरा खेत का / खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का / हल ठाकुर का / हल की मुठ पर हथेली अपनी / फसल ठाकुर की। कुआँ ठाकुर का / पानी ठाकुर का / खेत–खलिहान ठाकुर के / गली–मुहल्ले ठाकुर के / फिर अपना क्या? गाँव? शहर? देश?"[6] अतः ओमप्रकाश वाल्मीकि जी ने उस दर्द और दंश को अपनी कहानियों और कविताओं में लिपिबद्ध किया है, जिसे उन्होंने भोगा है, जिया है।

भारतीय संविधान लागू होने एवं स्त्रियों के हीत में तरह–तरह के कानून लाने के बावजूद भी स्त्रियों के ऊपर होने वाले तरह–तरह के अपराध थम क्यों नहीं रहा? यह भी अपने–आप में शोधपरक जिज्ञासा है। कानून और न्याय–व्यवस्था पर से लोगों की आस्था धूमिल होती जा रही है। विडम्बना यह भी है कि न्याय–व्यवस्था की तराजू उन्हीं की ओर ज्यादा झूकी होती है, जो बल और बंदूक के सहारे अन्याय को भी न्याय का चोला से ढ़क देते हैं। ऐसे में आम जनता का विश्वास कानून–व्यवस्था से उठ जाता है। कुसुम जी ने 'अंगारा' कहानी में जमना के साथ हुए अन्याय को कानून के दरवाजे या कटघरे तक नहीं ले जाती बल्कि पीड़िता द्वारा ही ठाकुर को सजा दे दी जाती है। लेखिका के शब्दों में, "जमना आँखें फाड़े अपनी इज्जत लूटनेवाले नर–पिशाच को देख रही थी। अब उसकी बारी थी। अंगारा बनी जमना दौड़ी–दौड़ी घर में गई और कोने में पड़ी दराती उठा लाई, सरकार और पुलिस जिसे सजा नहीं दे पाई, उसे जमना ने दे दी। अपना प्रतिशोध पूरा किया। उसने सुमेर सिंह के पुरूषत्व के प्रतीक अंग को ही काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। वह तड़प रहा था। अब उसका बचना संभव नहीं था। यदि बच भी जाता तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। एक हिजड़े की जिंदगी। अब वह किसी अछूत गरीब लड़की की इज्जत से नहीं खेल पाएगा।"[7] इसके अतिरिक्त शिक्षा की समस्या, दलितों के प्रति घृणा, श्रापित जीवन, श्रम का शोषण, राजनीति में दलितों उपेक्षा, स्त्रियों के यौन–शोषण की समस्या आदि संवेदनशील बिंदुओं पर डॉ. कुसुम मेघवाल जी ने अपनी कलम चलाई है।

हिंदी के दलित साहित्य में अनिता भारती जी का विशेष स्थान है। इनका जीवन भी संघर्षों और चुनौतियों से भरा हुआ है। पढ़ाई के दौरान दलित छात्र एवं छात्राओं के अधिकारों के लिए अनिता जी ने निरंतर संघर्ष किया। अपनी कविताओं और कहानियों में दलित समाज की सच्चाई को उन्होंने बारीकी से प्रस्तुत किया है।

अनिता भारती जी का साहित्यिक योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। खास करके हिंदी दलित साहित्य में उनका सृजनात्मक योगदान मूल्यवान है। यही कारण है कि लेखिका को राधाकृष्णन शिक्षक पुरस्कार, इंदिरा

गांधी शिक्षक सम्मान, दिल्ली राज्य शिक्षक सम्मान, विरसा मुंडा सम्मान, वीरंगना झलकारी बाई सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

अनिता भारती की रचनाएँ सामाजिक सच्चाई को उजागर करती है। वे समाज की जमीनी हकीकत से परिचित हैं। इसी हकीकत को उन्होंने अपनी कहानियों में लिपिबद्ध किया है। 'पैर नहीं पूजेंगे' अनिता जी की चर्चित कहानी है। यह कहानी दलितों के प्रति सवर्णों की उस मानसिकता को चिन्हित करती है जो दर्दनाक और दुःखद होता है। गाँव के शिवमंदिर के पुजारी द्वारिका प्रसाद पांडे अपनी बेटी पूनम की शादी के सुअवसर पर बारातियों को ठहराने और सेवा सत्कार हेतु धर्मशाला की सफाई का कार्य चमारों के मुखिया सरजू को सौंपते हैं। बारातियों की खातिरदारी करने का कार्यभार और जिम्मेदारी नाई समाज के मुखिया रामभज को सौंपते हैं। जब ये जिम्मेदारिया सौंपते हैं तो पूनम को सरजू और रामभज की बेटी बताते हैं। इस प्रकार का सम्मान पाकर वे अपना काम पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। इसी सेव–सत्कार के दौरान रामभज के साथी रतन से एक बाराती का हाथ–पैर धुलवाते समय लोटा हाथ से फिसलकर गिरने से उसकी पेट पर थोड़ी सी मिट्टी लग जाती है। वह बाराती इस छोटी सी अनजाने में हुई घटना के कारण रतन को मारने–पिटने लगता है। झगड़े को छुड़ाने के लिए जब रामभज और उसका दूसरा साथी रमेश रतन को छुड़ाने लगते हैं तो सारे बाराती मिकलर उन सबको मारना–पिटना शुरू कर देते हैं। पांडेजी घटना स्थल पर आकर, काम निकलवाने के लिए जिसे पूनम को उनकी ही बेटी कहते थे। उसे ही उल्टा–सीधा कह कर डांटने लगे। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग का काम होता है कि वे सवर्णों के पैर पूजे और उनके घर की साफ–सफाई करें। यह सुनकर रामभज ने प्रति उत्तर में कहा, "तो ठीक है। हम इस जिम्मेदारी का आज से त्याग करते हैं। अरे रमेश! रतन! कह दे इनसे हम आज से तुम्हारे पैर नहीं पूजेंगे। जो मान–सम्मान आज तक हमने तुम्हें दिया अब अपने आप को देंगे।"[8]

आज भी ऐसे अनेक गाँव हैं, जहाँ दलितों को शुद्ध पानी तक नहीं मिलता है। वे आज भी अपने पैतृक कार्यों को करने के लिए बाध्य हैं। बहुतों का जीवन गुलामी में कट रहा है। उनकी उन्नति के लिए तरह–तरह की योजनाएं बनाई जाती है। पर ये योजनाएं दलितों के जीवन से जुड़ नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश दलित परिवार अंधेरे में जीवन जीये जा रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक दृष्टि से दलितों का जीवन हाशिए से भी बाहर जान पड़ता है। ऐसे अनेकों दलित एवं गैरदलित लेखकों ने दलितों के जीवन में घटने वाले यथार्थ को बारीकी से रेखांकित किया है। प्रेमचंद ने अपने समय में 'ठाकुर का कुँआ', 'घासवाली', 'सद्गति', 'मंत्र' तथा 'कफन' आदि कहानियों में दलित जीवन की त्रासदी को मुकम्मल रूप में प्रस्तुत किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी की दलित कहानियाँ दलितों के उस व्यथा को उजागर करती है, जिसे उन्होंने स्वयं भोगा है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिवर्तन दलित कहानियों की मांग है। शोषण, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सड़ी–गली मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेकना इनका लक्ष्य रहा है। वे शिक्षा, संगठन और संघर्ष को हथियार बनाकर जीवन को गति प्रदान कर रहें हैं। 'ठाकुर का कुआं पार्ट–टू' पानी जो कि प्राकृतिक संपदा है, उसी के लिए दलित स्त्री के संघर्ष को यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अंकित किया गया है। दलित स्त्री गंगी अपने बिमार पति जोखू को इलाज के लिए शहर लाती है। जोखू की मृत्यु हो जाती है। गंगी संघर्षरत होकर शहर में ही जीवन–यापन करती है। अपनी बेटी को भी शिक्षित बनाती है एवं खुद भी पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। वह अपनी नातिन वैशाली के साथ अपने गाँव जाती है। वहाँ

की दलित बस्ती में पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु, सभी दलित स्त्रियों को एकजूट करती है। वह उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराती है। वह कहती है, "अगर हम सब लोग मिलकर, इक्ट्ठे होकर कलेक्टर के पास नहीं जाते तो क्या आज हमें साफ पानी पीने को मिलता? हमें अपने गाँवों की हालत बदलने के लिए लड़ना है। गाँवों में हमारे अनेक जोखू पानी के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ क्या हमारा जन्म ऐसे ही घुट–घुटकर मरने के लिए हुआ है?"

अंततः कहा जा सकता है कि इन दलित लेखिकाओं का साहित्य दलितों की पीड़ा, उनकी दयनीय स्थिति, उनका शोषण तथा उनकी त्रासदी ज्वलंत दस्तावेज है। समाज में दलितों का एक तरफा या दोतरफा शोषण नहीं होता अपितु उनका शोषण बहुमुखी रूप से किया जाता है। प्रतिभा होते हुए भी उनके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुँचाया जाता है कि वे गुलामी का जीवन जीते–जीते इस नश्वर संसार से चल बसते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास न पैदा हो जाए, इसके लिए तरह–तरह की साजिश रची जाती है। कभी बल दिखाकर, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और कभी धर्म की दुहाई देकर छला जाता है। तो कभी छुआछूत एवं जाति भेद के नाम पर उन्हें शुद्ध पानी भी नसीब नहीं होता है।

संदर्भ :

1. टाकभौरे, सुशीला, नंगा सत्य, शिल्पायन पब्लिशर्स, दिल्ली, संस्करण–2015, पृष्ठ–9
2. टाकभौरे, सुशीला, संघर्ष, ज्योतिलोक प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण–2006, भूमिका से।
3. गुप्ता, रमणिका (संपा), दलित कहानी संचयन, मेघवाल, कुसुम, अंगारा, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण–2003, पृष्ठ–143
4. नैमिशराय, मोहनदास, अपना गाँव, दलित कहानी संचयन, साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली, संस्करण–2003, पृ०– 30
5. वही, पृष्ठ–30
6. वाल्मीकि, ओमप्रकश, ठाकुर का कुआँ, साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली, संस्करण–1989, पृ०–96
7. वही, पृष्ठ–145
8. भारती, अनिता, पैर नहीं पूजेंगे, बुक्स इंडिया, दिल्ली, संस्करण–2013, पृष्ठ–31
9. भारती, अनिता, ठाकुर का कुआं पार्ट–टू, बुक्स इंडिया, दिल्ली, संस्करण–2005, पृष्ठ–14

ई–मेल–shashibu07@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 62-64
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

झारखण्ड के उराँव जनजाति के पारम्परिक शासन व्यवस्था : पड़हा पंचायत

डॉ० प्रमीला उराँव
असिस्टेंट प्रोफेसर, कुँड़ुख़ विभाग
करमचन्द भगत महाविद्यालय, बेड़ो, राँची।
राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक और न्यायिक सुविधा के ख्याल से संगठित गाँवों के समूह को पड़हा कहा जाता है। यह सरना समाज की शासन व्यवस्था है। पड़ह संस्था उराँव समाज मं आदिकाल से ही चला आ रहा है। एक पड़हा के अन्तर्गत प्रायः गाँवों की संख्या पाँच, सात, नौ, बारह, इक्कीस, बाइस और अधिक से अधिक चौबीस होती है। इस संगठन को बनाते समय जनसंख्या और दूरी का भी ख्याल रखा जाता है। कई पड़हाओं से बने ऊपर के संगठन को मूली पड़हा कहते है। राज्य भर के पड़हाओं के समूह को राजी पड़हा रखा गया था। यह उराँव समाज के सबसे बड़ा और अंतिम संगठन समूह था। गाँव स्तर अर्थात् सबसे नीचले स्तर की ईकाई को अतख़ा पड़हा, उससे ऊपर वाले संगठन को डाड़ा पड़हा जो पंचायत या थाने के कई गाँवों का समूह है। इसे थाने के स्तर का संगठन कहा जा सकता है। इसके कई पंचायत रहते हैं। तीसरा जिले स्तर का संगठन है इसे मूली पड़हा कहते है। चौथा राज्य स्तर का पड़हा संगठन है, जिसका नाम पादा पड़हा रखा गया है और पाँचवा देश–विदेशों में रहने वाले उराँव समाज के लोगों को संगठित करने के लिए राजी पड़हा को बनाया गया है। इस प्रकार समूचा उराँव समाज एक सूत्र में बंध जाता है।

पड़हा की हरेक शाखाओं में बेल देवान, कोटवार और भण्डारी के पद होते है। पड़हा की चार शाखाएँ जो शुरू से उराँवों के बीच चली आ रही है–

1) अतख़ा पड़हा, 2) डाड़ा पड़हा, 3) मूली पड़हा, 4) राजी पड़हा।

1) **अतख़ा पड़हा :-** यह सबसे निचले अर्थात् गाँव स्तर का संगठन है। इसके सदस्य महतो, पहान, गाँव के चुने गये प्रभावशाली व्यक्ति और धुमकुड़िया के युवक या उनके प्रतिनिधि होते है। ये बेल, देवान और कोटवार का चुनाव करते है। चुने गये व्यक्ति अपना–अपना दर्जा पाकर गाँव के सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का भार सामुहिक रूप में सम्भालते है। गाँव के झगड़ा, झंझट, विपत्ति और समाज सुधार के लिए तीनों श्रेणियों के धांगरों, महतो, और पाहन के पंचायती बैठती है। इसी पंचायती या बैठक में समाज का कोई भी समस्या सुलझाया जाता है। अगर कोई समस्या इस पंचायत के सामर्थ्य के बाहर हो जाता हैं तो ऐसे

मामलों को डाड़ा पड़हा में रखा जाता है। अतखा पड़हा की बैठक आवश्यकता अनुसार कई बार हो सकती है। किसी महीने में कम या अधिक भी होती है। यह मामलों पर आधारित रहती है।

2) **डाड़ा पड़हा :-** यह डाड़ा पड़हा कई गाँवों का समूह या संगठन है। पड़हा के हरेक गाँव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते है। किसी गाँव को बेल (राजा), किसी को देवान (मंत्री), किसी को कोटवार और अन्य दर्जे भी दिए जाते है। पद के मुताविक इन्हें अधिकार, कर्त्तव्य और जतराओं में ले जाने के लिए पहचान चिन्ह दिए जाते है। हाथी, घोड़े, बाघ, भालू, गिरगिट, शेर, रंप्पाचलपा और झण्डे आवंटित रहते है। कहीं भी इन्हें ले जाने के पहले इनकी पूजा, करके शुभ की कामना करते है। पड़हाओं में लगने वाले जतराओं, मेलों या विशु–शिकारों में अपने–अपने आवंटित चिन्हों को लेकर वे उनमें शामिल होते हैं।

बेल, देवान और कोटवरों का चुनाव अपने–अपने अतख़ा पड़हा और डाड़ा पड़हाओं का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। अगर डाड़ा पड़हाओं की बैठक नहीं हुई हैं तो इसका भी चुनाव विशु–शिकार में हो जाता है। डाड़ा पड़हा की बैठक अपने क्षेत्र के किसी भी गाँव में महीने में एक बार होती है। आपात स्थिति में इस बैठक को अधिक बार भी बुलायी जा सकती है। कोटवार का दर्जा रखने वाले गाँव के लोग सखुए या आम की हरी डालियों को लेकर गाँव–गाँव में घूम–घूम कर बैठक की सूचना देते है। अतख़ा पड़हा न्याय के मामले में गाँव का पंचायत और डाड़ा पड़हा न्याय के मामले में जिला न्यायालय का काम करता है जो मामले इस न्यायालय में फैसला हो नहीं पाते या किए हुए फैसलों को नहीं मानने वाले मामलों को भी मूली पड़हा की पंचायतों में अपील के रूप रखे जाते है। डाड़ा पडहा में अतख़ा पड़हा की अपील और नये मामले दोनों ही विचार के लिए पेश किए जाते है।

3) **मूली पड़हा :-** यह कई डाड़ा पड़हाओं का समूह है। मूली पड़हा का संगठन एक निश्चित इलाके का क्षेत्र रहता है। पुराने पड़हा संगठन के मुताबिक यह थाना स्तर का क्षेत्र हैं। एक थाना कई डाड़ा पड़हाओं में बाँटा रहता है। मूली पड़हा संगठन में भी बेल, देवान, कोटवार ओर भण्डारी के पद रहते है। इनके पदाधिकारी अपने मूली पड़हा क्षेत्र के ही होते हैं। इस संस्था को अपने क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों की निगरानी करनी पड़ती है। यह संस्था अभी भी माण्डर, बेड़ो, लोहरदगा और अन्य क्षेत्रों में जीवित है। मूली पड़हा न्याय के क्षेत्र में उच्च न्यायालय का रोल अदा करता है। इस मूली पड़हा के न्यायालय में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी प्रकार के जातीय मामले विचार किये जाते है। मूली पड़हा की बैठक साल में केवल एक बार विशु–शिकार के समय होती है। चैत पूर्णिमा या उसके अगल–बगल में इसकी बैठक शिकार से वापसी के पहले होती है।

रात के समय मूली पड़हा की बैठक होती है। बैठक की जानकारी पड़ाव के हरेक डेरे में दी जाती है। हरेक डाड़ा पड़हा के पदाधिकारी और मुख्य–मुख्य लोग बैठक में भाग लेते है। इस बैठक के समक्ष नये मामले और डाड़ा पड़हा के फैसलों के विरूद्ध अपील के मामले पेश किये जाते है। काफी विचार–विमर्श के बाद किसी भी मामले का फैसला किया जाता है। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। इस मूली पड़हा के फैसलों को नहीं मानने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। अगर फैसला नहीं मानने योग्य होते हैं तो इनकी अपील राजी पड़हा की बैठक में होती है। फैसलें को नहीं मानने वाले लोगों को समाज से बहिष्कृत किए जाते है। उनका हुक्का–चिलम बन्द कर दिया जाता है। उसके साथ उठना–बैठना, शादी–ब्याह,

चूना–तम्बाकू सब बन्द हो जाते है।

4) राजी पड़हा :- उराँवों का यह संगठन मूली पड़हाओं के ऊपर राज्य स्तर का अर्थात् उराँव समाज का सर्वेच्च पड़हा संस्था या पड़हा संगठन है। इसी पड़हा के बल पर वे अपने राज्य पर शासन करते थे इनके निर्देशानुसार समाज का संचालन होता था। राजी पड़हा की बैठक में उराँव समाज के नियम–कानूनों का गठन होता था। इस राजी पड़हा की बैठक मुड़मा गाँव के खुले मैदान में होती थी। इस बैठक में उराँव समाज के सभी पड़हाओं के पदाधिकारियों और चुने गये सदस्य भाग लेते थे। इस राजी पड़हा के आदेशों का पालन कड़ाई से होता था। सभी क्षेत्रों के आये देवान, बेल और कोटवार अपने–अपने क्षेत्रों में जाकर आदेशों का एलान करते थे। राजी पड़हा में भी अतख़ा पड़हा, डाड़ा पड़हा और मूली पड़हा के समान ही चुने गये पदाधिकारी होते है। ये राजी बेल, राजी देवान और राजी कोटवार कहलाते है। इस राजी पड़हा की बैठक साल में एक बार अश्विन पुर्णिमा के समय होती थी।

न्याय के मामले में यह उच्चतम–न्यायालय अर्थात् सुप्रीम कोर्ट का रोल अदा करता था। इस न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद किसी भी मामले की अपील अन्य न्यायालयों में नहीं होती थी। इसकी बैठक में अपील और नये मामलों की भी सुनवाई होती थी। इनके द्वारा पारित आदेशों के नहीं करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उनका 'हुक्का–चिलम' बन्द कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज को अचछी तरह चुस्त–दुरूस्त चलाने और रखने के लिए बहुत अच्छा ओर कड़ा नियम था।

निष्कर्ष :-

पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी कम है। अन्य समुदायों को भाग लेने का मौका नहीं मिलता। पारम्परिक कानून निर्णय का केन्द्र बिन्दु है, जो धार्मिक व नैसर्गिक ज्यादा है, तार्किक या वैज्ञानिक नहीं। पारम्परिक प्रणाली को नयी पंचायती प्रणाली से काफी चोट पहुँच रही है, क्योंकि नयी प्रणाली अंतर–ग्राम प्रकृति की है, जो पारम्परिक प्रणाली के समानांतर एक ढ़ाँचा के रूप में काम करती है। इसके पास ज्यादा भौतिक ताकत है, जिससे पारम्परिक व्यवस्था कमतर हुई है। आधुनिक शिक्षा ने गाँवों के लोगों का सम्पर्क अपने मूल क्षेत्र में से काट दिया है। ज्यादा सुसंस्कृत व अभिजात्य बनने के चक्कर में ग्रामीण युवा अपनी माटी, गाँव व संस्कृति को हेय दृष्टि से देखते है। सरकारी प्रशासन का हस्तक्षेप, आधुनिक नेतृत्व और बाहरी लोगों की बसाहट से स्थितियाँ पहले की तरह नहीं रह गयी है। उराँव समाज के लोगों को संगठित होकर अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए चिन्तन के साथ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. उराँव–सरना धर्म और संस्कृति, भीखू तिर्की, झारखण्ड झरोखा, रातु रोड, राँची, प्रथम संस्करण 2011
2. झारखण्ड में पारम्परिक स्वशासन : नीति और रीति, शिशिर टुडू, संगद, 301/ए, उर्मिला इन्क्लेव पीस रोड लालपुर, राँची, संस्करण–2014
3. झारखण्ड : भूमि और भूमिपुत्र (परिचयात्मक एवं तुलनात्मक) डॉ० बिमला चरण शर्मा, झारखण्ड झरोखा, रातु रोड, राँची, प्रथम संस्करण, 2011
4. छोटानागपुर के आदिवासी पौलुस तोपनो, सत्य भारती प्रकाशन, राँची, द्वितीय संस्करण, 1984

मो० नं० : 8434634784

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 65–73
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

दिनकर के काव्य में ओजस्विता का अध्ययन

डॉ. यतीन्द्र सिंह कुशवाहा
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
डी. ए. वी. कॉलेज, कानपुर।

"अपने समय का सूर्य हूँ मैं" की घोषणा करने वाले रामधारी सिंह दिनकर हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में ओज और पौरूष के अमर गायक हैं। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर जब तक दिनकर की लेखनी चली उसके स्वाभिमान और अकड़ में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसके लिए आवश्यक गुणों स्वयं पर विश्वास और अपने सामर्थ्य का भान दिनकर को पूर्ण रूप से था। यह ओज या गर्वोक्ति दिनकर के लिए मात्र व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि यह राष्ट्रीय क्रोध की संपूर्ण अभिव्यक्ति थी। उनकी कविताओं में पाठक को उत्तेजित एवं उत्साहित करने की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध है। दिनकर का ओज किसी विचारधारा के प्रभाव स्वरूप नहीं आया है बल्कि वह उनके पौरूष का सहज और स्वाभाविक विकास है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का अत्याचर हो अथवा स्वतंत्रता के पश्चात समसामयिक परिस्थितियों पर कटाक्ष दिनकर के शब्दों और ओज में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। यही अंतर दिनकर को दिनकर बनाता है।

बीज शब्द – ओज, पौरूष, राष्ट्रीयता, स्वाभाविकता, समसामयिकता, परंपरा, क्रान्ति।

हिन्दी साहित्येतिहास में चन्दवरदाई, भूषण, मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामनरेश त्रिपाठी और सोहल लाल द्विवेदी से होती हुई राष्ट्रीय कविता की जो धारा अद्यतन युग तक चली आई है, उसमें सबसे अधिक तेजस्वी और ओजपूर्ण स्वर राष्ट्रकवि 'दिनकर' का है। जिस समय दिनकर की प्रथम किरण फूटी थी, उस समय हिन्दी–कविता अपनी सौन्दर्य–पिपासा के शमन हेतु कभी व्योम–कुजों में अप्सराओं, रंग–बिरंगे फूलों, तितलियों और मोहक इन्द्रधनुषों के पीछे–पीछे भाग रही थी तो कभी 'अवनी के कोलाहल' से घबराकर 'क्षितिज के उस पार' किसी दूसरे लोक में उस कोलाहल से अपना बचाव कर रही थी। कल्पना की अतिशयता इतनी बढ़ी की छायावादियों ने केवल कंकण ही सोने के नहीं गढ़े, उन्होंने उन्हें रखने की मंजूषा भी सुवर्ण की ही रच डाली और मन ही मन इस कल्पना से झूमने लगे कि जो उँगलियाँ इन कंकणों का स्पर्श करेंगी, वे भी कोंपलों की होगी।

जब देश और समाज गुलामी की जमीरों में जकड़ा हुआ आर्तनाद कर रहा था, जहाँ बच्चों को दूध और किसानों एवं मजदूरों को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था और जहाँ हमारे क्रान्तिकारी युवक देखते–देखते सूली पर लटकाए जा रहे थे, वहाँ कविता की यह रोमानी पच्चीकारी युग चेतना को कैसे सन्तोष दे सकती थी? सबके अन्दर बारुद और आग भरी हुई थी। ऐसे संक्रान्ति काल में 'दिनकर' का साहित्य–क्षेत्र में अवतरण

निस्संदेह एक उल्लेखनीय घटना थी। उनकी कविता में वह सब कुछ था, जिसकी प्रतीक्षा अधीर भाव से जनता कर रही थी। उसमें ताप था, ऊष्मा थी, जागरण का सन्देश था, कुंठा और निराशा की कुहेलिका को छाँटकर जन–जीवन में आशा और विश्वास का संचार करने की शक्ति थी, पराजय–बोध से ग्रस्त भारतीयों के नवजीवन और उमंग भरने का कौशल था। फिर तो दिनकर की कविताएँ जनत का कंठहार बन गयी। वन की कविताएँ उत्सर्ग और बलिदान का सन्देश लेकर घर–घर में राष्ट्रीयता का अलख जगाने लगीं। प्रख्यात समालोचक डॉ. मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं कि ''दिनकर ने बहुत बड़ा काम किया कि एक साथ हिन्दी कविता का रुप, उसकी अंतर्वस्तु और जनता से उसके संबंध को बदल डाला। यह काम अकेले दिनकर ने नहीं किया। हरिवंशराय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, भगवतीचरण वर्मा आदि उस पीढ़ी के अनेक कवियों ने किया। हिन्दी कविता या आलोचना में जिसे छायावादोत्तर पीढ़ी कहा जाता है, उसने चार काम एक साथ किए। एक तो काव्य–भाषा को बोलचाल की भाषा के करीब ले आई। दूसरा काम यह किया कि जीवन की सच्ची अनुभूतियों की केवल काल्पनिक अनुभूतियों की नहीं अभिव्यक्ति कविता में शुरु की, जिनका समान और राष्ट्र के साथ गहरा रिश्ता था। तीसरा काम किया, जो काव्यशास्त्र से जुड़ा हुआ है कि उसने कविता में सहनता के गुण का विकास किया, बोधगम्यता का। कविता आसानी से समझ में आ सके, ऐसी भाषा और शैली में लिखना शुरु किया। चौथा काम यह कि स्वच्छ अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति जो कहीं भी दुराव–छिपाव को महत्व नहीं देती है। इन चार कामों का एक परिणाम हुआ कि कविता जनता से जुड़ी, जनता ने कविता का स्वागत करना शुरु किया।''[1]

दिनकर अपने युग से आगे के कवि हैं। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास हो उसे अपने सामर्थ्य का मान हो। दिनकर ने आत्माभिव्यक्ति हेतु जिस शब्दावली का प्रयोग किया वह शब्दावली सामान्य रुप से हिन्दी कविता में प्राप्त नहीं होती है। दिनकर का नायक अपना परिचय सहज सरल सौम्य भाव से नहीं देता है अपितु उसका परिचय उसके स्वाभिमान और गर्व से ओत–प्रोत है। दिनकर के इस पक्ष की विशेषता यह है कि दिनकर स्वाभिमान और अभिमान के मध्य की महीन रेखा को पहचानते हैं अतः वह अपनी गर्वोक्ति में भी अपनी सीमाओं का मान स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ओज एवं पौरुष की गति पर नियंत्रण स्थापित रखना।

'सलिल कण हूँ कि पारावार हूँ मैं
स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं
बंधा हूँ, स्वप्न है, लघु वृत्त में हूँ
नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं
सुनूं क्या सिंधु। मैं गर्जन तुम्हारा
स्वयं युगधर्म की हुंकार हूँ मैं
कठिन निर्दोष हूँ, भीषण अग्नि
प्रलम गांडीव की टंकार हूँ मैं
न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव
चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहां इस भव को
जब तक मनुज मनुज का, यह सुख भाव नहीं सब होगा

शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।

राष्ट्रीय क्रोध की संपूर्ण अभिव्यक्ति जैसी दिनकर में दिखाई देती है, वैसी अन्यत्र, विशेषतः भारतीय साहित्य में आज भी दुर्लभ है। विस्मय होता है कि विदेशी शासकों की हथेली के नीचे दबे हुए नौकरी–पेशा दिनकर ने कविता के माध्यम से क्रान्ति की जो चिनगारी सुलगाई थी, वह कैसे अग्नि–ज्वाल बकर धधक उठी और उसने कविता का जैसे प्रवाह ही बदल दिया। देश की आजादी के लिये संघर्ष करने वाले लाखों व्यक्तियों के मन में उत्सर्ग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने वाले कवियों में दिनकर अग्रणी हैं। उकी कविताएँ पढ़ते समय पाठक महसूस करने लगता है कि उसकी धमनियों का रक्त–प्रवाह तेज हो गया है। भुजाएँ फड़कने लगी है। उसके हाथ अनायास ही ऊपर उठ–उठ कर झटके खाने लगे हैं। आस्तीनें बार–बार ऊपर चढ़ने लगी हैं। स्वाभाविक तनाव से चेहरा सुर्ख होता जा रहा है। आँखे चौड़ी और लाल होती जा रही है। पेशियाँ बनती जा रही हैं। ओज के प्रवाह में शब्दों का उच्चारण करते हुए ध्वनि यंत्र को आगे ढकेलते हुए उसके रुकने तक की स्थिति में ले जाकर भी विराम लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है –

दिनकर की किसी विचारधारा के पिछलगर नहीं थे। मैनेजर पाण्डेय अपने एक लेख में लिखते हैं कि ''दिनकर मार्क्सवादी नहीं थे लेकिन उनकी कविता में पराधीनता, विषमता, शोषण और सामाजिक अन्याय के प्रति जैसा गहरा आक्रोश है वैसा बहुत कम प्रगतिशील कवियों के यहाँ दिखाई देता है।''[2] इसी आलेख में मैनेजर पाण्डेय आगे लिखते हैं कि ''मार्क्सवाद से दिनकर का संबंध कैसा था? मार्क्सवाद के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों से उनका संबंध राग का था जो उनकी कविता से सिद्ध होता है। लेकिन हिन्दी के मार्क्सवादियों के व्यवहार से उनका संबंध विराग का था। दूसरी बात यह है कि हिन्दी के प्रगतिशील कवियों से उनका संबंध राग का था लेकिन हिन्दी के मार्क्सवादी आलोचकों से इनका संबंध विराम का था। अधिकांश मार्क्सवादी आलोचकों ने दिनकर की आलोचना की। इसका कारण यह है कि हिन्दी के अधिकांश मार्क्सवादी आलोचकों ने सिद्धांत के आधार पर नहीं, सुविधा के आधार पर आलोचना लिखी। राम विलास शर्मा ने सिद्धान्त के आधार पर आलोचना लिखी इसीलिए उन्होंने अकेले दिनकर के उर्वशी विवाद में भाग लेते हुए दिनकर के पक्ष में लिखा।''[3]

अतः कहा जा सकता है कि दिनकर का ओज किसी विचारधारा में प्रभाव स्वरूप नहीं आया है बल्कि वह एक पौरुष का सहज और स्वाभाविक विकास है। यही कारण है कि जब चक्रवाल की भूमिका में दिनकर जी ने कहा है कि राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नहीं जनमी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया। विजयेन्द्र स्नातक दिनकर के इस कथन से सहमत नहीं हैं। अपने एक आलेख में वह इसका खंडन करते हुए लिखते हैं कि ''आत्मज्ञान की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। वही भूल दिनकर जी ने चक्रवाल की भूमिका में की है। अन्यथा इस बात में तो स्त्री भर भी संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि दिनकर जी का मूल स्वर राष्ट्रीयता का स्वर रहा है।''[4]

अपने इसी आलेख में विजयेन्द्र स्नातक दिनकर की क्रान्ति दृष्टि के सन्दर्भ में लिखते हैं कि ''दिनकर क्रान्तिद्रष्टा कवि हैं। उन्होंने 1946 में कुरूक्षेत्र में विज्ञान के खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय कई प्रगतिवादी चिन्तकों ने कहा था कि विज्ञान का विरोध प्रतिक्रियावादी कदम है किन्तु आज स्वयं अमरीका से आवाज आ रही है कि सब कुछ जानने योग्य नहीं है। कानून बनाकर हमें विज्ञान को उन शक्तियों का पता लगाने से रोक देना चाहिए, जिन्हें नियंत्रण में रखने की नैतिक सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इसी प्रकार 'हिमालय का

संदेश' में कवि ने पेड़ों, पौधों, जीव जन्तुओं और हरियाली के विनाश के विरूद्ध सभ्यता में जो चेतावनी दी थी, वह उस आंदोलन की भविष्यवाणी बन गई, जो आज इकोलॉजी के नाम से सारे संसार में उठ रहा है।''[5]

चक्रताल की ही भूमिका में दिनकर स्पष्ट करते हैं कि उनकी कविता में राष्ट्रीयता का स्वर कहाँ से आया। वह लिखते हैं कि ''जहाँ तक याद है कविता लिखने की प्रेरणा मुझमें नाटक और रामलीला देखकर उत्पन्न हुई। जब भी मैं नाटक बालों के मुख से कोई गीत सुनता दूसरे दिन उसी धुन में एक नया गीत बना लेता। यह भी प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के आस–पास की बात है जब मैं आठ–दस साल का रहा होऊँगा, तब सन् 1920 ई0 में कानपुर के प्रताप में 'एक भारतीय आत्मा' की वह कविता छपी जिसे उन्होंने लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर लिखा था। इस कविता का मुझ पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। वह कविता तो मुझे दूसरे ही दिन कंठ हो गयी, अब मैं पत्र–पत्रिकाओं कविताएँ ढूँढ–ढूँढकर पढ़ने लगा। यह देश में असहयोग का जमाना था और जो भी पत्र–पत्रिका मेरे हाथ लगती, उसमें पढ़ने को कोई न कोई राष्ट्रीय कविता मिल जाती। उन दिनों जबलपुर से छात्र सहोदर नामक मासिक पत्र निकलता था जिसके संपादक कविवर अंचल जी के पिता पं. मातादीन शुक्ल थे। मेरे भाई इस पत्र ग्राहक थे और वह नियमित रुप से हमारे यहाँ आता था। मैं हर महीने इस पत्र की राह बड़ी ही आतुरता से देखता और महीने का अंक मिलते ही उसमें प्रकाशित पदों को चाट जाता। संयोग ऐसा कि इस पत्र की भी सारी कविताएँ राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत होती थी।

पत्र–पत्रिकाओं से रस पाकर जब मैं समकालीन काव्य पुस्तकों की ओर बढ़ा तब मुझे भारत–भारती मिली, जयद्रथ वध और शकुतला तथा किसान पढ़ने का अवसर मिला एवं जब श्री रामनरेश त्रिपाठी का पथिक निकला, मैं उस ग्रन्थ में आपार–मस्तक डूब गया।''[6]

जिस कवि का प्रारंभिक जीवन राष्ट्रीयता से ओत–प्रोत हो तथा वह उसी भाव भूमि में पला बढ़ा हो तो स्वाभाविक है कि उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्यों को स्पष्टतः कहा जा सकता है प्रथम, उनका व्यक्तित्व राष्ट्रीय भाव से परिपूर्ण था। यह कहना कि यह भाव बाहर से आया पूर्ण रुप से सत्य प्रतीत नहीं होता है यह अवश्य है कि इसके प्रकटन में बाह्य स्त्रोतों के भूमिका रही होगी, द्वितीय, यह राष्ट्रीयता का भाव ही उनके ओज और पौरुष की आधारभूमि है। अतः दिनकर के काव्य में ओज गुण का अनुशीलन आवश्यक है जिससे भावी पीढ़ियाँ भी प्ररेणा प्राप्त करती रहे। दिनकर का लगभग सम्पूर्ण काव्य ही ओज और पौरुष का प्रतीक है किन्तु सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम भी प्रतीक्षा नामक काव्य कृतियों में दिनकर का ओज और तेज सर्वाधिक मुखर हुआ है। 'हुंकार' तो ओज और पौरुष भी चित्रशाला है। इस की 'स्वर्ग–दहन, 'आलोकधन्वा', 'हाहाकार', 'दगम्बरि', 'अनल–किरीठ', दिल्ली', 'हिमालय' और 'विपथगा' कविताएँ मुर्दे में भी जान फूँकने की सामर्थ्य रखती है। दिनकर के आविर्भाव काल में देश राजनीतिक दासता, सामाजिक और आर्थिक शोषण तथा भयंकर संहार के दौर से गुजर रहा था। प्रथम विश्वयुद्ध के घाव अभी हरे ही थे कि जलियॉवाला बाग हत्याकांड घटित हो गया। शोषण और रसंहार के विरोध में देश की नौजवानी कसमसा उठी और प्रतिशोध के लिये नेत्रों से खेलने लगी। फलतः दिनकर ने वीणा के सुमधुर तारों को तोड़–मरोड़ कर फेंक दिया और क्रान्ति के आहवान में चाँदी का शंख लेकर भैरव हुंकार फूँक उठे –

फेंकता हूँ लो, तोड़ मरोड़, अरी निष्ठुरे! बीन के तार,
उठा चाँदी का उज्ज्वल शंख फूँकता हूँ भैरव हुंकार।

नहीं जीते-जी सकता देख विश्व में झुका तुम्हारा भाल,
वेदना-मधु का भी कर पान, आज उगलूँगा गरल कराल।

जब असहयोग आन्दोलन को आलय ही स्थापित कर दिया गया तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन से भी अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। सम्पूर्ण राष्ट्र का नवयुवक निंकर्तयविमूढ़ की स्थिति में था तब नवयुवकों के भीतर के आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए दिनकर ने 1933 में हिमालय के प्रति कविता रची।

दे, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ
जाने दे उनको स्वर्ग धीर।
पर फिरा हमें गांडीव गदा
लौटा दे अर्जुन भीम वीर।

भारत में सन् 1942 का प्रचंड आंदोलन, गाँधी जी का अनशन, स्वतंत्रता प्राप्ति, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, नृशंस हत्याएँ इनसे पूरा देश उद्वेलित और आन्दोलित था। इस घटनाओं ने दिनकर के मन और मस्तिष्क को मथ डाला। जब 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन दबने लगा तो दिनकर जी ने पुनः आग की भीख नामक कविता की रचना की। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इस समय दिनकर भी युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत में किन्तु वे अपनी ओजस्विता का प्रयोग राष्ट्रीय क्रान्ति को प्रोत्साहित करने में कर रहे थे। उनकी आशा का दीपक कविता इसी मुद्रा में लिखी गयी है –

वह प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं है।
थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है।

युद्ध की चिरन्तन समस्या उनके सामने मूर्तिमान हो उठी। फिर तो उन्होंने युद्ध की समस्या को केन्द्र में रखकर पहले 'कलिंग–विजय' नामक कविता और बाद को 'कुरुक्षेत्र' नामक प्रबन्ध–काव्य की रचना कर डाली जिनमें हिंसा और अहिंसा, मनोबल एवं शस्त्र–बल, मनुष्यता और पशुता–जैसे प्रश्नों को उठाकर वर्तमान युग की राजनीतिक विचारधाराओं का सर्वांग विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र वस्तुतः आशा और उत्साह का काव्य है, वीरता और बलिदान को प्रेरित करने वाला काव्य है। वह ऐसा काव्य है जिससे पराधीन जाति को स्वतंत्रता–संघर्ष में जूझने का संबल प्राप्त होता है।

स्वाधीनता संग्राम हेतु भारतवर्ष में प्रेरणा मात्र तात्कालिक परिस्थितियों से नहीं अपितु प्राचीन परंपराओं से भी ग्रहण की जा सकती है। दिनकर के अनुसार ''परम्परा केवल मुख्य वहीं नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से जो सत्ता के केन्द्र में हैं। देश की जनता तो अब भी वैसे ही पिस रही है जैसे पहले पिस रही थी। ये सत्तासीन लोग अपने को पैगम्बर मानकर विशिष्टता के मद में चूर हो गये हैं। कवि व्यंग्यात्मक शैली में उन पर प्रहार करने से नहीं चूकता –

आजादी खादी के कुरते की एक बटन
आजादी टोपी एक नुकीली तनी हुई
फैशन वालों के लिये नया फैशन निकला

मोटर में बाधो तीन रंग वाला चिघड़ा
औ गिनों कि आँखे पड़ती है कितनी हमवर
हम पर मानी आजादी के पैगम्बर पर।

राजनेताओं के भ्रष्टाचरण को तार–तार करके वह उसे सबके सामने उजागर कर देता है –

टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ
कुर्ता कहता है मुझे बोरियाँ ही कर लो
ईमान बचा कर कहता है आँखें सबसे
बिकने को हूँ तैयार खुशी से जो दे दो।

स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद भी कवि देश की समसामयिक परिस्थितियों से अपने को प्रथक नहीं कर सका। उसने देखा कि देश को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गयी हैकिन्तु यह स्वतंत्रता उन लोगों के लिये नहीं आयी है जो शोषित और पीड़ित हैं उसका उपभोग मात्र कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं।

1962 के अक्टूबर माह में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसी माह की 27 तारीख को दिनकर अपनी डायरी में लिखते है – 'रक्त स्नान से भारत युद्ध हो सकता है। अग्नि स्नान से देश की ताकत बढ़ सकती है। विपत्तियों के झकारे से वह स्वराज्य जिन्दा किया जा सकता है, जो पार्सल में आया हुआ थां।''[9]

सन् 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गया। यह असफलता जवाहर लाल नेहरु की नीतियों की असफलता थी। निःशस्त्रीकरण, पंचशील और शान्तिवादी सिद्धान्तों की असफलता थी। इस पराजय ने देश को झकझोर कर रख दिया। फिर क्या था, युग धर्म और देशभक्ति के आवेश में दिनकर ने 'परशुराम की प्रतीक्षा नामक 'न भूतो न भविष्यति' एक ऐसी काव्य–कृति की रचना कर डाली जिसमें पराजित हिन्दुस्तान का सारा क्रोध विलक्षण ओज के साथ बाड़वाग्नि की भाँति फूट पड़ा। इस कविता के प्रारंभ में कवि नेफा के मैदान में पराजित सैनिक से पूछता है –

गरदन पर सिका पाप वीर ढोते हो?
शोणित से तुम सिका प्रवाह धोते हो?

और वह वीर सैनिक भारत की पराजय का श्रेय चीन को नहीं देता बल्कि वह स्पष्ट घोषित करता है कि भारत इसलिए द्वारा क्योंकि सजग और सचेत नहीं था। सीधे नेहरु की ओर इंगित करते हुए वह हमारे राजनेताओं और उनके शान्तिवादी सिद्धान्तों, अदूरदर्शिता मिला सकते हैं।[7]

ओस और जीवत्तता दिनकर की कविताओं की मूल विशेषता है। उनका सौन्दर्भ वर्णन भी समर्थ्य से भरा हुआ है। वह जब पहाड़ो और झरनों का भी वर्णन करते हैं तो उनकी मूल विशेषता स्पष्ट परिलक्षित होती है –

अब खोजो सौन्दर्य
गगनचुम्बी निर्वाक पहाड़ों में
कूद पड़ी जो अभय शिखर से
उन प्रपात की धारों में।
सागर की उत्ताल लहर में
बलशाली तूफानों में

प्लावन में किश्ती खेने वालों के मस्त तरानों में।

दिनकर के सौन्दर्भ की परिभाषा भी बल से ही निकलती है। सौन्दर्य का यह स्वरूप दिनकर के अतिरिक्त हिन्दी के अन्य कवियों में कम ही दिखाई पड़ता है –

है सौन्दर्य शक्ति का अनुचर
जो है बली, वही सुन्दर
सुन्दरता निस्सार वस्तु है
हो न साथ में शक्ति अगर।

स्वाधीनता में पश्चात भी दिनकर की कवितओं समाज, प्रखर प्रतिरोध तथा समक्षसामेक्ष सृजन स्पन् परिलक्षिता होता है। उनके अनुसार ''जिन कविताओं को हम प्रगतिशील कविता कहते हैं, उनके प्रति जनता के रुझान का मुख्य कारण उनकी काव्यात्मक विलक्षणताएं नहीं, प्रत्युत उनके भीतर से सुनाई पड़ने वाला राजनीति नाद है।''[8]

और स्वार्थपरता को इस पराजय का कारण मानता है –

घातक है जो देवता सदृश दिखता है
लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है
जिस पापी को गुण नहीं, गोत्र प्यारा है
समझो, उसने ही हमें यहाँ मारा है।
चोरों के जो हैं हितू, ठगों के बल हैं
जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं
जो छल प्रपंच सबके प्रश्रय देते हैं
या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं।
यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है
भारत अपने घर में ही हार गया है।

जिन दिनों यह कृति प्रकाशित हुई थी, उन दिनों दिनकर कांग्रेस की ओर से राज्य सभा के सदस्य थे। कितना आत्मविश्वास और कितनी निर्भीकता है कवि में कि सत्ता का अंग होते हुए भी सत्ता के चरित्र पर इतना मुखर प्रहार कर सका। दिनकर ने न तो कभी सत्ता के आतंक को स्वीकार किया और न ही उसकी चुनीतियों एवं खामियों की अनदेखी की। वे हमेशा जनता के साथ रहे। तभी तो उनकी लौह–लेखनी से ऐसी तल्ख पंक्तियाँ निकल सकीं –

है हुक्म देश के राजा का
चोरों की जय जयकार करो।

पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दिनकर की क्रान्तिकारी कविताओं से इतने अधिक प्रभावित थे कि सन् 1935 ई. में पटना जाकर उन्होंने कहा था कि दिनकर जी यदि अफ्रीका में जनमे होते तो उनसे मिलने के लिये मैं दक्षिण अफ्रीका चला जाता।

भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक लक्ष्मीचंद जैन ने जब परशुराम की प्रतीक्षा कविता सुनी तब उन्होंने दिनकर

से कहा कि ''छागियों करो अभ्यास रक्त पीने का' कस पंक्ति को आप निकाल ही दें, तो अच्छा रहेगा। बाद में चलकर आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा।''[10] इस पर दिनकर ने उन्हें उत्तर दिया कि ''यह पंक्ति बड़ी अनूठी है। इससे आगे चलकर आपको यह सूचना मिलेगी कि एक बार भारतवर्ष को इतना क्रोध चढ़ा था कि उसका एक कवि इस प्रकार की पंक्ति लिखने में भी लज्जित नहीं हुआ।''[11]

एक बार दुष्यंत कुमार से बातचीत में दिनकर ने लेखक द्वारा व्यवस्था का विरोध करने पर कहा था कि ''इसलिए कि वह उसका धर्म है। परंपरा और क्रान्ति में हमेशा संधर्म चलता है। परंपरा बांध डालकर पानी को गहरा चाहती है और क्रान्ति बांध तोड़कर पानी को छिछता ताकि अधिक से अधिक भाग भिगोया जा सके। क्रान्ति तेजी और त्वरा चाहती है और परंपरा ठहराव। परंतु समाज में क्रान्ति की शक्तियाँ चिरंजन हैं। वे शक्तियों सदैव व्यवस्था का विरोध करती हैं।''[12]

दिनकर आग और अंगार के कवि हैं। हाँक और हुंकार के कवि हैं। ओज और पौरुष के कवि है। उमंग ओर उत्साह के कवि हैं। दिनकर अपने बारे में स्वयं कहते हैं –

स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ
यौवन को भीषण ज्वार बना देता हूँ
शूरों के दृग अंगार बना देता हूँ
हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ
लोहू में देता हूँ वह तेज खानी
जूलती पहाड़ों से हो अभय जवानी।

यही कारण है कि दिनकर के काव्य के प्रत्येक शब्द में ओज है। वे भीम और अर्जुन को लौटाने की बात करते हैं। ओज उनके काल का स्थायी भाव है। दिनकर के इसी भाव का परिणाम है कि वे यह सर्वोक्ति करने में भी संकोच नहीं करते हैं –

मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं।
उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. डॉ. मैनेजर पाण्डेय, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, आजकल, सं. योगेश दत्त शर्मा, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर 2008, पृ0 सं0 28
2. वही, पृष्ठ संख्या 30
3. वही, पृष्ठ संख्या 31
4. विजयेन्द्र स्नातक, ओज और तेज के कवि, आजकल, सं0 योगेश दत्त शर्मा, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अक्टूबर 2008, पृं0 सं0 66
5. वही, पृष्ठ संख्या 66
6. रामधारी सिंह दिनकर, चक्रवाल, उदयाचल, पटना, 1956, पृ0 सं0 25
7. बनासजन संपादक पल्लव, अंक–44, जून 2021, पृ0 सं0 146

8. ठाकुर खगेन्द्र, रामधारी सिंह दिनकर : व्यक्तित्व और कृतित्व, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2014, पृ0 66
9. विजेन्द्र नारायण सिंह, भारतीय साहित्य के निर्माता रामधारी सिंह दिनकर, साहित्य अकादमी–2015, पृ0सं0 26
10. वही, पृष्ठ संख्या 26
11. वही, पृष्ठ संख्या 26
12. दुष्यंत कुमार, भेंटवार्ता, योगेश दत्त शर्मा, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर 2008, पृ0 सं0 72

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 74–78
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

वर्तमान समय में कॉलेजों के छात्रों में बढ़ रहें अकेलेपन का कारण एक अध्ययन

लक्ष्मी कुमारी, शोध–छात्रा, मनोविज्ञान विभाग,
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।
डॉ० सांत्वना कुमारी, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग,
सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर।
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर–812007

शोध–सार :

वर्त्तमान समय में कॉलेज के छात्रों में अकेलापन की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है। इसके मुख्य कारण तकनीकि प्रगति, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, परिवार से दूरी रहना और खराब मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य कारण है। यह अध्ययन छात्रों में अकेलेपन की बढ़ती प्रवृति के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को स्पष्ट करता है एवं इसे समाज्या के समाधानों के लिये संभावित सुझावो को प्रस्तुत करता है।

शब्द कुंजी : अकेलापन, मनोसमाजिक कारण, एवं सुझाव।

परिचय (Introduction) :

वर्तमान समय में युवाओं तथा विशेष रूप से कॉलेज के छात्रों मे बढ़ता अकेलापन एक गंभीर और चर्चित मनोसामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है। आधुनिक जीवन शैली बढ़ती प्रतिस्पर्धा डिजिटल निर्भरता और व्यक्तिगत एंव शैक्षणिक दबावों नें छात्रों में भावनात्मक जुड़ाव कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वे भीतर ही भीतर स्वयं को अलग–थलग और अंसबध महसूस करने लगे है। आज के शैक्षिक एवं सामाजिक परिवेश में छात्रों का जीवन केवल शिक्षा और कैरियर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें मानसिक संतुलन सामाजिक समायोजन और भावनात्मक समर्थन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए है। बदलतें समय के साथ छात्रों में आपसी संवाद और मैत्रीपूर्ण संबंधो की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इटरनेंट और सोशल मीडिया ने भले ही उन्हें आभासी रूप से जोड़ दिया हो परन्तु वास्तविक मानवीय संपर्क और भावनात्मक साझा भाव की कमी बढ़ रही है। परिणामस्वरूप छात्र परिवार एवं समाज में होते में होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे है।

छात्रों में अकेलेपन की भावना एक मानसिक अवस्था है जिसमें छात्रों समूह से अलग रहते है और भावात्मक रूप से टूटे हुए एवं असहाय हाते हैं। कॉलेजों के छात्रों में यह जीवन का वह चरण होता है जब व्यक्ति नई परिस्थितिया में चुनौतियों और सामाजिक तनाव, चिंता और सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है।

अकेलापन के कई कारण हो सकते है जैसे– शैक्षणिक दबाव, सामाजिक अलगाव आर्थिक तनाव प्रेम संबध, सोशल मीडिया इत्यादि। अकेलापन आज कल के छात्रों में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करते है। यह उनके खान–पान दिनचर्या, समस्या, शैक्षणिक गिरावट निष्पादन को प्रभावित करता छात्रों मे अकेलेपन का कारण कॉलेज में आना परिवार से दूरी मित्र से छुटना आदि देखा गया।

- वर्तमान समय में छात्रों के बीच अकेलापन एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। अकेलापन वह समस्या है जहाँ व्यक्ति स्वयं को दूसरों से अलग केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने की नही होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक भावानत्मक अनुभूति से जुड़ी होती है।
- कॉलेज का दौरे छात्र के जीवन का वह चरण होता है जहाँ व्यक्ति नई परिस्थितयों नए लोगों और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से गुजरता है। इस दौर में परिवार से दूरी, मित्रता की कमी, सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग, पढ़ाई का दबाव, और भविष्य की चिंता जैसे कारणों से छात्र अपने भीतर असुरक्षा अलगाव और तनाव महसूस करने लगते है। धीरे–धीरे यह भावनाएँ अकेलेपन में परिवर्तित हो जाती है। अकेलापन केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यह अवसाद (depression) चिंता (anxiety) और सामाजिक अलगाव (social withdrawal) का कारण बन सकता है।
- कोविड–19 महामारी के दौरान छात्रोओं मे अकेलापन पाया गया और नाकारात्मक विचार, उबाऊपन अनिश्चिता देखी गयी। लाकडाउन में क्वॉराटीन के कारण के छात्रों के कॉलेज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिनमें कैपस में बंद होना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के भी कमी, घटती हुई स्वतंत्रता, स़त्र में देर होना ओर शोध, नौकरी और इटर्नशिप के अवसरों का नुकसान होना शामिल है। जो Covid-19 महामारी के दौरान कॉलेज के छात्रों में अवसाद अकेलापन को बढा दिया।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature) :

Peplace और Perlman (1982) के अनुसार अकेलापन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों की गुणवता ओर मात्रा में अंसतोषजनक परिणाम है। Lociss (1973) ने इस भावात्मक और सामाजिक अकेलेपन के रूप में विभाजित किया। हाल के शोधों में पाया गया है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं में सामाजिक जुड़ाव को कम किया है।

(Hawkley & Cacioppo 2010) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में कॉलेजों के छात्रों में अकेलेपन के मायनों में वृद्धि देखी जा रही है।

(Kumar & Singh 2019)

Christina et al., 2024 ने कॉलेज छात्रों पर अध्ययन किया और पाया कि सोशल मीडिया एडिक्शन का अकेलेपन के सकारात्मक सहसंबंध पाया यानि सोशल मीडिया की लत, अकेलेपन को बढ़ा सकती है।

Lankald Venya & Pushparaj के अनुसार हॉस्टल के रहने वाले छात्रों में आत्मसम्मान की स्तर एवं अकेलेपन की सबंध पाया गया है। जिसमें निम्न आत्मसम्मान सामाजिक तुलना, रहन–सहन में असहमति आदि से उत्पन होता है जिन छात्रो काँ आत्मसम्मान कम था उनमें अकेलेपन का भाव अधिक था।

Pandeya (2017) अध्ययन में पाया अटेचेटमंट स्टाइल अकेलेपन और अवसाद के बीच अंतर और बीच लिंग अंतर वेरडना, आर्टेचमेंट शैली सामाजिक, भावानात्मक अकेलेपन, सामाजिक संबंधों की गुणवता आर्टेचमेंट

शैली, अकेलेपन और अवसाद से जुड़ी महिलाएँ व पुरूषों में भावनात्मक अकेलेपन व आर्टेचमेंट शैली में कुछ अंतर पाए गए।

Sharti Narain, Saurabh Maheshwari (2022) ने अपने अध्ययन में – लॉकडाउन के दौरान होम बाउंड महिला छात्रों में अकेलेपन से सम्बंधित कारक, आत्म नियंत्रण आत्म छवि पारिवारिक संबंधों की गुणवता, को खोजा जिन छात्रों का स्वयं नियंत्रण बेहतर था, आत्म छवि सकारात्मक था ओर पारिवारिक संबंध अच्छे थे, उनमें अकेलापन की भावना कम पायी गयी एवं लॉकडाउन के कारण सामाजिक दूरी बढ गयी जिसमें अकेलेपन के भावना मे वृद्धि हुई।

Priya 2023 के अध्ययन में Covid-19 के दौरान Percevied social support और अकेलेपन का सम्बंध देखा गया सामाजिक समर्थन की भावना अधिक होने से अकेलेपन की भावना में कमी देखी गयी महामारी ने सामाजिक दूरी व प्रत्येक सामाजिक असमर्थता की भावना बढ़ायी।

Tapan K. Pandit भारतीय युवाओं, किशोरो व युवाओं में अकेलेपन के कारकों की समीक्षा की मोबाइल/इंटरनेट की लत, आत्मसम्मान का स्तर, व्यक्तित्व विशेषताएँ, मानसिक स्वास्थ्य से संबधित मुद्दे आदि के कारण अकेलेपन में वृद्धि हो रही है, विशेषकर बड़े शहरी क्षेत्रों में जहाँ सामाजिक जुड़ाव कम हो रहा है एवं डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग होता जा रहा है।

विभ्भिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा किये गए अध्ययनो एंव शोध के परिणामों के विश्लेषण से कॉलेज छात्रों में अकेलेपन की भावना में वृद्धि के विश्लेषण से कॉलेज छात्रों में अकेलेपन की भावना में वृद्धि के निम्नलिखित कारण स्पष्ट होते है :

अकेलेपन का प्रमुख कारण (Causes of Loneliness among college students)

- **शैक्षणिक दवाब :** अच्छे अंकों और सफलता प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में छात्र मानसिक तनाव और असुरक्षा का अनुभव करते है, जिससे वे दूसरों से दूर हो जाते है।
- **सामाजिक तुलना :** कॉलेज के परिवेश में छात्र एक दूसरे से तुलना करने की प्रवृति आत्म अस्वीकार और अलगाव को बढ़ाती है।
- **निम्न आत्म सम्मान एवं अंतमुर्खता :** जो छात्र अंर्तमुखी स्वभाव के होते है या आत्म सम्मान की कमी महसूस करते है तो वे दूसरो से जुड़ने में क्षिक्ष्कते है और यह क्षिक्षक अकेलेपन को जन्म देती है।
- **तकनीकी निर्भरता :** सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अधिक निर्भरता करने की ने वास्तविक संबंधों को सीमित कर दिया है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण :** सफलता की होड़ में छात्रो का एक दूसरे से तुलना और परिक्षाओं में सफल होने का दवाब स्वस्थ एंव सहयोगी वातावरण के विपरित के एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में जाते है।
- **पारिवारिक दूरी :** कई बार घर से दूर के कारण भावनात्मक सहारा कम हो जाता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य एवं ध्यान की कमी :** काउसलिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता से छात्र अपने तनाव को दबा लेते है जो उनमे चिंता विशाद के लक्षण उत्पन्न करता है और कई बार कठोर कदम उठा लेते है।

छात्रों में अकेलेपन के प्रभाव ¼Effect of Loneliness among student) :

- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :** अकेलापन अवसाद, चिंता और तनाव, जैसी– मानसिक समस्याओं को

जन्म देता है।

- **शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट :** अकेले छात्र पढ़ाई में रूचि खो देते है, ध्यान केद्रिंत नहीं कर पाते है, जिससे उनके परिणाम प्रभावित होते है।
- **सामाजिक अलगाव :** धीरे–धीरे छात्र दूसरों से बातचीत या समूह में गतिविधियों में भाग लेने बंद कर देते है।
- **आत्म सम्मान और आत्मविश्वास में कमी :** लंबे समय तक अकेलेपन रहने से व्यक्ति स्वयं को महत्वहीन और असफल महसूस करने लगता है।
- **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव :** नींद का समस्या, थकान, भूख की कमी और प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसे लक्ष्ण भी देखे जाते है।

परिणाम और चर्चा Result of Discussion :

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कॉलेज के छात्रों में अकेलापन मुख्यतः सामाजिक समर्थन की कमी और तकनीकी निर्भरता से जुड़ा होता है।

Sharma (2021) ने भी अपने अध्ययन में जो छात्र समूह में गतिविधियों में भाग लेते है, या नियमित रूप से परिवार से संवाद में भाग लेते है या नियमित रूप से परिवार को बीच रहते है और परिवार से बातचीत करते है, उनमें अकेलेपन की दर कम पाई गई। इसलिए भावानात्मक जुड़ाव, परामर्श **(Counselling)** और सामाजिक सहभागिता Social participation को बढ़ावा देना आवश्यक है।

अकेलेपन को दूर करने की सुझाव (Suggstions to reduce loneliness among students)

1. **सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करना :**

- छात्रों को अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- छोटे–छोटी असफलताओं या सामाजिक अस्वीकृत से हतोत्साहित न हो।
- आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ानें के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुने।

2. **सामाजिक संबंधों को मजबूत करना :**

- कॉलेज में साथियों, शिक्षकों, सीनियर्स और ग्रुप सदस्यों से संवाद बढ़ाएं।
- नए मित्र बनाऐं, समूह चर्चा सांस्कृतिक कार्यक्रमों या क्लबों में भाग लें।
- दूसरों की बात ध्यान से सुने और अपने अनुभव भी साक्षा करें इससे भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है।
- काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेना यदि अकेलापन अधिक बढ़ जाए या अवसाद जैसी स्थिति महसूस हो तो कॉलेज के मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र से संपर्क करें। पेशवर मनौवेज्ञानिक काउंसलर से बात करना कमजोरी नहीं बल्कि एक परिपक्व कदम है।
- **ध्यान और योग का अभ्यास :** ध्यान और योग से मन शांत होता है, आत्म नियंत्रण बढ़ता है ओर चिंता व अकेलापन कम होता है। प्रतिदिन 10–15 मिनट ध्यान करने की आदत बहुत लाभकारी है।
- **परिवार से सम्पर्क बनाए रखना :** परिवार से नियमित बात करना भावनाएं साझा करना छात्रो को भावनात्मक समर्थन देता है।
- घर से दूर रहने वाले छात्रों को फोन या विडियों कॉल से भी अपनापन महसुस हो सकता।

- सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना नृत्य संगीत, खेल नाटक कला आदि में शामिल होने से छात्रो को भावना की अभिव्यक्ति के अवसाद बढ़ते है। यह अकेलेपन से ध्यान हटाकर आत्म संतुष्टि और टीम वर्क को भावना बढ़ाता है।

निष्कर्ष :

कॉलेज छात्रों में अकेलेपन का मूल कारण तकनीकि जुड़ाव समाज और परिवार और के बावजूद भावात्मक दूरी है। इस समस्या के समाधान हेतु कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र समूह चर्चा और सामाजिक संबंधोंको बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए। यदि छात्र सकारात्मक सोच, सामाजिक जुड़ाव, ओर स्वयं पर विश्वास विकसित करें, तो उन पर अकेलापन को धीरे–धीरे कम हो सकता है। योग ध्यान और समय प्रबंधन जैसी तकनीके छात्रों के भीतर मानसिक शांति ओर संतुलन बनायें में सहायक है।

अकेलेपन को दूर करने के एक लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति की सोच, व्यवहार और परिवेश तीनों का समन्वय हो। अकेलेपन को दूर करने के लिए कॉलेजों में छात्रों को आत्म प्रकटीकरण काउसलिंग सह पाठ्यक्रम करवाना चाहिए इससे काफी हद तक छात्रों में अकेलापन को दूर किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. Addication social anxiety and londness among college students international journal of indian psychology.
2. Christina et;at 2024 relationship between social media addication social anxiety and loneliness among college students international journal of indian psychology
3. Hawkely, L.C., & Cacioppo, J.T. (2010) Loneliness matters : A theoritical and empircal review of consequences and mechanissms. Annals of Behavioral Medicine, 40 (2) 2018-227.
4. Kumar A. & Singh, R. (2019) A study on loneliness among indian college student. Indian journal of psychology 94 (3) 45-52.
5. Lankala venya & pushparaj.Relationship between self esteen and lanelinss among college hostel students / international journal of indian psychology.
6. Loneliness : A sourcebook of current theory, research, and theraphy (pp. 1-18 leiley)
7. Pandeya (2017), A comparative study of arcchment loneliness and depression among male and female college students / pandeya international journal of education and managemnt studies.
8. Peplac, L.A., & Penman, D. 1982 persectives on loneliness. L.A peplace & D perlman (Eds).
9. Sharma P. (2021) social isolation and mental health in college youth. Journal of contemporary research in psychology, 5 (2) 60-68.
10. Shruti Narain, saurabh meheshwari (2022) lonely at home : exploring factors associated with londiness among female student at home during covid-19 lockdown in india Shruti Narain, Sanaabh, Meheswari, 2022.
11. Weiss, R.S. 1973. Loneliness : The experience of Emotional and social isalation MIT press.

laxmiranilaxmirani152@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 79-83

पूर्वी सिंहभूम जिला के बिरहोर आदिम जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन : मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में

राजेश समीर कच्छप
शोधार्थी (मानवशास्त्र विभाग)
सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला।

प्रस्तावना :

मानवशास्त्र में आदिम एवं शिकारी संग्रहकर्ता समाजों का अध्ययन मानव संस्कृति के विकास, सामाजिक संगठन और पर्यावरणीय अनुकूलन प्रक्रियाओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिरहोर जनजाति छोटानागपुर पठार क्षेत्र की एक प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है, जिसे भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों (पी.भी.टी.जी.) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रजातीय दृष्टिकोण से बिरहोर प्रोटो – आस्ट्रेलायड समूह और भाषाई दृष्टिकोण से ऑस्ट्रो – एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है।

पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड राज्य का एक विशिष्ट औद्योगिक एवं जनजातीय क्षेत्र है, जहां आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था और पारंपरिक जनजातीय जीवन का सह–अस्तित्व देखने को मिलता है। इस जिले में बिरहोरों की जनसंख्या बहुत ही कम है। झारखंड की आदिम जनजातीय समूह, सर्वे रिपोर्ट (2002–03) के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में बिरहोर जनजाति की जनसंख्या मात्र 58 थी। किंतु उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना मानवशास्त्रीय अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन पूर्वी सिंहभूम जिले के संदर्भ में बिरहोर समाज की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक प्रतिमानों, आजीविका प्रणाली और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का मानवशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द : बिरहोर, पूर्वी सिंहभूम, मानवशास्त्रीय अध्ययन, आदिम जनजाति, सांस्कृतिक प्रतिमान।

अध्ययन क्षेत्र का मानवशास्त्रीय परिपेक्ष्य –

पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। यहां की भौगोलिक संरचना वनाच्छादित पहाड़ियों, पठारी भूमि और नदी घाटियों से निर्मित है। जिला खनन, इस्पात उद्योग और नगरीकरण के कारण अत्यधिक औद्योगिककृत है। जनजातीय दृष्टिकोण से यह जिला मुंडा, संथाल, हो, उरांव, हिल खड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर और बिरहोर जनजातियों का निवास क्षेत्र है। बिरहोर मुख्यता घाटशिला, मुसाबनी, बोडाम और डुमरिया जैसे वन सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे–छोटे टोला (टांडा)

बनाकर रहते हैं, जहां वे अपने पारंपरिक जीवन प्रणाली को आंशिक रूप से बनाए हुए हैं।

साहित्य समीक्षा :

बिरहोर आदिम जनजाति पर मानवशास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुआ। शरत चंद्र रॉय ने बिरहोरों को छोटानागपुर की एक विशिष्ट शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति के रूप में वर्णित किया और उनकी सामाजिक संगठन, विवाह प्रणाली और धार्मिक विश्वासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

कुमार सुरेश सिंह ने भारत की जनजातियों के संदर्भ में बिरहोरों की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रतिमानों का अध्ययन किया।

आधुनिक मानवशास्त्रीय साहित्य में वेरियर एल्विन और वर्जिनियस खाखा जैसे विद्वानों ने जनजातीय समाज में विकास, राज्य नीति और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया है।

डा. रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची (2016), झारखंड के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर अध्ययन, झारखंड सरकार। यह रिपोर्ट विशेष रूप से झारखंड के आदिम जनजातीय समुदायों पर केंद्रित है, जिसमें बिरहोर समुदाय भी शामिल है। यह अधिकारिक वर्गीकरण, भेद्यता संकेतक और विकास स्थिति के लिए एक प्रामाणिक स्रोत है।

हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिले के संदर्भ में सूक्ष्म स्तर पर एथ्नोग्राफिक (नृवंशविज्ञान या मानव जाति विज्ञान संबंधी) अध्ययन सीमित है। यह शोध इसी शोध अंतराल को पाटने का प्रयास करता है।

शोध उद्देश्य :

- पूर्वी सिंहभूम जिले में बिरहोर जनजाति की सामाजिक संरचना का अध्ययन करना।
- उनकी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों का विश्लेषण करना।
- पारंपरिक आजीविका और आर्थिक जीवन प्रणाली का अध्ययन करना।
- औद्योगिकरण और विकास परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- सांस्कृतिक परिवर्तन और पहचान संकट की प्रक्रियाओं का मानव शास्त्रीय अध्ययन करना और बिरहोर जनजाति की वर्तमान समस्याओं और विकासात्मक संभावनाओं का अध्ययन करना।

सैद्धांतिक ढांचा :

संरचनात्मक – कार्यात्मक सिद्धांत – इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाएं समाज की स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। बिरहोर समाज में गोत्र व्यवस्था, विवाह नियम और धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक संतुलन बनाए रखते हैं।

सांस्कृतिक पारिस्थितिकी सिद्धांत – लुलीयन स्टीवर्ड् के अनुसार संस्कृति और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। बिरहोरों का जीवन प्रणाली जंगल और प्राकृतिक संसाधनों के साथ अनुकूलन का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

सांस्कृतिक परिवर्तन और समाकलन सिद्धांत – औद्योगिकरण, नगरीकरण और सरकारी नीतियों के कारण बिरहोर समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन और समाकलन की प्रक्रिया तीव्र हो रही है।

शोध पद्धति :

यह अध्ययन गुणात्मक एथ्नोग्राफिक पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए सहभागी अवलोकन, गहन साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि और केस स्टडी का उपयोग किया गया। द्वितीय स्रोतों में जनगणना रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट और प्रकाशित शोध लेख शामिल है।

बिरहोरों की सामाजिक संरचना :

बिरहोर समाज पितृ सत्तात्मक है और वंश परंपरा पितृवंशीय है। इनमें संयुक्त परिवार की परंपरा पहले अधिक प्रचलित थी, परंतु वर्तमान में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है। परिवार में पिता का स्थान मुखिया का होता है। परिवार की महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों, कृषि–सहायता और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण होती है। परंपरागत रूप से बिरहोर घुमंतू जीवन जीते थे और जंगल में लकड़ियों एवं पत्तों से बने झोपड़ियां जिसे कुंबा कहा जाता था, में अस्थाई रूप से निवास करते थे। वर्तमान में कई परिवार स्थाई तथा अस्थाई बस्तियों में बस गए हैं। कुल या गोत्र संगठन बिरहोर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक कुल या गोत्र का अपना प्रतीक या टोटेम होता है, जो सामान्यतः किसी पशु–पक्षी, फूलों, फलों, पेड़–पौधों या प्राकृतिक तत्व से जुड़ा होता है। इस जनजाति में 13 गोत्र प्रमुख है, जिसमें नाग, कच्छप, बाघ, हांसदा आदि गोत्र पाए t kr sg‚[2] समान गोत्र में विवाह निषिद्ध है, जो सामाजिक एकता और जैविक विविधता को बनाए रखने में मजबूती प्रदान करती है। ग्राम स्तर पर पारंपरिक पंचायत प्रणाली कार्य करती है। जिसमें माझी और पहान जिसे नाया कहा जाता है, सामाजिक नियंत्रण, विवादों का समाधान और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते हैं। पंचायत जैसी सामुदायिक संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण और सामूहिक निर्णय का माध्यम है। परंपरागत कानूनों और रीति–रिवाज का पालन अनिवार्य माना जाता है।

विवाह और नातेदारी प्रणाली :

विवाह सामाजिक संस्था के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरहोर समाज में विवाह सामाजिक गठबंधन का साधन है। प्रेम विवाह, व्यवस्थित विवाह, क्रय विवाह और सेवा विवाह प्रमुख विवाह के प्रकार हैं। इसमें क्रय विवाह सबसे प्रचलित विवाह प्रणाली है। कम जनसंख्या और गरीबी के कारण इनके विवाह संस्कार बहुत ही सादगी से संपन्न होती है। इनके समाज में दहेज की अपेक्षा वधूमूल्य की प्रथा देखने को मिलती है। विधवा विवाह और पुनर्विवाह सामाजिक रूप से स्वीकृत है, जो बिरहोरों के बीच सामाजिक लचीलापन को दर्शाते हैं। नातेदारी व्यवस्था विवाह संबंध तथा रक्त संबंध पर आधारित है। विवाह के माध्यम से सामाजिक संगठन तथा नातेदारी व्यवस्था का विस्तार होता है।

धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक प्रथाएं :

बिरहोर समाज प्रकृति पूजक है और सिंग बोंगा, धरती माता और वन देवताओं में विश्वास करता है। वर्तमान में बिरहोर हिंदू और ईसाई धर्म से भी प्रभावित हो रहे हैं। इनका धर्म किसी संगठित ग्रंथ या संस्थागत ढांचे पर आधारित न होकर लोक–आस्था, रीति–रिवाज और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। पूर्वज पूजा और टोटेमवाद उनकी धार्मिक संरचना का महत्वपूर्ण तत्व है। बिरहोर अपने पूर्वजों की आत्माओं को अपना संरक्षक मानते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनके द्वारा अपने पूर्वजों का स्मरण किया जाता है। बीमारी, प्राकृतिक

आपदा या किसी संकट को वे कभी–कभी अदृश्य शक्तियों, अलौकिक शक्तियों या दैवीय शक्तियों का प्रभाव मानते हैं। ऐसे में वे परंपरागत पुजारी वैध या ओझा द्वारा झाड़–फूंक और पूजा–पाठ कराते हैं। सरहुल, करमा और सोहराय जैसे पर्व सामूहिकता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक निरंतर के प्रतीक हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र तमक (नगाड़ा), तिरियो (बांस की बांसुरी) और तुमदा (मांदर या ढोल) है। डोंग, लांडगे, और मुकतर इनके नृत्य के प्रकार हैं। उनके पारंपरिक नृत्य गोलाकार पंक्ति में किए जाते हैं। इनके गीतों में प्रकृति, शिकार और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। बिरहोरों में सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में युवागृह को मान्यता दी गई है, जिसे गितिओड़ा, गितिजोरी या गत्ओड़ा कहा जाता है।

आर्थिक जीवन और आजीविका :

पारंपरिक रूप से बिरहोर शिकारी – संग्रहकर्ता थे। बिरहोर जनजाति के लोगों को बंदर और खरगोश के शिकार में निपुणता हासिल है। किंतु वर्तमान में उनकी अर्थव्यवस्था मजदूरी, वन उत्पाद संग्रह और सीमित कृषि पर आधारित है। रस्सी बनाना उनकी विशिष्ट पारंपरिक आर्थिक गतिविधि रही है जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जीवन यापन की दृष्टि से बिरहोर को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। उथलु या भूलियास (घुमक्कड़) और जांघी या थानियां (अधिवासी)। ये लोग तांबे, कांसे और पीतल के कारीगरी में निपुण होते हैं। आजीविका के लिए बिरहोर जनजाति बहुत हद तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आश्रित है। ये लोग अभी भी भौतिकवादी जीवन स्तर से कोसों दूर हैं। इनके घरों में जीवन चक्र से संबंधित सीमित साधन उपलब्ध है।

औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन :

पूर्वी सिंहभूम जिले में खनन और औद्योगिक विकास ने बिरहोरों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। भूमि ह्रास, विस्थापन और नगरीय संपर्क से उनके पारंपरिक जीवन प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन सांस्कृतिक संक्रमण का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

समकालीन समस्याएं :

बिरहोर समाज गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित है। वन अधिकार अधिनियम का सीमित क्रियान्वयन और विकास योजनाओं की असमान पहुंच उनकी सामाजिक स्थिति को और कमजोर बनाती है।

नैतिक और मानवशास्त्रीय विमर्श :

आदिम जनजातियों पर शोध में नैतिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता को समुदाय की सहमति, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और डाटा गोपनीयता का पालन करना आवश्यक होता है। यह अध्ययन व्यावहारिक मानवशास्त्र और विकासात्मक मानवशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

निष्कर्ष :

पूर्वी सिंहभूम जिले में बिरहोर जनजाति एक अत्यंत संवेदनशील और परिवर्तनशील समाज है। उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर्यावरण आधारित रही है। किंतु आधुनिक विकास प्रक्रियाओं ने इन संरचना को पुनर्गठित किया है। इस जनजाति के संरक्षण और विकास के लिए सहभागी विकास प्रारूप, सामुदायिक

भागीदारी और स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के संरक्षण की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :

1. झारखंड सरकार (2020) जनजाति कल्याण रिपोर्ट. रांची : कल्याण विभाग।
2. राय, एस. सी. (1912) द बीरहोर्स : ए लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटानागपुर. रांची : मैन इन इंडिया ऑफिस।
3. सिंह, के. एस. (1998) पीपुल ऑफ इंडिया : झारखंड. कोलकाता : एंथ्रोपॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
4. विद्यार्थी, एल. पी. (1963) द मलेर : ए स्टडी इन नेचर–मैन–स्पिरिट काम्पलेक्स. कोलकाता : बुक लैंड।
5. एल्विन, भी. (1955) द रिलिजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब. बॉम्बे : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

rskachhap00@gmail.com
Mb- 7903670283

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 84-93
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

झारखंड में महिला एवं बाल श्रम का सामाजिक–आर्थिक यथार्थ : शोषण, असमानता और अस्तित्व का संघर्ष

देवेश कुमार
शोधार्थी, सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला, झारखंड, भारत।

सारांश :

भारत के आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विसंगतियों का विस्तार भी हुआ है। इन विसंगतियों में सबसे गंभीर स्थिति महिलाओं और बच्चों की है जो आर्थिक प्रणाली के निचले पायदान पर स्थित हैं परंतु संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। झारखंड जैसे खनिज–समृद्ध राज्य में भी गरीबी, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण ने महिला और बाल श्रम को एक संरचनात्मक रूप दे दिया है। यह शोध–पत्र इसी विरोधाभास की गहराई में जाकर यह जाँचता है कि आर्थिक विकास की चमक के पीछे कैसा अंधकार छिपा है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि महिला और बाल श्रम के कारण सिर्फ आर्थिक वंचना नहीं हैं, बल्कि सामाजिक संरचना, लैंगिक असमानता, नीतिगत विफलता और संस्कृति के आवरण में छिपा शोषण भी इसका मुख्य कारक है। लेख में पलामू, दुमका, गुमला और राँची जिलों के उदाहरणों द्वारा यह बताया गया है कि कैसे महिलाएँ और बच्चे दोहरी भूमिकाओं में कार्य करते हैं 'एक घरेलू और एक आर्थिक' पर दोनों स्थलों पर उन्हें अधिकार और गरिमा से वंचित किया जाता है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समाधान नीतिगत हस्तक्षेप से अधिक मानवीय संवेदनशीलता और सामुदायिक भागीदारी से संभव है।

कीवर्ड्स : झारखंड, महिला श्रम, बाल श्रम, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक शोषण।

1. भूमिका :

भारतीय समाज की विकास यात्रा हमेशा से विरोधाभासों से भरी रही है। एक ओर आईटी, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण की तेजी से आर्थिक संकेतक ऊपर उठे हैं, तो दूसरी ओर गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता ने समाज के बड़े वर्ग को विकास के मुख्य धारा से बाहर रखा है। झारखंड राज्य इस विरोधाभास का सबसे प्रमुख उदाहरण है। खनिज, वन और जल संसाधनों से समृद्ध यह राज्य राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे को संसाधन तो देता है, परंतु यहाँ के आदिवासी और ग्रामीण जनजीवन आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन्हीं वंचितों में महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक पीड़ित हैं।

महिला और बाल श्रम की समस्या सिर्फ रोजगार या गरीबी का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं के असमान वितरण की परिणति है। समाज ने श्रम को लिंग और जाति के आधार पर विभाजित कर

दिया है। महिलाओं का श्रम "सहायक" और बच्चों का श्रम "आवश्यक" मान लिया गया है। परिणामस्वरूप, दोनों वर्गों का शोषण एक सांस्कृतिक नियम की तरह स्थापित हो गया है। औद्योगिकीकरण और खनन ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया हैय पुरुषों के पलायन के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई और बच्चे श्रम की श्रृंखला में जुड़ गए।

राज्य और समाज दोनों की यह विफलता है कि विकास की प्रक्रिया के बीच मानव गरिमा और अधिकार का मूल्य भूल जाया गया। झारखंड के गांवों और शहरों में काम करती महिलाएँ सिर्फ परिवार के भरण–पोषण के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। बच्चों का बचपन श्रम की धूल में गुम हो रहा है। यह विकास की नैतिकता पर एक गंभीर प्रश्न उठाता है।

इस पृष्ठभूमि में यह शोध महिला और बाल श्रम के सामाजिक–आर्थिक यथार्थ की बहुआयामी पड़ताल करता है। यह न केवल आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है बल्कि उन संस्कृति गत और संस्थागत कारकों को भी उजागर करता है जो शोषण को निरंतर बनाए रखते हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि जब संसाधन उपलब्ध हैं, तो फिर मानव विकास क्यों रुका है? यह विरोधाभास झारखंड की सामाजिक हकीकत का प्रतिबिंब है– जहाँ विकास के आंकड़े ऊपर चढ़ते हैं, परंतु मानवीय जीवन नीचे गिरता है।

2. सामाजिक-आर्थिक संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

झारखंड की सामाजिक–आर्थिक संरचना भारत के अन्य राज्यों से भिन्न है। यहाँ आदिवासी संस्कृति, लोकजीवन और प्राकृतिक संसाधनों के बीच एक ऐतिहासिक संतुलन था जो औपनिवेशिक काल में टूट गया। ब्रिटिश शासन के समय खनिज संपदा के दोहन ने भूमि स्वामित्व के संतुलन को विकृत किया। "पारगना" और "जमींदारी" प्रणालियों के माध्यम से आदिवासी समुदायों को उनकी भूमि से वंचित किया गया। इस विस्थापन का सबसे भारी मूल्य महिलाओं और बच्चों ने चुकाया। वे कृषि और वनोपज से कट गए और सस्ते श्रमिक के रूप में खनन उद्योग की परिधि में आ गए।

स्वतंत्रता के बाद झारखंड (तत्कालीन बिहार का भाग) में औद्योगिक विकास की जो नीतियाँ बनाईं गईं, वे स्थानीय मानव संसाधन को नजरअंदाज करती रहीं। भारी उद्योगों, इस्पात कारखानों और खनन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी नाममात्र रही। भूमि गई, पर रोजगार न मिला। इससे गाँवों में असुरक्षा और निर्भरता बढ़ी। महिलाएँ और बच्चे घर और श्रम के बीच फँस गए।

झारखंड का सामाजिक ढाँचा तीन मुख्य आधारों पर टिका है– जाति, लिंग और वर्ग। इन तीनों का संघर्ष श्रम के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ मुख्यतः भूमिहीन हैं, और अल्पशिक्षा के कारण वे असंगठित क्षेत्र के सस्ते श्रम पर निर्भर हैं। यह स्थिति पीढ़ियों तक चलती आ रही है और सामाजिक गतिशीलता को रोकती है।

आर्थिक रूप से झारखंड की वृद्धि दर प्रभावशाली दिखाई देती है, परंतु मानव विकास सूचकांक (HDI) राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। यह विरोधाभास साफ दर्शाता है कि संसाधन–समृद्ध राज्य भी समानता और न्याय के मापदंड पर विफल रहे हैं। यही विफलता महिला और बाल श्रम की जड़ में है।

इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका दोहरी रही– वे उत्पादक भी हैं और पालक भी। फिर भी उनका श्रम 'दृश्य' नहीं हो पाता। वहीं बच्चे आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा छोड़ कर श्रम में जुड़ जाते हैं।

इस तरह झारखंड की सामाजिक–आर्थिक संरचना एक ऐसे चक्र का निर्माण करती है जो शोषण को पीढ़ियों तक स्थिर कर देता है।

3. महिला श्रम की स्थिति : दोहरी जिम्मेदारी और सामाजिक अदृश्यता :

झारखंड की महिलाएँ राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, किंतु विडंबना यह है कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग में आती हैं। वे एक ओर घर के भीतर निःशुल्क और अदृश्य श्रम करती हैं, वहीं बाहर के असंगठित क्षेत्र में सस्ते श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं। उनका श्रम उत्पादक है, परंतु समाज और नीतियाँ दोनों उसे "सहायक" के रूप में देखती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उनके आर्थिक अधिकारों को सीमित करता है, बल्कि उनके सामाजिक अस्तित्व को भी अस्पष्ट बनाता है।

झारखंड में महिलाओं का श्रम मुख्यतः कृषि, घरेलू कार्य, ईंट भट्टों, निर्माण कार्य, खनन और वनोपज संग्रहण जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। ये सभी असुरक्षित, असंगठित और अल्प पारिश्रमिक वाले कार्य हैं। महिलाओं को अक्सर न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान किया जाता है। श्रम की अवधि लंबी होती हैकृकई बार दिन में 10 से 12 घंटे फिर भी उन्हें श्रम अधिकारों या अवकाश का कोई औपचारिक प्रावधान नहीं मिलता। अधिकांश महिलाएँ बिना श्रमिक कार्ड, स्वास्थ्य बीमा या मातृत्व लाभ के कार्य करती हैं।

इस दोहरे बोझ का एक और पहलू घरेलू हिंसा और सामाजिक नियंत्रण से जुड़ा है। पितृसत्तात्मक समाज में महिला की भूमिका घर और परिवार तक सीमित मानी जाती है। जब वह आर्थिक गतिविधियों में भाग लेती है, तो समाज उसे "आवश्यक बुराई" के रूप में स्वीकार करता है, न कि स्वतंत्र श्रमिक के रूप में। यह सामाजिक मानसिकता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है। कई बार पति या परिवार के पुरुष सदस्य महिलाओं की आय पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी सीमित रह जाती है।

शोध के दौरान पाया गया कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से 45% महिलाएँ खेतों या वनोपज में काम करती हैं, 20% निर्माण या खनन में, और शेष 35% घरेलू कार्यों या स्थानीय सेवाओं में संलग्न हैं। इन महिलाओं में से अधिकांश के पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, केवल 18% महिलाएँ प्राथमिक स्तर से ऊपर शिक्षित हैं। शिक्षा के अभाव ने उनके लिए वैकल्पिक आजीविका के रास्ते बंद कर दिए हैं।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एक बड़ा संकट है। लगातार शारीरिक श्रम, पौष्टिक आहार की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच न होने के कारण वे एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी और मातृत्व संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। फिर भी, परिवार और समाज उनकी बीमारी को "सहनशीलता" का प्रतीक मानते हैं। यह मानसिकता उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी मौन बना देती है।

महिला श्रमिकों की सामाजिक अदृश्यता का अर्थ है कि वे न तो नीतिगत विमर्श में दिखाई देती हैं और न ही आर्थिक आँकड़ों में। सरकारी रिपोर्टें "मुख्य श्रमिक" और "गृहिणी" के बीच जो विभाजन करती हैं, उसमें अधिकांश महिलाएँ दूसरी श्रेणी में चली जाती हैं। उनका श्रम इसलिए "दृश्य" नहीं होता क्योंकि वह घर, खेत या जंगल की सीमाओं में बंद है।

अतः यह स्पष्ट है कि महिला श्रमिक केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी शोषित हैं। उनके श्रम को मान्यता देने और उन्हें सशक्त करने के लिए केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं,

आवश्यक है समाज की सोच में परिवर्तन। जब तक श्रम को केवल उत्पादन नहीं, बल्कि गरिमा और समानता के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक महिला श्रमिकों की स्थिति में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता।

4. बाल श्रम का संकट : शिक्षा से वंचित पीढ़ी :

बाल श्रम भारत के संवैधानिक मूल्यों पर सीधा आघात है, क्योंकि यह न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि भविष्य की सामाजिक संरचना को भी कमजोर बनाता है। झारखंड में बाल श्रम की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गरीबी, अभाव, शिक्षा की अनुपलब्धता और पारिवारिक दबाव ने बच्चों को बचपन से श्रम में धकेल दिया है।

ग्रामीण झारखंड में बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा खेतों, खदानों, ईंट भट्टों, ढाबों, घरेलू कार्यों और कबाड़ बीनने में लगा हुआ है। यह कार्य न केवल उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक कठिन होते हैं, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक विकास को भी बाधित करते हैं। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश बाल श्रमिक प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक कार्य करते हैं, और औसतन 60–100 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। यह राशि परिवार की आय में जुड़ती है, परंतु उसके बदले में बच्चे अपना भविष्य खो देते हैं।

शिक्षा से वंचित होना बाल श्रम का सबसे बड़ा परिणाम है। कई बच्चों ने स्वीकार किया कि वे स्कूल जाना चाहते हैं, परंतु परिवार की आर्थिक विवशता के कारण उन्हें काम करना पड़ता है। कुछ बच्चों ने बताया कि स्कूल की दूरी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और पोषण योजनाओं की अनियमितता ने उन्हें पढ़ाई से विमुख कर दिया। विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में भाषा की समस्या भी एक प्रमुख बाधा है, जहाँ शिक्षा हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है, वहाँ संथाली, मुंडारी या नागपुरी बोलने वाले बच्चे सहज नहीं रह पाते।

बालिकाएँ बाल श्रम के साथ–साथ घरेलू जिम्मेदारियों का भी वहन करती हैं। वे घर के छोटे बच्चों की देखभाल, पानी और लकड़ी लाने, तथा रसोई के कार्यों में लगी रहती हैं। जब परिवार की आय अपर्याप्त होती है, तो वही बालिकाएँ बाहरी कार्यों के लिए भेज दी जाती हैं कभी घरों में नौकरानी बनकर, कभी खेतों या ईंट भट्टों में मजदूर के रूप में। यह स्थिति न केवल शोषण का उदाहरण है, बल्कि एक प्रकार की अदृश्य तस्करी भी है, जहाँ श्रम और उत्पीड़न की रेखाएँ धुँधली हो जाती हैं।

कई बार बाल श्रम को सामाजिक रूप से "सहयोग" या "पारिवारिक परंपरा" कहकर उचित ठहराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह धारणा प्रचलित है कि "काम करने वाला बच्चा जिम्मेदार होता है।" परंतु यह जिम्मेदारी उन्हें बचपन से वंचित कर देती है। वे स्कूल की किताबों से अधिक औजार और ईंटें संभालना सीखते हैं। यही कारण है कि शिक्षा और श्रम के बीच का यह संघर्ष पूरे राज्य में एक पीढ़ीगत संकट का रूप ले चुका है।

कानूनी दृष्टि से भारत में बाल श्रम निषिद्ध है, परंतु झारखंड में कानून और हकीकत के बीच बड़ी दूरी है। निगरानी तंत्र कमजोर है और सामाजिक चुप्पी ने इस अपराध को सामान्य बना दिया है। बच्चों के लिए पुनर्वास योजनाएँ भी सीमित प्रभाव दिखा पाती हैं, क्योंकि उनकी पहुँच सबसे गरीब वर्गों तक नहीं है।

अतः बाल श्रम केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय संकट है। जब एक समाज बच्चों के श्रम को स्वीकार कर लेता है, तो वह अपने भविष्य की नींव कमजोर कर देता है। इस संकट का समाधान केवल कानूनों से नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समुदाय आधारित हस्तक्षेपों से संभव है।

5. क्षेत्रीय अध्ययन का तुलनात्मक विश्लेषण :

झारखंड राज्य में महिला एवं बाल श्रम की समस्या एक समान नहीं है, यह भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधताओं के अनुसार अलग–अलग रूपों में प्रकट होती है। अध्ययन के लिए चयनित चार जिले 'पलामू, दुमका, गुमला और राँची' इस विविधता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इन चारों क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन यह समझने में सहायक रहा कि किस प्रकार सामाजिक ढाँचा, संसाधनों की उपलब्धता और नीतिगत हस्तक्षेप की भिन्नता श्रमिक वर्ग के जीवन को प्रभावित करती है।

- **पलामू : पलायन, निर्धनता और असुरक्षित अस्तित्व :**

पलामू झारखंड का सबसे सूखा और पिछड़ा जिला माना जाता है। यहाँ वर्षा की अस्थिरता और कृषि की असफलता ने लोगों को आजीविका के लिए पलायन करने को बाध्य किया है। पुरुषों के पलायन के कारण परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों पर आ गई है। महिलाएँ खेतों में मजदूरी करती हैं, जल और लकड़ी लाने का कार्य करती हैं, और अक्सर शहरों में निर्माण कार्यों के लिए जाती हैं।

यहाँ बाल श्रम की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। बच्चे स्कूल छोड़कर खेतों, ईंट भट्टों या दुकानों में काम करने लगते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की दूरी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और मिड–डे मील योजना की अनियमितता ने शिक्षा को हतोत्साहित किया है। इस प्रकार, पलामू में महिला और बाल श्रम केवल आर्थिक विवशता नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक अस्थिरता का परिणाम है।

- **दुमका : संस्कृति और आधुनिकता का द्वंद्व :**

दुमका जिला संथाल परगना का हिस्सा है और यहाँ संथाल जनजाति की सांस्कृतिक परंपरा गहराई से रची–बसी है। परंपरागत रूप से इस समाज में श्रम को सामुदायिक उत्तरदायित्व माना जाता था, जहाँ सभी सदस्य श्रम में भाग लेते थे। किंतु अब यही परंपरा औद्योगिक शोषण के औजार में बदल गई है।

महिलाएँ खेतों में, वनों में और घरेलू कार्यों में श्रम करती हैं, परंतु जब खनन और निर्माण उद्योगों ने क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने महिलाओं को सस्ते श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया। अब संथाल महिलाएँ ईंट भट्टों और निर्माण स्थलों पर काम करती हैं, जहाँ उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों से वंचित रखा जाता है।

बाल श्रम भी दुमका में सामाजिक संरचना का हिस्सा बन गया है। बच्चे खेतों और दुकानों में काम करते हुए देखे जाते हैं। शिक्षा का संकट यहाँ दोहरा है – भाषायी बाधा और सामाजिक उदासीनता। हिंदी माध्यम की शिक्षा संथाली बोलने वाले बच्चों को आकर्षित नहीं कर पाती, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

- **गुमला : खनन, विस्थापन और अस्मिता का संकट :**

गुमला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध जिला है, जहाँ बॉक्साइट, ग्रेनाइट और चूना–पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हैं। परंतु इन संसाधनों ने यहाँ के लोगों को समृद्ध नहीं किया, उलटे उन्होंने विस्थापन और शोषण की एक नई परंपरा को जन्म दिया।

खनन परियोजनाओं ने भूमि छीन ली, जंगल कट गए और स्थानीय समुदायों की आजीविका समाप्त हो गई। महिलाएँ अब पत्थर तोड़ने, ढुलाई करने और ईंट भट्टों में काम करने के लिए विवश हैं। उनका श्रम अत्यंत कठोर और जोखिमपूर्ण है। उन्हें औसतन पुरुषों की तुलना में 30–40 प्रतिशत कम मजदूरी मिलती है।

गुमला में बाल श्रम की स्थिति भी भयावह है। खनन क्षेत्रों में बच्चे खदानों के आसपास पत्थर बीनते हुए

और रेत ढोते हुए पाए जाते हैं। बालिकाएँ घरेलू नौकरानी के रूप में शहर भेज दी जाती हैं, जिससे बाल तस्करी के मामले बढ़े हैं।

महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति दयनीय है। विद्यालयों की दूरी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और भोजन योजनाओं की अस्थिरता ने शिक्षा के अधिकार को एक औपचारिक घोषणा बना दिया है। खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो गए हैं और मातृ–स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत खराब है।

- **राँची : नगरीकरण के नीचे छिपा अदृश्य श्रम :**

राँची, झारखंड की राजधानी, आधुनिकता का प्रतीक है। परंतु इसके चमकदार चेहरों के पीछे झुग्गी बस्तियों का संसार छिपा है, जहाँ श्रम की कोई गरिमा नहीं। शहर के बाहरी इलाकों में बसे प्रवासी परिवार 'मुख्यतः पलामू, गुमला और गढ़वा से आए हुए' जीविका के लिए अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं।

इन परिवारों की महिलाएँ घरेलू सहायिकाओं, सड़क विक्रेताओं या निर्माण मजदूरों के रूप में कार्य करती हैं। वे सुबह से शाम तक दूसरों के घरों की सफाई करती हैं, पर अपने घर में साफ पानी या बिजली नहीं होती। उनका श्रम शहरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, पर वे स्वयं "अदृश्य" रहती हैं।

राँची में बाल श्रम भी व्यापक है। सड़क किनारे कूड़ा बीनते, होटल में गिलास साफ करते या सब्जी बेचते बच्चे हर जगह दिखाई देते हैं। अधिकांश बच्चे पलायन करने वाले परिवारों से हैं, जिनके पास न दस्तावेज हैं, न सरकारी योजनाओं तक पहुँच। शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए विलासिता हैं।

तुलनात्मक निष्कर्ष :

इन चारों जिलों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिला और बाल श्रम की समस्या एकसमान नहीं है। पलामू में यह पर्यावरणीय संकट से, दुमका में सांस्कृतिक संक्रमण से, गुमला में औद्योगिक विस्थापन से, और राँची में नगरीकरण से जुड़ी हुई है। परंतु इन सबका साझा तत्व है – असमानता, शोषण और नीतिगत असफलता।

यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला और बाल श्रमिकों को केवल "पीड़ित" के रूप में नहीं देखा जा सकता। वे अपने संघर्षों से सामाजिक परिवर्तन के बीज बो रहे हैं – कहीं स्वसहायता समूहों के माध्यम से, कहीं शिक्षा की छोटी पहलों से। इन प्रयासों को यदि राज्य और समाज का सहयोग मिले, तो परिवर्तन संभव है।

6. सामाजिक असमानता और लैंगिक विमर्श :

महिला एवं बाल श्रम की समस्या केवल आर्थिक विषमता का परिणाम नहीं है, यह सामाजिक संरचनाओं की गहराई में निहित असमानताओं का परिणाम है। भारत का सामाजिक ढाँचा जाति, वर्ग और लिंग पर आधारित है, और यही तीनों स्तंभ झारखंड की श्रम संरचना को नियंत्रित करते हैं।

स्त्रीवादी दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड की महिला श्रमिक केवल आर्थिक संघर्ष की प्रतीक नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ एक मूक प्रतिरोध का स्वर भी हैं। वे सामाजिक और आर्थिक सीमाओं को तोड़कर अपने अस्तित्व की पुनर्परिभाषा कर रही हैं, भले ही समाज इसे अब भी "आवश्यक श्रम" के रूप में देखता हो।

चंद्रताल मोहंती (2003) के अनुसार, तीसरी दुनिया की महिलाओं का संघर्ष केवल लिंग आधारित नहीं,

बल्कि उपनिवेशिक और वर्गीय दमन से भी जुड़ा हुआ है। झारखंड की महिलाएँ इसी तिहरे शोषण से जूझ रही हैं 'वे आदिवासी भी हैं, गरीब भी, और महिला भी। इसलिए उनका शोषण केवल श्रम का नहीं, बल्कि पहचान का भी है।

बाल श्रमिकों के संदर्भ में यह असमानता और भी विकृत रूप में दिखाई देती है। जब समाज गरीबी को "भाग्य" और बाल श्रम को "परंपरा" मान लेता है, तब शोषण एक सांस्कृतिक आचार में बदल जाता है। बच्चे केवल आर्थिक उत्पादन का हिस्सा नहीं रह जाते, वे सामाजिक असमानता के संवाहक बन जाते हैं।

जातिगत असमानता भी इस समस्या को गहराई देती है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक गतिशीलता सीमित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच में भेदभाव ने उन्हें श्रम के निचले स्तर पर बाँध दिया है। महिलाओं के लिए यह दोहरा बंधन बन जाता है – वे न केवल गरीब हैं, बल्कि "निम्न" जाति या जनजाति से होने के कारण सामाजिक स्वीकृति से भी वंचित रहती हैं।

लैंगिक असमानता इस पूरे ढाँचे का आधार है। समाज में पुरुष श्रम को "मुख्य" और महिला श्रम को "पूरक" माना जाता है। इसी सोच के कारण महिलाओं को श्रमिक अधिकारों, निर्णय–प्रक्रिया और नेतृत्व से बाहर रखा जाता है। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं में भी महिलाओं की भूमिका उपभोक्ता के रूप में देखी जाती है, भागीदार के रूप में नहीं।

झारखंड के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि महिला और बाल श्रम की समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम इसे केवल आर्थिक या कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक–नैतिक प्रश्न के रूप में स्वीकार करें। इसके लिए शिक्षा, समान अवसर, और लैंगिक संवेदनशीलता को सामाजिक नीति का केंद्रीय मूल्य बनाना होगा।

अतः यह विमर्श हमें इस दिशा में ले जाता है कि श्रम केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा का प्रतीक है। जब तक महिलाएँ और बच्चे अपने श्रम के लिए सम्मान नहीं पाते, तब तक कोई भी समाज वास्तविक विकास की परिभाषा तक नहीं पहुँच सकता।

7. सरकारी योजनाएँ और उनकी विफलता :

भारतीय शासन व्यवस्था ने महिला और बाल श्रम की समस्या के समाधान हेतु अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। परंतु झारखंड जैसे राज्य में इन योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित नहीं रहा। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि नीतिगत दूरदर्शिता, क्रियान्वयन क्षमता और स्थानीय भागीदारी का अभाव है।

प्रमुख योजनाएँ और उनके उद्देश्य :

(1) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) : इस योजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें विशेष विद्यालयों में शिक्षा और पोषण की सुविधा प्रदान करना है। झारखंड के कई जिलों 'जैसे पलामू, गुमला, हजारीबाग' में यह योजना प्रारंभ की गई, परंतु मैदान स्तर पर इन विद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता दोनों अपर्याप्त रही।

(2) एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) : इसका लक्ष्य बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार था। परंतु कई ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों की पहुँच सीमित है, और कई स्थानों पर यह केवल नाममात्र का ढाँचा रह गया है।

(3) मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) : इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना था। किंतु झारखंड में महिलाओं को मनरेगा से अपेक्षित लाभ नहीं मिला, क्योंकि परियोजनाओं का चयन पुरुषों द्वारा नियंत्रित है और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों की कमी है।

(4) बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना : इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना था, परंतु ग्रामीण इलाकों में सामाजिक चेतना की कमी और पारिवारिक आर्थिक दबाव के कारण इसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहा।

(5) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : यह योजना युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए थी। परंतु झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बहुत कम है, और भाषा व सांस्कृतिक बाधाएँ भी एक बड़ी चुनौती हैं।

योजनाओं की विफलता के कारण :

इन योजनाओं के असफल होने के मुख्य कारण हैं :

- **संरचनात्मक समस्या :** योजनाएँ ऊपर से थोपे गए मॉडल पर आधारित हैं, जो स्थानीय वास्तविकताओं और संस्कृति को नजरअंदाज करती हैं।
- **सूचना का अभाव :** ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाओं और परिवारों को योजनाओं की जानकारी नहीं होती।
- **भ्रष्टाचार और कागजी कार्यवाही :** लाभार्थी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और स्थानीय स्तर पर रिश्वतखोरी की शिकायतें आम हैं।
- **लैंगिक असंवेदनशीलता :** नीतियाँ महिलाओं की भूमिका को "लाभार्थी" के रूप में देखती हैं, जबकि उन्हें "निर्णयकर्ता" की भूमिका में लाना आवश्यक है।
- **सामुदायिक सहभागिता का अभाव :** योजनाओं में स्थानीय समुदायों, महिला मंडलों और जनजातीय परिषदों की भागीदारी बहुत सीमित है।

संभावित समाधान और सुधार की दिशा :

योजनाओं की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है कि उन्हें स्थानीय परिप्रेक्ष्य से पुनर्गठित किया जाए। उदाहरण के लिए :

- **सामुदायिक मॉडल :** पंचायत स्तर पर महिला समूहों की निगरानी से योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है।
- **भाषायी अनुकूलता :** संथाली, मुंडारी और अन्य स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाना प्रभावी होगा।
- **कौशल आधारित शिक्षा :** बाल श्रमिकों के पुनर्वास में केवल विद्यालय शिक्षा नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल और स्थानीय रोजगार के अवसर जोड़ने की आवश्यकता है।
- **महिला नेतृत्व को बढ़ावा :** स्व–सहायता समूहों (SHGs) को योजना प्रबंधन में प्रत्यक्ष भूमिका दी जानी चाहिए।

इस प्रकार, नीतिगत हस्तक्षेप तभी प्रभावी होंगे जब वे जन–आधारित, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और नैतिक रूप से संवेदनशील होंगे।

8. निष्कर्ष :

झारखंड में महिला एवं बाल श्रम की स्थिति भारतीय समाज की गहरी असमानताओं का आईना है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संसाधनों से समृद्ध राज्य में जब लोग अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो यह संकेत देता है कि विकास का मॉडल मनुष्य–केंद्रित नहीं, पूँजी–केंद्रित बन गया है।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि महिला और बाल श्रम का संबंध केवल गरीबी से नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच से है जो श्रम को गरिमा से नहीं, मजबूरी से जोड़ती है। महिलाएँ और बच्चे दोनों ही समाज की निचली सीढ़ियों पर हैं – जहाँ श्रम की अपेक्षा तो है, पर सम्मान की नहीं।

महिलाओं का श्रम दोहरा बोझ लिए हुए है – वे उत्पादन और पुनरुत्पादन दोनों की जिम्मेदारी उठाती हैं। फिर भी, वे श्रम बाजार में सबसे कम वेतन और सबसे अधिक असुरक्षा झेलती हैं। बाल श्रमिक शिक्षा से वंचित रहकर एक ऐसे चक्र में फँस जाते हैं, जो उन्हें उनके माता–पिता की तरह असंगठित श्रम में धकेल देता है। झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में यह संकट सामाजिक असमानता, जातिगत विभाजन और लैंगिक भेदभाव से गहराई से जुड़ा है। नीति–निर्माताओं ने इस समस्या को "कल्याण" के दायरे में रखकर देखा, जबकि यह वास्तव में "न्याय" का प्रश्न है।

इसलिए, समाधान केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण के परिवर्तन से संभव है। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि महिला और बाल श्रमिक "सहायता के पात्र" नहीं, बल्कि "अधिकार के धारक" हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा उनके मूल अधिकार हैं, न कि दान।

सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदायों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम गरिमा का प्रतीक बने, न कि शोषण का। जब तक महिला और बाल श्रम को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक झारखंड का विकास अधूरा रहेगा।

इस शोध का अंतिम संदेश यही है– "विकास तब तक अधूरा है, जब तक उसमें श्रमिकों का सम्मान और बच्चों का बचपन सुरक्षित न हो।"

संदर्भ सूची :

1. Dreze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions.* Princeton University Press.
2. Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought.* Verso.
3. Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity.* Duke University Press.
4. International Labour Organization. (2021). *Child Labour: Global Estimates 2020.* Geneva: ILO.

5. National Crime Records Bureau. (2021). *Crime in India Report.* Ministry of Home Affairs, Government of India.
6. UNICEF. (2018). *The State of the World's Children.* New York: UNICEF.
7. Government of India. (2019). *National Child Labour Project (NCLP) Guidelines.* Ministry of Labour and Employment.
8. UNDP. (2018). *Sustainable Development Goals Report.* United Nations.
9. Sen, A. (2009). *The Idea of Justice.* Penguin Books.
10. Dasgupta, B. (2010). *Poverty, Labour and Social Exclusion in India.* Routledge.
11. Singh, K. (2017). *Women, Work and Inequality in India.* Oxford University Press.
12. Sharma, N. (2020). *Childhood in Crisis: Labour, Education and Social Change in India.* Sage Publications.
13. Jharkhand Labour Department. (2022). *Annual Report on Labour Welfare Schemes.* Government of Jharkhand.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 94–98
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों का योगदान

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वि.सं.) राजकीय महाविद्यालय, कल्याणपुर।

संचार शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्यूनिकेशन शब्द का अनुवाद है। कम्यूनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्यूनिकेन्स से बना है जिसका अर्थ सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण है। अर्थात् संचार का अर्थ किसी बात को आगे बढ़ाना है। संचार उस प्रक्रिया को भी कहते हैं जिसमें स्रोता एव स्रोत के मध्य सूचना का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संचार विचारों के आदान–प्रदान से संबद्ध है। कोई सूचना विचार या भाव दूसरों तक पँहुचाना ही मोटे तोर पर संचार या कम्यूनिकेशन कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुष्य आदिकाल से ही किसी न किसी तरीके से संचार करता आ रहा है। परन्तु वर्तमान में संचार का परिष्कृत रूप दृष्टिगत् होता है जिससे लाखों लोगों को एक साथ जानकारी पहुँचायी जा सकती है। इन्हे संचार या जन संचार या मासकम्युनिकेशन मीडिया कहा जाता है। वर्तमान में अधिक से अधिक सूचनाएँ देने के मामले में अब कई देशों में होड सी लगी है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्र–पत्रिकाओं व परम्परागत साधनों की क्षमता बढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों तथा उपग्रहों का प्रयोग किया जाने लगा है। संचार टेक्नोलोजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि टेक्नोलोजी में आयी इस क्रान्ति से बेखबर हो कर कोई भी समाज या देश तरक्की नहीं कर सकता है। संचार के अभाव में ना तो मानव समाज का विकास हो सकता है और ना ही सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण क्योंकि संचार के अभाव में व्यक्ति का संसार सीमित और संकुचित हो जाता है।

संचार माध्यम (प्रकार) :

संचार माध्यमों में समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन, मोबाईल, इन्टरनेट का महत्त्व अब सर्वविदित् है और इन माध्यमों से जुड़ा हुआ प्रेस वर्ग आज कल इतना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है कि इसको अब चौथा खंभा माना जाने लगा है। पत्रकारिता के क्षेत्र को अब चौथी दुनिया (Fourth Estate) की संज्ञा दी गई है। मोटे तौर पर संचार माध्यमों के दो वर्ग है।

1. मुद्रण माध्यम (प्रिंट मीडिया)
2. प्रसारण माध्यम (इलैक्ट्रॉनिक मीडिया)

प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया इन दोनों ही संचार माध्यमों से संचार सामग्री का अवलोकन करे तो हम पाते हैं कि अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, इन्टरनेट आदि मीडिया एक ही तरह की सामग्री का प्रवाह नहीं करते हैं। इन्हें समाचार के साथ अन्य अवयव के रुप में विज्ञापन, संपादकीय, लेख, चित्र, कार्टून आदि विविध प्रकार

की सामग्रियों से सजाया जाता है। मोटे तौर पर संचार माध्यम के प्रमुख अवयव निम्न है –

1. विज्ञापन 2. फोटो 3. कार्टून तथा व्यंग्य 4. भेटवार्ता
5. वार्ता 6. परिचर्चा 7. आलेख 8. फीचर
9. धारावाहिक 10. आखों देखा हाल
11. अन्य सहित्य, बाल जगत, ज्योतिष, खान–पान व स्वास्थ्य आदि।

संचार का विकास :

भारतीय समाज व्यवस्था के परम्परागत ढाँचें में रूपान्तरण की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात, मुक्त बाजार व्यवस्था और सूचना–सम्प्रेषण आदि संसाधनों के विकास का प्रतिफल है। परम्परागत भारतीय समाज और उसकी सांस्कृतिक संरचना का ऐतिहासिक विकास–क्रम वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक, राजनीतिक व धर्म निरपेक्ष संस्कृति तक उत्थान पतन, परिशोधन और प्रगति का इतिहास है। वर्तमान में सामाजिक मूल्य, परम्पराएँ धार्मिक प्रतिबद्धता, रीति–रिवाज और अन्य विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्यों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। विश्व समाजों में विकास व परिवर्तन की इस प्रक्रिया में संचार साधनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भूमण्डलीकरण की प्रकिया में जो उदारीकरण, बाजारीकरण तथा विनिमय व्यवस्था का स्वरुप विकसित हो रहा है उसमे संचार साधनों की भूमिका निर्णायक रही है। इस प्रकार संचार मानव समाज की एक आधारभूत् प्रक्रिया है। परम्परागत रुप से मानव ने शब्द, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से अपनी इच्छा आवश्यकता मनोभावों और विचारों का संप्रेषण किया है। जैसे–जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे–वैसे संचार की प्रक्रिया अधिक विस्तृत और जटिल होती चली गई। संचार के अभाव में सभ्यता व संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। संचार की प्रक्रिया ने ही मानवीय संबंधो और मानवीय अन्तःक्रियाओं को संभव बनाया है। जहाँ प्राचीन भारतीय समाज में सीमित सामाजिक सम्बन्ध और स्वपोषित सामाजिक व्यवस्था में संचार पद्धतियाँ भी प्राथमिक स्तर की थी, वहीं मध्ययुगीन भारत में सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए घुडसवार, सैनिकों, पैदल चलने वाले लोगों और पक्षियों की सहायता ली जाती थी लेकिन यह स्थिति उच्चवर्गीय लोगों में अधिक प्रचलन में थी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से भारतीय शासन व्यवस्था में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के हस्तक्षेप और उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण परम्परागत आर्थिक संरचना में तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी।

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत के अधिकांश हिस्से धीरे–धीरे ब्रिटिश सत्ता के प्रभाव में आ गये और 19वीं शताब्दी में सम्पूर्ण भारत वृहत् ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के अन्तिम दशक में साम्राज्यवादी व्यवसायियों के हितपूर्ति के लिए रेल यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हो गया था और इसी शताब्दी के उत्तरार्द्ध के अन्तिम दशक तक अधिकाश खनिज उत्पादक और कृषि प्रधान क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछायी जा चुकी थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में टेलिफोन, रेडियो एव टेलीविजन जैसे संचार के साधन आधुनिक विश्व की प्रयोगशालाओं से निकल कर सामान्यजन के उपयोग के लिये धीरे–धीरे सुलभ होने लगे। स्वतन्त्र भारत में यातायात व संचार से संबन्धित प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से विकास हुआ। वर्तमान समय में भी आर्थिक विकास हेतु आधुनिक मानदण्डों के अनुरुप राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में समाज के मूलभूत पक्षों को प्रभावित करने वाले आधुनिक अभिकरणों में संचार के साधनों की भूमिका सबसे अधिक सशक्त रूप से स्वीकार की जाती है।

संचार का समाज पर प्रभाव :

जनसंचार को मानव समाज का जाल माना गया है क्योंकि मनुष्य और उसके सम्बन्ध पारस्परिक सम्प्रेषण dh{kerkij fuHkZ djrsgSA fcyoj vkS 'ke usfy[kk gSfd ‘संचार साधनों के द्वारा जिस प्रकार की सामग्री का प्रवाह होता है, उसी के अनुरुप समाज की मुख्य व्यवस्था निर्धारित होती है। साथ ही संचार के नवीन साधन व्यक्ति को राष्ट्रीय घटनाओं से जोड़ते हैं। सूचना के नवीन साधन व्यक्ति को राष्ट्रीय घटनाओं से एव लक्ष्यों को विभिन्न विचारधाराओं तथा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं। विकासशील समाज में यह सामाजिक चेतना तथा जनता की शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यही नहीं आधुनिकीकरण सम्बन्धी मूल्यों जैसे सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता तथा जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने में भी संचार माध्यमो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्थानीय राजनीति से ले कर विश्व राजनीति और क्षेत्रीय संस्कृति से विश्व संस्कृति के निर्माण व परिवर्तन में संचार साधनों की भूमिका निर्णायक है।

इस संबन्ध में हेपवार्थ और वाटरसन ने बताया कि सूचना प्रोद्योगिकी की नयी तकनीक न केवल लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित कर रही है अपितु यह उनमें सार्वजनिक प्रगति के प्रति भी उन्मुखता उत्पन्न करती है। हाब्स आदि ने अफ्रीका के जनजातीय ग्रामीणों द्वारा पहली बार दूरदर्शन देखने और उससे साक्षरता में वृद्धि की स्थिति का मूल्यांकन किया तथा स्पष्ट किया कि दूरदर्शन का प्रभाव अत्यधिक उल्लेखनीय रहा है। प्रौढ़ लोगों में ऐसे कार्यक्रमों के प्रति अधिक आकर्षण पाया गया है। इसी प्रकार सिंह का मानना है कि सूचना से व्यक्ति की दूरदर्शिता और सामाजिक व राजनीतिक जीवन के प्रति जागरुकता तथा सहभागिता में वृद्धि होती है। विकासशील समाजों में यह चेतना जनता की शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। चन्द का कहना है कि मीडिया निरन्तर समाज को त्याग कर उचित जीवन मूल्यों को अपनाने का आग्रह करता है। कौर के अनुसार टी.वी. सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का शक्तिशाली माध्यम है। यह समाज के तरक्की का सबसे महत्त्वपूर्ण सार्थक तकनीकी विकासों में एक है। इस संबन्ध में शर्मा का कहना है कि दूरदर्शन पर जारी सरकारी विज्ञापनों फिल्मों तथा समय के बदलाव को कुछ कुछ समझते हुए कई जगहों पर अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने लगे है। स्पष्ट है कि परम्परागत जीवन पद्धति से लेकर वर्तमान आधुनिक जीवन पद्धति तक संचार व मनुष्य का प्रगाढ सम्बन्ध रहा है। संचार के साधनों में निरंतर परिवर्तन व विकास होता रहा है जिसके प्रभाव स्वरुप समाज में कई परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं। विगत वर्षों पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि आज से तीन दशक पूर्व तक संचार माध्यम जन साधारण को आसानी से सुलभ नहीं थे। दूरदर्शन लोगों के लिए कौतुहल का विषय था लेकिन आज रेडियो, दूरदर्शन मोबाईल तथा पत्र–पत्रिकाएँ लोगों की आवश्यकता बन चुके हैं। राजनीति, साहित्य, कला, संगीत, सामाजिक घटना, दुर्घटना, व्यापार, खेल, अपराध, शेयर बाजार, कृषि, शिक्षा आदि कोई भी जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं है जो संचार माध्यमों की दृष्टि से अछूता रह गया हो।

आज हमारे देश में अनेक रेडियों तथा दूरदर्शन केन्द्र है जिससे देश कि लगभग 90 प्रतिशत आबादी लाभ उठा रही है। देश की हर भारतीय भाषा में पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सभी भारतीय भाषाओं को मिला कर हमारे देश में 33,612 पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इनमें से विभिन्न भारतीय भाषाओं के 3,740 ऐसे पंजीकृत अखबार है जो प्रतिदिन लाखों की संख्या में विविध शहरों में अपने संस्करण प्रकाशित करते हैं। यह सभी तथ्य संचार क्षेत्र में आयी क्रान्ति को इंगित करते है तथा इसके पीछे मोटे

तोर पर व्यापार, निजी कंपनियों की आपसी होड तथा इलेक्ट्रॉनिकी का उपयोग आदि प्रमुख कारण है। इलेक्ट्रॉनिकी के उपयोग में प्रमुख रुप से उपग्रह, सेल्यूलर फोन, फैक्स, टेलीप्रिंटर, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई–मेल, विडियो, पत्रकारिता, कॉम्पैक्ट डिस्क आदि सम्मिलित है।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि संचार का समाज पर विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है तथा यह सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। संचार ने भारतीय समाज व्यवस्था के निम्न पक्षों को विशेष रूप से प्रभावित किया है।

(1) संचार माध्यमों के विकास से शिक्षा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली है। भारत में पहली बार 1975–76 में उपग्रह द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के 2,400 गाँवो में सामाजिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया था। वर्तमान में इन्दिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सबन्धी कार्यक्रम भी टेलीविजन के माध्यम से नियमित प्रसारित किये जाते है।

(2) सामाजिक विकास तथा कल–कारखानों की संख्या में हो रही निरंतर बढ़ोतरी के चलते आज आम आदमी दिन पर दिन व्यस्त होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हर आदमी की मनोरंजन की आवश्यकता बढ़ी है। संचार माध्यमों ने आदमी की इस बढी आवश्यकता को पूरा किया है। निजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आपसी होड़ के कारण कार्यक्रमों में विविधता व बहुलता आयी है।

(3) संचार माध्यमों के निरंतर विकास से लोगों में सामाजिक व राजनीतिक जागरूकता आयी है। अब दुनिया में घटित होने वाली किसी भी सामाजिक व राजनीतिक घटना पर जनसाधारण की दृष्टि होती है। विधानमण्डल अथया संसद में होने वाली बैठकों, उसमें होने वाली बहसों पर उठाये मुददो की जानकारी के लिए अब जनसाधारण लालायित है। तथा लोग एक दूसरे के आचार–विचार, खान–पान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, भाषा व संस्कृति से भी परिचित हुए है।

(4) जिस तरह संचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का भाव फैला हुआ है और निजी कंपनियों बेहतर ढंग से समाचार परोसने की होड में लगी हुई है उससे समाचारों की भाषा में विविधता आयी है। इस कारण व्यंग्यात्मक, मनोरंजन पूर्ण, अंग्रेजी मिश्रित आदि कई प्रकारों की भाषा–शैलियाँ समाचारों तथा सामाजिक समीक्षाओं के लिए प्रयोग में लायी जा रही है। अर्थात् भाषा की विशिष्टता द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना भी संचार माध्यमों की नीति में शामिल हो गया है। फलस्वरूप लोगों में समाचारों के प्रति रुचि बढ़ी है। इस प्रकार मास कम्युनिकेशन मिडिया न केवल तीव्र प्रगति के पथ पर अग्रसर है वरन् समाज के विभिन्न क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित भी कर रहा है।

संदर्भ :

1. भाटिया, रचना उच्चतर माध्यमिक हिन्दी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, गीता आफसैट, प्रेस अध्याय 38 संचार माध्यम और उनके प्रकार पृष्ठ संख्या 79 जुलाई 2006
2. Shaim, Bilvar : "Mass Media and National devilment, Stain Paged University Press Belpigrniya, 1964.
3. Hepwarth, Mark E. and Waterson, Michael: "Information Technology and the Spatial Dynamics of Capital, Information Economics and Polity, 1988.

4. सिह अनिल कुमार (1992) ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
5. चन्द, नानक (1994) सामाजिक जीवन मूल्य एवं जनसंचार माध्यम, केन्द्रीय समाजकल्याण बोर्ड नई दिल्ली।
6. Kaur, J. Asrj (1999) : Influence of T.V. on Social Life, Jan-March.
7. S.K. Sharma : Role of television in promoting family planning in aspects of population policy in India, New Delhi council for social Development.
8. भाटिया रचना, उच्चतर माध्यमिक हिन्दी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, गीता आफसैट प्रेस, अध्याय 42 संचार के क्षेत्र में क्रांति पृष्ठ संख्या–128 जुलाई 2006

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी
मो. 9785832853
dchoudhary1175@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 99-103
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

निर्मल वालिया के काव्य संग्रह 'बन्दगी' में धार्मिक संवेदना

डॉ. कुलदीप कौर, सहायक प्रोफेसर
किरन रानी, शोधार्थी
हिन्दी विभाग, सैंटर फॉर डिस्टैंस एण्ड ऑनलाइन एजुकेशन, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

शोध सारांश :

धर्म का मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध है। जब से मानव जीवन की शुरूआत हुई है, तभी से वह उस परम–शक्ति परमात्मा की ओर नत–मस्तक होता आया है। उस परमात्मा से परिस्थिति अनुरूप कभी प्रेम और कभी–कभी भय के कारण ही मनुष्य में परस्पर प्रेम और सौहार्द के साथ परिवार और समाज में रहने के गुण विकसित हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि मानव समाज को संस्कारित करने में धर्म का अहम् योगदान है। यह मनुष्य की धार्मिक संवेदना ही है जो उसे निस्वार्थ प्रेम, सत्य का पालन और सबके साथ सद्भावना का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। इसी के अनुरूप एक व्यक्ति धार्मिक कार्य करने में संतुष्टि का अनुभव करता है। समाज में रहने वाला लगभग प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और उसकी भक्ति किसी न किसी रूप में करता है। धार्मिक व्यक्ति का सबसे उत्तम गुण यह होता है कि वह परमात्मा के चरणों में स्वयं को अर्पित करने के लिए चरित्र की शुद्धता पर विशेष ध्यान देता है। इस तरह इन्द्रियों और मन से पवित्र होने से ऐसा व्यक्ति सदाचार का जीवन व्यतीत करता है। पंजाब की कवयित्री निर्मल वालिया की रचनाएँ इसी सदाचार का जीवन जीने के लिए विशेष रुप से प्रेरित करती हैं। इस संदर्भ में उनका काव्य संग्रह 'बन्दगी' (2007) उल्लेखनीय है। इस संग्रह की कविताओं को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि यह कवयित्री के अन्तःकरण में बसी धार्मिक भावना से ओत–प्रोत उद्गारों की सच्ची अभिव्यक्ति है। अतः कवयित्री निर्मल वालिया के उपर्युक्त सूचित संग्रह में से उनकी धार्मिक संवेदना को रेखांकित करना ही प्रस्तुत शोध प्रबंध का उद्देश्य है।

बीज शब्द – परमात्मा, धार्मिक संवेदना, मानवीयता, सद्भावना, जीवन मूल्य।

भूमिका –

भारतीय समाज में धर्म का बहुत महत्व माना जाता है। धार्मिक संवेदना एक ऐसा एहसास है, जिसमें व्यक्ति का हृदय अपने ईश के प्रेम में श्रद्धा और समर्पण के साथ विचरन करने लगता है। इससे प्रेरित होकर वह परमात्मा की भक्ति और सेवा करने में आनन्द अनुभव करता है। भक्ति करने से मनुष्य को आत्मबल मिलने

के साथ ही उसका ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता है। उसे सांसारिक बातों से बढ़कर ईश्वर की शरण में रहना अधिक अच्छा लगने लगता है। उसके लिए प्राय दुख और सुख एक समान ही होते हैं। गीता में कहा गया है, "भक्ति में सुख और दुख में एक रस रहने की शक्ति मिलती है। इस से हृदय शांत हो जाता है, मन को विश्राम मिलता है, बुद्धि का बल बढ़ता है और अन्तःकरण का मैल धुल जाता है।"[1] भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है। सच्ची भक्ति में एक भक्त के हृदय का उस परमात्मा के हृदय के साथ तारतम्य हो जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल धर्म की तीन धाराओं (कर्म, ज्ञान और भक्ति) का वर्णन करते हुए उनमें से भक्ति का संबंध हृदय से जोड़ते हुए लिखते हैं, "धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। कर्म के बिना वह लूला–लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयविहीन क्या, निष्प्राण रहता है।....कर्म और भक्ति ही जनसमुदाय की संपत्ति होती है।"[2] शुक्ल जी ने अपनी विचारात्मक पुस्तक 'चिंतामणि' में भक्ति के श्रद्धा और प्रेम से योग मानते हुए इसके प्रादुर्भाव पर प्रकाश डाला है। उनके शब्दों में, "श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्यभाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन और ध्यान आदि में आनन्द का अनुभव होने लगे, जब उससे सम्बन्ध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे तो भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। सारांश यह कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन (ईश्वर) से विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं।"[3]

निर्मल वालिया एक भक्त स्वभाव की कवयित्री हैं उनके काव्य संग्रह में उनके हृदय की ईश्वर के प्रति गहरी और निःस्वार्थ भक्ति के दर्शन होते हैं। उनकी कविताएँ प्रकृति के बिम्बों के साथ मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिकता का मार्मिक चित्रण हुआ है। 'बन्दगी' काव्य संग्रह में उनकी भक्ति भावना की तन्मयता के विषय में डा. राहुल लिखते हैं, "इस तरह की काव्यानुभूति और अभिव्यक्ति की एकमेवता आज की रचनाओं में कम से कम मिलती है। भक्ति–भाव का उम्दा उन्मेष, उत्कर्ष निर्मल वालिया की रचनाओं में होता हुआ महसूस होता है। ये गहरी साधना की ऊँची उपलब्धियां हैं।"[4]

वर्तमान समय में हमारे समाज में अलग–अलग धर्मों और सम्प्रदायों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म से सम्बन्धित आचार विचार पता हैं। सब अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकों का पाठ करते हैं। लेकिन उनके आचरण में भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती। कवयित्री का मानना है कि उस परमात्मा के सम्मुख एकनिष्ठ भक्ति रूपी बन्दगी ही काम आती है। कवयित्री 'हीरा' नामक कविता में लिखती हैं–

काजी से नमाज तो, सीख ली थी हमने।
पर सजदे में तो, तेरी बन्दगी काम आई।।[5]

ईश्वर भक्ति में मग्न मनुष्य अपने आप को उस परम सत्ता के निकट मानकर चलता है। उसके लिए स्वर्ग या नरक का कोई महत्व नहीं रह जाता। वह तो अपने ईश की हजूरी में ही प्रसन्न रहता है। कवयित्री के शब्दों में–

आ गई जिगर में जब से, खुदाया तेरी बन्दगी,
दोजख का पता नहीं, जन्नत की तमन्ना नहीं,

आलम में नहीं देता कोई, राहे फना में साथ,
चुन लो वो राहे सफर, खुदा हो जिसमें साथ।।[6]

कवयित्री का मानना है कि खुदाई इश्क खुदा की दी हुई एक नियामत है। उससे सच्ची मुहब्बत उसकी बन्दगी है। बन्दगी करने वाला इन्सान जहां भी जाता है, वहां अपनी अमिट छाप, एक संदेश और एक रूहानी ताकत को सूत्रधार के रूप में अपने पीछे छोड़ जाता है। श्रीगुरू नानक देव जी, कबीर, राम जैसे कितने ही सन्त नायक इस रूहानी छाप का प्रमाणित करते हैं। इसी खुदाई इश्क में कायल कवयित्री लिखती हैं :–

तेरे नाम से रूह में जो एहतिजाज भर जाता है,
जुबां कह नहीं पाती, दीदां ए दर नजर आता है।
एक दरिया जो बहता रहता है, जहन में तेरे नाम का,
उसका साहिल है कहाँ, तु मुझे बता दे ऐ खुदा।।[7]

ऐसा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में बुराई नहीं ढूंढता। वरन वह सबसे प्रेम और शांत स्वभाव से व्यवहार करता है। यदि कोई उसके साथ दुर्व्यवहार भी करे तौभी वह बदला नहीं लेता। वह तो निरंतर नेकी के कार्य करने में लगा रहता है। कवयित्री के शब्दों में :–

ए खुदा वो दिल दे दो मुझे, शब भी दो ऐसी,
बारहा–बदी की जिसने, उससे भी करूँ नेकी।।[8]

भक्त व्यक्ति के व्यक्तित्त्व में एक अद्‌भुत शक्ति होती है। वह जहां भी जाता है, वहां का सारा वातावरण उसी के अनुसार ईश्वरमय हो जाता है। उसके आस–पास के पक्षी और जीव जन्तु भी उस अनन्त सत्ता की भक्ति के रस में मग्न रहने लगते हैं। कवयित्री ने 'बन्दगी' कविता में एक भक्त के आस–पास रहने वाले पक्षियों की बन्दगी के गीत सुनने की चाह को इस प्रकार व्यक्त किया है :–

साज अभी छेड़ा ही था मैने, कोयल की सुनाई दी कूक,
गुलशन में गुल मुस्कुराये, भँवरों ने खोली आँख,
चकवी ने देखा चाँद को, बोली चकोर से,
आने वाली है वो रात, कोई बन्दगी का गीत गायेगा,
खुदा को हमारी याद दिलाएगा।।[9]

एक सच्चा भक्त अथवा साधु स्वभाव वाला व्यक्ति भक्ति के बाह्य आडंबरो का अनुसरण करने की बजाय अपनी आत्मा का अनुसरण करता है। वह धर्म या जात–पात के नाम पर झगडा करने नहीं बैठता। वह तो इन सब संसारी बातों से उपर उठकर सब मनुष्यों में ही परमात्मा का रूप देखता है। कवयित्री की यही मानवीय भावना से ओत–प्रोत भक्ति उसे सब जगह परमात्मा के स्वरूप को देखने के लिए बाध्य करती है। उनकी 'गहराई' कविता ईश्वर की सर्वव्यापक्ता को इस प्रकार चित्रित करती है :–

गिरजे में मसीहा हो, मन्दिर में राम,
दरगाह की चौखट पर खडे होकर,
देते हो तुम ही पैगाम।[10]

भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति को माया भी अपने वश में नही कर सकती। दरअसल परमात्मा की हजूरी में

तल्लीन रहने वाला व्यक्ति सांसारिक चीजों के मोह से उपर उठ जाता है। उसकी एक मात्र अभिलाषा अपने रब के साये में रहने की ही होती है। कवयित्री 'वर्जित राहें' कविता में भक्त के माया से बचने का सबसे बड़ा कारण परमात्मा के अनुग्रह रूपी फरिश्ते को मानती हैं। उनके शब्दों में :–

तेरा फरिश्ता करता है, जिस पर अपना साया।
खुदाबख्श है वो, उसे क्या छुएगी माया।।[11]

साधु या भक्त स्वभाव के व्यक्ति की एक विशेषता यह होती है कि वह अपनी जरूरतों और अपनी समस्याओं को किसी व्यक्ति को नही बताता, बल्कि वह तो अपनी सब समस्याओं और प्रश्नों को अपने परवरदिगार के सामने ही रखता है और उसी से सब समाधान पाने की आशा रखता है। इससे उसकी आस्था और गहरी होती चली जाती है। कवयित्री ने 'बंदगी' कविता में अपनी परेशानियों को परमात्मा के सामने रखने का इस प्रकार जिक्र किया है :–

दिल में आ गई हमारे यह बात,
आज हम अपनी परेशानि–ए–जज्बात,
खुदा को बतायेंगे, वक्त गुजर गया गर,
न हुई उनसे बात तो क्या पायेंगे।।[12]

कवयित्री ने अपनी ख्वाहिशों को परमात्मा के सामने ही रखने का फैसला लिया है। वे 'किताब' कविता में लिखती हैं :–

ख्वाहिशों की लंबी बहलिस्ट लेकर फिरते रहे,
वादे पे तेरे जीते रहे, वादे पे तेरे मरते रहे।।[13]

भक्त अथवा सन्त व्यक्ति का मन जब भी परेशान होता है तो वह उस मंजिल पर पहुँच जाता है जहाँ वह अपने रब से कुछ प्रश्न करना चाहता है। यह प्रश्न बुनियादी या सांसारिक नहीं होते, बल्कि ये तो केवल आत्मा और परमात्मा की बातें होती हैं। परमात्मा से मिलन की तड़प उसे प्रश्न पूछने के लिए बाधित करती है। 'सवाल' कविता में कवयित्री का परमात्मा से मिलने की तड़प इस प्रकार चित्रित हुई है :–

तेरी दरगाह जब खाली होती है,
बहुत कुछ दामन में भर कर वहां जाती हूँ,
आँखों में उठते हैं सवाल, तुझे भी सवाली बनाते हैं,
पकड़ कर तेरी चादर आहिस्ता से बतियाती हूँ,
जन्मों का लेखा नहीं पूछती, इसी जन्म की है बात,
जब मुझे प्यास ज्यादा सताती है, जिगर की आग उसे भड़काती है,
क्यों नहीं मिलती मुझे वो नमाज, जो है सिर्फ तेरे पास।।[14]

सन्त स्वभाव के लोगों का लगाव संसार से बहुत कम होता है, यहाँ तक कि वो अपनी दैनिक आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए भी परमात्मा पर आश्रित रहते हैं। उसकी रहमत में रहते हुए उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहता, बल्कि वे मृत्यु को परमात्मा से मिलने का जरिया मानते हैं। कवयित्री 'मिट्टी' कविता में एक भक्त की मृत्यु के प्रति विचारधारा को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती हैं :–

जाने के बाद हमारे, कोई पूछे हम कहां गये,
रहमत से तेरी आये थे, रहमत में समा गये।।[15]

इस तरह एक भक्ति करने वाला मनुष्य जिस प्रकार अपनी जीवित अवस्था में अपने इर्द–गिर्द रहने वाले सब व्यक्तियों, पशु–पक्षियों और समस्त प्रकृति को अपना बना लेता है, वैसे ही परमात्मा से मिलन के लिए मृत्यु के क्षण में भी समस्त बाह्माण्ड के लिए सत्कर्म और भक्ति का प्रेरणा स्रोत बन जाता है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि 'बन्दगी' काव्य संग्रह कवयित्री की परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति का परिचायक है। इसमें चित्रित कविताएँ भी उनके कोमल और साधु हृदय के समान ही धार्मिक भाव से सम्पृक्त हैं। बुद्धि के सुक्षम धरातल पर जीवन की अखण्डता का मनन और अनुभूति का अंकन करते हुए उन्होंने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। निःसन्देह कवयित्री की जीवन मूल्यों के प्रति सहज निष्ठा एवं ईश्वरीय भाव के प्रति निःस्वार्थ कर्म की विचारधारा ने इस कृति को स्तरीयता प्रदान की है।

सन्दर्भ सूची :

1. उद्धृत, वालिया, निर्मल, बन्दगी (संस्करण प्रथम), पूर्वा प्रकाशन, दिल्ली, 2007, प्रस्तावना से।
2. शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (संस्करण छठा), वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2023, पृष्ठ सं. 60
3. शुक्ल, रामचन्द्र, चिंतामणि, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, 1939, पृष्ठ सं. 32
4. वालिया, निर्मल, बन्दगी (संस्करण प्रथम), पूर्वा प्रकाशन, दिल्ली, 2007, प्रस्तावना से।
5. वहीं, पृष्ठ सं. 17
6. वहीं, पृष्ठ सं. 17
7. वहीं, पृष्ठ सं. 52
8. वहीं, पृष्ठ सं. 63
9. वहीं, पृष्ठ सं. 77
10. वहीं, पृष्ठ सं. 45
11. वहीं, पृष्ठ सं. 64
12. वहीं, पृष्ठ सं. 80
13. वहीं, पृष्ठ सं. 94
14. वहीं, पृष्ठ सं. 30
15. वहीं, पृष्ठ सं. 126

prof.kiranbhatia@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 104–110
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

ब्रजक्षेत्र के लोकगीतों एक अध्ययन

डॉ. अंकुर श्रीवास्तव
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग,
बरेली कॉलेज, बरेली।

शोध सारांश –

साहित्य मानव सभ्यता एवं संस्कृति की केन्द्र बिन्दु रहा है। साहित्य के शिष्ट और लोक दो रूपों में लोक साहित्य अपनी सहजता सरलता और सरसता के कारण मानव समाज के बेहद करीब रहा है। लोक साहित्य अपने विधिक रूपों यथा–लोकवार्ताॉं लोकगीताॉं लोक नाट्य आदि के साथ अनादिकाल से मानव के मनोरंजन एवं आत्माभिव्यक्ति का आदिम साधन रहा है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में क्षेत्रीय लोक साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन का मुद्दा अहम ही चला है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संदर्भ में ब्रजक्षेत्र के लोक गीतों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्रज की लोक सभ्यता उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र के समृद्ध लौकिक संस्कृति को सजोए हुए हैॅं जिसका एक प्रमुख माध्यम हम ब्रजक्षेत्र के लोक गीतों में देखने का प्रयास करेंगे।

बीज शब्द : लोक साहित्य, वैश्विकरण, ब्रजक्षेत्र, लोकगीत, संस्कार।

प्रस्तावना –

लोक साहित्य दो शब्दों लोक और साहित्य से मेल से बना है। हमारे प्राचीन वाड़मय में लोक शब्द का प्रयोग वेद, उपनिषद, भाष्यो, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। यह शब्द संस्कृत' भाषा के लोक दर्शने 'धातु में 'धञ' प्रत्यय जुड़ने से बना है। किन्तु लोक शब्द इससे काफी विस्तृत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, लोक का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई समूची जनता है, जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोथिया नहीं है। वे लोग नगर में परिष्कृत रूचि सम्पन्न तथ सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रूचि वाले लोगों की समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती है, उसको उत्पन्न करते हैं।"[1]

ब्रजक्षेत्र के लोकगीतो के अध्ययन के पूर्व हम ब्रज शब्द के अर्थ एंव क्षेत्र का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक क्रम समझ लेते है। ब्रज का संस्कृत तत्सम रूप ब्रज है। एक लेख में लिखते हुये धीरेन्द्र वर्मा ने बताया है कि यह शब्द संस्कृत धातु ब्रज जाना से बना है। ब्रज का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता (जैसे ऋग्वेद मंत्र–2 सं0–38 म0–8, म0 5 इत्यादि) में मिलता है। परन्तु वह शब्द ढेरो के चारागाह या वाडे अथवा पशु समूह के अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। संहिताओं तथा इतिहास ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, तक में यह शब्द देशवाचक या प्रदेशवाचक नहीं हो

पाया था।

हरिवंशादि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नंद के ब्रज अर्थात गोष्ठ विशेष अर्थ में ही हुआ है। हिन्दी साहित्य में आकर ब्रज शब्द पहल मथुर के चारो और के प्रदेश के अर्थ में बताया है, किन्तु इस प्रदेश की भाषा में यह शब्द हिन्दी साहित्य में बहुत बाद को प्रयुक्त हुआ है। धार्मिक दृष्टि से ब्रजमण्डल मथुरा जिले तक ही सीमित है। किन्तु ब्रज की बोली मथुरा के चारो ओर दूर–दूर तक बोली जाती है। इस प्रदेश में ब्रज कहे जाने की एक किवदन्ती सर हेनरी एम0 ईलिएटॉ के0 सी0 बी0 ने दी है कि ब्रज मथुरा के चारो ओर चौरासी कोस है। जब ब्रह्म श्री कृष्ण की गये चुराकर ले गये तो लीलामय भगवान ने नयी गायें बना ली और ठीक इसी सीमा में चरती फीरी।"[2]

ब्रज की सीमा के सम्बन्ध में आउस महोदय तथा इलियट महोदय ने यह प्रचलित दोहा उदृन्त किया है।

''इत बरहद उत सोनहद उत सूरसेन को गॉव,
ब्रिज चौरासी कोस में मथुरा मण्डल मॉहा।"[3]

एक ओर सीमा है अलीगढ़ जिले का एक गॉव बरहद। अलीगढ़ की कोर भी कहते है। जिसका अर्थ है ब्रज का किनारा। दूसरी ओर सोन नदी जो गुडगांव जिले की कोई बरसा तों नहीं है। सूरसेन का गॉव वर्तमान बटेश्वर है। इस प्रकार ब्रजक्षेत्र वर्तमान आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और उसके आस–पास का क्षेत्र है।

ब्रज क्षेत्र के लोक गीतों की बात करें तो आचार और मनोरंजन संबंधी गीत ब्रज की लोक संस्कृति को अभिव्यक्त करने के सफल माध्यम माने जाते हैं। आचार सबंधी लोकगीत सोड़ष संस्कारों से जुड़े हुये हैं, जिनमें तीन संस्कार जन्म, विवाह और मृत्यु प्रमुख है। ब्रज में जन्म के समय के आचारो का लम्बा अनुष्ठान होता है। गर्भाधारण से नौ महीनों तक को सम्पूर्ण अवधि भी जन्म के संस्कार के अन्तर्गत आ जाती है। इस बीच में शास्त्रो की दृष्टि से गर्भाधान के उपरान्त "पुंसवन" संस्कार ही होता है। यह संस्कार लोकाचार में इस नाम से विख्यात नहीं है लोकाचार में यह साघ पूजने का अवसर माना जाता है और भी प्रतीक में इस चौक कहते हैं। यह संस्कार सातवें महीने में होता है। इसका वर्णन इस प्रकार मिलता है–

ए बाई सतयो महीना जब लागिए
ए हूँ अपविस अपविसु आधु पुजाउँ
राजे अठयो महीना जब लागिए
ए मैं अपविस अपविस महल झराउँ
ए बाइ नौयो महीना जब लागिए
ए मै अपुविस अपुविस दाई बुलाऊँ तो हुरिल जनाऊँ।[4]

जन्ति के गीतो में सोभर के गीत या संहिले प्रधान है। इन गीतो में कई भावनाओं का प्रकाश हुआ है। कुछ गीत ऐसे है जिनमें पुत्र कामना तथा उसके लिये उघोग आदि उल्लेख है पुनः– कामना के दो गीता महत्वपूर्ण है। एक मे गंगा मॉ से वरदान मांगा गया है। यथार्य में वरदान मॉंगा नही गया है वरन पुत्र न होने पर गंगा मे डूबने की आकाक्षा व्यस्त की गई है यथा–

राजे गंगा किनारे एक तिरिया सु ठाड़ी अरज करैः
गंगे एक लहरि हम देउ तौ जामे डूबि जैयो

अरे जामै डूबि जैर्यो।[5]

जन्म के उपरान्त विवाह का संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रज में विवाह संस्कार का बीजारोपण पक्की से होता है। पक्की हो जाने के बाद सगाई होती है जिसे ब्रजक्षेत्र में वीड़ा–बताशो बुलाया जाता है। विवाह–संस्कार में सगाई, पीली–चिठ्ठी, सगुन भात–न्योतना जैसे संस्कार होते है। इस अवसार पर यह गीत गाया जाता है।

वीर वहिनी चली ऐ वीर के
भोलीनु बरघ लदाइ
राजा भातई।
जब रे बहिनि घर ते चली
और भले–भले सगुन बिचारि
राजा भातई
जब रे बहिन बागन गई
सूखे बाग हरिया,
राजा भातई।[6]

ब्रजक्षेत्र में मृत्यु संस्कार से संबन्धित कोई विधिवत् विधान् देखने को नहीं मिलता। हॉलांकि ब्रजक्षेत्र में चतुर्वेदियों में मृत्यु के अवसर पर जो स्त्रियों का रूदन होता है वह संगीत–गति के साथ होता है। संगीत–गति का अभिप्राय किसी वाघ–यंत्र के साथ होने का नहीं है। इसमें रूदन में एक लय मिलती है और अभिप्राय भी होता है। ये गीत इस प्रकार में हैं–

काए के कारन जो गए और कहो में हरे हरे बॉस।
हरि रे किसन कैसे तिरयऔ।
लाला धरम के कारन जो गए मरन के काजें हरे–हरे बॉस
हरि रे किसन कैसे तिरयऔं।[7]

संस्कार गीतों के उपरान्त ब्रजक्षेत्र के त्योहार और व्रतों के गीत भी प्रचलित है। ब्रजक्षेत्र में मास–दिवस के अनुसार त्योहार–वृत्त गीतो का प्रचलन है जैसे चौत्र मास–नौदेवी गीत वैशाख अखतीज देवी गीत इस प्रकार से गाया जाता है–

घर ही में बाबुल बरजन लागे
कठिन पंथ देवी को
देवी को।
भैया सिंह ढहाई कजरी कौ
बारह कोस बनहि बन कहिऐ
सिंह ढहाई कजरी को।"[8]

देवी माँ के पास पहुचने की कठिन बडगर का वर्णन ब्रज मे देवी गीतों में देखने को मिलता है :–

दुख हरनी मैया मेरो दुख तुम न हरी

काहे को मन्दिर मैया को ऐ दुख हरनी भैया,

काहे में लागे चारों खम्भ।। दुख।।

सौने को मन्दिर भैया को ए दुख हरनी भैया

चन्दन लागे चारो खम्भ।। दुख।।

ऊँचे पे मन्दिर मैया को दुख हरनी मैया,

uhp sogSJ hxa A n%kAA[9]

देवी गीतो के साथ लंगुरिया अवश्य गाया जाता है। लंगुरिया एक विधित प्राणि है, जिससे उसको जाति पूछी जाती है और वह उसका उत्तर देता है।

एक प्रकार से संवादो मे गीत चलता है। यथा–

1. कारी चुंदरिया में दागु न लगाइयो लँगुरिया।
2. ए लंगुरिया तेरी घन खाई लाई करे नाग ने

   काहे कुछ खाई कुछ लई ओख कुछ मारी लँगुरिया।[10]

ब्रज क्षेत्र में रास गीतों की एक लम्बी परंपरा देखने को मिलती है। ये गीत बड़े सरस और मनोहर प्रकृति के होते है। यथा–

जाके बीच में गिरधर–घारथी

सिंगमरमर कै बन्यो मुकरवा हरदम द्वारा न्यारा

कालीदह पै गाय चरावै केयर ओढे मारा

गज और प्राह लडे जल भीतर लड़त लड़त गज हारे।

गज की टेर द्वारिका लागी तंगेई पैरन पाए।।[11]

ऋतु शोभा के गीत ब्रजक्षेत्र के लोकगीतों का एक महत्वपूर्ण अंश है। ऋतुओं में समस्त वातावरण सजीव हो उठता है। उल्लास और उमंग से प्रफुल्लित जनसामान्य ऋतु से एकाकार हो जाता है। यथा–

गेंदा हजारी रोसन खिलि रहौ चम्पा खितयौ है अपार

बेला चमेली फूलौ मोतिया फुलौ हार सिंगार

अजब सुगन्धी आली उढ़ि रही झुकी है कदम की ठार।[12]

ऋतु–गीतो में बारहमासा का गीत प्रमुख है। वियोग के उत्ताप में वर्ष के विविध महीनों का वियोगिनी के लिये क्या रूप हो जाता है। यही वारहमासे में अभिव्यक्त होता है। इसमें प्रत्येक ऋतु की विशेषता के साथ ही उसकी विरहिणी पर प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है। साहित्य में पर ऋतु का जो स्थान है वही लोक–काव्य में बारहमासा का है। ग्राम या लोक कवि यथार्य में सभी महीनो की कोई विशेषता इतनी प्रबलता से नही प्रकट कर पाता कि उनकी पारस्परिक भिन्नता प्रकट हो इसे बारह मासे में वैसाख उत्तर कर जैठ आने पर कोइल में शब्द सुनने–मात्र का वर्णन है। कोइल की कूक ही क्या जेठ की विशेषता है। किसी–किसी स्थान पर वह अच्छा वर्णन भी कर सका है। आषाढ में बादल उमड़ रहे है स्त्री विमल घूम रही है। उसे बादल नंदलाल से लगते है–

उमंगे से वादर फिरत कामिनी गाजि घोर सुनाइये

ऐसे नंद के लाल कहिए असाढ़ मास जो लागिये।"

आवण का वर्णन भी दृष्टिव्य है–

सामन रिमझिम मेघा वरसै, जोर से झर लाइये।

हरियल वन में मोर बोले, कोइल शब्द सुनाइये।।[13]

ब्रजक्षेत्र के अन्य लोक गीतो में कार्तिक मास करवांचौथ, गीत, दीपावली गोवर्धन पूजा। रास लीला, लोकगीतों प्रेमतत्व के दर्शन राधा–कृष्ण मिलन या गोपियों में लीला में देखने को मिलते है–

राधा दामोदर बलि जइये।

राधा बूझै बात चतुर्भुज कैसे करे कातिक नहिये मेरी राधा

मोनु तेल को नेमु लयो ऐ अलोनेई भोजन करिये

नोनु तेल को नेमु लयौ ऐ घीउ सुरइनि को खइये।

मूंग मनोहर नेमु लयौ ऐ साठी में चामर खइये।

खाट पिढ़ी को नेमु लथो ऐ धरती पै आसन करिये।

मेरी राधा।[14]

ब्रज क्षेत्र में कार्तिक मास में ब्रज–त्योहार में लोकगीत प्रमुखता से प्रचलित है। दीपावली, अहोई आठ और दवेदान प्रमुख है। देवता उठाने के समय मन्त्र की भांति यह गीत पढ़ा जाता है :–

उठौ देवा

बैठी देवा

आंगुरिया चटकाऔ देवा।

चलि चलि मूसे गोबर जाय।

गोवख लाइ लाइ अॅगनु लिपामे।

अगुंल लिपाइके वन्हज नौते।

बम्हन दीजै कपिला गाय सूरई गाय।[15]

ब्रजक्षेत्र में माघ मे बसन्तोदय बंसत पंचमी से फिट गीतो की लहर उठती है और फाल्गुन में तो वह अपने चरम पर पहुंच जाता है। इस महिने में होली और फाग–घमार ही विशेष गाए जाते है। घरगुली (ग्रह होली फागुन सुदी दीज को रखी जाती है। प्रत्येक घर में पट्टी के आकार की परगुली खोदी जाती है। इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है इसका आरंभ यी है :–

रामा बलि के द्वारा चढ़ी ए होरी

कोन के हाथ रंगीली ढफु सोहै

कोन के हाथ गुलाब की छडी।[16]

होली में आग लगाने से पूर्व उसे पूजने जाते है। इस समय गांव की स्त्रियां शिकायत करती है कि हम होली कैसे पूजे क्योंकि हमारे पास आभूषण नही है। तब पति लोग कहते है अबकी बार पूज लो अगले वर्ष दिलवा दूंगा। इस अवसर पर एक गीत गाया जाता है–

बालि बहुलिइयां

जोको लाभनियां

कृष्णजी मैनि बुलाइ कै जौं की लामनियां
सहदा दौरी दौरो आवै।
मैना गूंजा खाइये आउ
मै हिस्से खाइये आउ।[17]

ब्रज क्षेत्र में अन्य लोक गीतो में टेसूराय का गीत र्प्रमुख है। इस गीत को बालक गाते है। इस अवसर पर बालिकाए झांकी के गीत गाती है। यह गीत संवादात्मक होते है। माँ से प्रश्न है फिर उसका उत्तर है– जैसे–

मां भैया काहॅ कहां म्याहे पैरवरिया।[18]

इस गीत में पारेवरिया पुच्छयत् टेक है। समस्त गीत में यह यथा स्थान आती रहती है। टेसू के गीतो की तरह इमसे भी वही अकल्पीय असम्बद्वता–सम्बद्वता रहती है–

मॉ भाभी को मुहदौ कैसो
नाक चना सी मुह पटुजा सौ
घूटट में मन लाई।
योशै खानी बहुत कमानी जे जुग जाती आई।[19]

अवसरों उपयोगी गीतों में तीर्थो को ले तो उनमें एक तो साधारण कोटि में वो गीत है जो किसी भी तीर्थयात्रा के समय गाये जा सकते है। इनकी संख्या भी अधिक है। फिर भी कुछ विशेष गीत है इन गीतों में गंगा राम और कृष्ण का उल्लेख आता है। इन गीतो में गंगा राम और कृष्ण का उल्लेख आता है। गंगा सम्बन्धी एक गीत में तो यहां आकर रूदन मचाता है, बांझ पुत्र मांगती है, विधवा सौभाग्य है, कोढ़ी निर्मल काया मांगता है।

राम संबंधी गीतो में धार्मिकता के अंश देखने को मिलते हैं :–

'कोखि न जाये नंदलाल हमारे मन रामजी बसै।
चलत फिरत देखत करतु अजुप्या कौ बासु हमारै।
मन रामजी बसे।।'[20]

कृष्ण सम्बन्धी गीतो में विषय सामान्य है। कृष्ण के दर्शन की लालसा, उनके रास में सम्मिलित होने का प्रस्ताव राधा–कृष्ण का स्वरूप यमुना में जल भरने में संकोच कदंव वृक्ष के नीचे वंशी बजाना–ऐसे ही भाव और विषय इन गीतो में है। एक गीत विशेष गाया जाता है–

"लै ली जौ हरि कौ नाम के आगे–आगे गैल कठिन की।"

साराशतः ब्रज क्षेत्र के लोकगीतों की एक विशद और वैविध्यमय लोकगीतों की पंरपरा मिलती है।

सन्दर्भ :–

1 लोक साहित्य, वार्ता 1952 पृ0 सं0 51, हजारी प्रसाद द्विवेदी।

2 नाम महात्मय, श्री ब्रजाक अगस्त 1940, ब्रजकथा लेख– डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा।

3. मैमोपर्स ऑन दी हिस्ट्री फोकरोल डिस्ट्रिब्यूशन आव दी रेसेज आव दी नार्थ वेस्टर्न प्राविशेज ऑल।

इंडिया"–सर हेनरी एम0ईलियट के0सी0बी0 संपादक तथा संशोधक तथा पुन क्रम संस्थापक जोन बीम्स।

4 मंधुरा पेमोयर।

5 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 155

6 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 155

7 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 –159

8 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार, आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0सं0 – 251

9 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0सं0 – 263

10 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 307

11 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 311

12 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 311

13 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946, पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 324

14 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 325

15 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 326

16 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 336

17 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 331

18 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 331

19 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र, प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 335

20 ब्रजलोक के साहित्य का अध्ययन, डॉ0 सत्येन्द्र प्रकाशन साहित्य रत्न भण्डार आगरा 1946 पृष्ठ संस्था–पृ0 सं0 336

E-mail : ankursrivastava2626@gmail.com, Mob : 9936111027

दानतेतपअेंजंअं2626 / हउंपस.बवउ

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 111–117
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

DIGITALIZATION AND E-INVOICING : RESHAPING INDIA'S TAX ADMINISTRATION

Prof. (Dr.) Manish Kumar Kannojia
Department of Commerce
V. B. S. Government of Degree College, Canpiearganj, Gorkakhpur.

Abstract :

The digital transformation of India's tax administration, spearheaded by the Goods and Services Tax (GST) regime and the introduction of e-invoicing, marks a pivotal shift towards enhanced efficiency, transparency, and fiscal compliance. Launched as part of the broader "Digital India" initiative, e-invoicing mandates the electronic validation of business-to-business (B2B) invoices through the Invoice Registration Portal (IRP), generating unique Invoice Reference Numbers (IRN) and QR codes to authenticate tra nsactions in real-time. This system integrates seamlessly with GST returns and e-way bills, minimizing manual interventions and curbing tax evasion. This paper delves into the historical evolution of digital tax tools in India, from early e-filing mechanisms to the comprehensive GST Network (GSTN).

It elucidates the operational mechanics of e-invoicing, highlighting its applicability to businesses with turnovers exceeding ?5 crores as of 2023, and explores its multifaceted benefits, including revenue boosts estimated at ?35,000-70,000 crores annually, reduced fraud by up to 30%, and operational savings of Rs. 1.09 crores per firm. Empirical data reveals a 5-7% increase in reported sales and VAT liabilities post-adoption, underscoring improved compliance. However, challenges such as technical integration barriers for SMEs, cyber security risks, and the digital divide persist, necessitating targeted solutions like government incentives and training programs. The impact on tax administration is profound, with GST collections surging to record highs in FY 2024-25, driven by data analytics and proactive oversight. Looking ahead, future expansions to B2C invoicing, AI-driven audits, and global interoperability promise to position India as a leader in digital tax governance.

Ultimately, e-invoicing not only reshapes administrative processes but also empowers businesses and enhances revenue mobilization for sustainable development.

Keywords : Digitalization, E-Invoicing, GST, Tax Administration, Compliance, Revenue Mobilization, Fraud Reduction, SMEs, Digital Divide, AI in Taxation.

Introduction :

The introduction of **digitalization**, particularly through **e-invoicing** under India's Goods and Services Tax (GST) regime, has fundamentally reshaped the country's tax administration, marking a shift from traditional, paper-based, and reactive processes to a modern, real-time, data-driven, and proactive system. Implemented starting in 2020 and progressively expanded (with ongoing refinements into 2025–2026, including stricter timelines like 30-day reporting for higher-turnover businesses and focus on reconciliation), e-invoicing requires B2B, B2G, and export invoices to be validated in real-time via the Invoice Registration Portal (IRP), generating an Invoice Reference Number (IRN). This integrates seamlessly with the GST Network.

India's tax administration has historically been plagued by inefficiencies, fragmentation, and evasion, with pre-GST estimates of annual revenue losses exceeding ?5 lakh crores due to bogus invoicing and mismatched credits. The introduction of the Goods and Services Tax (GST) in July 2017 represented a watershed moment, unifying multiple indirect taxes into a single framework and laying the groundwork for digital interventions.

The significance of this digital shift cannot be overstated. Globally, countries like Mexico and Brazil have seen substantial VAT revenue increases through similar e-invoicing mandates, with reductions in evasion gaps by up to 14%. In India, e-invoicing addresses persistent issues such as fake invoices, which have led to frauds amounting to ?70,000 crores in recent years. By providing real-time oversight, it enhances transparency, boosts compliance, and supports economic growth. Studies indicate that full-scale adoption could unlock ?32,000 crores in annual economic value, driven by productivity gains and fraud mitigation. However, the transition has not been seamless. Initial glitches in the GST portal and integration challenges for SMEs highlight the digital divide. Despite this, net direct tax collections surged 19.88% in FY 2023-24 to ?18.90 lakh crores, reflecting the efficacy of digital reforms. This paper argues that e-invoicing is not merely a compliance tool but a catalyst for broader economic digitalization.

Evolution of Digital Tax Administration in India :

The digitalization of tax administration in India has been a gradual yet transformative process, evolving from rudimentary e-filing systems to sophisticated, AI-integrated platforms. This evolution

is rooted in the need to address longstanding issues like tax evasion, administrative inefficiencies, and low compliance rates in a diverse economy.

Early Beginnings : Pre-GST Era :

In the early 2000s, India's tax administration began its digital journey with the introduction of electronic filing for income tax returns. This initiative, part of the Income Tax Department's modernization drive, aimed to reduce paperwork and expedite processing. By 2006, e-filing became mandatory for corporations, significantly cutting processing times from months to weeks.The VAT regime in various states introduced electronic VAT returns, but inconsistencies across jurisdictions hampered efficiency. Revenue losses due to evasion were rampant, estimated at 40% of potential collections. The Tax Information Network (TIN), launched in 2003, facilitated better data sharing, but it was limited to direct taxes.

The GST Revolution : 2017 Onwards :

The launch of GST in 2017 marked a paradigm shift, consolidating 17 taxes and 13 cesses into a single levy. The GSTN, a non-profit entity, became the backbone, providing a common portal for registration, returns, and payments. This digital infrastructure handled over 1.4 crore registrants, enabling monthly filings like GSTR-1 and GSTR-3B electronically.

Key milestones include :

- **2017 :** GSTN portal launch, with API integrations for seamless data exchange.
- **2018 :** E-way bill system for goods movement, generating over 75 crore bills annually.
- **2020 :** Phased e-invoicing rollout, starting with large firms.

Digital tools like data analytics and AI have enhanced scrutiny, detecting anomalies and reducing human bias. The Faceless Assessment Scheme, introduced in 2020, anonymized audits, promoting transparency.

Global Context and Influences :

India's approach draws from international models. Mexico's e-invoicing led to a 20% VAT gap reduction, inspiring India's IRP system. Similarly, Brazil's split-payment mechanisms influenced real-time reporting.

Impact on Compliance and Revenue :

Digitalization has boosted compliance, with e-filing rates exceeding 90%. Revenue collections rose from Rs. 11.77 lakh crores in FY 2018-19 to over ?20 lakh crores in FY 2023-24, attributed to better data reconciliation.However, challenges like cybersecurity threats and digital exclusion persist. Rural businesses face connectivity issues, underscoring the need for inclusive policies.

Mechanics of E-Invoicing Under GST :

E-invoicing under GST is a structured process designed to authenticate and standardize B2B transactions electronically. It does not involve generating invoices on government portals but reporting them for validation.

Applicability and Thresholds :

As of August 2023, e-invoicing applies to businesses with aggregate turnover exceeding Rs. 5 crores in any previous financial year. It covers B2B supplies, exports, credit/debit notes, but excludes B2C transactions and certain exempt entities like insurers.

Process Flow :

- **Invoice Generation :** Businesses create invoices in their ERP systems using the standard JSON schema (Form GST INV-01), including mandatory fields like GSTIN, invoice number, HSN codes, and value.
- **Reporting to IRP :** Details are uploaded via API, GSP, or offline tools to one of six IRPs.
- **Validation and Authentication :** IRP checks for duplicates, assigns a 64-character IRN, generates a QR code with key details, and digitally signs the invoice.
- **Distribution and Integration :** The validated e-invoice is returned to the supplier and shared with the buyer. Data auto-populates GSTR-1 and e-way bills.

Technical Aspects :

The schema includes over 100 fields, with validations for compliance. Retention is 72 months. Cancellations are allowed within 24 hours via API.

Modes of Interaction :

Options include web-based, API, mobile apps, and bulk uploads for high-volume users. This mechanics ensure interoperability and reduce fraud, forming a core of India's digital tax framework.

Benefits of E-Invoicing :

E-invoicing offers a plethora of advantages, transforming tax compliance and business operations.

Enhanced Compliance and Real-Time Tracking :

Real-time validation reduces errors, with reported sales increasing by 5-7% post-adoption. Faster ITC availability shortens payment cycles by 1.4 days.

Revenue and Fraud Reduction :

Curbs evasion, potentially adding Rs. 35,000-70,000 crores to GST revenue. Fraud cuts by 30%.

Operational Efficiency :

Automates reconciliation, saving Rs. 1.09 crores annually per firm and 39 minutes per invoice.

Benefit	Description Impact
Compliance	Real-time oversight 5-7% sales increase
Revenue	Evasion curb Rs. 32,000 crores unlock
Efficiency	Automation Cost savings Rs. 1.09 crores/firm
Fraud Validation	30% reduction
Environment Paperless	Reduced processing time

Broader Economic Gains :

Promotes transparency, aiding supply chain management and global trade.

Key Positive Impacts on Tax Administration :

- **Real-time visibility and transparency** — Tax authorities gain granular, near-instant insights into transactions nationwide, allowing better monitoring of economic activity, supply chains, and logistics.
- **Reduced tax evasion and fraud** — Real-time validation curbs fake invoices, bogus input tax credit (ITC) claims, and under-reporting. This has strengthened deterrence, minimized leakage, and improved compliance, especially in high-risk sectors and among smaller entities.
- **Enhanced efficiency and revenue outcomes** — Automation reduces manual errors, speeds up assessments, refunds, and audits. It supports data analytics for fraud detection, personalized taxpayer services, and more accurate revenue forecasting.
- **Taxpayer benefits feeding back into administration** — Features like automated reconciliations, quicker ITC availability, and reduced paperwork improve ease of doing business, encouraging voluntary compliance and lowering administrative burdens on the government over time.

Challenges and Solutions :

While highly successful overall, the transition has involved initial hurdles such as technical glitches, adaptation for MSMEs, integration costs, and occasional data mismatches. Stricter rules (e.g., mandatory multi-factor authentication and tighter deadlines in recent years) continue to address these, with the system now largely stabilized for compliant businesses.

Technical and Integration Barriers :

43% of businesses cite system integration issues. SMEs with legacy systems struggle.

Adoption Costs and Digital Divide :

Initial setup and training costs; rural access limited.

Cybersecurity and Operational Issues :

Downtime and data privacy concerns.

Solutions :

Government provides free APIs, training, and phased rollouts. Partnerships with GSPs and incentives for SMEs. Enhance cybersecurity protocols.

Impact on Tax Revenue and Compliance :

E-invoicing has significantly boosted revenue and compliance.

Revenue Surge :

GST collections hit records in FY 2024-25, with 10-11% sales increase.

Compliance Improvement :

Reduced VAT gap from 14% to 8% in analogous systems. Data-driven audits cut enforcement costs by 10-15%.

Empirical Evidence :

Studies show 7.4% sales and 5.5% purchases increase in first year.

Future Prospects :

Future includes B2C expansion, AI audits, and global alignment. AI for pre-filled returns, predictive analytics. Market growth to $60.9 billion by 2032.

Conclusion :

Digital tools and e-invoicing have changed India's tax system for good—making it faster and bringing more money. More new ideas will fix remaining problems and help everyone grow fairly. Digitalization via e-invoicing has decisively modernized India's tax administration, fostering greater transparency, efficiency, and revenue protection while curbing evasion in a complex, large-scale economy.

It represents a major pillar of India's broader digital tax reforms (alongside GST itself), positioning the country as a leader in real-time tax governance. As refinements continue (including potential B2C expansions), this transformation promises sustained improvements in India's fiscal framework.

References :

- **GST Council Official Website** - "The GST Council" (ongoing updates, including e-invoicing thresholds and recommendations from meetings like 54th and 55th in 2024–2025). Discusses phased rollout, B2C pilot, and integration with GST returns. URL: https://gstcouncil.gov.in/gst-council-0
- **ClearTax** - "What is e-Invoicing Under GST? Applicability, Limit, Rules and Implementation Date" (updated January 2026). Explains current threshold (?5 crore), 30-day upload rule from

April 2025, and process details. URL: https://cleartax.in/s/e-invoicing-gst

- **Avalara** - "An Analysis of Practical Challenges with E-Invoicing Under India GST" (whitepaper). Covers implementation difficulties, integration issues for businesses, and solutions via automation. URL: https://www.avalara.com/in/en/resources/whitepapers/an-analysis-of-practical-challenges-with-e-invoicing.html
- **Tiwari, A.K. et al.** - "Determinants of Electronic Invoicing Technology Adoption: Toward Managing Business Information System Transformation" (ScienceDirect, 2023). Scholarly paper using TOE framework on e-invoicing adoption in emerging economies like India. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X23000628
- **IMF** - "Leveraging Digital Technologies in Boosting Tax Collection" (2025 paper). Explores digitalization's role in tax revenue, including e-invoicing spillovers and firm-level impacts in contexts like India. URL: https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2025/089/article-A001-en.xml
- **Waseem, M.** - "When Enforcement Goes Digital: Balancing Revenue, Costs, and Welfare in Modern Tax Systems" (2025 working paper). Analyzes India's GST e-invoicing model (clearance-based, threshold reductions to ?5 crore by 2023, updates to 2025). URL: https://www.theigc.org/sites/default/files/2025-12/Waseem-Working-Paper-October-2025_1.pdf
- **Kumar, S.** - "Do Digital Payments Spur GST Revenue: Indian Experience" (2024). Empirical study on digital transactions (including e-invoicing links) boosting GST revenue via ARDL framework. URL: https://bulletin.bmeb-bi.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2279&context=bmeb
- **ResearchGate Publication** - "The Impact of Recent GST Reforms on Local Businesses" (2026). Survey-based study on SMEs, e-invoicing user-friendliness, compliance, and operational costs post-2023–2025 reforms. URL: https://www.researchgate.net/publication/400575724_The_Impact_of_Recent_GST_Reforms_on_Local_Businesses

EMAIL ID: dr.manishkannojia@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 118–124
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Diversifying Indian Energy Imports : Need and Challenges

Dr. Satyawan Jatain
Associate Professor, GPGCW Rohtak, Haryana.

Abstract :

India's energy security is a defining strategic priority in the 21st century, driven by rapid economic growth, expanding industrial demand, and rising per capita energy consumption. Currently, India is heavily dependent on imported fossil fuels—particularly crude oil, petroleum products, and liquefied natural gas (LNG)—making its economy vulnerable to external shocks, price volatility, geopolitical tensions, and supply disruptions. This article examines the rationale for diversifying India's energy import portfolio, analyzing economic, strategic, and environmental dimensions. It explores diversification pathways such as broadening supplier bases, investing in renewable energy imports (e.g., solar equipment and green hydrogen), enhancing LNG import infrastructure, and participating in strategic petroleum reserves and regional energy cooperation. The study also identifies major challenges including geopolitical risk, infrastructure bottlenecks, financing constraints, regulatory barriers, technological gaps, and sustainability trade-offs. Policy prescriptions are offered to navigate these challenges—strengthening multilateral partnerships, expanding domestic renewable capacity, reforming energy markets, and building resilient supply chains. The paper concludes that a diversified energy import strategy is essential for India's long-term economic stability, climate commitments, and geopolitical autonomy.

Introduction :

Energy underpins economic activity, industrial competitiveness, and quality of life. For a rapidly developing economy like India, ensuring secure, affordable, and sustainable energy supplies is central to national policy. India's energy demand has more than doubled over the past two decades, with oil, natural gas, and coal forming the backbone of its energy mix. However, domestic production has been unable to keep pace with demand, especially in oil and gas. Consequently, India relies on imports for

a substantial share of its energy needs—over 80 % of its crude oil and nearly 50 % of its natural gas requirements are sourced from abroad. This heavy dependence exposes the country to global market fluctuations, geopolitical instability, and supply chain disruptions.

Diversification of energy imports refers to expanding the range of energy sources, supplier countries, transport routes, and energy carriers to reduce risk concentration. For India, diversification is not merely an economic choice but a strategic imperative. It aligns with broader goals of energy security, geopolitical hedging, energy transition (in line with climate commitments), and strengthening domestic resilience. This article provides a comprehensive assessment of why India must diversify its energy imports, explore potential pathways, and examine the key challenges that constrain diversification efforts.

Section 1 : India's Current Energy Import Profile

1.1 Crude Oil :

Crude oil remains India's largest imported energy commodity. In 2023–24, India imported approximately 82 % of its crude oil requirements, making it the world's third-largest oil importer and consumer. The Middle East—particularly Saudi Arabia, Iraq, the United Arab Emirates (UAE), and Kuwait—accounts for the largest share of supply due to geographical proximity and established trade links. Russia has also emerged as a significant supplier through discount arrangements. However, geopolitical tensions (e.g., conflicts in the Red Sea, OPEC+ production cuts) have repeatedly impacted price stability and supply predictability.

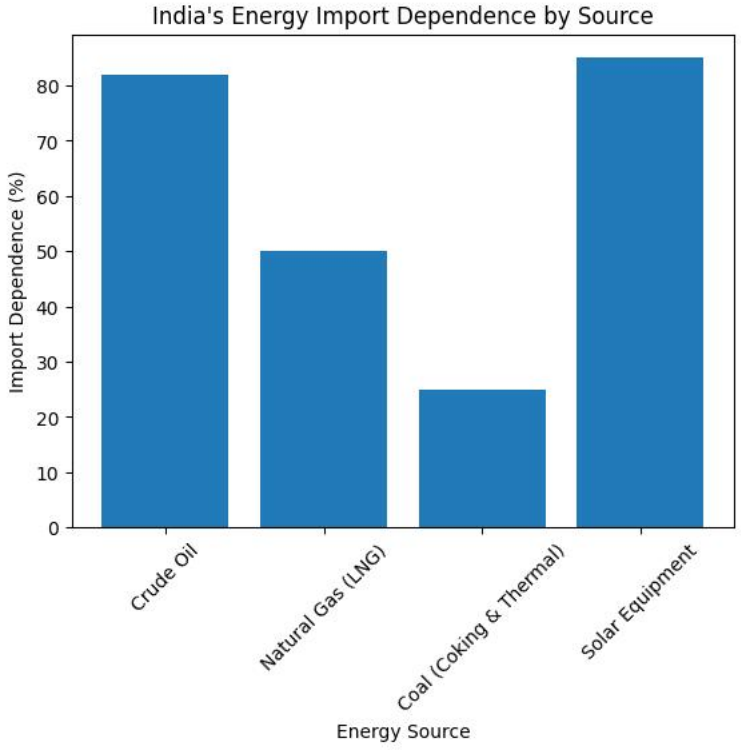

1.2 Liquefied Natural Gas (LNG) :

With domestic gas production constrained, India has expanded its LNG import capacity through terminals in Dahej, Kochi, Ennore, and other ports. LNG imports have risen sharply, especially for balancing seasonal demand and supplying industrial and fertilizer sectors. Key suppliers include Qatar, the United States, Australia, and South American producers. LNG spot market volatility and long-term contract rigidities present pricing challenges.

1.3 Coal :

India is the world's second-largest coal consumer, with domestic production meeting most thermal coal demand. However, imports remain essential for quality blends—particularly for coking coal in steelmaking—and thermal coal during periods of domestic shortfalls. Australia, Indonesia, and South Africa are primary coal exporters to India.

1.4 Renewables and Emerging Carriers :

While renewable energy generates a growing share of electricity domestically, India still imports solar photovoltaic (PV) modules, wind turbine components, battery cells, and critical minerals (e.g., lithium) essential for renewable energy infrastructure and energy storage systems. Emerging energy carriers such as green hydrogen and ammonia are largely dependent on imported technology or feedstock components.

Section 2 : Rationale for Diversifying Energy Imports

2.1 Economic Stability and Price Risk Mitigation :

Over-dependence on a narrow set of suppliers increases vulnerability to price shocks. Global crude oil prices are influenced by geopolitical disputes, production cut decisions by producer cartels, and global demand cycles. For import-dependent economies, price volatility translates directly into fiscal stress through higher import bills, widened trade deficits, and inflationary pressures. Diversifying supplier portfolios and entering into flexible supply contracts can cushion India's economy against such risks.

2.2 Geopolitical Risk Management :

Energy import routes and supplier concentration often intersect with geopolitical hotspots. For India, major energy supply routes traverse chokepoints such as the Strait of Hormuz, Bab al-Mandab, and the Malacca Strait. These are vulnerable to blockades or escalations among major powers. A diversified energy import strategy reduces strategic risk by spreading dependencies across regions and supplier relationships, including Eastern Mediterranean, West Africa, and East Asia partners.

2.3 Strategic Autonomy and Leverage :

Diversification enhances strategic autonomy. By reducing dependency on any single supplier

or corridor, India can exercise greater leverage in diplomatic negotiations, avoid coercive energy diplomacy, and maintain policy space in balancing relations with competing global powers.

2.4 Supporting Energy Transition :

Climate commitments under the Paris Agreement, including a target of net-zero emissions by 2070, necessitate a decarbonization trajectory. Diversifying energy imports to include cleaner fuels (e.g., LNG as a transition fuel), renewable energy equipment, and future energy carriers (like green hydrogen) aligns India's energy security with its climate goals. It also mitigates exposure to carbon transition risks such as potential carbon tariffs on fossil fuel products.

Section 3 : Pathways for Diversification

3.1 Expanding Supplier Base :

India can deepen energy engagement with diversified supplier countries :

- **Russia and Central Asia :** Expanding crude and LNG imports through pipelines and maritime routes; cooperation on energy infrastructure projects.
- **Africa and Latin America :** Securing long-term crude and LNG supply contracts with Angola, Brazil, Nigeria, and others.
- **East Mediterranean :** Leveraging gas discoveries in Israel, Cyprus, and Egypt for LNG supply via regional partnerships.

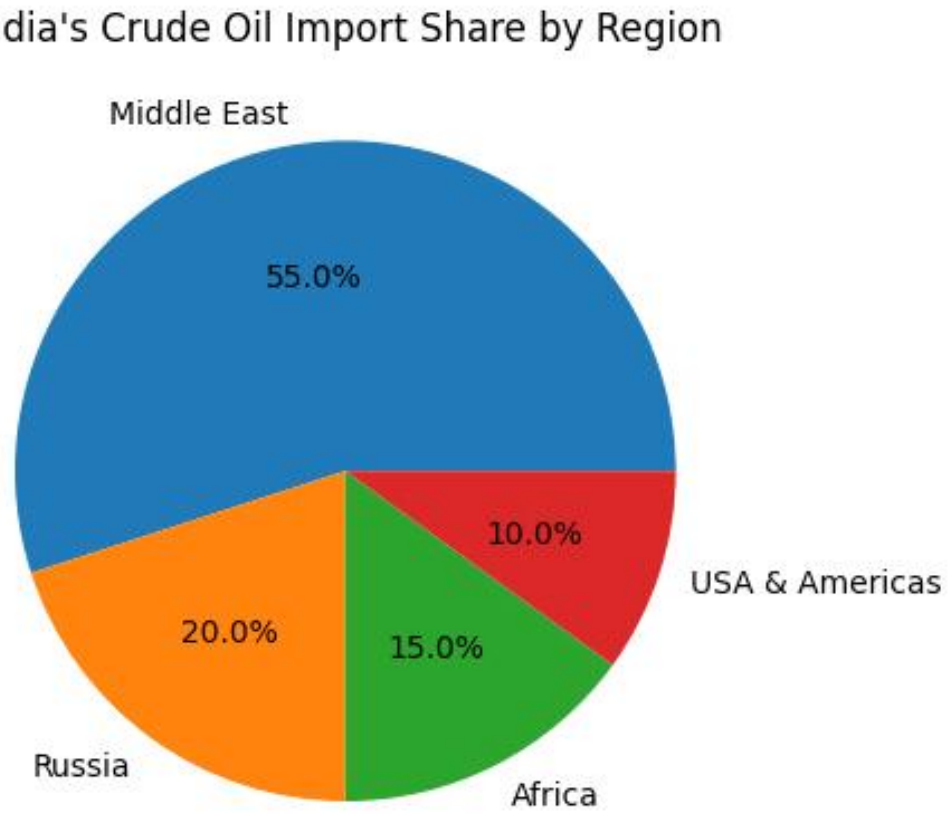

3.2 Enhancing LNG Infrastructure and Flexible Contracting :

Investment in additional LNG terminals, Floating Storage and Regasification Units (FSRUs), and inter-regional connectivity enhances flexibility. Flexible contract structures—spot market access and shorter tenure contracts—can help manage price risks.

3.3 Strategic Petroleum Reserves (SPR) and Stockpiles :

India's strategic buffer sites in Vishakhapatnam, Mangalore, and Padur provide emergency stockpiles equivalent to ~10 days of crude imports. Expanding SPR capacity to cover 30-to-90 days of consumption enhances resilience against supply shocks.

3.4 Importing Clean Energy Technologies :

Importing advanced renewable energy equipment (solar PV modules, electrolyzers for green hydrogen, battery energy storage systems) accelerates domestic clean energy deployment and reduces future fossil energy demand.

3.5 Regional Energy Cooperation :

Participation in regional frameworks such as the International Solar Alliance (ISA), India-Middle East-Europe Economic Corridor, and energy cooperation with ASEAN countries can broaden access to diversified energy resources and technologies.

Section 4 : Challenges to Diversification

4.1 Geopolitical Constraints :

While diversification reduces risk, it can introduce new geopolitical complexities. Engaging with multiple supplier regions requires nuanced diplomacy, balancing relations with major powers (e.g., United States, Russia, China, Gulf states) without becoming entangled in rival strategic interests.

4.2 Infrastructure and Financial Barriers :

Building LNG terminals, SPR expansions, pipeline connections, and renewable energy supply chains demands substantial capital. Financing constraints—especially in a high interest rate global environment—can delay infrastructure rollout. Public-private investment models and foreign participation are essential but require regulatory clarity.

4.3 Regulatory and Market Rigidities :

India's domestic energy markets are still evolving. Price controls, rigid long-term contract structures, and limited competition in certain sectors can dampen market responsiveness. Reforming gas pricing mechanisms, introducing transparent market platforms, and reducing bureaucratic barriers are necessary.

4.4 Technological Gaps :

India currently relies on imports for advanced clean energy technologies and critical minerals

(e.g., lithium, cobalt). Limited domestic manufacturing capacity in solar PV cells, electrolyzers, and battery cells constrains the pace of clean energy deployment and diversification.

4.5 Sustainability and Environmental Considerations :

Diversification must not undermine India's climate objectives. Increasing LNG imports is a transitional pathway but still involves fossil fuel emissions. Balancing near-term energy security with long-term decarbonization requires integrated planning and carbon risk assessments.

Section 5: Policy Recommendations

5.1 Strengthening Multilateral and Bilateral Partnerships :

India should pursue energy dialogues with diversified partners emphasizing stable long-term contracts, infrastructure cooperation, and shared R&D initiatives—especially in renewables and hydrogen technologies.

5.2 Reforming Domestic Energy Markets :

Market liberalization—particularly in gas pricing, open access to LNG import capacity, and competitive trading platforms—will enhance flexibility. Transparent energy data systems and risk management tools (e.g., hedging instruments) can reduce price volatility impacts.

5.3 Investing in Strategic Infrastructure :

Public investment, blended finance, and incentivizing private capital for LNG terminals, strategic reserves, and inter-regional connectivity are critical. Establishing multi-stakeholder investment vehicles can accelerate project execution.

5.4 Promoting Domestic Technology Capabilities :

Enhancing R&D incentives, supporting indigenous manufacturing of renewable equipment and storage technologies, and securing supply chains for critical minerals reduce technological dependencies.

5.5 Integrating Energy Security with Climate Policy :

Energy diversification strategies should be aligned with India's Nationally Determined Contributions (NDCs) and long-term climate plans. Carbon pricing mechanisms, renewable purchase obligations, and green finance instruments can guide cleaner energy transitions.

Conclusion :

Diversifying India's energy imports is not a peripheral policy objective but a strategic necessity. Economic exposure to global price cycles, geopolitical risks, and the imperatives of energy transition make diversification essential for long-term national resilience. While pathways exist—ranging from broadening supplier relationships to investing in clean energy technology imports—significant challenges must be addressed through coherent policy, infrastructure investment, and market reforms.

By weaving diversification into its broader energy strategy, India can achieve enhanced stability, strengthened geopolitical autonomy, and alignment with sustainable development goals. This will position the country to navigate future uncertainties while securing affordable, sustainable, and resilient energy for its growth trajectory.

References :

1. BP. (2024). *BP Statistical Review of World Energy 2024*. BP.
2. Government of India. Ministry of Petroleum and Natural Gas. (2023). *Indian Petroleum and Natural Gas Statistics*.
3. International Energy Agency (IEA). (2023). *India Energy Outlook 2023*. IEA.
4. International Renewable Energy Agency (IRENA). (2022). *Renewable Power Generation Costs in 2022*. IRENA.
5. Jha, V., & Rao, S. (2021). Energy Security in India: Challenges and Policy Options. *Energy Policy*, 156, 112422.
6. KAPSARC. (2022). *Natural Gas Market Dynamics and Pricing in India*. King Abdullah Petroleum Studies and Research Center.
7. Ministry of External Affairs (MEA), Government of India. (2023). *Joint Statements and Energy Cooperation Agreements*.
8. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India. (2023). *Annual Report*.
9. Oil and Gas Journal. (2024). World Oil Supply and Demand Statistics.
10. Sovacool, B. K., et al. (2021). Clean Energy and Energy Security in India: Opportunities and Trade-offs. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 135, 110449.
11. World Trade Organization (WTO). (2023). *World Energy Trade Report*.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 125-132
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' : जीवनवृत्त एवं रचनाधर्मिता

मीना कुमारी, शोधार्थी
डॉ. अजयपाल सिंह, शोध निर्देशक एवं अध्यक्ष,
हिन्दी विभाग, देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिन्दगढ़, पंजाब।

सारांश :

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' राजनेताओं की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, जिनके लिए शब्द सृजन का महत्त्व सत्ता से श्रेष्ठ रहा है। साहित्य का महत्त्व सदैव काल सम्बद्ध होता है। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन चाहे कोई भी विधा हो, महत्त्व तो इस बात का है कि उसकी संवदेनशीलता का मानक कितना उच्चकोटि का है। विवेच्य लेखक ने हिन्दी साहित्य को विपुल कथा–साहित्य दिया है। उनके विचारों की अगाध सरणी निरन्तर प्रवाहित हो रही है और गर्व इस बात का है कि ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी संवेदना से देश ही नहीं वरन् विदेशों में अपना परचम फैलाया है, वे देवभूमि उत्तराखण्ड में जन्में, यहीं पले और यहीं से वे विचार तन्तुओं की निर्मिति प्रारम्भ कर विश्वव्यापी साहित्य का लेखन कर रहे हैं।

मूल शब्द : पीढ़ी, उच्चकोटि, श्रेष्ठ, विश्वव्यापी।

उत्तराखण्ड की पावन भूमि ने न केवल देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों को जन्म दिया वरन उनके ओज और शौर्य को अपने शब्दों से ओजस्वी बनाने वाले अनेक साहित्यकारों को भी जन्म दिया है। वीर प्रसूता देवभूमि एक ओर हिमालय को मुकुट के समान धारण करती है तो दूसरी ओर गोमुख से निःसृत गंगा कल्याणमयी माँ के समान इसे निर्मल कर रही है। अद्भुत संयोग है कि इस भूमि का जहाँ पर्वतपुत्री गिरिजा और शंकर के प्रतीक आज भी अपनी जीवन्तता से याद किए जाते हैं। इसी धरती पर हमारे विवेच्य रचनाकार रमेश पोखरियाल ''निशंक'' का जन्म हुआ। जिन्होंने कर्मयोगी के समान जमीन से जुड़कर एक गाँव के सीधे सरल व्यक्ति की तरह अपना जीवन पहाड़ों के कठोर संघर्षों से प्रारम्भ किया। कहा जाता है कि पहाड़ के दुख–पीड़ा पहाड़ से भी बड़ी होती है किन्तु यह भी सत्य है कि यहाँ का नौजवान अपने अदम्य साहस और कठोर परिश्रम से इन संघर्षों के बीच भी अपना रास्ता खोजकर उसे सुरम्य बनाता है।

'निशंक' जी की जीवन यात्रा इस सूत्र की साक्षी है। डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा अरुण के शब्दों में "देवात्मा हिमालय की पावन देवभूमि के समर्पित साहित्य साधक डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' हिंदी जगत के ऐसे चर्चित एवं प्रतिष्ठित रचनाकारों में गिने जाते हैं, जिनका साहित्य मूलतः जीवन मूल्यों की अनवरत सारस्वत–साधना का

प्रतीक बन चुका है। राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि डॉ. 'निशंक' ने जहाँ अपनी काव्य साधना के माध्यम से प्रखर राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक जागरण का मंत्र फूंका है, वहीं अपने कथा–साहित्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक परिवेश को अत्यन्त सशक्त जीवन्त अभिव्यक्ति भी प्रदान की है।"[1]

साहित्यकार जीवन के मर्म को समझता है, उसकी पारखी नजर, उसका मार्मिक हृदय संवेदनाओं का पुंज होता है। यही वजह है कि वह खुद के परिवेश से दूर पूरे समाज की व्याख्या अपने अनुभव व कल्पना के माध्यम से कर लेता है। हिन्दी साहित्य इसका साक्षी है। ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाले नागार्जुन, हरिशंकर परसाई, दिनकर, निराला, अमृतराय जैसे तमाम लेखकों ने शहरी जीवन के यथार्थ रूप को साहित्य में भली–भांति स्थापित किया। वहीं शहरी जीवन से उभरे साहित्यकार कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, जगदीश चन्द्र गुप्त जैसे लेखकों ने शहर से दूर ग्रामीण जीवन के संघर्ष को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कवि एवं कथाकार निशंक का साहित्य भी हमें ग्रामीण व शहरी नागरिक संवेदना से परिचित करवाता है। मॉरीशस के "गंगा तलाव में हजारों अप्रवासियों के बीच जब निशंक जी पहुँचते हैं तो वे अपना परिचय इस तरह देते हैं– "मैं शिव प्रदेश से आया हूँ, मैं गंगा प्रदेश से आया हूँ, और मैं गंगोत्री से आया हूँ।"[2] श्रेष्ठ साहित्यकारों की श्रेणी में देवभूमि उत्तराखण्ड के साहित्यकार रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी हिन्दी साहित्य के वर्तमान युग में अपनी उत्कृष्ट सृजन क्षमता के साथ उदीप्त हुए हैं।

जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा :

प्रकृति के यौवन से परिपूर्ण, देवताओं की भूमि उत्तराखण्ड के मध्य भाग में स्थित पौड़ी जनपद ने दर्जनों प्रतिभाओं को जन्म दिया। यही पौड़ी जनपद हिन्दी साहित्य के उदीयमान साहित्यकार रमेश पोखरियाल 'निशंक' की जन्मभूमि है। 15 जुलाई सन 1959 ई. को ग्राम–पिनानी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में श्री परमानन्द पोखरियाल एवं श्रीमती विशम्भरी देवी के घर एक प्रतिभावान बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चलकर रमेश पोखरियाल 'निशंक' के नाम से साहित्य निरन्तर अपनी ज्ञानरूपी ज्योति से हिंदी साहित्य को दीप्तिमान कर रहा है। पौड़ी के सुदूरवर्ती ग्राम पिनानी में जन्में रमेश पोखरियाल जी ने प्रारम्भिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से अर्जित की। इसके बाद हाई स्कूल तक की शिक्षा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमदेवल पौड़ी गढ़वाल में हुई। निशंक जी के पिता पेशे से एक माली थे और घर में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके लिए शिक्षण कार्य जारी रखना एक चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा–दीक्षा जारी रखी। बचपन से ही पहाड़ के अभावग्रस्त जीवन को ढोते हुए वे इण्टरमीडिएट की पढ़ाई करने हरिद्वार चले गये।

''डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' जी न केवल एक अच्छे कवि, राजनेता हैं, बल्कि बेहतरीन आलोचक एवं समीक्षक भी हैं। राजनीतिक गलियारों में उनकी काफी अहम भूमिका है। वह चिंतक, दार्शनिक, इतिहासकार, विचारक के साथ ही राष्ट्रवादी विचारधारा के मर्मज्ञ विद्वान भी हैं। उनके जीवन पर कई महापुरूषों का प्रभाव रहा है, उनमें स्वामी विवेकानंद, भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। वह बचपन से ही काफी दृढ़ निश्चयी, साहसी और ओजस्वी वाले व्यक्ति रहे हैं। समाज को बदलने की इच्छा इनके अंदर बचपन में ही पैदा हो गई थी।''[4]

परिवारिक जीवन :

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का विवाह वर्ष 1985 में कुसुमकान्ता पोखरियाल से हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के पौड़ी जिले के कोटद्वार नामक स्थान में श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा एवं श्री कृष्णकान्त शर्मा की बेटी के रूप में कुसुमकान्ता का जन्म हुआ। कद–काठी में औसत, रंग गोरा, माथे पर बिन्दी, होंठो पर ठहरी मुस्कान लिए कुसुमकान्ता बेहद सुन्दर और स्वभाव में शालीन थी। इतिहास से परास्नातक, बी.एड और संगीत प्रभाकर कुसुमकान्ता पेशे से प्रधानाध्यापिका थी। वे साहित्य में पति की भांति विशेष रूचि रखती थी। वर्ष 2008 में उनका पहला काव्य–संग्रह 'माँ तुझे प्रणाम' प्रकाशित हुआ, और मृत्योपरान्त वर्ष 2013 में दूसरा काव्यसंग्रह 'कविता मंजरी' प्रकाशित हुआ।

डॉ. 'निशंक' की सहधर्मिणी के रूप में कुसुमकान्ता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। राजनैतिक रूप से डॉ. 'निशंक' विधायक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के पदों पर रहे लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती कुसुमकान्ता ने कभी भी राजकीय सुख–सुविधाओं का मोह नहीं किया। वे अपनी व्यक्तिगत यात्राओं को स्वयं के निजी वाहन से ही किया करती थी। राजनीतिक वातावरण से दूर रहने वाली कुसुमकान्ता ने कभी भी राजनीतिक रूप से पति, डॉ. 'निशंक' के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। पति का राजनैतिक कार्य एवं पद सदैव उत्कृष्ट रहे इसके लिए उन्होंने परिवार एवं बच्चों की सभी जिम्मेदारियों को स्वयं संभाला। साहित्य में रूचि होने के कारण सदैव डॉ. 'निशंक' की रचनाओं में सुझाव एवं सुधार करती थी।

एक आदर्श पत्नी, माँ, बेटी होने के फर्ज को निभाते हुए कुसुमकान्ता एक लम्बी बीमारी से जूझते हुए 11 नवम्बर 2012 को पूरे परिवार को अकेला छोड़ आलोकवासी हो गई। ''पत्नी कुसुम कान्ता के असामायिक निधन ने कवि को एकान्तिक सन्नाटे में डालकर मर्मताक आघात लगा दिया फिर भी कवींद्र रवींद्र नाथ टैगोर की 'एकला चलो रे' की सीख को मानते हुए डॉ. 'निशंक' द्रुत गति से अपने कर्तव्य पथ पर जुटे हैं।''[5]

डॉ. 'निशंक' जी की तीन बेटियां हैं– आरूषि, विदुषी, श्रेयसी। सबसे बड़ी बेटी आरूषि अंतराष्ट्रीय स्तर की भारतीय क्लासिकल कथक डांसर, अभिनेत्री, फिल्म प्रोडयूसर और कंपोजर है। वह कवियत्री भी हैं। उनकी पुस्तक 'कलम मशाल बन जाये' एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। दूसरी बेटी विदुषी एमिटी विश्वविद्यालय की विधि (लॉ) की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। तीसरी बेटी डॉ. श्रेयसी विदेश में डॉक्टरी की नौकरी छोड, सेना में अफसर बनी हैं।

आजीविका :

कथाकार रमेश पोखरियाल 'निशंक' प्रतिभा के धनी हैं। बचपन में प्रतिकूल परिस्थितियों के थपेड़े खाकर युवावस्था तक जो अनुभव उन्होंने अपने यथार्थ जीवन से अर्जित किये, उसकी छाप उनकी कविताओं के शुरूआती दौर में दिखाई देती है। पहाड़ी परिवेश की पीड़ा के लिए सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने गुरु की भूमिका अदा की। एक अध्यापक के रूप में भावी पीढ़ी की बुनियाद को मजबूत करने का सतत प्रयत्न करते हुए 'निशंक' जी ने अपनी यात्रा वहाँ से शुरू की जहां से पतित पावनी माँ गंगा धरती पर उतरकर पृथ्वीलोक की अविरल यात्रा करती है।

उन्होंने पहली बार 1991 में तत्कालीन राज्य उत्तर प्रदेश के कर्णप्रयाग विधानसभा से चुनाव जीता। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार जारी रहा 1993 ई. और 1996 ई. में भी इसी विधानसभा क्षेत्र से जीत

हासिल की। उनका युवा जोश ही था कि वे पर्वतीय समाज के लिए ज्योतिपुँज की भाँति कार्य करते गये और 1997 ई. में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री उत्तराँचल विकास विभाग का दायित्त्व दिया गया। 1998 ई. में वे उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री रहे। संस्कृति मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं अपनी जन्मभूमि की विरासतों के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस कार्यकाल में उन्होंने भारतीय पुरातत्त्व विभाग की सहायता से मातृभूमि उत्तराखण्ड की कई प्राचीन धरोहरों के सर्वेक्षण व संरक्षण का कार्य किया।

राजनीतिक जीवन :

''रमेश पोखरियाल 'निशंक' का राजनीतिक जीवन लोक निर्वाचन से भाुरू हुआ था। सन् 1991 में कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से वे पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे, तब से लेकर अब तक उनका राजनीतिक जीवन दिनों–दिन आरोहित होता रहा है। सन् 1993 और 1996 में पुनः कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में उत्तरांचल विकास मंत्री और तत्पश्चात् वर्ष 1999 में रामप्रकाश गुप्त की सरकार में संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बने। वे वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के पहले वित्त, राजस्व, कर, पेयज़ल सहित 12 विभागों के मंत्री रहे हैं। वर्ष 2007 में उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य, भाषा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री रहे। उन्हें वर्ष 2009 में उत्तराखंड प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में डोईवाला (देहरादून) क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होकर सन् 2014 में वहाँ इस्तीफा दिया और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए।

डॉ. 'निशंक' ने 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के पाँचवें मुख्यमंत्री के रूप में अद्भुत कार्य किया। अपने मुख्यमंत्री काल में राजनीतिक कौशल और ज्ञान का परिचय देते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को शामिल करने जैसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाया। अंतरराष्ट्रीय फोरम में हिमालयी संस्कृति को लाने के लिए अनगिनत सफल प्रयास किए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बिक्री कर 4% से 1% किया। आवश्यक वस्तुओं के लिए 364 डिपो खोले। उनके कार्यकाल में राजस्व में 61–75 करोड़ से 128 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई। कुल कर संग्रहण में 575 करोड़ रूपए से 1100 करोड़ की बढ़ोतरी हुई।''[6]

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' का कहना है कि–''नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हम आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देगी यह वैज्ञानिक सोच पर आधारित है और इसमें भारतीय जीवन मूल्य भी समाहित है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से भारत दुनिया में ज्ञान की एक 'महाशक्ति' के रूप में उभरेगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक ब्रांड बनेगा।''[7]

रस्किन बॉण्ड कहते हैं– ''राजनीति और साहित्य का संगम अत्यंत दुर्लभ है। राजनीति करते हुए साहित्य सृजन किया जाना अत्यंत कठिन कार्य है, किन्तु दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और उत्तराखंड में डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' इसके अपवाद हैं।''[8]

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' रचनाधर्मिता इस प्रकार है :

काव्य संग्रह :

1. समर्पण, 1983 ई.
2. नवांकुर, 1984
3. देश हम जलने नहीं देंगे, 1984
4. मुझे विधाता बनना है, 1985
5. तुम भी मेरे साथ चलो, 1986
6. जीवन पथ में, 1989
7. मातृभूमि के लिए, 1992
8. कोई मुश्किल नहीं, 2005
9. ऐ वतन तेरे लिए, 2007
10. संघर्ष जारी है, 2009
11. सृजन के बीज, 2010
12. अंधेरा जा रहा है, 2010
13. भूल पाता नहीं, 2016
14. परीक्षा लेती जिन्दगी, 2021
15. मृगतृष्णा, दर्पण अंतर्मन का
16. एम्स से एक जंग लडते हुए, 2021
17. प्रकृति की गोद में मॉ की पाठशाला, 2021
18. हिमालय की गोद में प्रकृति का स्पर्श, 2021
19. हमारा आना और जाना
20. सुप्रभात जिन्दगी (एक), 2023
21. सुप्रभात जिन्दगी (दो),

कहानी संग्रह

प्रमुख कहानी संग्रह निम्न हैं-

1. बस एक ही इच्छा– 1989 ई.
2. क्या नहीं हो सकता– 1993 ई.
3. भीड़ साक्षी है– 1993 ई.
4. रोशनी की एक किरण– 1996 ई.
5. खड़े हुए प्रश्न– 2006 ई
6. विपदा जीवित है– 2007 ई
7. एक और कहानी– 2008 ई
8. मेरे संकल्प– 2008 ई
9. आओ सीखें कहानियों से – 2009 ई
10. मील के पत्थर– 2010 ई
11. टूटते दायरे– 2010 ई
12. अंतहीन– 2014 ई
13. केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ–2014 ई
14. वाह जिन्दगी– 2016
15. निशंक की सर्वश्रेष्ठ 21 कहानियाँ– 2014
16. कथायें पहाड़ों की (संयुक्त)– 2016
17. जीने का नाम जिंदगी, 2021
18. कोरोनाकाल की सच्ची कहानियाँ, 2021
19. मेरी प्रारम्भिक कहानियाँ, 2020
20. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की लोकप्रिय कहानियाँ, 2022

उपन्यास :

उनके उपन्यास हैं-

1. बीरा– 2008
2. पहाड़ से ऊँचा– 2008
3. निशांत– 2008
4. मेजर निराला– 2008
5. अपना पराया– 2010
6. छूट गया पड़ाव– 2010
7. पल्लवी– 2010
8. प्रतिज्ञा–2014
9. भागोंवाली– 2015
10. कृतघ्न– 2015

11. शिखरो के संघर्ष 2016 12. जिन्दगी रूकती नहीं, 2021

बाल साहित्य :

1) कर्मयोगी विवेकानन्द (बाल साहित्य – हिन्दी एंव अंग्रेजी)
2) सकारात्मक सोच स्वामी विवेकानन्द (बाल साहित्य – हिन्दी एंव अंग्रेजी)
3) शिकागो में स्वामी विवेकानन्द (बाल साहित्य – हिन्दी एंव अंग्रेजी)
4) आगे बढ़ो स्वामी विवेकानन्द (बाल साहित्य – हिन्दी एंव अंग्रेजी)
5) आओं सीखें कहानियों से (प्रेरक बाल कहानियाँ)

खण्ड काव्य :

1. प्रतीक्षा 2. मैं गंगा बोल रही हूँ

व्यक्तित्व विकास :

1) सफलता के अचूक मंत्र (व्यक्तित्व विकास– अनेक भाषाओं में)
2) कर्म पर विश्वास करें, भाग्य पर नहीं (व्यक्तित्व विकास–अनेक भाषाओं में)
3) संसार कायरों के लिए नहीं (स्वामी विवेकानन्द का जीवन प्रबन्धन)
4) सपने जो सोने न दें (डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के जीवन प्रबन्धन पर आधारित) (विभिन्न भाषाओं में)
5) प्रखर राष्ट्रभक्त एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीन दयाल उपाध्याय।
6) युग पुरूष भारत रत्न अटल जी
7) मूल्य आधारित शिक्षा
8) हिमालय में विवेकानन्द
9) पेशावर काण्ड के नायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
10) हिमालय में टैगोर और गीतांजली
11) मानवता के प्रणेता महर्षि अरविन्द
12) सफलता के शिखर तक पहुँचाती है विनम्रता
13) जब हिमालय ने बापू को रोका
14) विवेकानन्द पर्यटन पथ
15) शिक्षा से राष्ट्र निर्माणः एन. ई. पी. २०२०
16) रिगेनिंग इंडियाज ग्लोरी

पर्यटन/धर्म एंव संस्कृति :

1) धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड (एक), हिमालय का महाकुम्भः नन्दा देवी राजजात (पावन पारम्परिक यात्रा)
2) धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड (दो), स्पर्श गंगाः उत्तराखण्ड की पवित्र नदियां।
3) धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड (तीन), प्रकृति का अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य।
4) धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड भाग–चार, आस्था एवं अध्यात्म।
5) धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड भाग– पाँच, स्पर्श हिमालय।

6) भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं परम्परा

7) विश्व धरोहर : महाकुम्भ

8) विश्व धरोहर गंगा

9) स्पर्श हिमालय

10) तमिलनाडु के मन्दिर

राजनैतिक :

1) चुनौतियों को अवसरों में बदलता भारत

2) मेरे सपनों का उत्तराखण्ड

3) मेरा उत्तराखण्ड योजनायें एवं आवश्यकतायें

4) संसद में हिमालय

5) संसद में प्रमुख भाषण

पत्र संकलन :

1) मेरे पत्र मेरी कथा (शहीदों के पत्रों का संकलन)

रमेश पोखरियाल निशंक साहित्यकार और राजनीतिज्ञ बाद में हैं पहले वह खुद को मनुश्य मानते हैं। अपने साहित्य और राजनीति में भी वह लोगों को मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। उनके साहित्य का अध्ययन हमारे अंदर की रिक्तता को भर देता है। व्यक्ति जीवन भर जिस देश का नमक खाता है उसे ही गाली देता है लेकिन जिसने भी निशंक जी को पढ़ लिया उसे अपनी संस्कृति, सभ्यता, देश, समाज और धर्म से प्रेम हो जाएगा। निशंक जी का जीवन और साहित्य दोनों प्रेरणास्रोत हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा से गुजरना मतलब अपने जीवन को एक दिशा देना है।

सम्मान एवं पुरस्कार :

साहित्यकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, कोलम्बो द्वारा आयुष क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की उपाधि से विभूषित किया गया। दून सीनियर सिटीजन सोसायटी ने इन्हें प्राइड आफ उत्तराखंड सम्मान प्रदान किया। मुम्बई की प्रतिष्ठित संस्था 'इस्कान' ने राजनीतिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए डॉ. 'निशंक' को 'इस्कान अवार्ड' से सम्मानित किया। राठ जन विकास समिति, देहरादून ने सन 2007 में आपको राष्ट्र गौरव सम्मान से विभूषित किया। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण हालैण्ड, रूस, नार्वे सहित कई यूरोपीय देशों में भी आपको सम्मानित किया गया। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा डॉ. 'निशंक' को डी. लिट की मानद उपाधि प्रदान की गयी। मॉरीशस सरकार ने आपको 'मॉरीशस सम्मान' से सम्मानित किया। 'हिमालय का महाकुंभ–नंदा राजजात' को पर्यटन मंत्रालय की राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008–2009 के प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित होने के फलस्वरूप अगस्त 2010 में केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बीस हजार रुपये का चेक भेंट करके आपको 'राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार' से पुरस्कृत किया। संस्कृत भारती संस्था ने बंगलुरू में आयोजित विश्व संस्कृत मेले में भारत के पूर्व न्यायाधीश एन. एन. बैंकट चेलैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा एवं पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपाल स्वामी ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। डॉ. 'निशंक' को देश–विदेशों

में 300 से अधिक देश–विदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं द्वारा अनेक अवसरों पर पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

साहित्य सृजन :

''डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' मौलिक रूप से साहित्यिक विधा के व्यक्ति हैं। अब तक हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं (कविता, उपन्यास, खण्ड काव्य, लघु कहानी, यात्रा साहित्य आदि) में प्रकाशित उनकी कृतियों ने उन्हें हिंदी साहित्य में सम्माजनक स्थान दिलाया है। राष्ट्रवाद की भावना उनमें कूट–कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि उनका नाम राष्ट्रकवियों की श्रेणी में शामिल है। यह डॉ. 'निशंक' के साहित्य की प्रासंगिकता और मौलिकता है कि अब तक उनके साहित्य को विश्व की कई भाषाओं (जर्मन, अंग्रेजी, फ्रैंच, तेलुगु, मलयालम, मराठी, स्पेनिश आदि) में अनूदित किया जा चकुा है। इसके अलावा उनके साहित्य को मद्रास, चेन्नई तथा हैंबर्ग विश्वविद्यालय के पाठयक्रम में शामिल किया गया है।''[9]

निष्कर्ष :

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। उनके साहित्य की मूल चेतना समाज को सकारात्मक दिशा देना और अपने देश से प्रेम करना सिखाना है। उनकी रचनाओं में उनके साहित्यकार और राजनेता व्यक्तित्व का कुशल सामंजस्य दिखता है। डॉ. 'निशंक' एक संवेदनशील, निडर, सत्यनिष्ठ, मानवीय विचारधारा के पोषक और धीर गंभीर साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी रचनाओं के माध्यम से डॉ. 'निशंक' ने जीवन के यथार्थ मानव की मूल्य परम्पराओं, पर्यावरण को बचाने की चिंता, मनोविज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, नारी के संघर्ष और और पहाड़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि को विविध पक्षों के माध्यम से दर्शाते हुए युवाओं को प्रेरित भी किया है।

संदर्भ सूची :

1. डॉ. योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरूण','कथाकार 'निशंक के उपन्यासों में जीवन मूल्य',डायमंड पॉकेट बुक्स, 2017, पृ 38
2. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', 'मॉरीशस की स्वर्णिम स्मृतियाँ', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2012, पृ. 179
3. https: shodhganga.inflibnet.ac.in
   कपिल देवपंवार, 'डॉ रमेश पोखरियाल 'निशंक' के कथा साहित्य में लोक तत्वों की अभिव्यंजना, 2020
4. डॉ. रविकुमार गोंड, 'डॉ. निशंक का कथेतर साहित्य मनन एवं मूल्यांकन', शगुन पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2019, पृ. 11
5. डॉ. नगेन्द्र ध्यानी 'अरूण', 'डॉ. निशंक' की सृजन यात्रा', हिन्दी साहित्य निकेतन, 2019, पृ. 15
6. ऋषभदेव शर्मा, 'तत्त्वदर्शी निशंक', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2021, पृ. 40–41
7. https: //www.amarujala.com
8. ऋषभदेव शर्मा, 'तत्त्वदर्शी निशंक', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2021, पृ. 42
9. प्रो. रमा 'निशंक का रचना संसार' देश के पार, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण 2022, पृ. 204

E.MAIL-YASHSHEKHAWAT.AJAY@GMAIL.COM

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 133–138
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

सीकर जिले में कृषि का आधुनिकीकरण : एक भौगोलिक अध्ययन

धूड़ाराम महरिया, शोधार्थी
डॉ. सचिन कुमार, शोध निदेशक
भूगोल विभाग, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ, राजस्थान।

शोध आलेख सार :–

वर्तमान में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण विश्व के सामने अनेक विकट समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है। इसके परिणाम स्वरूप अकृष्य भूमि को भी तेजी से कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा रहा है। कृषि भूमि उपयोग सांस्कृतिक उपयोग में बदल रहा है तथा इसके साथ ही कृषि तकनीकी विकास के माध्यम से गहनता एर्व विविधता पर बल दिया जाने लगा है। मनुष्य ने कृषि विकास भी गति को तीव्र करने के लिए ही मरुस्थलीय तथा अर्द्व–मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना आरम्भ किया है। अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में भी विगत दशकों में अकृष्य भूमि का कृषि हेतु उपयोग, उस पर सुधार जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि विकास को नयी दिशा देने का अच्छा प्रयास किया गया है।

मूल शब्द – कृषि, कृषि स्वरूप एवं कृषि जोत।

प्रस्तावना :–

जिस देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर हो तथा गांवो मे निवास करती हो, जहां महात्मा गांधी का यह कथन पूर्णतया चरितार्थ होता है कि "भारत गांवो का देश है यहां की आत्मा गांवों मे निवास करती है वहां निसन्देह रूप से कृषि का समुचित विकास किये बिना गांवों का समग्र विकास असंभव है। एक सौ इक्कीस करोड जनसंख्या (2011) वाले भारत देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से ही अपनी जीविकोपार्जन कर रहा है। अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्वि व उत्पादकता पर ही देश का विकास व संपन्नता निर्भर है।

स्वतंत्रता पश्चात् भारत के कृषि परिदृश्य पर नजर डालें तो विदित होता है कि यहां की कृषि में अनेक उतार चढाव आये हैं। सन् 1980 के पश्चात जन्म लेने वाली भारतीय युवाशक्ति को शायद ही विश्वास होगा की स्वतंत्रता के 20–25 वर्षों तक हमारा देश अकाल, सूखा, महामारी, गरीबी या भुखमरी से पीडित था। खाद्यान्न उत्पादन के मामले मे देश की स्थिति अत्यधिक विचारणीय थी। हमारा देश भयंकर खाधान्न संकट से जूझ रहा था। भारतीयों के पेट की आग अमेरिका से गेंहू आयात कर बुझानी पड़ती थी। उपरोक्त विषम परिस्थितियों में

देश को अकाल, खाधान्न संकट, भुखमरी जैसी कठोर चुनौतियों से निजाज पाने हेतु हरित क्रातिं अभियान की शुरूआत करनी पडी।

विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत देश आज अपनी सभी मूलभूत आवश्यकतायें पूर्ण करने में सक्षम है लेकिन निकट भविष्य में 150 करोड़ से अधिक आबादी की खाधान्न पूर्ति करना निश्चय ही असंभव नहीं तो चुनौतीपूर्ण कार्य अवश्य होगा। राजस्थान की भी यही स्थिति है जहां भौगोलिक कारकों की विषमता के साथ जल संसाधन भी निरन्तर घटता जा रहा है जिसके कारण बढती हुयी जनसंख्या से कृषि संसाधनों पर दबाब बढ रहा है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं अन्य कृषिगत फायदों के मध्यनजर पारम्परिक कृषि का आधुनिकरण आज के समय की महती आश्यकता है एवं इसके फलस्वरूप कृषि के आधुनिकीकरण एवं बदलते स्वरूप का अध्ययन करना आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र :-

शोध अध्ययन के लिए राजस्थान के सीकर जिले का चयन किया गया है जो कि राजस्थान के उतरी भाग में स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7732 वर्ग कि.मी. है जो राज्य का 2.25 प्रतिशत भू–भाग है। इसका अक्षांशीय विस्तार 2721 से 2812 उतरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 7444 पूर्वी देशान्तर से 7525 पूर्वी देशान्तर के मध्य है। जिले की उतर से दक्षिण लम्बाई लगभग 96 किमी तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 74 किमी है।

सीकर जिले की उतरी सीमा झुंझुनू जिले व हरियाणा राज्य से, पूर्वी व द.पू. सीमा जयपुर जिले से, दक्षिणी–पश्चिमी सीमा नागौर जिले से तथा पश्चिमी सीमा चुरू जिले से लगती है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 11 उपखण्डो, 12 पंचायत समितियों, तथा 354 ग्राम पंचायतो में विभक्त किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का राज्य में 19 वा स्थान है। जिले में कुल 1004 ग्राम है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले के कुल जनसंख्या 26.77 लाख है जिसमें 51.45 प्रतिशत पुरूष तथा 48.55 प्रतिशत महिला है। यहां का जनसंख्या घनत्व 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तथा लिंगानुपात 944 है। जिले की साक्षरता 71.19 प्रतिशत है।

सीकर जिले की जलवायु अर्द्वशुष्क जलवायु की श्रेणी में आती हैं जहां गर्मियो के दौरान अधिकतम तापमान 48 सेल्सियस पहुँच जाता है जबकि सर्दियो में तापमान न्यून्तम 1 सेल्सियस तक गिर जाता है। वार्षिक वर्षा औसत 45 सेमी. होती है।

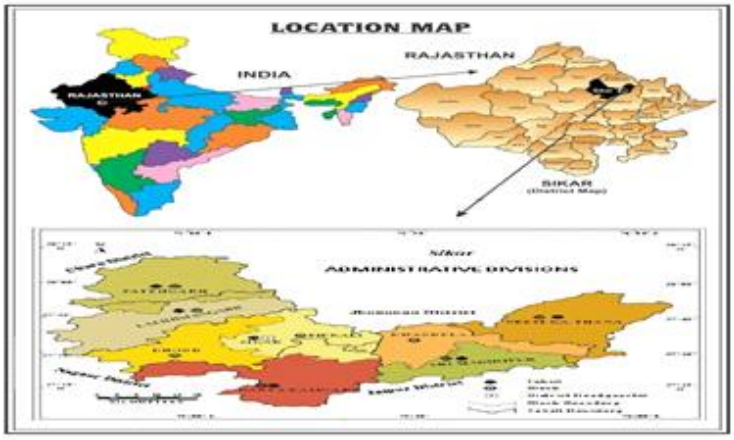

साहित्य का पुनरावलोकन :-

कृषि भूगोल में किये गये शोध विषयक अध्ययनों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि आधुनिकीकरण पर अनेक विद्वानों में शोध एवं अनुसंधान कार्य किया जाता है। कृषि विकास एवं आधुनिकीकरण शीर्षक पर अनेक साहित्य पढने को मिले है। जिनमें प्रो. जसवीर सिंह शफी मोहम्मद भाटिया (1967), हनुमन्त राव (1979), सुरेन्द्र सिंह (1994), आदि विद्वानों के कार्य प्रशंसनीय है।

हुनमन्त राव (1979) में पंजाब में टैक्टर व बिना टैक्टर वाले कृषकों के आंकडे एकत्रित करके प्रतिगमन विधि से विश्लेषण करके टैक्टर के कृषि उत्पादन पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। सिंधू व सिंह (1991) तथा एडवर्डस (2004) ने भारत में मशीनीकरण की प्रगति तथा उसमें हुये गुणात्मक परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया हैं। इसी प्रकार सिंह और चांसलर (1973) ने मेंरठ जिले में कृषि यंत्रो के फसलो पर प्रभाव को ज्ञात करने के लिए सात गांवो के किसानों की जोत अध्ययन किया।

राय (1983) ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दशाओं पर राजस्थान नहर परियोजना के प्रभाव का अध्ययन किया है। राजस्थान नहर परियोजना से क्षेत्र में सामाजिक बदलाव के साथ ही आर्थिक एंव पर्यावरणीय दशाओं में भी बदलाव आया है। यह बदलाव सकारात्मक के साथ–साथ नकारात्मक भी हैं।

गुर्जर एंव जाट (2009) ने जल प्रबंधन की शोध पत्रिका में जल संरक्षण के माध्यम से कृषि विकास की सम्भावना का अध्ययन किया है जिसमें जल प्रबन्धन की तकनीकों का अध्ययन भी किया हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :-

किसी क्षेत्र में अध्ययन करने के पीछे किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति में होती है। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सीकर जिले के मानव संसाधन व कृषि विकास स्तर का अनुमापन करना है जिससे अध्ययन के माध्यम से कृषि योजनाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासक तथा अन्य व्यक्ति जो जिले के कृषि विकास योजनाओं में सलंग्न है, लाभान्वित होकर जिले के कृषि विकास के लिये उचित योजना निर्धारण कर सके।

प्रस्तुत शोधकार्य के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान में परिवर्धित व परिवर्तित कृषि विकास का स्तरीय अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना।
- क्षेत्र के वर्तमान कृषि स्वरूप एवं संसाधनों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले के वर्तमान कृषि आधार पर भविष्य के विकास के लिये उचित प्रयासों की प्रशस्त करना।

शोध अध्ययन विधितंत्र एवं आंकडों के स्त्रोत :-

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक स्तर के आंकडो का संकलन मुख्यतः विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से किया गया है। शोध अध्ययन में राज्य की विभिन्न सरकारी संस्थाओं, जिले की प्रमुख संस्थाओं और प्रतिदर्श तहसीलो, विकास खण्डों से सूचनाएँ एवं आंकड़े एकत्रित किये गये है। शोध कार्य तालिका, आरेख एवं मानचित्र उपर्युक्त संस्थाओं कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। शोध में

इन्टरनेट के माध्यम से विभिन्न विभागों की वेबसाईट से भी उपयोगी आंकडे प्राप्त किये जायेंगे। पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित समय समय पर प्रकाशित जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी शोध में उपयोगी साबित हुये हैं।

कृषि का आधुनिकीकरण :–

अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जा सके एवं उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। जिसमें कृषि भूमि उपयोग में परिर्वतन, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि यंत्र, आधुनिक मशीनें, यातायात, ऋण एंव कृषि विस्तार आदि प्रमुख है।

- **उन्नत बीजों का उपयोग :–**

सीकर जिले में प्रारम्भ में फसलों में उन्नत बीजों का प्रयोग नही किया जाता था, लेकिन हरित क्रान्ति का प्रभाव इस क्षेत्र के किसानों पर भी पड़ा और ये भी उन्नत बीजों का प्रयोग करने लगे। किसान ने साधारण बीजों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया, जिससे प्रति हैक्टेयर उपज में भारी वृद्वि हुई। अधिक उपज देने वाले बीजों में वृद्वि सिंचित क्षेत्रों में अधिक हुई है। इससे फसलों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्वि हुई है।

उन्नत बीज व उन्नत विधियों के अनुसार भूमि का वर्गीकरण :

उन्नत बीजों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र सं.	फसल	इकाई	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	बाजरा	हैक्टेयर	205875	208439	214238	215335	216756
2	गेहूं	हैक्टेयर	34150	34813	35295	35640	35830
3	जौ	हैक्टेयर	13100	13339	17967	17840	17910
4	चना	हैक्टेयर	14066	14597	15890	15935	16009
5	सरसों	हैक्टेयर	32000	35000	36500	37400	37935

स्त्रोतः– जिला सांख्यिकी रूपरेखा सीकर।

- **उर्वरकों का प्रयोग :**

निरन्तर फसल पैदा करने से भूमि का उर्वरा शक्ति कम होती जाती है जिसको बनाये रखने के लिए तथा वृद्वि करने हेतु अध्ययन क्षेत्र में खादों तथा उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। अधिक उपज देने वाले बीजों से अधिकतम लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब तक उसमें उत्तम जल प्रबंध के साथ–साथ उर्वरकों का भी अनुकूलतम उपयोग हो। वास्तव में उर्वरक केवल सिंचित क्षेत्र में ही उत्पादन नही बढ़ाते, बल्कि असिंचित क्षेत्र में भी फसलों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन की अभिवृद्वि में सहायक है।

- **कीटनाशक एंव पौध सरंक्षण औषधियां :**

सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग में आधुनिकीकरण के लिए सीकर अनेक कृषि यंत्र, खाद और उन्नत बीजों के साथ–साथ कीटनाशक दवाओं का भी आगमन हुआ है। कभी–कभी अच्छी फसल होते हुए भी पौधों में बीमारियों के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधों में फफूंद, जीवाणू, वायरस, कवक, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्षम जीवों एंव अनेक जलवायिक कारक जैसे तापमान में भारी बदलवा, मृदा एंव जल की गुणवता में अन्तर आने पर पौधों में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, मृदा क्षार एंव लवण अधिक या कम मात्रा

में होने से पौधों में अनके प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। उनके नियंत्रण के बिना फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- **संस्थागत सविधाएं :**

सरकार राज्य में कृषि विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग प्राप्त कर रही है। इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संघ जैसे अन्तराष्ट्रीय खाद्य एंव कृषि विकास संगठन, विश्व बैंक, विश्व मौसम संगठन आदि भी अपनी विभन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में कृषि विकास में सहयोग दे रहे है जिसके माध्यम से राज्य स्तर पर लाभ हो रहा है।

- **कृषि विस्तार सुविधाएं :**

सीकर जिले में इस प्रणाली के अन्तर्गत गठित प्रसार व्यवस्था में मुख्य रूप से नई तकनीक एंव विधियों का ज्ञान प्राप्त कर ध्यान देने की भावना ही अधिक महत्वनपूर्ण है। इसके साथ साथ यह भी देखना आवश्यक है कि विभिन्न फसलों के उन्नत बीज, पौध सरंक्षण, मृदा संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न रसायन एंव साधन भी किसानों को समय विशेष एंव स्थान विशेष पर उपलब्ध होना आवश्यक है। इस हेतु सरकार ने विभिन्न साधनों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सिंचाई विभाग, सहकारी संस्थाएं, कृषि उद्योग, निगम व निजी संस्थाओं को दे रखा है। कृषि विस्तार प्रशासनिक इकराईशं जनतंत्रीय पद्वति पर आधारित है, जिसमें कृषकों का सहयोग भी वांछनीय है।

- **कृषि साख सुविधाएं :**

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकारों का ध्यान कृषि साख सुविधाओं की ओर गया तो सरकारों ने किसानों को कृषि कार्य करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ाया, जिनके द्वारा किसानों एवं कृषि क्षेत्र से संलग्न लोगों को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण एवं दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

- **पूंजी विस्तार सेवा सुविधाएं :**

सीकर जिले में कृषि भूमि उपयोग के आधुनिकीकरण में पूंजी विस्तार सेवा अवस्थापन के अलावा गहन पूंजी सुलभ सेवा सुविधाएं भी कृषि आधुनिकीकरण की सुविधाएं मानी गई है। इस वर्ग में उन सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके बनाने एवं प्राप्त करने में विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है जिनमें मुख्यतः भण्डारण सुविधायें, पीने के पानी की सुविधायें, सिंचाई सुविधायें, संचार सुविधायें, यातायात, कृषि विपणन आदि सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व :-

अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले में भूजल का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। जिले में कृषि कार्यो में भूजल के अत्यधिक दोहन व अकृषि कार्यों में भी जल के अंधाधुध दोहन के कारण हाल के वर्षों में यहाँ जल संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्षा की अनिश्चित और अनियमित प्रकृति तथा भूजल की कमी का यहाँ की कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले यहा कृषि में परम्परागत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, वहीं आज कृषि से नवीन तकनीकों का उपयोग कर आधुनिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षो मे निरन्तर घटते भू जल की परिस्थिति में सिचाई की परम्परागत

विधियों के स्थान पर फव्वारा सिचाई तथा बूंद–बूंद सिंचाई पद्वति अधिक प्रभावी होती जा रही है। इन विधियों से उबड़–खाबड़ खेतों में भी सिंचाई आसानी से हो जाती है। आधुनिक कृषि आदानों यथा–उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिचाई उपलब्धता, कीटनाशक रसायनों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

शोध अध्ययन की मुख्य उपयोगिता यह होगी कि जिले की कृषि विकास योजनाओ में संलग्न व्यक्तियों व संस्थाओं को जिले में वर्तमान विकास स्तर ज्ञात होगा जिससे कि जिले के भावी कृषि विकास हेतु उपयुक्त योजना का निर्धारण कर सके और संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए लोक कल्याण की ओर अग्रसर हो सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

सीकर जिले में निरन्तर बढ़ती जनसंख्या का कृषि विकास पर प्रभाव पड़ा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण यहां कृषि जोतों का आकार निरन्तर घट रहा हैं। यद्यपि यहां स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विकास पर तेजी से बल दिया गया लेकिन उसकी दिशा यहां की कृषि पारिस्थितिकी के अनुरूप नहीं रखी गयी। विगत छः दशको में केवल कृषि विकास पर ही ध्यान रखा गया। कृषि को समय के साथ आधुनिकीकरण की प्रकिया में नहीं ला पाये जिसका मुख्य कारण जिले की प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं भी रही है। अध्ययन क्षेत्र में उपजाऊ मिटटी का अभाव है जिसके निराकरण के लिये हरी व गोबर खाद का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर अत्यधिक नीचा है, वर्षा की भी अनियमितता बनी रहती है जिसके कारण अनेक बार अकाल व संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः जिले में उधानिकी खेती, वृक्षारोपण व शुष्क खेती को अपनाने पर जोर देना होगा। गिरते भूजल स्तर की समस्या के निराकरण के लिए क्षेत्र में छोटे–छोटे बांध जोहड व एनिकट बनाना आवश्यक है ताकि भूजल स्तर स्थिर रह सके। कृषकों को कृषि विशेष़ज्ञों के सानिध्य में कृषि शिविरों व सम्मेलनों के माध्यम से कृषिगत नवाचारों से अवगत करवाना चाहिए ताकि किसान कृषि तकनीको को आसानीपूर्वक सुगम तरीको से समझ सके। किसानों को उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरको, तथा आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर अधिकाधिक कृषि ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे किसानों पर अनावश्यक आर्थिक भार नहीं बढे। प्राकृतिक आपदा व अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा फसल बीमा करवाना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची :-

- हनुमान्त राव सी.एच. (1979) फार्म मैकेनाईजेशन सी.एच. शाह एग्रीकल्चर डेवलपमेन्टस इन इण्डिया पॉलिसी एण्ड प्रोब्लम्बस, मुम्बई मौर्य एस.डी. जनसंख्या भूगोल (2011)
- भल्ला जी. एस. एवं जी. के. चड्ढा (1982) ग्रीन रिवोल्यूशन एण्ड दी स्माल पीजेंट ए केस स्टडी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन पंजाब एग्रीकल्चर इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली मई, 15 एण्ड 22
- एडवर्डस, जी. ए. बी. (2004) फार्म मेकेनाइजेशन, इन्हासिंग एफिसियन्सी, दी हिन्दू सर्वे ऑफ इण्डियन एग्रीकल्चर कस्तूरी एड संस प्रा.लि. चेन्नई।
- भल्ला एल.आर. (2010) राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
- शर्मा एच.एच. और एम.एल–(2010) राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- जिला सांख्यिकी रूपरेखा, सीकर।
- सुजस, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जयपुर।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 139-141
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

रसोपासना / निकुंजोपासना में रचित औत्सविक ब्रजभाषा काव्य

हरित्रयी (हरिवंश, स्वामी हरिदास एवं हरिव्यास देव) की परंपरा के संदर्भ में

प्रो. विजय श्रीवास्तव, प्राचार्य,
मनोज कुमार, शोधार्थी
हिंदी विभाग, आर. बी. एस. कॉलेज, आगरा।

सारांश (Abstract) :

भक्तिकालीन ब्रजभाषा काव्य की माधुर्य–प्रधान धारा में रसोपासना एवं निकुंजोपासना का विशेष स्थान है। यह धारा भक्ति को केवल उपासना–पद्धति न मानकर उसे रसानुभूति और साधना का उत्कर्ष मानती है। हरित्रयी 'हरिवंश, स्वामी हरिदास तथा हरिव्यास देव' इस परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक और साधक कवि हैं। इनके काव्य में राधा–कृष्ण की लीला, रास, होली, झूलन आदि औत्सविक प्रसंग केवल लोक–उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रस–साधना के माध्यम हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में हरित्रयी के ब्रजभाषा काव्य में निहित औत्सविकता, रसोपासना और निकुंजोपासना के दार्शनिक, सौंदर्यात्मक एवं काव्यात्मक स्वरूप का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

बीज शब्द : रसोपासना, निकुंजोपासना, औत्सविक काव्य, हरित्रयी, ब्रजभाषा, माधुर्य भक्ति।

1. भूमिका : भक्तिकाल और माधुर्य-भक्ति की परंपरा :-

हिंदी साहित्य के भक्तिकाल में कृष्णभक्ति की माधुर्य–प्रधान धारा का विशेष महत्व है। इस धारा में ईश्वर को पति, प्रिय या रसिक नायक के रूप में देखा गया। ब्रज क्षेत्र इस भक्ति का केंद्र बना, जहाँ लोकजीवन, संगीत, नृत्य और उत्सव भक्ति के सहज माध्यम थे।

रसोपासना और निकुंजोपासना इसी माधुर्य–भक्ति की चरम अवस्था हैं, जहाँ भक्त रस का उपासक बन जाता है और साधना का लक्ष्य राधा–कृष्ण के दिव्य मिलन में तन्मय होना है। सखी संप्रदाय की मान्यता के अनुसार, "वृन्दावन की निकुंजों में निधिवन निकुंज परम्गोप्य और प्रिया–प्रियतम की परम एकांत स्थली है। इसकी शोभा और भी विलक्षण है। यहाँ प्रेमानंद इस निकुंज में प्रतिपल पल्लवित होता रहता है। प्रियालाल के आनंद के कारण यह निकुंज अत्यंत छविमय है"।[1] हरित्रयी का काव्य इसी साधनात्मक पृष्ठभूमि में विकसित हुआ।

2. रसोपासना : सैद्धांतिक और आध्यात्मिक आधार :

रसोपासना का मूल सिद्धांत यह है कि ईश्वर का साक्षात्कार रसानुभूति के माध्यम से होता है। यह अवधारणा भारतीय काव्यशास्त्र के रस–सिद्धांत से प्रभावित है, किंतु भक्तिकाल में इसे आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त

हुआ। यहाँ श्रृंगार रस केवल शारीरिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। रासलीला इस रसोपासना की केन्द्रीय लीला है। साधक स्वयं को गोपी–भाव में रखकर कृष्ण के रस में सहभागी बनता है। हरित्रयी के काव्य में रसोपासना अनुभूति–प्रधान है, न कि केवल वर्णनात्मक।

3. निकुंजोपासना : रहस्य, साधना और गोपनीयता :

निकुंजोपासना, रसोपासना की ही अधिक सूक्ष्म और रहस्यात्मक अवस्था है। यहाँ साधक राधा–कृष्ण के निकुंज–विहार का सेवक बनता है। यह उपासना सार्वजनिक नहीं, बल्कि अंतःकरण में घटित होती है। काव्य में प्रतीक, संकेत और अल्पोक्ति का प्रयोग बढ़ जाता है। स्वामी हरिदास और हरिव्यास के काव्य में निकुंजोपासना विशेष गहराई के साथ प्रकट होती है।

4. औत्सविक काव्य और ब्रज की लोकसंस्कृति :

नित्य की सेवा में दैनिक कर्तव्य–कर्म कालांतर में ऊबा देने वाले होते हैं । अतः जीवन में समरसता बनाए रखने के लिए उत्सव समारोह व ऋतु अनुकूल चर्या और यथा समय क्रमानुसार आनंद उल्लासपूर्ण समायोजनों की आवश्यकता होती है। इन उत्सवों का प्रारंभ बसंत से होता है और दीपावली में उनका उपसंहार हो जाता है। श्री पंचमी के दिन होरी बसंत की स्थापना होती है और उसी दिन से रथ यात्रा तक रंगीली होली, धमार गायन, हो–हो करके नृत्य संगीत और नाना प्रकार की मदमस्ती भरी क्रीड़ाएं निरंतर संपन्न होती रहती हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजन, ग्रीष्म ऋतु में जल क्रीड़ा, वन विहार, जल यात्रा, रथ यात्रा में युगल किशोर आनंद विभोर रहते हैं। वर्षा ऋतु में कदंब कुंजो में सखियां हिंडोला डालकर राधा माधव को झुलाती हैं। रिमझिम बूंदों में वृक्ष के नीचे खड़े होकर वर्षा की फुहार का आनंद विशेष आकर्षक है।

झूला–झूलन वर्षा ऋतु के आनंद समारोह का विशेष उत्सव है। हरियाली तीज और हरियाली अमावस में रंग–रंगीले वस्त्र–आभूषणों से सुसज्जित झूला झूलते दंपति की आभा वर्णनातीत होती है।

'रंग हिंडोरे झूलत रंग भरे प्यारी।
अति आतुर आसक्त स्याम–घनस्यामा सुठि सुकुमारी।
हरित अवनि बन सयन लगति नव वचन रचन रुचिकारी।
श्री दास किसोर भये वर भामिनी नित्य निकुंज बिहारी"।।[2]

5. हरिवंश : लीला-प्रधान औत्सविक रसोपासना :

हरिवंश को हरित्रयी परंपरा का प्रारंभिक कवि माना जाता है। इनके काव्य में राधा–कृष्ण की लीला का विस्तार है। ब्रज का प्राकृतिक सौंदर्य–वन, यमुना, कुंज सजीव रूप में चित्रित है। हरिवंश के यहाँ उत्सव रस–उद्भव का कारण है। रास, होली और झूलन काव्य में आनंद और भक्ति का समन्वय करते हैं।

'कहा कहूं इन नैनन की बात।
ये अलि प्रिया वदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात।
जब जब सकत पलक सम्पुट लट अति आतुर अकुलात।
लम्पट लवनिमेष अंतर तैं अलप कलप सत सात।
श्रुत पर कञ्ज दृगंजन कुच विच मृग मद ह्वे न समात।
श्री हरिवंश नाभिसर जलचर जांचत सांवल गात।"[3]

6. स्वामी हरिदास : संगीत, रास और निकुंज-साधना :

स्वामी हरिदास भक्त, कवि और संगीत–साधक तीनों रूपों में अद्वितीय हैं। इनके पदों में संगीत और काव्य dkvnHkqr esy gSA jkl ;gka cká uR; ugha] cfYd vkarfjd lk/kuk gSA Lokeh gfjnkl dsvuqlkj Jh jk/kkvuar lkSan;Zdh fuf/k gSa] mudk lkSan;Z lc çdkj dh LFkwyrk lseqä gSA ml Lo#i dh xgjkbZ rksLo;a Bkdqj Jh fcgkjh th gh tkursgSaA Fkok osegkHkkx ft Ugsa Jh fudqat fcgkjh th dsçsejl dk vkJ; çkIr gSA vU; Fkk nsokaxuk;sHkh mudsa: i lkSan;Zdksns[kdj vk'p;ZfofLer gSavkSj jk/kk dh ,d –f"V mu ij dSsi MrhbI dsfy , lej\ d q gSA

Hkwhal c ns[k ns[kA

t PN fdUuj ukxy ks noskL=hjgh aHkfp y s[k y s[kA

dgr ijLij ukfj ukfj lkas; g lqbhjrk voj s[k voj s[kA

Jh gfjnkl dsLokeh L;kek dS sgywfp r oS; si j s[k i j s[kAAß[4]

हरिदास के काव्य में, भाषा कोमल, भाव गूढ़ और संकेतात्मकता प्रधान है। निकुंजोपासना इनके यहाँ अलक्षित और गोपनीय रूप में व्यक्त होती है।

7. हरिव्यास देव : लोकधर्मिता और साधना का संतुलन :

हरिराम व्यास के काव्य में लोक संस्कृति की सहजता और साधनात्मक गहराईका संतुलन दिखाई देता है। इनके पदों में होली और झूलन लोकजीवन से जुड़े हैं, परंतु अंततः वे भक्त को आध्यात्मिक तन्मयता की ओर ले जाते हैं।

"मंगल आरति शयन प्रयन्ता, जुगाल्चंद की केलि अनंता।

सूचित, सुचित्तन रंग बढ़ावै, रंग रंगिओली के मन भावै।।"[5]

8. निष्कर्ष :

प्रस्तुत विस्तृत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रसोपासना और निकुंजोपासना में रचित हरित्रयी का औत्सविक ब्रजभाषा काव्य भक्तिकालीन साहित्य की एक विशिष्ट, सूक्ष्म और गहन साधनात्मक धारा है। यह काव्य लोक और शास्त्र, उत्सव और साधना, रस और भक्ति के बीच सेतु का कार्य करता है। हरित्रयी की काव्य–परंपरा ब्रजभाषा साहित्य को केवल कलात्मक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊँचाई भी प्रदान करती है।

संदर्भ (References) :

1. गोस्वामी, शरण बिहारी, कृष्णभक्ति काव्य में सखी भाव, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1966, पृष्ठ 306
2. श्री किशोरीदास जी की वाणी, वर्षोत्सव, पद संख्या–104, संव राधा मोहनदास गुप्त।
3. हित चतुरासी, पद संख्या–60, हित हरिवंश, वेणु प्रकाशन, वृन्दावन।
4. केलिमाल, पद संख्या– 42, स्वामी हरिदास।
5. महावाणी, सेवा सुख, पद संख्या–83, हरिव्यास देव।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 142-148
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एम.एन. रॉय के शैक्षिक दर्शन का वैचारिक समन्वय और सुदृढीकरण

शिवानी व्यास, रिसर्च स्कॉलर,
डॉ. प्रीति ग्रोवर, प्रोफेसर,
शिक्षा विभाग, टाटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर, राजस्थान।
विवेक व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर,
व्यवसाय प्रशासन विभाग स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान।

शोध सारांश :

प्रस्तुत शोध आलेख में राय के रेडिकल ह्यूमैनिज्म पर आधारित शैक्षिक दर्शन का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वैचारिक समन्वय को दर्शाया गया है। राय का शैक्षिक दर्शन तर्कशीलता, वैज्ञानिक सोच, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक क्रांति तथा नैतिकता पर केंद्रित रहा है। राय ने मानव को केंद्र में रखकर शिक्षा को उसकी मुक्ति का माध्यम बताया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समग्रता, बहुविषयकता, समावेशी और मूल्य आधारित शैक्षिक अवधारणा हमारे आधुनिक शिक्षा को बल प्रदान करती है उसी प्रकार राय के विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानवीय विकास को सशक्त बनाते हुए वैज्ञानिक तर्कसंगतता, आलोचनात्मक सोच के विकास तथा अध्ययन संबंधी चुनौतियां से निपटने में सहायक सिद्ध होते है। यह शोध पत्र भारतीय ज्ञान परंपरा में राय के शिक्षा उपागम के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सुदृढ करने की संभावनाओं की जांच करता है। जहां भारतीय परंपरा आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक गहराई भारतीय शिक्षा को प्रदान करती है वही रॉय का शैक्षिक दर्शन शिक्षा को वैज्ञानिकता और तार्किक मजबूती प्रदान करते हैं इन दोनों का संयोजन राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा को और अधिक प्रभावी बनाता है तथा विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

मुख्य शब्द :- एम.एन. रॉय, रैडिकल ह्यूमनिज्म, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तर्कसंगत शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद।

प्रस्तावना :

आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्रांतिकारी परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में उजागर हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक आवश्यकताओं को एकीकृत करने का प्रयास करती है। यह नीति शिक्षा की समग्रता बहुविषयकता तथा मूल्य आधारित परंपराओं को संतुलित रूप से प्रासंगिक बनाती है। हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें वेद, उपनिषद, गीता तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ शामिल है,

शिक्षा को मात्र बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, भावनात्मक विकास पर बल देते है। यह ज्ञान परंपरा जीवन के मूल सिद्धांतों जैसे ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य की खोज को शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार और उसके द्वारा किया गया सामाजिक योगदान को सर्वोपरि बनाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली के इसी सुदृढीकरण के अंतर्गत भारतीय प्राचीन परंपरा के पुनर्जीवित करने में मानवेंद्रनाथ रॉय, का शैक्षिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन की लंबी परंपरा रही है, मैकाले की शिक्षा से लेकर गांधी की नई तालीम, फिर 1968 और 1986 की नीतियाँ, और अब NEP 2020, शिक्षा को पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने का माध्यम मानती है। (NEP 2020)। यह नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए वैज्ञानिक सोच और क्रिटिकल थिंकिंग पर बल देती है। एम.एन. रॉय (1887–1954), जो मार्क्सवाद से रैडिकल ह्यूमनिज्म तक पहुँचे, शिक्षा को मानव की मुक्ति का साधन मानते थे। उनके अनुसार, शिक्षा रूढिवाद से मुक्त कर तर्क और विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति स्वतंत्र और नैतिक बने। रॉय के विचार (New Humanism 1947, Reason, Romanticism and Revolution,1952) NEP 2020 के scientific temper और holistic development से मेल खाते हैं। यह आलेख रॉय के शैक्षिक विचारों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सुदृढ बनाने की संभावनाएँ तलाशता है। मनेंद्रनाथ राय एक क्रांतिकारी विचारक और रेडिकल ह्यूमैनिज्म के संस्थापक रहे। उन्होंने शिक्षा को तर्क, विज्ञान और मूल्य आधारित माना है। उनके शैक्षिक दर्शन में धार्मिकता और रूढिवादी विचारों से मुक्त, विज्ञान आधारित शिक्षा को जीवन का मूल सिद्धांत बताया है। राय का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से क्रांति संभव है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता नैतिकता और वैज्ञानिक सोच को बल प्रदान करती है। उनका रेडिकल ह्यूमैनिज्म शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का साधन बना जिससे व्यक्ति का विकास सामूहिक प्रगति से जुडा है। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय ज्ञान परंपरा तथा आधुनिक शिक्षा नीति 2020 मैं राय के तर्कशील और मानवतावा दृष्टिकोण के एकीकरण से शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाने की ओर प्रकाश डालता है।

शोध के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोधलेख भारतीय ज्ञान परंपरा और मानवेंद्र नाथ राय के शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा नीति का सुदृढीकरण करने पर केंद्रित है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार है :

1. राय के तर्कशील और मानवतावाद का अध्ययन।
2. राय के शैक्षिक दृष्टिकोण द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुदृढीकरण।

अनुसंधान पद्धति :

वर्तमान शोध शिक्षा पर प्रख्यात भारतीय विचारक मानवेन्द्र नाथ रॉय के शैक्षिक विचारों के अतुलनीय विचार संग्रह को दर्शता है। शिक्षाविद के दार्शनिक पहलुओं के अध्ययन के लिए किया गया शोध कार्य मूल रूप से एक वर्णनात्मक एसैद्धांतिकए वैचारिकए ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धति आधारित है। यह शोध प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए गए तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण विश्लेषण अध्ययन है।

संबंधित साहित्य :

मानवेंद्र प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी, दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक थे। उनका शैक्षिक दर्शन मुख्य रूप से रेडिकल ह्यूमैनिज्म अथवा न्यू ह्यूमैनिज्म, नव मानववाद पर आधारित था ,जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कशीलता

और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखता है। राय शिक्षा को केवल ज्ञान का संचय नहीं बल्कि मानव मुक्ति और सामाजिक पुनर्जागरण का साधन कहते हैं। वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति की पूर्व शर्त मानते थे, जो लोगों को स्वतंत्रता और नैतिक जीवन के सिद्धांतों से अवगत करवाती है। उनके दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक पुनर्जागरण है ,जो केवल शिक्षक के व्यापक और दृढ प्रयास से ही संभव है। राय के अनुसार शिक्षा सार्वभौमिक होए लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच को विकसित करें और अंधविश्वास, धार्मिक रुढियों और अधिनायकवाद से मुक्ति दिलाए। यही नव मानववाद का भी आधार है। राय शिक्षा को सामाजिक पुनर्जागरण और क्रांति की आधारशिला मानते थेए जिसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका है (नारिसेटी 2004)। एम.एन. रॉय का नवमानवताबाद शिक्षा को क्रांति का प्रमुख माध्यम मानता है। वह शिक्षा की तर्कसंगतता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अंधविश्वास, मुक्ति, नैतिक विकास और मानवीय गरिमा पर केंद्रित पहचान को आधुनिक प्रसंग में व्याख्या करता है। रॉय के अनुसार शिक्षा मानसिक क्रांति और बौद्धिक क्रांति का साधन है। अतः यह राज्य नियंत्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित और तर्क आधारित होनी चाहिए।

चौहान 2025 के शोध में राय के नव मानवतावाद को व्यक्ति की गरिमा और तर्क पर जोर देते हुए विश्लेषित किया गया है जो की शिक्षा के वैज्ञानिक सोच और तार्किक सोच को बताता है । पाठक 2025 की कंपलीट स्टडी ऑफ रॉयस न्यू ह्यूमैनिज्म और मार्क्सिज्म में रॉय के मानवतावाद को भौतिकवादी और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित बताया है जिससे शिक्षा मानव की नैतिक संवेदनशीलता और स्वतंत्रता को विकसित करती है। रॉय के मानवतावाद के दर्शन को शिक्षा का मुख्य हिस्सा मानकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास का आधार बनाया गया है। वर्तमान साहित्य राय के मानवतावाद को आधुनिक चुनौतियों में प्रासंगिक मानते हैं जिसमें शिक्षा के तीन स्तंभों कारण, नैतिकता और स्वतंत्रता को क्रांति का साधन बताया हैं। यह व्यक्ति को rational बनाकर सामाजिक परिवर्तन लाती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी नीतियों में वैज्ञानिक सोच और सम्पूर्ण शिक्षा से जुडती हैं। रॉय की शिक्षा दृष्टि को आधुनिक पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण में एकीकृत करने की आवश्यकता हमारी शैक्षिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करती है। रॉय के विचार मानव उत्थान स्वतंत्रता समावेशी तथा समता को प्रदर्शित करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों को उनके उत्थान का साधन बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं जैसे आलोचनात्मक सोच, नवाचार, समता और समग्र शिक्षा को पूरा करने का प्रयास करती है। शिक्षा किसी राष्ट्र की आत्मा है यह न केवल व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है बल्कि समाज को प्रगतिशील, समावेशी और न्याय पूर्ण बनाती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा नीतियों ने समय–समय पर 1968, 1986 और 2020 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन देखे। 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति बनी जिसका मूल उद्देश्य भारतीय मूल्य और परंपरा पर आधारित ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करना रहा जिससे भारतीय ज्ञान वैश्विक ज्ञान और महाशक्ति बनकर विकसित हो।

यह शिक्षा नीति भारत में सतत विकास लक्ष्य नंबर चार से जुडी है जिसमें 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है शिक्षा मंत्रालय (2020,A

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक परिवर्तन का साधन है। इस नीति का मूल उद्देश्य पूर्ण मानव क्षमता का विकास करना है, जिसके अंतर्गत तार्किक विचार, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। यह नीति व्यक्ति को न केवल बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती है बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से भी विकसित करती है ताकि व्यक्ति एक न्याय पूर्ण, समावेशी, प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शैक्षिक दृष्टिकोण शिक्षा की समग्रताए बहू विषयकताएं उसका लचीलापन और उसे मूल्य आधारित बनाना रहा है। यह नीति हर छात्र को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में बौद्धिक क्षमता भावनात्मक क्षमता सामाजिक और नैतिक रूप से आगे बढाने में सहायता करती है। रटनविद्या की बजाय आलोचनात्मक चिंतन रचनात्मक समस्या समाधान और वैज्ञानिक सोच पर जोर देते हुए इसमें भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, भाषा और प्राचीन ज्ञान परंपरा को एकीकृत कर जड़ों से जुड़े रहकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं, प्रावधान अधोलिखित है :

1. **समग्र शिक्षा** – बच्चों की शारीरिक भावनात्मक बौद्धिक और नैतिक विकास पर जोर देना (अध्याय 4)
2. **बहुविषयक दृष्टिकोण का विकास** – उच्च शिक्षा में विषयों की कठोरता को समाप्त करते हुए अनेक संबंधित विषय का समावेशन (अध्याय 9 से 11)
3. **वैज्ञानिक सोच** – वैज्ञानिक वातावरण को बढावा देते हुए अंधविश्वास का विरोध की व्याख्या (अध्याय 4)
4. **मूल्य आधारित शिक्षा** – शिक्षा नीति में नैतिकता सहानुभूति सामाजिक एवं भावनात्मक भारतीय मूल्यों का समावेश।
5. **समावेशिता** – शिक्षा नीति में सभी वर्गों के लिए समान अवसर तथा समान शैक्षिक दृष्टिकोण के विकास पर बल।
6. **शिक्षक प्रशिक्षण** – शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षक को आधुनिक शैक्षिक तकनीकी से प्रेरित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तैयार करने का प्रावधान है।

राय का शिक्षा दर्शन :

मानवेंद्र नाथ राय का शिक्षा दर्शन नव मानवतावाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गहराई से जुड़ा हुआ है। मानवेंद्र नाथ राय ने शिक्षा को व्यक्ति की पूर्ण मुक्ति, सामाजिक क्रांति का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना। उनका दर्शन मार्क्सवाद के बाद विकसित हुआ, जिसमें मानव को केंद्र में रखकर तर्क स्वतंत्रता वैज्ञानिक सोच और गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया। राय का नवमानवतावा, तर्क, स्वतंत्रता, नैतिकता पर आधारित है।

1. **शिक्षा में तर्क और वैज्ञानिक सोच :** राय के अनुसार शिक्षा धार्मिकता और रूढिवादी विचारों से मुक्ति दिलाती है वह व्यक्ति को वैज्ञानिक समझ प्रदान करती है ताकि प्रकृति और समाज को समझ कर व्यक्ति अपने चिंतन और सोच को नए आयाम प्रदान कर सके।

2. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता :** शिक्षा व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानती है वह व्यक्ति कि साम्यवाद तथा प्रभुत्व वाद की नीति से परे स्वतंत्र वैचारिक दृष्टिकोण को बल प्रदान करती है।

3. **शिक्षा-सामाजिक क्रांति का माध्यम :** राय ने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का माध्यम बताया। शिक्षा ekufl d Økfar ykrh g\$t ksjkt ulfr d vkS vkfFkZ Økfar l si gy sv fr vko' ; d gS mUgksus Re-educating

the educators संप्रत्यय पर बल देते हुए शिक्षकों के पुनः शिक्षण के लिये कहा।

4. **मानव केंद्रित नैतिकता** – राय की शिक्षा दृष्टि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रिटिकल थिंकिंग और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से जोड़ते हुए उसमें फ्रेटरनिटी, इक्वलिटी और डिग्निटी सिखाती है। राय के अनुसार नैतिकता मानव केंद्रित होनी चाहिए न की मात्र एक विचारधारा।

राय के शैक्षिक दर्शन के साथ शिक्षा नीति का एकीकरण तथा सुदृढीकरण :

राय का मानवतावादी उपागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां समग्रता और समावेशिता पर बल देती है वहीं राय इसे तर्क, स्वतंत्रता और क्रांति से भरते हैं। इन दोनों का संयोजन शिक्षा को मुक्ति का साधन बनाता है। शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक सोच की मजबूती पर बल दिया गया है जो राय के मानवतावाद के माध्यम से और शिक्षा पाठ्यक्रम में वैकल्पिक अध्ययन को शामिल कर युवाओं में विकसित की जा सकती है इससे विकसित भारत/2047 के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा को समग्र बहूआवश्यक मूल्य आधारित सोच प्रदान करती है। यह शिक्षक को वैज्ञानिक, समावेशी बनाने के लिए राय के दर्शन में केंद्रित मानवीय स्वतंत्रता, तार्किकता, वैज्ञानिकता, नैतिकता और सामाजिक क्रांति का आधार लेती है। राय शिक्षा को मानसिक क्रांति के साथ fraternity अर्थात भाईचारा, equality, और dignity को बढावा दिया। राय के विचार NEP 2020 के कई प्रावधानों से सीधे जुडे हुए हैं जिसमें नीति को और अधिक मजबूत और तर्कसंगत प्रगतिशील बनाते हैं। उनके वैज्ञानिक सोच और तार्किकता शिक्षा को scientific reshnatity की ओर लेकर जाती है। राय के विचारों से रीजन बेस्ड इंक्वारी अर्थात कारण संबंधी पूछताछ तथा अंधविश्वास विरोधी माड्यूल शिक्षा नीति की वैज्ञानिक सोच और पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जहां बालक के संपूर्ण शिक्षा और विकास पर जोर देते हैं वही राय व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सर्वोपरि मानते हैं और उनका नवमानवतावाद व्यक्ति को केंद्र में रखकर शिक्षा को मुक्ति का माध्यम बनता है शिक्षा नीति के बहुविषक दृष्टिकोण में राय की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल कर छात्रों की रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता बढाई जा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जहां मूल्य आधारित शिक्षा और सामाजिक न्याय का समावेश किया गया है, वहीं राय का भाईचाराबाद, समानता और सम्मान तथा सामाजिक क्रांति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाता है। राय रेडिकल डेमोक्रेसी की अवधारणा के माध्यम से शिक्षा नीति में मानवतावाद से सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बना सकते हैं और जन भागीदारीता वाली शिक्षा एवं वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सकते हैं। हमारी शिक्षा नीति में शिक्षक को एक प्रेरक और वैज्ञानिक सोच वाला बनाना चाहा है उसी के लिए राय ने री एजुकेटिंग द एजुकेटर के मंत्र से शिक्षकों को पहले तर्क संगत बनाने की प्रस्तावना की है। राय की पुस्तकों न्यू ह्यूमैनिज्म एरीजन, रोमांटिसिजम और रिवॉल्यूशन में शामिल क्रिटिकल पेडागोजी के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सुदृढ किया जा सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में राय के विचारों को एनसीटीई एनसीईआरटी तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल कर विद्यालय की प्रारंभिक, माध्यमिक, और उच्च शिक्षा स्तर पर रेडिकल ह्यूमैनिज्म और साइंटिफिक टेंपरामेंट मॉड्यूल को जोडकर शैक्षिक वातावरण को प्रगतिशील बनाए जा सकता है। शिक्षा नीतियों के व्यावहारिक कार्यान्वन में आने वाली संसाधनों की कमी क्षेत्रीय

असमानता और परंपरावादी विरोध को समाप्त करने के लिए राय का दर्शन इसे राह दिखाता है। एम. एन. रॉय का रेडिकल ह्यूमैनिज्म शिक्षा नीति 2020 को केवल नीति का दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत तर्कसंगत मानव केंद्रित क्रांति का माध्यम बना सकता है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्रता और समावेशिता के साथ तर्क स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की गहराई जोड़ते हुए भारत को विकसित न्यायपूर्ण और वैज्ञानिक सोच वाला राष्ट्र बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकती है।

राय के शैक्षिक दर्शन के साथ शिक्षा नीति का सुदृढीकरण तालिका मे प्रस्तुति

शैक्षिक पहलू	एम.एन. रॉय का शैक्षिक दर्शन	NEP 2020	सुदृढीकरण की संभावना
तर्क एवं वैज्ञानिक सोच	शिक्षा अंधविश्वास मुक्ति और तर्क पर आधारित	Scientific temper, critical thinking	रॉय के विचारों से पाठ्यक्रम में "reason&based inquiry" को अनिवार्य बनाया जा सकता है , उदाहरण. विज्ञान शिक्षा में रूढिवाद विरोधी मॉड्यूल।
व्यक्तिगत स्वतंत्र ता	व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता	Holistic & individual potential development	NEP के "choice-based credit system" में रॉय की स्वतंत्रता को जोडकर छात्रों की क्रिएटिविटी बढेगी।
सामाजिक न्याय एवं क्रांति	शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन	Equity, inclusion, social justice	रॉय की "radical democracy" से NEP में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सकता हैय जैसे जन–भागीदारी वाली शिक्षा।
नैतिकता एवं मानवीय मूल्य	Fraternity, Equality, dignity	Value-based education,compassion	रॉय के ह्यूमनिज्म से NEP को अधिक मानव–केंद्रित बनाया जा सकता है।
शिक्षक भूमिका	Educators का re-education	Motivated & trained teachers	शिक्षक प्रशिक्षण में रॉय के ग्रंथ शामिल कर "critical pedagogy" सिखाई जा सकती है।
शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा	मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और मानव की पूर्ण क्षमता विकसित करने का साधन	शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास 21वीं सदी की क्षमताएँ और विकसित भारत/2047 का लक्ष्य।	दोनों का संयोजन शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं, बल्कि मुक्ति, तर्क और सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाता है NEP को प्रगतिशील बनाना

निष्कर्ष :

राय का रेडिकल ह्यूमैनिज्म और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समन्वय भारतीय शिक्षा को एक संतुलित, मजबूत और परिवर्तनकारी रूप देता है। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र विकास, बहू विषयक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, मूल्य आधारित शिक्षा, समावेशित शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान परंपरा पर जोर देकर 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वही राय का तर्कवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण इसको तर्कसंगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अंधविश्वास से मुक्ति दिलाकर नैतिक गरिमा, सामाजिक न्याय और मानसिक क्रांति की गहराई प्रदान करता है। इन दोनों का समायोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों वैज्ञानिक सोच, आलोचनात्मक सोच और शिक्षकों के प्रशिक्षण में राय के विचारों को मजबूत मजबूत बनाता है जिससे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, मानव केंद्रित प्रगति बन जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ तार्किकता का संतुलन

अंधभक्त–रूढिवादिता को दूर कर शिक्षा को प्रगतिशील न्याय पूर्ण विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनता है। इस प्रकार नव मानवतावाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वैचारिक गहराइयां और व्यावहारिक मजबूती को अधिक प्रभावी, समावेशी और क्रांतिकारी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती है, जो समाज को मानवीय और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। अतः आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत के प्राचीन दार्शनिक सोच को पुनः एकीकृत कर शिक्षा के माध्यम से मानव को स्वतंत्र जिम्मेदार और प्रगतिशील नागरिक बनाया जाए।

संदर्भ :

1. चौहान, पी. (2025). पहचान की राजनीति के बीच एम.एन. रॉय का कट्टरपंथी मानवतावाद ए रिसर्चगेट।
2. पाठक, पी. (2025). एम.एन. रॉय के नव–मानवतावाद और मार्क्सवाद का तुलनात्मक अध्ययन द सोशल साइंस रिव्यू रिसर्चगेट।
3. शिक्षा मंत्रालय (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
4. नारीसेटी, आई. (सं.). (2004)। एम. एन. रॉय कट्टरपंथी मानवतावादी : चयनित लेखन। प्रोमेथियस पुस्तकें।

joshisharad@gmail.com, drpreetigrover6@gmail.com, vivekhmh@gmail.com
7597387963, 7597390988

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 149-153
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Gender Neutrality under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 : An Analysis of Its Legal and Social Implications

Dr. Sanjay Kulshrestha
Professor & HOD, Institute of Law, Jiwaji University.

Abstract :

Gender neutrality has emerged as a significant legal and social principle in modern jurisprudence, particularly in the context of evolving constitutional values and human rights discourse. The enactment of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) marks a transformative shift in India's criminal procedural framework, replacing the Code of Criminal Procedure, 1973. This research paper critically examines the concept of gender neutrality under the BNSS and analyses its legal and social implications. It explores the extent to which BNSS provisions align with constitutional mandates of equality, judicial interpretations, and international gender equality standards. The paper further evaluates the social consequences of gender-neutral legal policies on individuals, communities, and institutional structures. A comparative analysis with international practices is undertaken to identify gaps and best practices. Finally, the study offers policy recommendations and reforms to strengthen gender-neutral legal frameworks in India.

Keywords : Gender Neutrality, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, Gender Equality, Legal Reform, Social Justice, Criminal Justice System

Introduction :

The concept of gender neutrality has gained increasing recognition in contemporary legal systems worldwide. Traditionally, legal frameworks were structured around binary gender assumptions, often privileging men and marginalising women and gender-diverse persons. However, constitutional democracies have progressively embraced gender equality as a core principle of justice, dignity, and human rights.

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, represents a major overhaul of India's criminal

procedure laws. It seeks to modernise procedural justice, ensure citizen security, and enhance access to justice. Gender neutrality under BNSS must be examined within the broader constitutional framework of Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution, which guarantee equality, non-discrimination, and personal liberty.

This research paper seeks to analyse whether BNSS effectively incorporates gender-neutral principles and what legal and social implications arise from such inclusion or omission.

Concept and Definition :

Gender neutrality refers to the elimination of gender-based distinctions in laws, policies, and institutional practices, ensuring equal treatment irrespective of gender identity. It aims to remove systemic biases embedded in legal language and institutional practices and ensure inclusivity for all genders, including men, women, transgender persons, and non-binary individuals. Gender-neutral legal frameworks are essential for achieving substantive equality. Formal equality often fails to address structural inequalities, whereas gender-neutral policies aim to create equitable opportunities and protections. In the Indian context, gender neutrality must be interpreted in light of social realities, patriarchal structures, and intersectional discrimination.

Legal provisions of Gender Neutrality under BNSS

- **Objectives and Scope of BNSS :**

The BNSS was enacted to replace the Code of Criminal Procedure, 1973, with objectives such as :

- Enhancing efficiency in criminal justice administration
- Strengthening citizen security mechanisms
- Incorporating digital and procedural reforms
- Ensuring timely justice and victim protection

The BNSS also intersects with constitutional principles of equality and dignity, making it necessary to evaluate its gender-sensitive and gender-neutral provisions.

- **Gender-Relevant Provisions in BNSS :**

While BNSS primarily focuses on procedural law, several provisions have gender implications, particularly in :

- Arrest and detention procedures
- Victim compensation and protection mechanisms
- Witness protection and trial procedures
- Legal aid and access to justice.

Some provisions use gender-neutral language, while others indirectly reflect traditional gender

assumptions. A critical analysis reveals the need for explicit gender-neutral drafting to ensure inclusivity.

Judicial Interpretation and Gender Neutrality

- **Role of Judiciary in Shaping Gender-Neutral Jurisprudence :**

The judiciary has played a pivotal role in interpreting gender neutrality within Indian law. Courts have expanded the scope of equality and dignity through progressive judgments.

- **Landmark Judgement :**

(a) Vishaka v. State of Rajasthan (1997) :

The Supreme Court laid down guidelines to prevent sexual harassment at the workplace, recognising gender justice as part of Articles 14, 15, and 21. Although focused on women, it laid the foundation for gender-neutral workplace safety laws.

(b) National Legal Services Authority v. Union of India (2014) :

The Court recognised transgender persons as the "third gender" and affirmed their fundamental rights, marking a milestone in gender-neutral jurisprudence.

(c) Vikram Singh v. Union of India (2018) :

The Delhi High Court emphasised non-discrimination against transgender persons in employment and insurance, reinforcing gender-neutral policy obligations.

These cases demonstrate judicial activism in promoting gender inclusivity, which must be reflected in procedural laws like BNSS.

Social Implications of Gender-Neutral Policies under BNSS

- **Impact on Individuals :**

Gender-neutral policies can significantly affect individuals by promoting inclusivity, dignity, and psychological well-being. Individuals from marginalised gender identities experience increased recognition and legal protection, reducing stigma and discrimination.

- **Impact on Communities and Social Structures :**

Gender-neutral legal frameworks challenge traditional gender roles within families and communities. They promote equitable division of responsibilities, inclusive social norms, and social cohesion. However, resistance from conservative social groups remains a major challenge.

- **Influence on Societal Attitudes :**

Legal recognition of gender neutrality influences societal attitudes by normalising gender diversity. Over time, such laws contribute to dismantling patriarchal norms and fostering a rights-based society.

- **Enforcement Challenges and Compliance Issues :**

  Despite progressive provisions, several challenges hinder effective implementation :

- Lack of awareness among law enforcement agencies
- Resistance to gender-inclusive reforms
- Inadequate training and sensitisation
- Cultural biases and social stigma
- Weak institutional mechanisms

  These challenges highlight the gap between legal theory and social practice.

Comparative International Perspectives

- **Gender-Neutral Laws in Sweden and Canada :**

  Countries like Sweden and Canada have advanced gender-neutral legal frameworks, including:

- Gender-neutral parental leave policies
- Inclusive legal language
- Comprehensive anti-discrimination laws
- Recognition of non-binary gender identities
- **Lessons for India :**

  India can adopt global best practices by :

- Using inclusive legal drafting
- Strengthening enforcement mechanisms
- Conducting public awareness programs
- Establishing institutional accountability frameworks

Policy Recommendations and Reforms

- **Legal Reforms :**
- Explicit inclusion of non-binary and transgender identities in BNSS
- Gender-neutral terminology in procedural provisions
- Harmonisation with constitutional equality jurisprudence
- **Institutional Reforms :**
- Mandatory gender sensitisation training for police and judiciary
- Strengthening legal aid services for gender minorities
- Establishing monitoring bodies for gender equality enforcement
- **Social Reforms :**
- Public awareness campaigns on gender equality
- Educational curriculum on gender rights

- Community engagement initiatives

Conclusion

This research paper analysed the concept of gender neutrality under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and examined its legal and social implications. The study reveals that while BNSS represents a progressive shift in procedural law, explicit gender-neutral drafting remains limited. Judicial interpretations and constitutional mandates have significantly advanced gender inclusivity, but legislative frameworks must evolve to reflect these developments.

Gender-neutral policies have profound psychological, social, and institutional impacts, promoting inclusivity and equality. However, enforcement challenges, social resistance, and institutional limitations hinder their effectiveness. Comparative international analysis demonstrates that India must strengthen its legal and social frameworks to achieve substantive gender equality.

The adoption of inclusive legal language, institutional reforms, and societal awareness programs is essential for realising the constitutional vision of equality, dignity, and justice for all genders. Ultimately, gender neutrality under BNSS must not remain a symbolic concept but should translate into substantive legal and social transformation.

References :

1. Government of India, Ministry of Law and Justice, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
2. Vishaka v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011.
3. National Legal Services Authority v. Union of India, (2014) 5 SCC 438.
4. Vikram Singh v. Union of India, Delhi High Court (2018).
5. Smith, Julia, Gender Neutrality and Legal Reform, Cambridge University Press, 2021.
6. Jones, Michael, The Social Impacts of Gender-Neutral Legislation, Oxford University Press, 2020.
7. Gupta, Aarti, "Gender Neutral Policies in Indian Legal Frameworks," Journal of Indian Law and Society, 2023.
8. Patel, Ramesh, "Legal Reforms and Gender Equality," International Review of Law and Policy, 2022.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 154–157
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Pension as a Social Security Right for Government Employees : Legal Challenges and Reform Needs in Madhya Pradesh

Bhartendu Chaudhary
Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior.

Abstract :

Pension is an essential component of social security and a fundamental welfare measure for government employees. In India, pension jurisprudence has evolved through constitutional interpretation, statutory frameworks, and judicial pronouncements that recognize pension as a legal right rather than a discretionary benefit. In Madhya Pradesh, pension laws are governed by statutory rules and government policies, yet numerous legal challenges persist in implementation, equity, and fiscal sustainability. This research paper examines pension as a social security right for government employees, analyses legal challenges in Madhya Pradesh, and suggests reform measures to strengthen the pension system.

Keywords - Pension, Social Security, Government Employees, Madhya Pradesh, Legal Challenges, Pension Reforms, Constitutional Law.

Introduction :

Pension is a post-retirement financial benefit provided to government employees to ensure economic security in old age. It reflects the welfare obligations of the State and embodies the principle of social justice. In India, pension is governed by statutory pension rules and constitutional principles. The concept of pension has evolved from a discretionary reward to a legally enforceable right. However, the implementation of pension schemes remains fraught with administrative, legal, and financial challenges, particularly at the state level, including Madhya Pradesh.

Pension as a Social Security Right in India :

The Indian judiciary has consistently recognised pension as a social security measure and a

constitutional right. The Supreme Court has held that pension is not a bounty or gratuitous payment but a vested right accruing from service rules.

Courts have further linked pension with the right to livelihood and dignity under Article 21 and equality under Article 14 of the Constitution. Pension has been described as a socio-economic justice mechanism ensuring financial security in old age and preventing destitution among retired employees. Pension schemes are thus integral to the welfare state concept and reflect the State's obligation to provide social security to its employees.

Legal Framework Governing Pension in Madhya Pradesh :

Pension in Madhya Pradesh is governed by statutory rules framed under Article 309 of the Constitution, such as the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules and related government policies. These rules regulate eligibility, computation, family pension, gratuity, and commutation.

Recent amendments in Madhya Pradesh have expanded social security coverage, such as extending family pension benefits to unmarried, widowed, and divorced daughters, reflecting a progressive approach toward gender justice. However, the coexistence of the Old Pension Scheme (OPS) and the New Pension System (NPS) has created legal and policy complexities for government employees.

Legal Challenges in Pension Administration in Madhya Pradesh :

- **Policy Transition from old pension scheme to new pension scheme :**

One of the major legal challenges is the shift from the Old Pension Scheme (defined benefit) to the New Pension System (defined contribution). Employees appointed after 2005 are covered under NPS, which is market-linked and lacks guaranteed pension benefits. This has led to legal disputes and policy debates regarding social security and equality among employees.

- **Inequality Among Different Categories of Employees :**

Disparities exist between regular, contractual, temporary, and aided institution employees. Courts have clarified that pension rights depend on statutory provisions and cannot be claimed without a legal scheme.

This creates social security gaps for temporary and contractual workers who perform similar duties but lack pension coverage.

- **Administrative Delays and Procedural Deficiencies :**

Delayed pension sanction, incorrect calculations, and bureaucratic hurdles are common legal issues. Delayed pension violates the right to livelihood and dignity of retired employees and often

results in litigation.

Fiscal Constraints and State Liability :

The increasing pension burden poses fiscal challenges for the State government. Balancing welfare obligations with financial sustainability is a significant policy dilemma. Judicial decisions have emphasised that financial constraints cannot justify denial of legitimate pension rights.

Gender and Social Equity Issues :

Although reforms have expanded family pension benefits, issues persist regarding gender equality, dependent family members, and vulnerable groups. Ensuring inclusive pension coverage remains a legal and social challenge.

Reform Needs in Pension Laws and Policies :

- **Comprehensive Pension Legislation :**

There is a need for a consolidated pension legislation at the state level to harmonise various rules and schemes and reduce ambiguity.

- **Universal Social Security Coverage :**

The State should expand pension coverage to contractual and temporary employees through contributory schemes, ensuring inclusive social security.

- **Strengthening Administrative Mechanisms :**

Digitization of pension records, automatic sanction of pension, and grievance redressal mechanisms can reduce litigation and delays.

- **Fiscal Reforms and Sustainable Funding :**

The State must adopt actuarial funding models and pension funds to ensure long-term sustainability without compromising welfare obligations.

- **Judicial and Policy Coordination :**

Continuous judicial oversight and policy reforms are necessary to protect pensioners' rights while maintaining fiscal discipline.

Conclusion :

Pension is a fundamental social security right and an essential component of the welfare state framework. In Madhya Pradesh, pension laws have evolved through statutory reforms and judicial interpretations that recognize pension as a legal entitlement. However, legal challenges related to policy transitions, administrative inefficiencies, fiscal sustainability, and social equity persist. Comprehensive legislative reforms, inclusive social security policies, and efficient administrative

systems are required to ensure that government employees receive adequate and timely pension benefits. Strengthening pension laws will contribute to social justice, economic security, and dignity of retired government employees.

Refrences :

1. Constitution of India, Articles 14, 21, 38, 41, 309.
2. Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules.
3. Supreme Court Judgments on Pension Laws.
4. Government of Madhya Pradesh Pension Policy Documents.
5. Scholarly Articles on Social Security and Pension Reforms.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 158–163
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

भारतीय परम्परा और लोक कलायें तथा संस्कृति काशी के विशेष सन्दर्भ में

प्रोफेसर चन्द्रशेखर
परियोजना समन्वयक,
समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

मानव की भाव भंगिमाओं और उसके स्वरूपात्मक परिवर्तन के सन्दर्भ में कलायें तथा कृतियों में शिल्प की महत्ता सदैव से रही है। भारत में यह ग्रामीण क्षेत्र से लेकर आधुनिक विकास की नगरी क्षेत्र में वर्तमान समय में भी अपनी महत्ता को निर्मित करती हैं। कलायें, लोक कलायें, परम्परायें तथा शिल्प की अन्तर्वस्तु का प्रभावी स्वरूप उपादेयता के रूप में समय के सापेक्ष परिवर्तित अथवा विकसित होता रहा है। भारत में भी क्षेत्रीयता के आधार पर स्थानीयता का प्रभाव लोक कलाओं परम्पराओं और उसके गुणों के विकास तथा धार्मिक मूल्यों के अनुरूप देखा जा सकता है। काशी के नामकरण तथा उसकी विकास की परम्परा और सनातनी प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप जनमानस द्वारा रचनात्मकता प्रभाव के रूप में कला तथा शिल्प को स्वीकार किया जाता रहा है। काशी के क्षेत्र में कला तथा शिल्प को ज्ञान का भंडार तथा पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया से संरक्षित और सम्बन्धित माना जाता रहा है।

इस क्षेत्र से सम्बन्धित विद्वानों तथा उनकी रचनाओं और कृतियों पर सामाजिक तथा तकनीकी प्रभाव को देखा जा सकता है कला की उपादेयता को परम्पराओं से प्रभावित होकर आधुनिक समय तक के स्वरूप को अलग–अलग रूपों में विभाजित किया जा सकता है। काशी की परम्परा में लघु कला, शिल्प कला, संस्कार कला, जनसाधारण कला, लोक कला, उपयोगिता कला की प्रभावी रचना के रूप में देखा जा सकता है। कलाकृतियों के संदर्भ में धर्म के प्रभाव को सदैव से ही प्रभावशाली तथा कृतित्व की प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है चाहे वह पूर्व ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र हो अथवा सिंधु काल के मिट्टी के बर्तन इन कृतियों में भी समुदायिकता के विकास से संदर्भित अनुष्ठान तथा दैवीय परम्पराओं के प्रभावों को सृजनात्मकता के रूप में कला, संस्कृति और विकास से सम्बद्व करके दर्शाया जाता रहा है। जो न केवल सौंदर्य बोध वरन स्वाभाविक प्राकृतिक अभिव्यक्ति को भी प्रतीकात्मक तथा रूपांकन के उपयोगिता के मध्य देखा जाता रहा है।

19वीं तथा 20वीं शताब्दी के मध्य काशी में भारत और पश्चिम के यूरोप के नवीन परिप्रेक्ष्य के आधुनिक

कलाओं के माध्यम से रचनात्मक गतिविधियों के विकास के परिणामस्वरुप लोक कला, पारम्परिक कला तथा हस्तकला में न केवल परिवर्तन हुआ वरन इसका पुनरुद्धार और व्यावसायिक उत्पादन भी संगठित हो गया। इस काल की कला ने अपनी विशिष्टता को सारगर्भित रूप में प्रसारित किया। यहाँ से निकलने वाली कला के स्वरूप तथा उसकी विशिष्ट पहचान भारत के अन्य राज्यों तथा प्रदेशों में न केवल उत्पाद के रूप में प्रदर्शित किया। वरन् भारत की सामाजिक संरचना के विकास के आर्थिक स्रोत को भी संरक्षित किया। इतिहास के दृष्टिकोण से लोक कलायें अत्यंत प्राचीन है जिसका विकास मानव की सभ्यता के विकास से सम्बद्व करके देखा जा सकता है किंतु अद्वितीय कलाओं और उत्पादों के रूप में शिल्प परम्परा भारत में 5000 से अधिक समय से मूर्त रूप में विरासत के रूप में सम्बद्व है और यह उसकी अनुष्ठानिक समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि भारत में मानवीय विकास की सम्वेदना को धार्मिक विकास तथा अनुष्ठान की कृतियों के रूप में उपयोगी और स्वीकार किया जाता रहा है। यहाँ दैनिक जीवन में भी उपयोग में लायी जाने वाली प्रभावी क्रियाशीलता तथा उससे सम्बन्धित स्वरूपात्मक संरचनात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन विकास की परम्परा से प्रभावी माना जाता रहा है।

सनातनी परम्परा के अंतर्गत काशी को धर्म, संस्कृति और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। जो वैश्विक आधार पर आकर्षक और अध्ययन तथा अध्यापन के दृष्टिकोण से अपनी विशिष्ट को मानवीय विकास के संदर्भ में प्रदर्शित करता रहा है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कला और शिल्प की विशेष महत्व रही है क्योंकि लोक कलायें मानवीय संवेदनाओं और उनके आत्मीय सम्बद्व के प्राकृति प्रभाव तथा स्वरूप का निर्धारण करती है। अनादि काल से लोक कलाओं को मानव की मानसिक, सामाजिक अभिव्यक्ति तथा विकास और परिवर्तन की परम्परा के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। दैनिक जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठान और नैतिक नियंत्रण के रूप में यह लोक कलायें, लोक संस्कृति को विस्तारित तथा फलीभूत करती रही हैं। काशी के अंतर्गत लोक कलायें अपने विशेष महत्व सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में निर्मित रही हैं क्योंकि यह लोक कलायें वैश्विक आधार पर संस्कृतियों के संचार विकास तथा नवीन मूल्य की स्थापना में आने वाली बाधाओं का समसामयिक मूल्यांकन कर मानवीय संवेदनाओं से प्रभावित विकास तथा संरक्षण की अभिव्यक्ति को निर्मित करते हैं।

यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से धार्मिक परिप्रेक्ष्य की मूल्यांकन प्रवृत्ति का विकास लोक परम्परा, कलाओं और संस्कृतियों के रूप में निर्मित रहा है। भारत ही नहीं विश्व की अनेक देश यहाँ की जीवंत लोक कला तथा शिल्प और प्रकृति से परिपूर्ण धार्मिक प्रतिज्ञा को मान्यता, विकास और समसामयिक विकास की कड़ी से सम्बद्व करते हए विकासशील आधार पर निर्मित करने का प्रयास करते हैं। यह कलायें संरचनात्मक परिवर्तन और सम्भाव्य विकास को न केवल निर्मित करती है वरन इसके सम्भावित संरचना में इनका पोषण भी निरन्तर होता रहता है। काशी के अंतर्गत लोक कलायें दैनिक जीवन्तता की उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं।

भारत में प्रचलित लोक कलायें और उनसे सम्बन्धित मूर्ति कला का मुख्य प्रभाव धार्मिक अनुष्ठानों तथा कृतियों की समृद्धि के प्रति के रूप में रहा है यद्यपि इसे मानव आत्मा शांति और दैनिक जीवन के उपयोग में

मिलने वाले नैतिक बलों के निर्माण के संदर्भ में किया जाता है। इन कलाकृतियों के स्रोत के रूप में धार्मिक नगरों के रूप में प्रचलित काशी की लोक परम्परा और वहाँ की कलायें विशेष रूप से प्रभावी रही है। चित्र के दृष्टिकोण से यह कलाकृतियाँ वास्तु और वस्तु से सन्दर्भित रही हैं किंतु उनके असाधारण प्रभाव और धर्म ग्रंथो के नैतिक बलों के परिणामस्वरुप सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में प्रतीकात्मक रूप से इनका विशेष रूप से सहयोग रहा है। काशी की लोक परम्परा प्रकृति सहित मानव के समृद्धि और कल्याण के प्रतीक के रूप में मानी जाती रही हैं। काशी में प्रचलित चित्रकला दैनिक जीवन से सम्बन्धित उन सभी भूमिकाओं के निर्वहन के अंतर्वस्तु को को प्रदर्शित करता हैं जो मानव जीवन के विकास और उन्नयन में रीति–रिवाज तथा मूल्य से सम्बन्धित माने जाते हैं। भारत की लोक परम्परा में काशी के समृद्ध धार्मिक कलाकृतियों और शिल्पी का विशेष योगदान रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत काशी में प्रचलित लोक कला को सम्मिलित करके धार्मिक लक्ष्य को पूर्ण किया जाता है। वर्तमान समय में भी धार्मिक विकास तथा उन्नयन के लिए संदर्भित क्रियाकलापों हेतु पौराणिक आधार पर चित्रण की परम्परा तथा उनसे सम्बन्धित प्रभावों को सम्मिलित करके धार्मिक लक्ष्य तथा धार्मिक पर्यटन को न केवल आकर्षित करते हैं वरन इसे समृद्धि भी करते हैं। यह स्थिति समसामयिक परिवर्तन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है भारत की संरचनात्मक प्रकृति सदैव से लोक कला और शिल्प कला से अलंकृत रही है जिसमें काशी के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों को सम्मिलित करना अनिवार्य माना गया है। काशी की प्रचलित लोक कलायें आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से विश्व को समृद्ध कर रही है। काशी धर्म और आध्यात्मिक का केंद्र होने के साथ ही साथ रोजगार और विकास के भी क्रियान्वित श्रोत के रूप में सम्मिलित रहा है। काशी से उत्पन्न सांस्कृतिक परिवेश में हस्तशिल्प का कारोबार विश्व प्रसिद्ध रहा है। काशी के अंतर्गत बनारसी साड़ियाँ, लकड़ी के खिलौने, पीतल की मूर्तियाँ, दुर्लभ पत्थरों से निर्मित कलाकृतियाँ, कौशल, व्यवसाय और व्यापार का संरक्षण मानी जाती रही है। काशी में शिल्प की विशेष कलाकृति है जिसका कलात्मक और रचनात्मक कौशल प्रभावी माना जाता है।

शिल्प कला का एक परिचय :–

शिल्प कला को कलाकृतियों के रूप में कलात्मक तथा रचनात्मक कौशल के विकास के रूप में मान्यता गुणों के अभिव्यक्ति के संदर्भ में विश्लेषित किया जाता है। शिल्प सामग्री के अंतर्गत कलात्मक अनुसंधान तथा उसकी व्यवहारिक व्यवस्थाओं से सम्बन्धित आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं के निर्माण और निर्मित करने की संदर्भित क्रिया सम्मिलित होती है। पारम्परिक रूप से शिल्प को कौशल के साथ निर्मित करना समसामयिक परिवेश में इसकी महत्ता तथा विश्लेषण को प्रदर्शित किया जाता है। यह स्थिति बुनाई, छपाई, कढ़ाई, नक्काशी आदि के रूप में सम्मिलित मानी जाती है। आधुनिक समय में हेराल्ड (1995) ने शिल्प को व्यक्ति के माध्यम से निर्मित संरचनात्मक गुणों की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इस परिभाषा के अंतर्गत तथ्यगत आधार पर शिल्प से सम्बन्धित निर्माता वह व्यक्ति होता है जो कलाकृतियों के वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित प्रक्रियाओं पर न केवल व्यक्तिगत नियंत्रण रखता है वरन उसको सामाजिक अनुरूपता के अनुरूप निर्मित करने का संरचनात्मक व्यवहार निर्मित करता है। काशी में शिल्प कला और उसकी परम्परा का निर्वहन पीढ़ीगत रूप से

हस्तांतरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। पीतल की मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया वर्तमान समय में भी परम्परागत विधि से निर्मित की जाने वाली कलाकृतियाँ हैं इसके साथ ही साथ बुनकारी विशेष कर बनारसी साड़ी के रूप में प्रचलित यहाँ की परम्परायें धार्मिकता के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समय में भी बनी हैं। शिल्प से सम्बन्धित विशिष्टता के परिप्रेक्ष्य में निर्माण की प्रक्रिया को आधुनिक समय में धार्मिकता के संदर्भित स्थिति को ऐतिहासिक रूप से ही निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक कल्याण नीति को संदर्भित करते हुए यहाँ के लोक कलाकृतियाँ और परम्पराओं को स्थानीयता के अनुशंसा के आधार पर वैश्विक प्रचलन के आकर्शण के निमित्त वस्तुओं का निर्माण करते हुए उसे समग्रता के आधार पर विकसित करना है। वैश्विक आधार पर यूरोप के देशों में भी भारत के प्रमुख क्षेत्र में काशी तथा बिहार के प्रचलित पर्यटक स्थलों की निरन्तरता की निरंतर बढ़ती जा रही है। जिसके प्रति उनका आकर्षण विकास की परिपाटी को समग्रता के रूप में प्रदर्शित करता है।

भारत सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक आधार पर संचालित और विकसित करने के लिए क्षेत्रीयता को स्वीकार किया है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर शिल्प कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित करने के लिए प्रेरित करने का मुख्य कार्य है। योजना का संचालन तथा क्रियान्वयन क्षेत्रीयता की महत्व तथा स्थानीय संस्कृति के विकास को भी प्रदर्शित करता है। काशी के संदर्भ में यह स्थिति और भी अधिक विकसित तथा विकासशील माना जाता है। इसका मूल कारण है कि यहाँ पर परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग के निर्माण और निर्माण के पश्चात विपणन की प्रक्रिया में जो लोक कलायें और संस्कृतियों समाहित हैं उनका वैश्विक आधार पर धार्मिक रूप से प्रसार प्रचार किया जाना महत्वपूर्ण है। भारत ही नहीं विदेशी पर्यटक भी यहाँ की धार्मिक लोक कृतियों के संवहन तथा उसके संरक्षण और विकास की प्रक्रिया से प्रभावित होते हुए इसके समग्रता को स्वीकार कर रहे हैं। काशी में कलाकृतियों के रूप में निर्मित पीतल की वस्तुएं विश्व बाजार व्यवस्था को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ ही साथ परम्परागत धार्मिक मान्यता से प्रेरित अभिप्रेरणाओं के संचालन तथा उनके समृद्धि और विकास को भी प्रदर्शित करती हैं। काश्ठ कला उद्योग के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने, बर्तन सजावटी सामान के साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किये जाने वाली वस्तुओं और उनसे निर्मित प्रक्रियाओं और परम्पराओं को स्वीकार किया जाता है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा पोषित इस परियोजना के अंतर्गत काशी की शिल्प कला के विस्तारण की प्रक्रिया के साथ ही साथ सामाजिक तथा दैनिक परिवर्तन और विकास की संदर्भ में संचालित सहयोग क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाहित किया गया है जिससे कि सामाजिक संरचना के आधार पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत शिल्प तथा कला के सहभागिता के पश्चात आर्थिक परिवर्तन तथा समाज कार्य की नियति और निश्चित को ज्ञात किया जा सके।

अध्ययन के परिर्पेक्ष्य में यह माना गया है कि सनातन की विकसित परम्परा से ही समग्र विकास को समाहित किया जा सकता है। भारत में लोक संस्कृतियों के विकास में धर्म की महत्ता सदैव से महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यही वह माध्यम है जो व्यक्ति से व्यक्ति की संवेदनाओं को जोड़ने के साथ ही साथ उसके समग्र विकास

को भी दर्शाता है। भारत आक्रांताओं से प्रभावित रहा है किंतु संस्कृतियों के आधार पर आक्रमणकारी भी नतमस्तक रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के काशी तथा बिहार के गया क्षेत्र में न केवल सनातन धर्म के विकास को उनके अनुयायियों के विकास के रूप में माना जा सकता है वरन् इसके समग्र विकास के रूप में वहाँ कार्यशील तथा सहयोगी प्रवृत्ति के रूप में अन्य धर्मावलम्बियों को भी देखा जा सकता है जिनमें इस्लाम, बौद्ध, जैन के विकास की सहयोगात्मक प्रक्रिया को मुख्य सहयोग के रूप में माना जा सकता है। बनारस, वाराणसी, काशी के उपनाम से सम्बोधित होने के पश्चात भी यहाँ पर हस्तशिल्प में सर्वाधिक सहभागिता इस्लाम धर्म के समर्थकों की रही है। जिन्होंने बुनकारी तथा नक्काशी और को विशेष महत्व प्रदान किया है साथ ही उन्होंने सनातन धर्म की परम्परागत हस्तशील प्रक्रिया को भी न केवल धार्मिक आधार पर शुद्धता और विकास की महती आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है वरन धार्मिक विभेद तथा किसी भी प्रकार के विभेदीकरण सम्बन्धित विचारधाराओं को हस्तशील तथा विकास की प्रक्रिया में स्वीकार नहीं किया है। भारत परम्परागत रूप से सनातन कि विकासशील प्रक्रिया को धार्मिक पर्यटन तथा इसकी समृद्धि के संदर्भ में स्वीकार करता रहा है यही कारण है कि समूल परिवर्तन तथा विकास की जो प्रक्रिया है उसका समग्र प्रभाव धार्मिक क्षेत्रों के विकास और उन्नयन से सम्बन्धित रहा है। भारत में धर्म पर्यटन और उससे सम्बन्धित क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में विविध प्रकार के अध्ययन किए गये हैं किंतु यह अध्ययन प्रायः सीमित तथा विश्लेषणात्मक रूप से क्षेत्र विशेष पर केंद्रित रहे हैं।

इस क्रम में अध्ययनों के मूल्यांकन के परिणामस्वरुप यह पाया गया कि धर्म तथा विज्ञान और आध्यात्मिक से सम्बन्धित विचार के संदर्भ में प्रायः विदेशी पर्यटकों के आगमन वृद्धि तथा सरकारी नीतियों से सम्बन्धित धार्मिक विवेचना के प्रभावों को दर्शाया गया है इस क्रम में सिंह, अभय प्रताप, त्रिपाठी, अर्चना, इफ्तिखार, निशि ने (2023) में अपने एक अध्ययन उत्तर प्रदेश में पर्यटन धार्मिक सर्किटो का विश्लेषण किया है इस अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन कर्ता ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश को चयनित किया है जो की धार्मिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अध्ययन के अंतर्गत वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के मध्य पर्यटकों की वृद्धि और कोविड के दौरान पर्यटकों की संख्या में परिवर्तन से सम्बन्धित विषयों का विश्लेषण किया गया है साथ ही सरकार की नीतियों का उल्लेख तथा नीतियों के परिणामस्वरुप मिलने वाले प्रभावों की अप्रभावों से सम्बन्धित प्रभावों का भी उल्लेख किया गया है। धर्म के संदर्भ में यह अध्ययन उत्तर प्रदेश तक सीमित है जबकि इस अध्ययन के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को चयनित करने का प्रयास किया गया। जिनमें बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, अवध सर्किट का विश्लेषण किया गया है किंतु यह अध्ययन धर्म से सम्बन्धित प्रभावों को केवल पर्यटकों तक सीमित करता है जबकि सनातन धर्म की महत्ता तथा उसके विषय में विश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है।

सरकार ने भी धार्मिक स्थलों के संरक्षण संवर्धन तथा विकास की जो नई परम्परा का प्रसार प्रचार किया है। इसके अंतर्गत इसका मुख्य लक्ष्य संचालित योजनाओं की कार्यबद्धता तथा उसे सम्बद्ध व्यक्तियों, कलाकारों तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के साथ ही साथ आर्थिक सुधार और विकास की प्रक्रिया को भी स्वीकार किया जा सके। भारतीय परम्परा के अंतर्गत समग्रता के विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों ने समय–समय पर ऐसे परिवर्तनों के स्थान पर वृहद तथा कला कल्याणकारी परिवर्तन को स्वीकार करना महत्वपूर्ण माना है।

उपसमन्वयक –

डॉक्टर ज्योति रानी अग्रवाल, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर श्रुति राय, डॉक्टर कौशल किशोर, डॉक्टर चिरंजीवी ठाकुर। यह शोध कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित है और यह अध्ययन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली नामक परियोजना के अंतर्गत किया गया है जिसका शीर्षक भारतीय परम्परा और लोक कलायें तथा संस्कृति (काशी की विशेष संदर्भ) में है फाइल नंबर (ICSSR/RPD/RPR/2023-24/2026)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. चांद मोती काशी का इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
2. सिंह सुरभि (2021) भारत में धार्मिक पर्यटन अतीत वर्तमान और भविष्य इण्टरनेशनल जनरल ऑफ हिंदी रिसर्च, पृष्ठ संख्या 2455–2232.
3. शंकर मेहता भानु (1996) बनारसी यह बनारस पत्रिका उल्वा, पृष्ठ संख्या 33.
4. गुलाबधर (2021) बनारस की कला धर्म एवं संस्कृति, इंटरनेशनल जनरल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स आईएसएसएन नंबर 2320–2882 वॉल्यूम 09 इश्यू 02 फरवरी 2021.

संगम Impact Factor : 7.834 Website : www.ginajournal.com ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 164–168
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

सोशल मीडिया : नीति और नैतिकता

डॉ. सी. मणिकंठन
सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
धर्ममूर्ति राव बहादुर कलवल कण्णन चेट्टि हिन्दू महाविद्यालय, पटटाभिराम, चेन्नई।

आज सम्पूर्ण विश्व एक परिवार का रूप ग्रहण कर चुका है । आज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि विश्व में किसी भी व्यक्ति द्वारा कसिी को भी संसार के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है । सारी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन चुकी है यह शब्द मार्शल मैक्लुहान जो मीडिया विशेषज्ञ हैं, उन्होनें बीस साल पहले माध्यम थे उनका विकास और गति को देखकर कहा था । उस समय इंटरनेट या मोबाइल मीडिया नहीं थे ।उस वक्त प्रिंट मीडिया, रेडियों सह-माध्यम थे । टेलिविजन का माध्यम तेजी से उभर रहा था । टी.वी.मीडिया की गति आज के मोबाइल की गति जैसी तेजी से बढ़ रही थी ।उसकी शक्ति देखकर विश्वख्यात मीडिया विशेषज्ञ मार्शल ने कहा था कि अब दुनिया का अंतर इतना कम हुआ है कि अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज (Global Village)बन गई है । टी वी के माध्यम से सारी दुनिया के किसी भी कोने में जो घटना घट रही है उसका लाईव प्रसारण हम देख सकते हैं ।मोबाइल पर भी इंटरनेट के जरिए मोबाइल टी वी पर नेट प्रसारण देखने की सुविधा उपलब्ध है और इंटरनेट, मोबाइल मल्टी मीडिया पूरे विश्व को समीप लाया है इसी मीडिया ने दुनिया का एक वैश्विक ग्राम में परिवर्तित किया ।

इक्कीसवीं सदी ने सूचना प्रौदयोगिकी को ऐसे आयाम दिए हैं जिनसे दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर गई है जहाँ कल्पनाएँ विभिन्न रूपों में

वर्चुअल यानी आभासी दुनिया में आकार लेती है और साकार होती है । सूचना प्रौदयोगिकी की प्रगति ने दुनयिा को भौंचक्का कर दिया है ।इंटरनेट के रूप में एक ऐसे महाशक्ति शाली जिन्न का आगमन हुआ है ।जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अंतरजाल के मायाजाल में लेना प्रारंभ कर दिया है ।

समग्र वश्वि की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ज्ञान-वज्ञिान और कला-साहित्य से लेकर, मनोरंजन जगत सभी कुछ दायरे में हैं । इंटरनेट का चमत्कारी जिन्न जो कल तक उच्च शिक्षित और संपन्न वर्ग के पास था अब मोबाइल के रूप में गरीब से गरीब आदमी की जेब में पहुँच चुका है ।

इंटरनेट के परसते जाल को यदि ऑंकड़ों के चश्में से देखें तो पता लगता है कि विश्व में इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 5.17 अरब है जबकि विश्व की जनसंख्या 7,332 अरब है । मोबाइल एक आधुनकि जनसंचार माध्यम के रूप में आगे आया है । वर्तमान में युवापीढ़ी के मोबाइल के प्रति बड़ी मात्रा में आर्कषण है । यह उनके परिवार में एक सदस्य के रूप में जुड़ गया है । सूचना क्रांति के बारे में ऑलविन टॉपलर कहते हैं -"कृषि क्रांति से सूचना क्रांति का मानवी जीवन पर बहुत बडा दूरगामी परिणाम हो चुका है ।"

सन् 1991 तक एक भी वेबसाइट नहीं थी , लेकिन अब करीब 100 करोड़ वेबसाइट रजिस्टर्ड है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है । इंटरनेट का नेटवर्क हटते ही या घटते ही दुनिया का कामकाज ठप्प् हो जाता है ।व्यापार - व्यवसाय , बैकिंग सहित तमाम आर्थिक गतिविधियॉ रूक जाती हैं । शेयर मार्किट बंद हो जाता है ।रूपयों का लेन-देन रूक जाता है ।

इंटरनेट के जिन्न् ने सोशल मीडिया के रूप में जब अपने पॉव पसारने शुरू किए तो अब यह एक नए रूप में एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में भी उभर कर आया है । मन की बात जो कभी चिटठी से होती थी सोशल मीडिया की चैट से होती है । इंटरनेट ने जहॉ सोशल मीडिया के जरिए जहॉ एक ओर

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे लोगों को आमने सामने बैठा दिया तो दूसरी ओर मोबाइल के जरिए इंटरनेट पर व्हाट्सएप व फेसबुक में उलझे आमने सामने बैठे लोगों को दूर भी कर दिया है ।Social Media Cases Blogspot वेबसाइट पर ई मार्केट रिपोर्ट के आकंडो के अनुसार भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले करीब 80% लोग फेसबुक , ट्वीटर, गुगल, लिंक्डइन , यू-टयूब आदि किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुडते हैं और अपने मित्रों, रिश्तेदारों , सहकर्मियों और समाज के विभिन्न लोगों के साथ चैट यानि सीधे बातचीत, संदेश, तस्वीरें और वीडियों या वचिारों आदि का आदान प्रदान करते हैं । अगर हम वाट्सएप की बात करें तो प्रति सैंकेड़ करीब ढाई लाख संदेश भेजे जाते हैं । यू-टयूब पर करीब पर लाख वीडियों देखे जाते हैं ।

गूगल जैसे विश्व के सबसे बडे सर्च इंजन पर प्रति सैंकेड़ 6 हजार से भी ज्यादा सर्च किये जाते हैं और फेसबुक पर प्रति सैंकेड 50 हजार से ज्यादा लाइक किए जाते हैं । टविटर पर प्रति सैंकेड 60 हजार से भी ज्यादा लाइक किए जाते हैं । आज इंस्ट्राग्राम भी मार्केट में आ गया है इसका भी उपयोग सोशल मीडिया पर हो रहा है ।

आज भाषा कागजों से निकलकर इंटरनेट की दुनिया में अपना मजबूत आधार बना चुकी है । अब भाषा के प्रसार का पैमाना कागजी दुनिया नहीं बल्कि इलैक्ट्रानिक तरंगों की दुनिया है ।साहित्य और ज्ञान-विज्ञान भी पुस्तकों से निकलकर तेजी के साथ ई पुस्तकों में परिवर्तित होता जा रहा है । प्रकाशन, मुद्रण, वितरण और विपणन के दायरों से बाहर निकलकर साहित्य में ई पत्रिकाओं और सोशल मीडिया पर अपना नया ठिकाना खोज लिया है । यहॉ कोई भी रचनाकार घर पर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में साहित्य प्रेमियों तक अपनी रचना क्षण भर में निर्बाध रूप से पहूँचा सकता है ।यू-टयूब के जरिए प्रतिष्ठित कवियों की कविताएँ सुनी जा सकती हैं । फिल्में , फिल्मी गीत, संगीत सुना जा सकता है । यही नहीं अंतरजाल यानि इंटरनेट की दुनिया में बना सोशल मीडिया साहित्य जगत का ऐसा अनन्त महासागर है जहॉ चौबीसों घंटे साहित्य प्रेमी साहित्य का रसास्वादन कर रहे हैं । श्रव्य दृश्य सुविधाओं से लैस के चलते ई-कविता और ई -संगोष्ठी के रूप में कवि सम्मेलनों मंचीय काव्य पाठ और संगोष्ठियों के विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत कर रहा है ।अपनी रचनाओं को पाठकों तक पहुँचाने के लिए

आर्थिक सीमाओं व प्रकाशकों पर निर्भरता समाप्त हो रही है ।जिसके चलते साहित्य अलमारियों में रखी और अक्सर धूल खाती पुस्तकों से निकलकर इलैक्ट्रॉनिक तरंगों के रथ पर सवार होकर देश के कोने कोने में प्रसार का वाहक बना हुआ है ।

आज पत्रकारिता और पत्रकार भी सोशल मीडिया का एक मुख्य अंग बनकर उभरे हैं । संवाददाता विभिन्न् शहरों में जाकर वहॉ की घटनाओं की रिपोर्ट सीधे ही ऑन लाईन सुनाते हैं और घट रही घटनाओं का विवरण तुंरत ही देते हैं । आज प्रिंट मीडिया के अंतर्गत सयमाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं । भारत की हर भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं वाटसअप पर भी हर भारतीय भाषा में संदेश दिए जा सकते हैं ।

इंटरनेट के विविध रूपों पर विशेषकर सोशल मीडिया की अन्तहीन चौपालों पर अब दुनिया के कोने कोने के रचनाकार घंटों एक साथ गुजारते हैं । जिसके चलते विभिन्न् भाषाओं के साहित्य के साथ साथ हिंदी का साहित्य भी सार्वभौमिक होता जा रहा है । कुछ वर्ष पूर्व तक क्षेत्र या देश विदेश के साहित्य की जो एक खास पहचान होती थी अब धीरे धीरे वैश्विक रंगत लेने लगी है । हर देश में भाषा साहित्य की हलचल की पल पल की खबर, शिकवे-शिकायत ,पंसद -नासंपद तथा वाह से आह और तालियों से गालियों तक तत्काल ऑन लाइन उपलब्ध है ।इसलिए विश्वस्तर पर विभिन्न देशों में हिंदी साहित्य की विवेचना परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन भी आवश्यक है ।

सूचनाओं का केन्द्र वेबसाइट और पोर्टल है । ज्ञान का सागर विकीपीडिया और हिंदी में ज्ञान कोश जैसे ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है । हालांकिं देश में इस समय हिंदी में बडी संख्या में समाचार पोर्टल, ब्लॉग, विभिन्न विषयों की वेबसाइट , सोशल मीडिया समूह हैं और इसकी संख्या बहुत तेजी से बढती जा रही है । विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य ज्ञान- विज्ञान और अनेक रूपों में हिंदी की स्थिति का जायजा लेना हो तो हमें दुनिया के अन्य देशों की इंटरनेट पर भारत की उपस्थिति तथा विश्व की दूसरा भाषाओं के मुकाबले भारत की प्रमुख भाषा हिंदी की स्थिति को समझना होगा ।

45 करोड से भी अधिक संख्या के साथ इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं में चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है । मोबाइल अब जनसंचार का सशक्त माध्यम बन रहा है । मोबाइल एक शक्ति मास मीडिया हो जाएगा और करोडो लोग ई माध्यम को अपनाएगें । जैसे समाचार पत्र व टी .वी. के इंटरनेट एडिशन हैं । अलजजिरा ने गल्फ

टी. वी. चेनल अपनी मोबाइल डिजाइन शुरू की है ।भारत में आजतक, जी, स्टार, प्रसार भारती, दूरदर्शन चैनल व बी. सी, सी. एन सी, इंडिया टुडे, ए.बी.पी मोबाइल ,इंटरनेट पर देखे जा सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं। अब तक हर एक प्रांत के अपने अपने चेनल है जैसे बिहार चेन्नल, उत्तर प्रदेश चेनल, छत्तीस गढ चेन्नल जो अपने प्रदेश की खबरें प्रसारित करते हैं। इनकी चेननलों के प्रसारण की अपनी नीति और नैतिकता है ।

कृषि विभाग का अपना किसान चेनल है ।शेयर बाजार का अपना अलग से चैनल है । बच्चों के लिए कार्टून का अलनग चेनल है ।मीडिया की शक्ति के बारे में -प्रो.डेनसि मैकक्वेल कहते हैं -"जन माध्यम यह समाज परिवर्तन की यंत्रशक्ति है(Engine of Social Change) यहॉ से आगामी बैठक की भी तैयारी कर सकते हैं ।"उस मोबाइल कें माध्यम से महत्वपूर्ण घटना का वीडियों रिकार्ड करके व आप एस एम एस द्वारा प्रसारित कर सकते हैं । लाईव कवरेज कर सकते हैं। सेल्फी निकाल सकते हैं ।समुह में फोटोग्राफस निकाल कर सभी से शेयर कर सकते हैं ।

उपसंहार-

आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन मे नीति और नैतिकता का एक अभिन्न अंग बन चुका है । बच्चे, छात्र, युवा, बुजुर्ग तक सोशल मीडिया के अंतर्गत संचार माध्यम को अपना रहे हैं । आज सोशल मीडिया शहरों के अतिरिक्त छोटै छोटे गॉवों में अपनी पैठ बिठा चुका है । चाहे वो किसान , मजदूर, कारीगर,कलाकार, चिकित्सक हो इसके बगैर उसका जीवन शून्य है ।

सहायक ग्रंथ -

1.राजभाषा भारती पत्रिका, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 132, अक्टूबर-दिसंबर 2011 पृष्ठ सं.24

2.मीडिया विशेषांक -साहित्य अमृत पत्रिका , नई दिल्ली -अगस्त - वर्ष 2015
प्रधान संपादक :त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, पृ.सं.7

चलभाष - +91 88259 58400

E.mail ID- manikantanlakshmi73@gmil.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 169-178
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Transforming Indian Education : NEP 2020 Implementation and Digital Integration

Dr. Ankit Goyal
Assistant Professor, B.K. College of Education, Bawani Khera.

Abstract :

India's education system is undergoing fundamental transformation through the National Education Policy (NEP) 2020 and concurrent digital initiatives. This study examines implementation across five dimensions: structural reform adoption, digital platform deployment, artificial intelligence integration, inclusive education operationalization, and competency-based learning frameworks. Key findings show 67% of institutions have adopted the 5+3+3+4 curricular framework, 82% operate hybrid learning models, and over 10 million students registered on the Academic Bank of Credits platform. Persistent challenges include digital accessibility gaps affecting 30% of rural regions and teacher capacity constraints. This research provides insights for educational administrators, policymakers, and researchers engaged in large-scale educational transformation.

Keywords : Educational Policy Implementation, Digital Learning, AI in Education, Educational Equity, Competency-Based Assessment, DIKSHA Platform

Introduction :

Educational Reform Context : India's education system serves over 250 million learners across diverse geographical, linguistic, and socioeconomic contexts. Prior to 2020, educational policy remained stagnant for three decades, perpetuating examination-centric pedagogies and rigid disciplinary silos that inadequately prepared learners for evolving workforce demands[1]. The National Education Policy 2020 represents a paradigmatic shift, emphasizing multidisciplinary education, critical thinking, experiential learning, and flexible pathways[2].

Recent developments demonstrate government commitment to operationalizing NEP 2020. The Ministry of Education's Bharat Bodhan AI Conclave in February 2026 addressed responsible artificial intelligence deployment in education[3]. Institutional data reveals 56% of higher education

institutions have formulated AI-specific policies, with 60% permitting student use of generative AI tools under defined parameters[4].

Research Objectives :

This study examines five interconnected dimensions :

- Structural reform implementation under NEP 2020's curricular framework
- Digital platform deployment and utilization patterns (DIKSHA, Academic Bank of Credits)
- Artificial intelligence integration in pedagogical and administrative functions
- Inclusive education operationalization for marginalized populations
- Competency-based and outcome-oriented learning adoption

NEP 2020 Implementation :

Curricular Framework Restructuring :

NEP 2020 mandates restructuring from the conventional 10+2 model to a developmentally-aligned 5+3+3+4 framework corresponding to distinct cognitive development stages[2].

Stage	Characteristics
Foundational (Ages 3-8)	Integration of pre-primary with Grades 1-2; play-based methodologies emphasizing sensory-motor development
Preparatory (Ages 8-11)	Grades 3-5 employing discovery learning with lighter textbook emphasis
Middle (Ages 11-14)	Grades 6-8 introducing specialized instruction and experiential learning
Secondary (Ages 14-18)	Grades 9-12 offering multidisciplinary combinations without rigid streams

Table 1 : NEP 2020 Curricular Framework Structure

Implementation data indicates 67% of schools have adopted this restructured framework within five years[1]. This adoption rate demonstrates substantial policy traction, though regional variations persist.

Multidisciplinary Integration and Vocational Education :

NEP 2020 dismantles traditional disciplinary boundaries, enabling learners to combine subjects across sciences, humanities, arts, and vocational domains. Current data reveals 35% of schools now provide vocational training from Grade 6 onwards[1], addressing India's graduate employability challenge by aligning education with labor market requirements.

Assessment Reform :

Traditional education emphasized high-stakes board examinations incentivizing rote memorization. NEP 2020 mandates transitioning toward competency-based evaluation through :

- Reduced emphasis on single high-stakes examinations
- Continuous comprehensive evaluation across academic year
- 360-degree holistic progress cards assessing multiple domains
- Portfolio-based assessment documenting skill development
- Self-assessment and peer-assessment methodologies

Implementation remains uneven, with many educators lacking training in alternative assessment methodologies.

Equity and Access Expansion :

NEP 2020 prioritizes educational access for Socially and Educationally Disadvantaged Groups (SEDGs). By 2025, over 115,000 students from disadvantaged groups and 758,000 girls enrolled in residential schools under programs such as Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas[5]. The Gender-Inclusion Fund addresses barriers through sanitation facilities, transportation, conditional cash transfers, and community interventions[6].

Digital Transformation :

Hybrid Learning Adoption :

By 2026, 82% of Indian educational institutions have operationalized hybrid learning models combining online and offline components[1]. Enrollment increases of 45% have been documented in remote regions[1]. Effective hybrid architectures integrate :

- Asynchronous digital content for self-paced learning
- Synchronous interactive sessions for real-time engagement
- In-person experiential activities for hands-on learning

Artificial Intelligence Applications :

India's AI-in-education ecosystem has matured from pilots to scaled deployments. The Ministry of Education emphasized transitioning from policy to implementation at scale[7].

Application Domain	Functionality and Impact
Personalized Learning	Adaptive platforms analyzing performance patterns; 37% improvement in comprehension documented[8]
Automated Assessment	AI-enabled instant feedback reducing instructor workload
Administrative Efficiency	AI assistants for lesson planning and administrative tasks[9]
Language Learning	NLP tools facilitating multilingual education
Immersive Experiences	AR/VR laboratories in 2,500+ schools[8]

Table 2 : AI Application Domains in Indian Education

Ethical Frameworks :

The Digital Personal Data Protection Act mandates "safe and age-appropriate" standards for educational platforms[9]. Key ethical considerations include :

- Algorithmic transparency in decision-making processes
- Bias mitigation preventing discriminatory outcomes
- Data minimization limiting collection to necessary information
- Consent mechanisms appropriate for minors
- Security protocols protecting student information
- Human oversight maintaining educator authority

National Digital Infrastructure :

DIKSHA Platform :

Digital Infrastructure for Knowledge Sharing (DIKSHA) functions as India's national platform for digital content delivery and teacher professional development[10]. DIKSHA provides :

- State-specific and NCERT textbooks in digital formats
- Video lessons spanning diverse subjects and grades
- Interactive quiz modules and assessment tools
- Teacher professional development courses
- QR code-enabled textbooks linking to supplementary content

DIKSHA currently supports over 10 million accounts across multiple states and languages[11]. Recent enhancements integrate AI and machine learning for personalized quiz generation, learning analytics, and content recommendations[10].

Academic Bank of Credits :

The Academic Bank of Credits (ABC) enables flexible, multidisciplinary educational pathways by storing students' academic credits digitally[12].

Feature	**Benefit**
Credit Mobility	Students can pause education and resume without progress loss
Multidisciplinary Learning	Credits from diverse disciplines combine toward degrees
Multiple Entry-Exit Points	Students exit with certificates, diplomas, or degrees based on credits
Inter-Institutional Transfer	Credits earned at one institution recognized by others

Table 3 : Academic Bank of Credits Core Features

By 2026, over 10 million students have registered on the ABC platform[11]. ABC addresses

dropout challenges by allowing credit accumulation over extended periods from multiple sources.

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan: RUSA provides strategic funding to state universities and colleges through a Central-State matching contribution model[13]. By 2026, the government approved ?12,929 crore for RUSA, supporting over 1,600 projects[13].

Investment Category	Outcome
New universities established	78
Colleges upgraded to autonomous status	342
Faculty positions created	15,420
Infrastructure projects completed	1,247
Laboratories and libraries modernized	3,856

Table 4: RUSA Implementation Outcomes 2020-2026

Inclusive Education :

Disability Inclusion Framework :

NEP 2020 positions inclusive education as a fundamental right. Comprehensive recommendations include :

- Non-discriminatory admission policies
- Accessible infrastructure with assistive technologies
- Reasonable accommodations in examinations
- Individualized Education Plans
- Instructional use of Braille and Indian Sign Language
- Cross-disability trained special educators
- Disability awareness in teacher education curricula.

School complexes clustering schools within 5-10 kilometer radius aim to ensure adequate specialized resources[14]. This addresses severe shortages where special educators previously covered up to 150 schools each.

Socioeconomic and Gender Equity :

Samagra Shiksha scheme prioritizes equity through targeted interventions, mid-day meals, free textbooks and uniforms, special residential schools for girls, and conditional cash transfers[15]. Female literacy increased by 8.2 percentage points over five years in previously underserved regions[16].

Linguistic and Cultural Inclusion :

NEP 2020's emphasis on mother-tongue instruction acknowledges linguistic diversity as an

asset. States have developed curriculum materials in over 22 scheduled languages and numerous tribal languages[16]. This aligns with research showing foundational literacy in mother tongue enhances concept acquisition.

Social-Emotional Learning :

Conceptual Framework :

Social and Emotional Learning (SEL) encompasses capacities to recognize and manage emotions, solve problems effectively, and establish positive relationships[17]. The CASEL framework identifies five core competency domains :

- **Self-Awareness :** Understanding emotions, strengths, and values.
- **Self-Management :** Regulating emotions and pursuing goals.
- **Social Awareness :** Empathizing and appreciating diversity.
- **Relationship Skills :** Communicating and resolving conflicts.
- **Responsible Decision-Making :** Making ethical choices.

Implementation Evidence : Organizations like Apni Shala have developed India-specific SEL curricula. Research demonstrates 85% of children showed improvement in social-emotional competencies, while 85% of classrooms demonstrated improvement in curiosity, participation, and collaboration[18].

Despite promising evidence, SEL confronts barriers including mental health stigma, insufficient teacher preparation, and limited integration into formal curriculum. Recommendations include addressing stigma through awareness campaigns, developing culturally-relevant frameworks, comprehensive teacher training, and establishing robust outcome measurement systems[17].

Competency-Based Learning :

Paradigm Shift :

NEP 2020 mandates transitioning toward outcome-based education where curriculum design, pedagogy, and assessment align with clearly defined learning outcomes[2]. Competency-based learning focuses on demonstrable skills and knowledge application, enabling :

- Personalized learning pace
- Clarity regarding expected competencies
- Assessment focused on application rather than recall
- Transparent credentialing of skills
- Reduced learning gaps through mastery requirements

NIPUN Bharat Initiative :

The National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN

Bharat) establishes clear literacy and numeracy benchmarks for Grade 3 students. Implementation strategies encompass standardized assessments, diagnostic tools, evidence-based remedial interventions, teacher training, and community engagement. Early results indicate improvements in foundational literacy rates, though regional variations persist.

- Implementation Challenges.
- Digital Accessibility Gaps.

Approximately 30% of rural areas lack adequate internet connectivity and devices necessary for accessing online educational resources[1]. Addressing this requires :

- Expanding broadband infrastructure to remote areas.
- Subsidizing devices for economically disadvantaged students.
- Developing offline-capable educational applications.
- Establishing community learning centers with shared. resources.
- Creating low-bandwidth optimized content.

Teacher Capacity Development :

Many educators trained in traditional pedagogies struggle with student-centered, technology-enabled, and competency-based approaches. Strategic recommendations include :

- Comprehensive pre-service teacher education reform.
- Continuous professional development through DIKSHA.
- Mentorship programs pairing experienced teachers with newcomers.
- Recognition and incentivization of innovative practices.
- Strengthening District Institutes of Education and Training.

Assessment Reform :

While NEP 2020 envisions holistic assessment, examination-focused culture persists. Transitioning requires :

- Reducing weightage of single high-stakes examinations.
- Developing reliable formative assessment tools.
- Training teachers in assessment literacy.
- Creating awareness about holistic evaluation benefits.
- Reforming higher education admissions criteria.

Sustainable Financing :

NEP 2020 recommends increasing public education expenditure to 6% of GDP, yet actual allocation remains approximately 4.6%[19]. Bridging this gap necessitates enhanced government allocation, public-private partnerships, philanthropic contributions, innovative financing mechanisms,

and improved resource utilization efficiency.

Monitoring and Accountability :

Effective monitoring mechanisms and accountability frameworks are essential for translating reforms into improved outcomes. Strategic priorities include establishing robust Education Management Information Systems, conducting regular learning outcome assessments, creating feedback loops, developing transparent accountability mechanisms, and building capacity for data-informed educational planning.

Conclusion :

India's education system is experiencing comprehensive transformation driven by NEP 2020, accelerated digital integration, and renewed commitment to equity and quality. Five years into implementation, substantial progress is evident: 67% school adoption of restructured curricular framework, 82% institutional embrace of hybrid learning, over 10 million ABC registrations, and expanding AI integration[1][11].

Key initiatives including DIKSHA platform, Academic Bank of Credits system, RUSA investments, and focused attention on inclusive education and social-emotional learning demonstrate coordinated modernization efforts. Digital transformation has permanently reshaped pedagogical possibilities, expanding access and enabling innovations.

However, substantial challenges persist. The digital accessibility gap affecting 30% of rural areas, teacher capacity constraints, examination-focused culture, and financing shortfalls threaten equitable implementation[1]. Addressing these barriers requires sustained political commitment, adequate resource allocation, comprehensive professional development, infrastructure expansion, and authentic community engagement.

Success in the next implementation phase depends on translating policy intentions into classroom realities, ensuring reforms benefit all students regardless of geography, socioeconomic status, disability, gender, or linguistic background. As emphasized at the India AI Impact Summit 2026, focus must shift decisively from policy formulation to scaled implementation with measurable outcomes[7].

The transformation underway positions India to harness its demographic dividend, equipping hundreds of millions of young people with competencies necessary for personal fulfillment, economic productivity, and civic participation. Realizing this potential requires collaborative efforts from all stakeholders—working together to build an education system enabling learning for all rather than selective access for privileged populations.

References :

1. Eklavvya. (2026, January 27). Indian Education System: NEP Changes You Must Know. https://www.eklavvya.com/blog/indian-education-system-guide/
2. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: MHRD.
3. Department of School Education and Literacy. (2026, February 15). Bharat Bodhan AI Conclave 2026 concludes with shared resolve for responsible AI driven transformation in Education. https://dsel.education.gov.in/en/node/3630
4. EY-Parthenon & FICCI. (2025, October 6). Over Half of Indian HEIs adopt AI policies as Gen AI transforms teaching and learning. https://www.ey.com/en_in/newsroom/2025/10/over-half-of-indian-heis-adopt-ai-policies-as-gen-ai-transforms-teaching-and-learning
5. Drishti IAS. (2025, August 1). 5 Years of NEP 2020. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/5-years-of-nep-2020
6. Shikshan. (2020). NEP 2020 Equitable and Inclusive Education: Learning for All. https://shikshan.org/nep-2020/equitable-inclusive-education/
7. Ministry of Education, Government of India. (2026, February 16). Ministry of Education to host session on "Pushing the Frontier of AI in India" at India AI Impact Summit 2026. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2228802
8. The Asian School. (2025, November 18). EdTech Trends in Indian School Education 2026-27. https://www.theasianschool.net/blog/edtech-trends-indian-school-education/
9. Policy Edge. (2026, January 18). OECD Digital Education Outlook 2026. https://www.policyedge.in/p/oecd-digital-education-outlook-2026
10. Central Institute of Educational Technology, NCERT. (2025). DIKSHA - Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. https://ciet.ncert.gov.in/initiative/diksha
11. Times of India. (2024). Academic Bank of Credits: Over 1 crore students registered in ABC, says UGC. https://timesofindia.indiatimes.com/education/news/academic-bank-of-credits-over-1-crore-students-registered-in-abc-says-ugc/
12. Digital India Corporation. (2024, August 29). Academic Bank of Credits (ABC). https://dic.gov.in/academic-bank-of-credits-abc/
13. Press Information Bureau. (2022, December 31). Government approves Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) 2.0. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799301
14. Inclusive Education Initiative. (2020, December 11). Examining Disability Inclusion in India's New National Education Policy. https://www.inclusive-education-initiative.org/blog/examining-disability-inclusion-indias-new-national-education-policy
15. Department of School Education and Literacy. (2026, January 20). Learning For All: Equitable and Inclusive Education. https://dsel.education.gov.in/en/inclusive-education
16. Social Science Journal. (2025). Inclusive Education in the NEP 2020 Era: Promises, practices, and pathways. Volume 11, Issue 4. https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2025/vol11issue4/

11080.pdf
17. EdIndia. (2025, January 16). Social Emotional Learning: Creating A Wholesome Child. https://edindia.org/social-emotional-learning-sel/
18. National High School Journal of Science. (2024, December 20). Social Emotional Learning and The Indian Curriculum of Education. https://nhsjs.com/2024/social-emotional-learning-and-the-indian-curriculum-of-education/
19. University Grants Commission. (2025). Annual Report 2024-25. New Delhi: UGC Publications.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 179–184
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

उत्तररामचरिते गूढार्थप्रतीतिमूलकालंकाराणां समीक्षा

Dr. Bholanath Mondal
Village : Dakshin Tangarberia, Post : Chhayani, Ps : Baruipur, Dist: South 24 Parganas,
Pin: 743376, State : West Bengal

विषयसार: –

संस्कृतसाहित्ये सौन्दर्यविवर्धकत्वरूपेणालंकारस्य स्थानम् अन्यतमं वर्तते। एषामलंकाराणां प्रयोगादेव काव्यानां चारुत्वं जायते इति कविमुख्यानाम् अनेके कथयन्ति। उक्तं च दण्डिना – 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते'[1] इति। अलंकाराणां कारणादेव काव्यं सर्वेषामुपादेयं भवतीति केषांचिद्विमर्षः। तथा च प्राप्यते *काव्यालंकारसूत्रवृत्तौ* – 'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्'[2] इति। परवर्तिनि समये अलंकारविषये आलंकारिकाणां विमर्शातिशय्यं परिलक्ष्यते। रूय्यकादयः अलंकाराणां वर्गीकरणमपि यथासाध्यं साधितन्तः। यथा – साधर्म्यमूलकाः, न्यायमूलकाः, गूढार्थप्रतीतिमूलकाः च प्रभृतयः। अस्मिन् लघुशोधपत्रे भवभूतिकृते *उत्तररामचरिते* गूढार्थप्रतीतिमूल-कानामलंकाराणां विमर्शस्य प्रस्तुतौ वयं यतामहे।

सूचकशब्दा: – भावः, ध्वनिः, रसः, रसवत्, अलंकारः, गूढार्थप्रतीतिः।

आलंकारिकाणां कैश्चित् काव्यशोभायाः उपकारको धर्म एवालंकार इत्युक्तं – 'काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते' इति। तत्र कैश्चित्पुनरुक्तं – 'सौन्दर्यमलंकारः'[3] इति। काव्येऽलंकाराणां रसाङ्गत्वं स्वीकृत्य आनन्दवर्धनाचार्येण अलंकारलक्षणमेव निरूपतिम् –

'रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्।
अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः।।'[4] इति।

मम्मटाचार्येणापि अलंकाराणां रसोत्कर्षाधायकत्वं सामर्थ्य अलंकारलक्षणं निरूपितम्। तस्य मते यथा कण्ठाद्यङ्गोत्कर्षद्वारेण शरीरेण उपकारकाः सन्तो हारादयोऽलंकारा भवन्ति, तथैव ये धर्मा रसस्य

[1] काव्यादर्शः, २/१
[2] काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, १/१/१
[3] काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, १/९/२
[4] ध्वन्यालोकः, २/१६

अङ्गभूतशब्दार्थद्वारेण तदुत्कर्षजननमुखेन तमेव रसं कदाचित् उत्कर्षयन्ति तेऽनुप्रासोपमादयो धर्मा अलंकारा भवन्ति। विश्वनाथवर्यैरपि अलंकाराणां रसोपकारकत्वमङ्गीकृत्यालंकारसामान्यलक्षणं निर्मितम्। तथा चोक्तं तेन –

'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेऽङ्गदादिवत्।।'[5] इति।

लौकिके जगति यथा भावानां स्पष्टतयाभिव्यञ्जनं भाषामाध्यमेन भवति न तथा साहित्यजगति। साहित्यजगति हि किंचिद्गूढतया प्रतिपाद्यमानम् अर्थजातं चमत्कारकं भवति। तथा चोक्तं केनचित् विदुषा –

"नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो

नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढः।

अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्

सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः।।"[6] इति।

इदमेव रहस्यं गूढार्थप्रतीतिपराणाम् अलंकाराणाम् काव्यसौन्दर्यसम्पादकत्वस्य । तत्र हि निगूढार्थाभिव्यज्यमानमर्थतत्त्वं सौन्दर्यसृष्टेः कारणतां व्रजति। गूढार्थप्रतीतिपरेष्वलंकारेषु स्वभावोक्तिः, भाविकं, रसवत्, समाहितश्चेत्येतेऽलंकारा *उत्तररामचरिते* संप्राप्यन्ते। तेषां विमर्शस्तावदस्माभिः क्रमानुसारेण क्रियते।

- **स्वभावोक्तिः –**

स्वभावस्योक्तिः स्वभावोक्तिरिति व्युत्पत्तिः। कविमात्रवेद्ययोः स्थूलबुद्धिभिः अवेद्ययोः शिशु-जन्तु-प्रभृतीनां स्वभावाकारयोर्वर्णनं स्वभावोक्तिरलंकारः। तथा चोक्तं विश्वनाथाचार्यैः –

"स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्।"[7] इति।

अलंकारस्यास्य चमत्कारित्वं शिशु-जन्तु-विहग-प्रभृतीनां स्वाभाविकचेष्टाकाराणां वर्णनायामेवास्ति। *उत्तररामचरिते* अलंकारोऽयं पद्यप्रचयान् चमत्करोति। तत्र दिङ्मात्रमुदाह्रियते –

"निष्कूजस्तिमिताः क्वचित् क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्त्वस्वनाः

स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुजगश्वासप्रदीप्ताग्नयः।

---

[5] साहित्यदर्पणः, १०/१

[6] साहित्यदर्पणः, ४/१४, लक्ष्मी टीका।

[7] साहित्यदर्पणः, १०/१२१

सीमानः प्रोदरोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्भसः या स्वयं

तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैरजगरस्वेदद्रवः पीयते।।"[8] इति।

जनस्थानस्य भयङ्करत्वप्रतिपादनपरैः द्वितीयाङ्कस्थितेऽस्मिन् शम्बुकवचने जनस्थानस्य निष्कूजस्तिमितत्वादिकं कविमात्रवेद्यं रूपं यथावद्वर्णितम्। तेनात्र स्वभावोक्तिनामा अलंकारः।

अत्र स्वभावोक्त्यलंकारेण जनस्थानस्य यद्भयङ्करं रूपमुपवर्णितम्, तत् सर्वथा सङ्गच्छते एव। अनेनालंकारेण हिंस्रजन्तूनां सञ्चारात् श्रीरामेण सावधानेन गन्तवम्यमिति व्यज्यते।

उत्तररामचरितस्य अन्यत्र पद्येषु अपि स्वभावोक्तिनाम्नः अलंकारस्य प्रयोगो लक्ष्यते।[9]

- **भाविकम् –**

भावेन कवेः अभिप्रायविशेषेण संसृष्टमिति भाविकमिति व्युत्पादितं बुधैः। अद्भुतस्यातीतस्याथवा भाविनः पदार्थस्य यद् वर्णनाकौशलेन प्रत्यक्षवत् प्रकाशमानत्वं तद्भाविकं नाम अलंकारः। तथा चोक्तं विश्वनाथवर्यैः स्वीये *साहित्यदर्पणे* –

"अद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः।

यत्प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहृतम्।।"[10] इति।

यतः अत्र वर्णनाकौशलमेवाश्रीयते तस्मात् वर्णनाकौशलस्य चमत्कारजनकत्वादलंकारस्यास्य चारुत्वं सर्वथा स्वीकार्यम्। *उत्तररामचरिते* अयं पद्यविशेषम् अलंकरोति। पद्यं यथा –

"पश्यामि च जनस्थानं भूतपूर्वखरालयम्।

प्रत्यक्षानिव वृत्तान्तान् पूर्वाननुभवामि च।।"[11] इति।

द्वितीयाङ्कगते अस्मिन् श्रीरामचन्द्रस्य वचसि अतीतघटनानां प्रत्यक्षायमाणत्वाद्भाविकं नामालंकारः।

पूर्वालोकितं स्थानमिदानीं पुनरालोक्य तत्काले खरदूषणादिभिः सह युद्धादिघटनाजातस्य स्मरणं सङ्गतमेव। प्रत्यक्षीकरणं तु सर्वथा सङ्गतमेवेति यद्यपि प्रतीयते तथापि कवेः वर्णनायां तस्य प्रत्यक्षवत् स्मरणं सम्भवति एव। एतेन च श्लोकस्यास्य चमत्कारित्वं समधिकतया विवर्धितम् इति वक्तुं युज्यते।

---

[8] उत्तररामचतरितम्, २/१६

[9] उत्तररामचरितम्, १/२७, २/३, २/९, २/१, ३/१६, ३/२१, ४/४

[10] साहित्यदर्पणम्, १०/१२२

[11] उत्तररामचरितम्, २/१७

उत्तररामचरिते अपरमपि पद्यं[12] भाविकालंकारमण्डितमिति अस्माभिः परिलक्ष्यते।

- **रसवत् –**

अन्यरसयोगाद्रसवदिति व्युत्पत्तिः साध्यते। यदा एकः रसः अपररसस्य भावादेः वा अङ्गं भवति, तदा रसवन्नामकालंकारः कथ्यते बुधैः। यदा भावस्य प्रशमः रसस्य भावादेः वा अङ्गं भवति तदा तु समाहितो भवतीति रसवतः समाहितस्य भेदः अवगन्तव्यः अस्माभिः। तदुक्तं विश्वनाथपादैः –

"रसभावौ भावाभासौ भावस्य प्रशमस्तदा।

गुणीभूतत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा।

रसवत् प्रेय ऊर्जस्वि समाहित इति क्रमात्।।"[13] इति।

रसस्य प्राधान्ये हि रसध्वनिरिति कथ्यते बुधैः। यदा स रसः रसान्तरस्यापेक्षया अप्रधानो भवति, तदा रसवन्नामालंकारो भवतीति विमर्शो बुधानाम्। यद्भवतु, रससत्त्वात् अलंकारोऽयं कविकर्मचमत्करोति एव। *उत्तररामचरिते* रसवदलंकारेणालंकृतं पद्यद्वमेव केवलं परिलक्ष्यते। एकं पञ्चमाङ्के। तद् यथा –

"अप्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः।

इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरोऽपरे।।"[14] इति।

अस्मिन् पद्ये श्रीरामचन्द्रस्य पुत्रस्य लवस्य वचसि करुणो रसः श्रीरामविषयरतिभावस्य अङ्गत्वेन प्रतीयते। अतः अत्र रसवदलंकारः।

अपरं पद्यं सप्तमाङ्गतम्। पद्यं यथा –

"क्षुभिताः कामपि दशां कुर्वन्ति मम साम्प्रतम्।

विस्मयानन्दसन्दर्भजर्ज्जराः करुणोर्म्मयः।।"[15] इति।

श्रीरामचन्द्रस्यास्मिन् वचसि अद्भुतो रसो हर्षाख्यभावश्च करुणाख्यरसस्य अङ्गमिति कृत्वा रसवदलंकारः।

- **समाहितः –**

---

[12] उत्तररामचरितम्, २/६

[13] साहित्यदर्पणम्, १०/१२४

[14] उत्तररामचरितम्, ५/२५

[15] उत्तररामचरितम्, ७/१२

समाहितालंकारलक्षणं पूर्वमेवास्माभिः रसवदलंकारालोचनावसरे प्रदत्तम्। यद्यपि अत्र भावस्य अप्राधान्यात् ध्वनिभङ्गः तथापि तस्य गुणीभूतत्वमपररसापेक्षया भावापेक्षया वैव। अतोऽत्र कस्यापि रसस्य भावस्य वा सर्वदैव विद्यमानत्वात् पद्यं सर्वथा चुत्ताकर्षकमेव भवति। *उत्तररामचरिते* एकस्मिन् एव पद्य अयम् अलंकारो लक्ष्यते। तद्यथा समुपस्थाप्यतेऽस्माभिः -

"शब्दं महापुरुषसंविहितं निशम्य

तद्गौरवात् समुपसंहृतसम्प्रहारः।

शान्तो लवः प्रणत एव च चन्द्रकेतुः

कल्याणमस्तु सुतसङ्गमनेन राज्ञः।।"[16] इति।

अस्मिन् षष्ठाङ्कगते पद्य चन्द्रकेतु-लवयोरुग्रताख्यभावस्य प्रशमस्य रामविषयकभक्तिभावस्याङ्गत्वात् समाहितो नामालंकारः।

अत्र लवस्य चन्द्रकेतोः च मध्ये यदस्त्रनिक्षेपपूर्वकं युद्धं प्रचलितं तत्सर्वथा उग्रताख्यभावः। तयोः मध्ये विमानयोगेन श्रीरामचन्द्र उपस्थितोऽभूत्। युद्धनिवारणाय निषेधवाक्यं तन्मुखात् श्रुत्वा च तौ भक्तिनम्रौ सन्तौ युद्धात् निवर्तितौ। अतोऽत्र भक्तिरूपो भावः। उग्रताख्यभावस्य प्रशमस्यात्राप्रधाननत्वं प्रधानत्वं च भक्तिरूपभावस्य अतोऽत्र उग्रताख्यभावस्य प्रशमः श्रीरामचन्द्रविषयकभक्तिरूपभावस्याङ्गमतोऽत्र समाहितनामालंकारः सार्थक्यमेति।

निर्वाचितपुस्तपञ्जिका

1. *आनन्दवर्धन-प्रणीत-ध्वन्यालोक ओ आचार्य अभिनवगुप्त-विरचित लोचन (मूल ओ सटीक अनुवाद)*. अनुवादकौ सुबोधचन्द्रसेनगुप्तः कालिपदभट्टाचार्यः च. कलिकाता (अधुना कलकाता): ए मुखर्जी एण्ड कों लिमिटेड. १३५७ (वङ्गाब्दः)
2. दण्डी. *काव्यादर्शः*. श्रीप्रेमचन्द्रतर्कवागीशभट्टाचार्यकृतयो मालिन्यप्रोञ्छनीटीकयोपेतः. कलकाता: पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्, १९९५
3. भवभूतिः. *उत्तररामचरितम्*. हरिदाससिद्धान्तवागीशकृतटीकोपेतम्. कलिकाता (अधुना कलकाता): १८७९
4. _____._____. सम्पा. एम.आर.काले, दिल्ली: मोतीलाल-बनारसीदास, १९३४ (चतुर्थं संस्करणम्)
5. मम्मटः. *काव्यप्रकाशः*. साहित्यचूडामणि-सुधासागरसहितः. सम्पा. रेवाप्रसादद्विवेदी. वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः. १९८१ (प्रथमं संस्करणम्)
6. रुय्यकः. *अलंकारसर्वस्वम्*. सम्पादकः रामचन्द्रद्विवेदी, दिल्ली: मोतीलालबनारसीदास, १९७७

[16] उत्तररामचरितम्, ६/७

7. वामनः. *काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः*. श्रीगोपेन्द्रत्रिपुरहरभूपालविरचितकामधेनुसमाख्ययोद्भासिता. प्रकाशकौ आशुतोषविद्याभूषण-नित्यबोधविद्यरत्नौ. कलिकाता महानगरी (अधुना कलकाता) : १९२२ (तृतीयं संस्करणम्)
8. विश्वनाथः. *साहित्यदर्पणम्*. हरिदाससिद्धान्तवागीशप्रणीतकुसुमप्रतिमाटीकोपेतम्. कलिकाता (अधुना कलकाता): संस्कृत-बुक-डिपो, १९८१ (पञ्चमसंस्करणम्)
9. _____.*साहित्यदर्पणः*. आचार्यकृष्णमोहनशास्त्रिकृतया 'लक्ष्मी'टीकया समेतः, वाराणसी: चौखम्भा संस्कृत संस्थान, २००७ (पुनर्मुद्रितं संस्करणम्), (काशी संस्कृत ग्रन्थमाला – १४५)

Mobile: 7686887872,
Mail: bholanathmondal73@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 185–189
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

उत्तरआधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी की दशा और दिशा

कोमल भारती, शोधार्थी,
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, Thiruvarur (610005)

महिला और पुरुष दोनों ही समान महत्वपूर्ण हैं। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। परन्तु समाज में पुरुष को जो स्थान मिला है वह महिला को कई स्थलों में नहीं मिला है। चूंकि नारी समुचित सशक्त नहीं है इसलिए नारी के सशक्तिकरण की चिन्ता समाज में और साहित्य में मौजूद है। समाज में नारी की पारम्परिक स्थिति के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा है, "पुरुष परिवार में बुर्जुआ की स्थिति में रहता है और नारी सर्वहारा की स्थिति में।"[1] किसी भी समाज का कोई भी तबका अपने मौजूदा समय–काल के हालातों से एवं समकालीन विचारधाराओं से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। साठ के दशक और उसके बाद के हालातों और उत्तर आधुनिक विचारधाराओं ने समूचे जनजीवन की दिशा को प्रभावित किया। इसके प्रभाव से साहित्यिक रचनाओं में भी बदलाव नजर आने लगा। खास तौर पर महिलाओं की जिन्दगी पर इन बदले हुए हालातों के असर महत्वपूर्ण हैं। "कविता में ही नहीं, जीवन को प्रतिबिम्बित करने वाली किसी भी विधा में स्त्री पक्षीयता समय की मांग थी, देर से आए प्रति चिन्तन के रूप में उसका मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक असर था। साहित्यिक जगत में इसकी पूर्ति होने लगी कि अभी तक अनमने ढंग से उपेक्षित स्त्रियों की रचनाएँ ढूँढ़ निकाली गई और प्रकाशित प्रचलित रचनाओं के विभिन्न ढंगी स्त्री पक्षीय वाचन क्रमशः काल व समय की गति के साथ जोड़े जाने लगे।"[2]

विगत कुछ दशकों से नारी विमर्श, नारी सशक्तिकरण आदि के रूपों में स्त्री दुनियाभर के साहित्य में चर्चा का विषय बनी है। जिसमें नारी के मन में स्वच्छन्द जीवन जीने और स्वायत्त की इच्छा को रचनाकारों ने व्यक्त किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारी–विमर्श के उठते सवालों को पिछले तीन चार दशकों की ही अमानत मानलें। करीब 80 साल पहले महिला की भावनाओं की प्रामाणिकता की चर्चा 'श्रृंखला की कडियाँ' में महादेवी वर्मा कर चुकी हैं।

इस उत्तरआधुनिक दौर के कई कारण हैं जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से महिलाओं की जिन्दगी में बदलाव ला रहे हैं जिनमें से शिक्षा प्रमुख है। शिक्षा ने नारी को साहस प्रदान किया, शिक्षा से उसे आवाज मिली। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति नारी पहले से ही सजग थी परन्तु अब वह अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द करती है। यह जागरूकता नगरों और शहरों की महिलाओं में अधिकतर पाई जाती है। ग्रामिण अंचल की स्त्रियाँ इस मामले में पीछे हैं।

"वास्तव में पूर्व की नारी पश्चिमी जगत की नारी सशक्त नारी और अबला नारी, पुरातन नारी और

आधुनिक नारी, अच्छी व बुरी नारी, नायिका और खलनायिका की छवि वाली नारी, नारी के लिए पूर्व निर्धारित मापदण्ड और किसी खाँचे फ्रेम में फिट होने वाली नारी, अब वर्जना–टेबू, प्रतिबंध और हताशा–निराशा के सारे अंकुश विलगाकर वह अपनी अस्मिता स्वतंत्रता और स्वायत्त इच्छाओं के आयामों में जीना चाहती हैं।"[3]

नारी की स्थिति पहले से काफी सुधरी है। पुरे देश में, बीसवीं शताब्दी के अंत में और इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में नारी जागरण बढ़ना आरम्भ हो रहा था। यह जागृति ऐसी थी कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ने लगी। पुरुष बहुल कार्यक्षेत्रों में नारी की मौजूदगी बढ़ने लगी। सन् 1980 के बहुचर्चित 'षा बानू मामले' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्त्री को सम्पत्ति का अधिकारी माना। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। इसमें तलाकशुदा औरत गुजारे के लिए आर्थिक मदद की अधिकारिणी होगी। स्त्री अस्मिता के पक्ष में सन् 1994 में आया भ्रुण लिंग परीक्षण निरोधक नियम एक ऐतिहासिक कदम था। इसके अनुसार गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण करना अपराध माना गया। इससे पहले लिंग की जांच करके लड़की को जन्म से पहले ही मार देने की खबरें बहुत थीं। ऐसे कई सारे पहल किए गए और कई कानून बने जिससे स्त्री की अस्मिता की रक्षा होने लगी।

महिलाओं की जिन्दगी के बदले स्वरूप के बारे में मैत्रेयी पुष्पा का कथन है– "स्त्री विमर्श या स्त्री चेतना को हम भले ही पिछली दो शताब्दियों से जोड़े, मगर साहित्य में उसका बिगुल गद्य के जरिए महादेवी वर्मा ने ही बजा दिया था। आज औरत अगर कहती है कि वह केवल सम्भोग और सन्तान पैदा करने वाली मादा नहीं, उसी पुरुष की सेवा और वफादारी में गुड़ियाघर नहीं सजाना और वे त्याग की कहानियाँ नहीं सुननी। जिनसे मध्य वर्ग का साहित्य पटा पड़ा है। इन सबसे भिन्न है, उसका स्त्रित्व। इस स्त्रित्व में ही उसकी प्रजाति की पहचान और इच्छाएँ शामिल हैं। वह सिर्फ सम्बन्धों में बन्धी छुपी नहीं, अपने वजूद की मालकिन है।"[4]

हिन्दी उपन्यास में सन् 90 के दशक की सशक्त हस्ताक्षर प्रभा खेतान ने शिक्षित महिला और कामकाजी महिला में अन्तःसंघर्ष तथा उनके दर्द और दर्प का चित्रण किया है। रामचन्द्र तिवारी लिखते हैं, "वास्तव में आओ पेपे घर चलें में आपने अमेरीका के तीन शहरों– लॉस एंजेल्स, सेंट लुईस और न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमरिकी नारी जीवन की अर्न्तव्यथा का उद्‌घाटन किया है। उपन्यास में आईलीन, मिसेज डी. क्लारा ब्राउन, मरील, मिसेस हेल्गा बेरी, कैथी आदि अनेक नारी पात्र हैं। सभी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न किन्तु सभी सीने में दर्द का दंश दबाई हुई हैं। सभी पुरुषों की स्वार्थपरता और निष्ठुरता का शिकार हैं।"[5]

प्रभा खेतान की रचनाओं में वह स्पष्टता से स्त्री जीवन की कठिनाईयों का चित्रण करती हैं। उनका उपन्यास छिन्नमस्ता एक ऐसी महिला का जीवन संग्राम है जो पुरुष–सत्ता समाज में पुरुष प्रधानता के विरुद्ध अपना स्वतन्त्र परिचय बनाने की कोशिश करती है। पुरुष ने अर्थ और सेक्स इन दोनों स्तरों पर स्त्री का शोषण किया है। छिन्नमस्ता की पात्र प्रिया इन दोनों तरह के शोषण से आजाद होना चाहती है। वह किसी भी हाल में मर्द के नियंत्रण में नहीं रहना पसंद करती है। उसके विचार में संवेदना, दोस्ती, प्यार आदि की भूमि पर नारी पुरुष का रिश्ता बनना चाहिए।

अनामिका के उपन्यास 'तिनका तिनके पास' के बारे में डॉ. रेखा पाटील लिखती हैं. यह स्त्री विमर्श वेश्या विमर्श के साथ साथ वैश्विकरण के दौर में स्त्री चेतना के नये स्वरूप रेखांकित करता है। वस्तुतः इस उपन्यास का आविर्भाव मुक्ति के अर्थ खोजने की कोशिश से हुआ है। "उनकी यह रचना इस अहम सवाल से जुझती है

कि स्त्री की मुक्ति 'साल्वेशन' के तर्ज पर होगी या 'लिबरेशन' के तर्ज पर। क्रमशः मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल और वेश्याओं के बच्चों के आवासिय स्कूल 'जोगनिया कोठी' से गुजरता हुआ स्त्री जीवन की कई व्यथित सच्चाईयाँ सामने लाता है।"[6] इस रचना में एक पात्र कहता है, 'एक तरह की कॉलगर्ल हर औरत होती है। ब्याहता गृहस्थित भी कॉलगर्ल को तो यह छूट भी होती होगी कि हर कॉल पर वह प्रस्तुत न हो, पर गृहस्थित की क्या मजाल!' बीवियाँ कई सारे अनजाने डर से बचने के लिए डाँट, मार पीट के तत्काल बाद ही अपने पति के आगे वस्त्र उतार के देह को समर्पित कर देती हैं। सोचती हैं कि बदन के बदले घर गृहस्थि की सुख–शान्ति तो प्राप्त हो जाती है मगर मन के कष्ट का क्या? इस उपन्यास में नारी जीवन के अलग अलग प्रसंगों में मुक्ति की भिन्न भिन्न अर्थछवियों की तलाश देखी जा सकती है। इसमें पति के घूँसों से लेकर उसके बिस्तर तक है, कॉल सेंटर का उत्तर आधुनिक जीवन है और कॉल गर्ल रैकेट की भी थोड़ी बाते हैं। आख्यान में तारा जो एक सेक्स वॉर्कर की बेटी होती है, जिसको छात्रावास में रखकर अपना शरीर को बेच कर उसकी माँ उसे पढ़ाती है। माँ के निधन के उपरान्त तारा अपनी पढ़ाई लिखाई के खर्चे का वहन खुद कॉल गर्ल बन कर करती है। ऐसे तो इस उपन्यास के अन्दर कई सारी स्त्री पात्र हैं, लेकिन तारा का चरित्र उल्लेखनीय है। वह एक दलित युवक से प्यार करती है। तारा दस–दस मिनट तक अपनी उलटी को अटका कर शरीर की रगड़ सहती है। निरुपमा सेवती का उपन्यास 'पतझड़ की आवाजें' में नारियों के जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। इनमें वो नारियाँ हैं जो एक तरफ परिवार की बदहाली से लड़ रही हैं और दूसरी तरफ खुद की भीतरी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की फिक्र से परेशान हैं।

इस भूमंडलीकरण के दौर में स्त्री के भटकने का चित्रण है 'आवां' उपन्यास। 'आवां' का रूपक कुम्हार के उस भट्ठे से लिया गया है, जिसमें कच्चे बर्तन पकाए जाते हैं। तात्पर्य है कि नारी भी इस भूमंडलीकरण के आवां में पक रही है। दुनिया पूँजी बाजार के इस चकाचौन्ध में वह बिकने को प्रस्तुत हो जाती है। नमिता पाण्डे से संजय कनोई कहता है, "जानती हो? बाप बनने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा किया? इस मामूली औरत अंजना वासवानी की औकात है कि तुम्हारे ऊपर पैसा पानी की तरह बहा सके? उसका जिन्हा सिर्फ इतना भर था कि वह मेरे पिता बनने में मेरी मदद करे और सौदे के मुताबिक अपना कमिशन खाए। वह ऐसी पचासों लडकियों को परोस सकती थी, जो मुझसे यौन सम्बन्ध कायम कर केवल पचहत्तर हजार में मुझे बाप बना सकती थी। मैं रण्डियों से बाप नहीं बनना चाहता था जिनके लिए बच्चा पैदा करना महज सौदा भर हो और जो अनेकों से सौदा कर चुका हों, मुझे नहीं गवारा थीं ऐसी किराए की कोख। मुझे सिर्फ उस लड़की से औलाद चाहिए थी, जो पेशेवर न हो..... पवित्र हो, जो मुझे प्रेम कर सके। सिर्फ मेरे लिए माँ बने। सिर्फ मुझसे सहवास करे। हमारा मिशन सफल रहा..... तेरह वर्ष बाद मैं बाप बना..... अपने बच्चे का बाप"[7] नारी को और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने को एक सौदा की तरह देखता संजय उसी महिला के सामने वही सब बातें करने की हिमाकत करता है। और आगे वही संजय कनोई नमिता को तन्दुर बना देने तक की धमकी देता है।

उपन्यासों के अलावा काव्य कविताओं में भी नारी का पक्ष अति महत्वपूर्ण है। सन् 70 के दशक से कविताओं में एक प्रकार की प्रामाणिकता का दबाव है कि वे दुनिया की कठिनाईयों के विविध समाधानों के लिए खुद को उपलब्ध बनाएँ। इस दबाव ने कविताओं को तरह तरह के आन्दोलनों की सामाजिक उपज बना दिया। स्त्रीवादी रवैया इसमें अहम इसलिए है कि संसार की सबसे अधिक सामाजिक प्राणी स्त्रियाँ हैं और वे उपेक्षित

रही हैं। धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ी तो इसका नतीजा यह हुआ कि महिलाओं के योगदान की चर्चा तेजी से फैली और स्त्रीवादी दौर ही चल पड़ा। समकालीन कविता महिलाओं की साथी की तरह साथ साथ चलती है। अत्याधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस जमाने में घर की कामवाली बाई के कामों पर नहीं ध्यान जाता। समकालीन कविता की सजगता और मानवीयता ही उस कामवाली बाई के कामों को और उसकी चुप्पी पर ध्यान देती है।

"सुलोचना काम करते वक्त
गीत नहीं गाती थी
इसलिए पता नहीं चलता था
कब आती थी
लोट जाती थी।"[8]

सारांश –

पुरे देश में, बीसवीं शताब्दी के अंत में और इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ में नारी जागरण बढ़ना आरम्भ हो रहा था। यह जागृति ऐसी थी कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ने लगी। पुरुष बहुल कार्यक्षेत्रों में नारी की मौजूदगी बढ़ने लगी। ऐसे कई सारे पहल किए गए और कई कानून बने जिससे स्त्री की अस्मिता की रक्षा होने लगी।

साठ के दशक और उसके बाद के हालातों और समकालीन विचारधाराओं ने समूचे जनजीवन की दिशा को प्रभावित किया। इसके प्रभाव से साहित्यिक रचनाओं में भी बदलाव नजर आने लगा। खासतौर पर महिलाओं की जिन्दगी पर इन बदले हुए हालातों के असर महत्वपूर्ण हैं। विगत कुछ दशकों से नारी विमर्श, नारी सशक्तिकरण आदि के रूपों में स्त्री दुनियाभर के साहित्य में चर्चा का विषय बनी है। स्त्री से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को एक सौदा की तरह देखता पुरुष होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया पूँजी बाजार के इस चकाचौन्ध में वह बिकने को प्रस्तुत हो जाती है। ऐसी महिलाओं के जीवन का रेखांकन भी है जो अपनी अस्मिता स्वतंत्रता और स्वायत्त इच्छाओं के साथ जीना चाहती है। वह सिर्फ सम्बन्धों में बन्धी छुपी नहीं, अपने वजूद की मालकिन है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न किन्तु सीने में दर्द का दंश दबाई हुई महिलाएँ भी हैं। पुरुषों की स्वार्थपरता और निष्ठुरता का शिकार हैं। एक तरफ परिवार की बदहाली से लड़ रही हैं और दूसरी तरफ खुद की भीतरी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की फिक्र से परेशान स्त्रियों के चित्र हैं। स्त्री के विचार में संवेदना, दोस्ती, प्यार आदि की भूमि पर नारी पुरुष का रिश्ता बनना चाहिए। नारी जीवन के अलग अलग प्रसंगों में मुक्ति की भिन्न भिन्न अर्थछवियों की तलाश देखी जा सकती है।

संदर्भ :–

1. कार्ल मार्क्स, संकलित रचनाएँ, भाग 3, पृष्ठ 72
2. कविता का स्त्रीपक्ष, प्रमीला के.पी., जवाहार पुस्तकालय, संस्करण 2008, पृष्ठ 14
3. समकालीन लेखिकाओं के उपन्यासों में नारी, डॉ. रेखा पाटील, विद्या प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण 2013, पृष्ठ संख्या 17

4. मैत्रेयी पुष्पा, माध्यम, अंक– जुलाई सितम्बर 2006, पृष्ठ संख्या 37
5. रामचन्द्र तिवारी, हिन्दी का गद्य साहित्य, पृष्ठ संख्या 274
6. समकालीन लेखिकाओं के उपन्यासों में नारी, डॉ. रेखा पाटील, विद्या प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2013, पृष्ठ संख्या 101
7. वही, पृष्ठ संख्या 104
8. संजय शाम, सुलोचना, दस्तावेज, जनवरी–मार्च 2007

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 190–196
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

'हादसे' : पितृसत्ता वर्ग संघर्ष और स्त्री स्वायत्तता का आत्मकथात्मक विमर्श

प्रिंस गुप्ता
पी.एच.डी. शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

सारांश :

'हादसे' के माध्यम से सामाजिक यथार्थ का पुनर्पाठ करते हुए यह स्पष्ट होता है कि आत्मकथा केवल निजी जीवन का वृत्तांत नहीं, बल्कि अपने समय और समाज की संरचनाओं का आलोचनात्मक दस्तावेज भी है। डॉ. नगेन्द्र के कथन के आलोक में देखा जाए तो आत्मकथाकार अपने अतीत की स्मृतियों के सहारे वर्तमान को समझने और दोनों के बीच संबंध–सूत्र खोजने का कार्य करता है। इसी दृष्टि से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा 'हादसे' निजी अनुभवों के माध्यम से व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और लैंगिक यथार्थ को उद्घाटित करती है। शोध–पत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि 'हादसे' में व्यक्तिगत संघर्ष सामाजिक संरचनाओं की आलोचना में रूपांतरित हो जाते हैं। बचपन से ही विद्रोही स्वभाव, जाति से इतर विवाह का निर्णय, परिवार और समाज का विरोध, विवाहोत्तर जीवन की विडंबनाएँ – ये सभी प्रसंग केवल निजी घटनाएँ नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था और सामंती मानसिकता के प्रतिरोध के प्रतीक हैं। लेखिका ने स्त्री की स्वतंत्र पहचान को स्थापित करने के लिए पारंपरिक मर्यादाओं को चुनौती दी और 'चरित्र' की संकीर्ण अवधारणा का विरोध किया।

इस आत्मकथा में जाति, वर्ग और श्रमिक प्रश्न भी समान रूप से उपस्थित हैं। कोयला खदानों में ट्रेड यूनियन का गठन, टाटा कंपनी से संघर्ष, मजदूरों के अधिकारों के लिए अनशन और आंदोलन – ये प्रसंग सामाजिक न्याय की व्यापक लड़ाई को रेखांकित करते हैं। यहाँ आत्मकथा व्यक्तिगत पीड़ा से आगे बढ़कर सामूहिक चेतना का स्वर बन जाती है। रिश्तों की जटिलता, स्त्री–पुरुष संबंधों का मनोविज्ञान और अपराध–बोध से मुक्ति की प्रक्रिया भी इस कृति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। लेखिका ने अपने जीवन के कटु और विवादास्पद पक्षों को भी बिना संकोच प्रस्तुत किया, जिससे आत्मकथा में प्रामाणिकता और नैतिक साहस का भाव उत्पन्न होता है। अतः 'हादसे' सामाजिक यथार्थ का ऐसा पुनर्पाठ प्रस्तुत करती है जिसमें निजी अनुभव सामाजिक संरचनाओं की आलोचना बन जाते हैं। यह आत्मकथा स्त्री–अस्मिता, वर्ग–संघर्ष और राजनीतिक चेतना का सशक्त दस्तावेज है।

बीज शब्द : स्त्री–अस्मिता, पितृसत्ता, आत्मनिर्णय, स्त्री–पुरुष संबंध, सामाजिक न्याय, राजनीतिक चेतना, जाति–वर्ग संघर्ष, सामाजिक यथार्थ।

शोध पत्र :

डॉ. नगेन्द्र के अनुसार 'आत्मकथाकार अपने सम्बन्ध में किसी की रचना नहीं करता, कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता। वरन् अपने गत जीवन के खट्टे–मीठे, उजले–अँधेरे, प्रसन्न–विषण्ण, साधारण–असाधारण संरचना पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है, अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य सम्बन्ध सूत्रों का अन्वेषण करता है।'[1] हिंदी साहित्य में आत्मकथा केवल निजी जीवन की घटनाओं का क्रमिक विवरण भर नहीं है, बल्कि वह अपने समय, समाज और सत्ता–संरचनाओं का जीवंत दस्तावेज भी होती है। विशेषतः स्त्री आत्मकथाएँ व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से उन सामाजिक यथार्थों को उद्घाटित करती हैं, जो मुख्यधारा के इतिहास और साहित्य में अक्सर अनुपस्थित रहे हैं। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा 'हादसे' इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। यह निजी जीवन की त्रासदियों, संघर्षों और अनुभवों के बहाने समाज, राजनीति, जाति और लैंगिक असमानताओं का पुनर्पाठ प्रस्तुत करती है। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा 'हादसे' के शुरुआती अध्याय पढ़ते हुए यह प्रतीत होता है कि यह एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने निरंतर संघर्षों के बीच अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान अर्जित की। प्रारंभ में यह एक व्यक्तिगत जीवन–यात्रा लगती है, जहाँ एक महिला अपने अस्तित्व और स्वाभिमान के लिए संघर्षरत दिखाई देती है। किंतु जैसे–जैसे कथा आगे बढ़ती है, उनका व्यक्तित्व एक व्यापक सामाजिक आयाम ग्रहण कर लेता है। उनकी कहानी केवल निजी अनुभवों तक सीमित नहीं रहतीय बल्कि वह दलितों, मजदूरों और शोषित वर्गों के सामूहिक दुःख–दर्द और संघर्ष की प्रतिनिधि गाथा बन जाती है। इसे पढ़ते हुए पाठक का मन संवेदना और करुणा से भर उठता है।

'हादसे' आत्मकथा का प्रारंभ लेखिका के बचपन से होता है। वह एक ऐसे परिवेश में पली–बढ़ीं जहाँ परंपरागत सामाजिक मान्यताएँ गहराई से जमी हुई थीं। परिवार में स्त्री की भूमिका सीमित मानी जाती थी, परंतु रमणिका गुप्ता ने बचपन से ही स्वतंत्र विचारों और विद्रोही स्वभाव का परिचय दिया। उन्होंने सामाजिक बंधनों को सहज स्वीकार नहीं किया। यह विद्रोह व्यक्तिगत स्तर से आगे चलकर सामाजिक चेतना में रूपांतरित होता है। आलोचकों ने भी इस आत्मकथा को गंभीरता से ग्रहण किया है। प्रस्तुति की दृष्टि से भी 'हादसे' अन्य आत्मकथाओं से भिन्न प्रतीत होती है। रमणिका जी ने स्वयं संकेत किया है कि उनकी आत्मकथा के चार प्रमुख आयाम हैं – राजनीतिक संघर्ष, निजी जीवन, यात्रा–वृत्तांत और साहित्यिक यात्रा – जिन्हें वे अलग–अलग रूपों में व्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार 'हादसे' केवल आत्मवृत्त नहीं, बल्कि बहुआयामी जीवनानुभवों का सृजनात्मक दस्तावेज बन जाती है।

1. कुटुंबीय बंधनों के प्रति असहमति :

रमणिका गुप्ता बचपन से ही दृढ़, स्वाभिमानी और अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाली व्यक्तित्व की धनी थीं। परिवार के भीतर मौजूद सामंती दोहरे मानदंड उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किए। उन्होंने इन प्रवृत्तियों का स्पष्ट और निर्भीक विरोध किया, चाहे उससे परिवार को असुविधा ही क्यों न उठानी पड़े। उनके लिए सत्य और आत्मसम्मान किसी भी सामाजिक दिखावे से अधिक महत्त्वपूर्ण थे। प्रेम और विवाह जैसे निजी निर्णयों में भी उन्होंने पारिवारिक अपेक्षाओं के आगे झुकने के बजाय अपनी स्वतंत्र इच्छा को प्राथमिकता दी। उन्होंने जातिगत बंधनों को चुनौती देते हुए एक विजातीय युवक को अपना जीवनसाथी चुना। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें

परिवार और रिश्तेदारों की नाराजगी झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि कई बार उन्हें 'गलत' भी ठहराया गया। फिर भी उन्हें अपने निर्णयों पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वे वही करती रहीं जिसे वे एक स्वतंत्र स्त्री के अधिकार और आत्मनिर्णय का स्वाभाविक विस्तार मानती थीं। वे लिखतीं हैं, 'मेरी ये बातें परम्परावादी, औचित्यवादी, त्यागवादी और आचरण प्रिय लोगों को अखर सकती है। कटु, अप्रिय और हृदयहीन लग सकती है।'[2]

'हादसे' में विवाहोपरांत जीवन का चित्रण अत्यंत मार्मिक है। एक शिक्षित और संवेदनशील स्त्री होने के बावजूद उन्हें दांपत्य जीवन में असमानता, उपेक्षा और पितृसत्तात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ा। आत्मकथा में यह स्पष्ट होता है कि विवाह संस्था किस प्रकार स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। यहाँ स्त्री–स्वातंर्त्य का प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक विमर्श का विषय बन जाता है। लेखिका दिखाती हैं कि स्त्री के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार कितना कठिन है। रमणिका गुप्ता ने उस दौर में सिविल मैरेज की, जब अधिकांश लोगों को इस प्रकार के विवाह की जानकारी तक नहीं थी और जाति के बाहर विवाह की कल्पना भी असंभव मानी जाती थी। उनका परिवार शिक्षित होने के बावजूद परंपरावादी सोच से बँधा था। माता–पिता लड़कियों की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे और उन पर कठोर अनुशासन लागू रखते थे। प्रेम–विवाह के निर्णय पर माँ ने कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि कठोर व्यवहार भी अपनायाय फिर भी रमणिका जी अपने निर्णय पर अडिग रहीं और अंततः परिवार को झुकना पड़ा। रमणिका गुप्ता को विवाह के बाद भी अनुकूल वातावरण नहीं मिलाय कई मामलों में ससुराल की रूढ़ियाँ उनके मायके से अधिक कठोर थीं। पर्दा–प्रथा, जाति–पाँति और छुआछूत जैसी मान्यताओं को उन पर थोपने की कोशिश की गई, पर वे अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उन्होंने न पर्दा स्वीकार किया और न ही जातिगत बंधनों को माना।

रमणिका गुप्ता ने विवाह के बाद भी अपनी पढ़ाई, काव्य–लेखन, अभिनय और नृत्य के प्रति रुचि को बनाए रखा। धनबाद में पति के साथ रहने के दौरान वे महिलाओं के कल्याण हेतु एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ गईं, जिस पर लोगों ने आपत्ति भी की। जब उनके पति का तबादला कानपुर हो गया, तब सामाजिक अपेक्षा थी कि वे परिवार सहित वहाँ जाएँ। किंतु उन्होंने महिला–हित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए धनबाद में ही रहना चुना, जबकि उनकी छोटी बेटी मात्र तीन–चार वर्ष की थी। इस निर्णय को कई लोगों ने एक माँ के रूप में गैर–जिम्मेदाराना बताया, फिर भी वे पारिवारिक दबाव के बावजूद अपने संकल्प पर अडिग रहीं। वे लिखतीं हैं, 'मेरी मान्यता थी कि अपने परिवार के लिए तो सभी लोग सब कुछ करते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करे वही इंसान है। मैं धनबाद में ही रह गई। लोगों ने इस फैसले को निर्ममता, क्रूरता और निर्दयता से युक्त बताया। मैंने इसे त्याग और कर्तव्य माना।'[3]

2. संबंधों की सच्चाई और विश्वसनीयता –

रमणिका गुप्ता अपने दायित्वों के प्रति जितनी ईमानदार रहीं, उतनी ही स्पष्ट और बेबाक अपने निजी संबंधों को लेकर भी थीं। उन्होंने जीवन में माता–पिता, भाई–बंधु, पति, राजनीतिक साथियों और सामाजिक संबंधों के विविध रूप – मीठे, कड़वे और जटिल – सभी का अनुभव किया और उन्हें बिना किसी आडंबर के अपनी आत्मकथा 'हादसे' में दर्ज किया। उनका स्पष्ट कथन है – "मैंने अपने आचरण का एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दिया। मैं जो हूँ, खुली किताब के रूप में सामने हूँ। मानो न मानो पर मेरा अस्तित्व है और रहेगा।"[4] लेखिका के अपनी माँ से संबंध बचपन से ही कटु रहे – अवहेलना और कठोर अनुशासन ने उनके भीतर भावनात्मक

दूरी पैदा कर दी थी। इसलिए विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पर भी माँ को मनाने का प्रयास उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अपनी शर्तों पर जीवन जिएँगी, चाहे इसके लिए अपनों का विरोध ही क्यों न सहना पड़े। विवाह के उपरांत राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण पति को समय न दे पाने से संबंधों में तनाव आया। एक राजनीतिक साथी से उनकी निकटता ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे पति का व्यवहार संदेहपूर्ण हो गया। परिस्थितियाँ विवाह–विच्छेद तक पहुँच गईं, किंतु उनके बड़े भाई सत्यव्रत बेदी ने हस्तक्षेप कर स्थिति को गंभीर होने से बचाया। सक्रिय राजनीति से जुड़े होने के कारण सत्यव्रत बेदी परिस्थितियों की जटिलता समझते थे और बचपन से अपनी बहन रमणिका गुप्ता के स्वतंत्र स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने धैर्य और समझदारी से उनके वैवाहिक संकट को सुलझाया और उन्हें भावावेश में कोई आत्मघाती निर्णय लेने से रोका। वे परंपरागत तानाशाह बड़े भाई की तरह नहीं, बल्कि एक मित्रवत सहायक के रूप में साथ खड़े रहे।

हादसे में वर्णित आत्मकथ्य का स्पष्ट सामाजिक महत्व है। स्त्री–पुरुष संबंध जीवन–सृष्टि का स्वाभाविक आधार हैं, पर समय के साथ इन्हें वैवाहिक मर्यादा और 'चरित्र' की संकीर्ण धारणाओं में बाँध दिया गया, विशेषतः स्त्री को केवल देह मानकर उसकी आत्मिक सत्ता को दबा दिया गया। इसी से पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई और स्त्रियों की स्थिति कमजोर होती गई। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा, औद्योगिक चेतना और सामाजिक जागरण ने स्त्रियों में नई चेतना जगाई, जिसमें महिला लेखिकाओं की अग्रणी भूमिका रही। रमणिका गुप्ता भी पारंपरिक संबंध–मान्यताओं को चुनौती देते हुए स्त्री को पूर्ण मनुष्य के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। उनका विश्वास है कि जब तक स्त्री–पुरुष संबंधों की संरचना नहीं बदलेगी, तब तक नारी का समग्र विकास संभव नहीं है। उनकी आत्मकथा स्त्रियों के लिए प्रेरणास्रोत है। वे मानती हैं कि स्त्रियों को अपने जीवन या चरित्र के लिए समाज के सामने 'अग्निपरीक्षा' नहीं, बल्कि 'अग्नि–दीक्षा' लेनी चाहिए – अर्थात् आलोचनाओं और लांछनों का सामना करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए निर्भीक और दृढ़ बनना चाहिए।

रमणिका गुप्ता का मानना था कि भारतीय समाज में स्त्रियों के भीतर बचपन से ही आत्मदया और अपराध–बोध की भावना भर दी जाती है। यदि वे सामाजिक रूढ़ियों या पारिवारिक अपेक्षाओं के विरुद्ध कदम उठाती हैं, तो स्वयं को दोषी मानने लगती हैं, और यही भावना उनके विकास में बाधा बनती है। वे स्त्रियों द्वारा स्वयं को कमजोर या दया की पात्र सिद्ध करने की प्रवृत्ति के भी विरुद्ध थीं। उनके अनुसार अपनी इच्छाओं का दमन कर त्याग या बलिदान का आवरण ओढ़ लेना संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन से पलायन है। यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि एक स्त्री होने के नाते वे भी कभी–कभी अपराध–बोध और आत्मदया से प्रभावित हुईं, परंतु उन्होंने इन भावनाओं को अपने व्यक्तित्व पर हावी नहीं होने दिया। वे लिखतीं हैं, "सबसे पहले मैंने अपराध बोध की ग्रंथि से मुक्ति पाने का प्रयास किया, फिर यह रुख अपनाया कि बस जो है तो है, नहीं तो नहीं। तो कल्पों मत, बिसरो मत! इस दृष्टिकोण से मुझे काफी अवरोधों प्रतिरोधों से मुक्ति मिली।"[5]

3. स्थापित मानदंडों से इतर जीवन जीने का आग्रह –

रमणिका गुप्ता का बचपन और युवावस्था ऐसे समय में बीते जब स्त्रियों की स्वतंत्र पहचान लगभग न के बराबर थी। उन्हें केवल किसी की बेटी, पत्नी या माँ के रूप में देखा जाता था। उन्होंने इस परंपरागत सोच को अस्वीकार कर अपना स्वतंत्र सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व गढ़ने का मार्ग चुना। उस दौर में स्त्री की यौन शुचिता को ही उसके चरित्र का मापदंड माना जाता था। रमणिका जी ने इस संकीर्ण दृष्टि का विरोध करते

हुए कहा कि स्त्री भी पुरुष की तरह पूर्ण मनुष्य है और उसके मूल्यांकन में मानवीय गुणों को समान महत्व मिलना चाहिए। वे लिखतीं हैं, "चरित्र का अर्थ केवल औरत के यौन–संबंधों को ही समझा जाता है। औरत के संदर्भ में चरित्र के अन्य गुण का लक्षण जैसे नैतिकता, शालीनता, ईमानदारी, परस्पर सद्भाव या संवेदनशीलता तथा बहादुरी और निडरता आदि को नजरअंदाज कर दिया जाता है।'[6] रमणिका गुप्ता ने अपने समय की स्त्रियों की पारंपरिक जीवन–रेखा को अस्वीकार कर स्वतंत्र मार्ग चुना। वे किसी सहारे पर बढ़ने के बजाय स्वयं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहती थीं। बचपन से ही 'आपहुदरी' (स्वेच्छाचारी/स्वनिर्णयी) स्वभाव ने उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने और उनके परिणाम स्वीकार करने का साहस दिया। उनकी जिद, दृढ़ता और आत्मविश्वास ने उन्हें सफल राजनेता, साहित्यकार और समाजसेवी के रूप में स्थापित किया। स्त्री–अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए उन्होंने पितृसत्तात्मक बंधनों को चुनौती दी और स्थापित मानदंडों से इतर जीवन जिया।

रमणिका गुप्ता ने राजनीति में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मान्यता के लिए निरंतर संघर्ष किया। वे किसी दल से बंधी नहीं रहीं, जब भी उन्हें अन्याय या उपेक्षा महसूस हुई, उन्होंने निर्भीक होकर सदस्यता छोड़ी या बदली, भले ही इससे राजनीतिक लाभ त्यागना पड़ा हो। उन्होंने इस मानसिकता का विरोध किया कि महिला कार्यकर्ता किसी पुरुष नेता के सहारे ही आगे बढ़ सकती है। वे 'लता' बनकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र नेतृत्व के रूप में स्थापित होना चाहती थीं। इस प्रकार उन्होंने न केवल परंपरागत सीमाओं को तोड़कर जीवन पथ का चयन किया, बल्कि उसे सफल उदाहरण के रूप में सिद्ध भी किया।

4. समाज-सेवा एवं राजनीति में सक्रिय सहभागिता –

आत्मकथा में केवल लैंगिक असमानता ही नहीं, बल्कि जाति और वर्ग आधारित शोषण की भी चर्चा है। रमणिका गुप्ता ने दलित और आदिवासी समाज के संघर्षों को नजदीक से देखा। वे बताती हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संघर्ष से संभव है। उनका अनुभव यह दर्शाता है कि सत्ता संरचना अक्सर हाशिए के समुदायों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। 'हादसे' में कई प्रसंग ऐसे हैं जहाँ वे बताती हैं कि किस प्रकार आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की गई, परंतु संघर्ष की ज्वाला बुझी नहीं।

आत्मकथा 'हादसे' लेखिका के ट्रेड यूनियन और राजनीतिक जीवन के अनुभवों का दस्तावेज है। यह न केवल बिहार बल्कि व्यापक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्त्रियों की स्थिति को रेखांकित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महिला संघर्षों के बावजूद प्रभावी भूमिका निभा सकती है। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कोयला क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र ट्रेड यूनियन बनाई, जो मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध थी। टाटा ग्रुप से उनका संघर्ष और मजदूर–हित में उठाए गए कदम उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी यूनियन स्वार्थपरक न होकर व्यापक सामाजिक न्याय के लिए कार्य करे। यूनियन का गठन रमणिका गुप्ता के जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसके बाद वे आंदोलनों में गहराई से जुड़ गईं और व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सामूहिक हित के लिए संघर्ष करने लगीं। उनके अनुसार उस संघर्ष में केवल 'मैं' नहीं, बल्कि पूरी समष्टि की चेतना शामिल थी – वे स्वयं को समूह का प्रतीक मानती थीं। यूनियन ने उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को नई दिशा दी और उन्हें निराशा से बचाए रखा। इसी संघर्षशील अनुभव ने उनमें लक्ष्य प्राप्ति की आकांक्षा और बाधाओं से जूझने का साहस निरंतर बनाए रखा। वे लिखतीं हैं, 'संघर्ष जैसे जैसे बढ़ता है, हौसला भी वैसे वैसे ही बढ़ता है – आस्थाएँ दृढ़ होती है, विश्वास

अडिग ही नहीं बनता बल्कि बिल्ड–अप भी होता है।'[7] ट्रेड यूनियन के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन मजदूरों, किसानों, दलितों और वंचितों के हित में समर्पित कर दिया। उनके साहस और प्रतिबद्धता के कारण वे श्रमिक समुदाय में स्नेहपूर्वक 'माई' कहलाने लगीं।

रमणिका गुप्ता ने टाटा कंपनी के खिलाफ ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, मजदूरों को स्थायी करने और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने का आंदोलन चलाया। छोटा नागपुर (वर्तमान झारखंड) का कोयला क्षेत्र उनकी कर्मभूमि रहा, जहाँ उन्होंने दलितों, पिछड़ों और मजदूरों को संगठित कर उनके लिए जोखिम उठाए। उनके संघर्षों के फलस्वरूप वे दो बार विधान परिषद और एक बार विधानसभा सदस्य चुनी गईं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के दौर में भी वे ईमानदार और संवेदनशील नेतृत्व का उदाहरण बनी रहीं। सामाजिक समर्पण के कारण उन्होंने परिवार से अलग रहकर धनबाद में महिलाओं के संगठन को सक्रिय रखा।

5. लैंगिक संबंधों की मनोवैज्ञानिक संरचना –

रमणिका गुप्ता के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्हें अलग–अलग सोच वाले पुरुषों से सामना करना पड़ा। उनका अनुभव था कि अधिकांश पुरुष स्त्री की स्वतंत्रता और उसके नेतृत्व को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। वे लिखतीं हैं कि 'पुरुष औरत को उसी हालत में बर्दाश्त करता है, जब उसे यह यकीन हो जाए कि वह पूरी तरह उसी पर आश्रित है और खुद कोई निर्णय नहीं ले सकती। या फिर वह स्वयं उस औरत से डरने लगे, तो वह उसे सहता है।'[8] लेखिका के अनुसार पुरुषों को भय रहता है कि सशक्त स्त्री उनके वर्चस्व को चुनौती देगी, इसलिए वे सफल स्त्रियों से ईर्ष्या करते हैं, जो कभी शत्रुता में बदल जाती है। जब वे उचित प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, तो अपमानजनक भाषा और फब्तियों का सहारा लेते हैं। ऐसा अनुभव उन्हें विधानसभा में भी हुआ, जब रघुनाथ झा ने बहस के दौरान उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली टिप्पणी की।

रमणिका गुप्ता ने अनुभव किया कि राजनीति में आने वाली स्त्री को अक्सर पुरुष और मीडिया हल्के नजरिए से देखते हैं और उसके बारे में सनसनीखेज कहानियाँ गढ़ते हैं। फिर भी अपने साहस और संघर्षशीलता के बल पर वे राजनीति में बनी रहीं और अंततः सम्मान अर्जित किया। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष एक–दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनके संबंधों में विरोध के साथ कहीं न कहीं आकर्षण भी मौजूद रहता है, जो असुरक्षा को जन्म देता है।

'हादसे' आत्मकथा सजी–धजी शैली के बजाय जीवन के कठोर यथार्थ को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। यह उस स्त्री के संघर्ष की कथा है जिसने अराजक परिस्थितियों में भी वंचितों के अधिकारों के लिए सामंती शक्तियों से टक्कर ली। लेखिका का साहित्यिक जीवन भी इस आत्मकथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखन उनके लिए आत्म–अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, बल्कि सामाजिक हस्तक्षेप का साधन भी है। वे मानती हैं कि साहित्य को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 'हादसे' में यह स्पष्ट होता है कि उनका लेखन अनुभव–सिद्ध है। उन्होंने जो जिया, वही लिखा। इसीलिए उनकी भाषा में बनावट नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। आत्मकथा में कई स्थानों पर आत्मालोचना भी मिलती है – वे अपने निर्णयों और भूलों पर भी विचार करती हैं। जीवन में आए आघातों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि अधिक सजग और मजबूत बनाया। इस दृष्टि से यह आत्मकथा निराशा की नहीं, बल्कि जिजीविषा की कथा है। 'हादसे' केवल दुर्घटनाओं का विवरण नहीं है। यहाँ 'हादसा' जीवन के उन क्षणों का प्रतीक है जो व्यक्ति को भीतर से बदल देते हैं। यह आत्मकथा दिखाती है कि कैसे हर हादसा

एक नई दिशा भी देता है। संघर्ष, पीड़ा और असफलता ही लेखिका की शक्ति बनते हैं।

समग्र रूप से यह कहने मे कोई गुरेज नहीं है कि ''हादसे' एक स्त्री के आत्मसंघर्ष की कहानी है जो व्यक्तिगत पीड़ा से सामाजिक चेतना तक की यात्रा तय करती है। यह आत्मकथा पितृसत्ता, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक पाखंड और वर्गीय–जातीय शोषण के विरुद्ध एक सशक्त वक्तव्य है। रमणिका गुप्ता ने अपने जीवन को उदाहरण बनाकर दिखाया कि परिवर्तन का मार्ग आसान नहीं होता, परंतु साहस और प्रतिबद्धता से उसे संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार 'हादसे' हिंदी आत्मकथा साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह केवल आत्मकथात्मक अनुभव नहीं, बल्कि सामाजिक इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी है।

संदर्भ सूची :

1. डॉ. नगेन्द्र, आस्था के चरण, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1992, पृ. 202
2. रमणिका गुप्ता, हादसे, राधाकृष्ण प्रकाशन, 2005, पृ. 24
3. वही, पृ. 27
4. वही, पृ. 32
5. वही, पृ. 54
6. वही, पृ. 16
7. वही, पृ. 79
8. वही, पृ. 257

अन्य सहायक ग्रंथ :

1. रमणिका गुप्ता (सं.), दलित चेतना साहित्य, नवलेखन प्रकाशन, 1996
2. रजत रानी 'मीनू', हिन्दी दलित कथा साहित्य : अवधारणाएं एवं विचार, अनामिका प्रकाशन, 2010
3. जगदीश चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2000
4. रमणिका गुप्ता (सं.), दलित चेतना : सोच, नवलेखन प्रकाशन, 1998
5. रमणिका गुप्ता, आपहुदरी, सामयिक प्रकाशन, 2015

ई.मेल – चतपदबम.हनचजं.तमूं.उच/हउंपस.बवउ

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 197-199
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

बुद्ध का कमंडल लद्दाख : यात्रावृत्त में अभिव्यक्त लोकतंत्र

अंजना जी
शोध छात्रा, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी।

लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है। वह सिद्धांत है, साथ व्यवहार भी। यह एक राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं। 'जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह अंग्रेजी की डेमोक्रेसी का हिन्दी अनुवाद है। पश्चिम के राजनीतिक सिद्धांतों की परंपरा में इस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। इस शब्द की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में प्रचलित दो शब्द 'डेमोज' और 'क्रेटोस' से हुई थी। इन्हीं दो शब्दों को मिलाकर 'डेमोक्रेसी' बना। 'डेमोज' का अर्थ है 'जनता' और 'क्रेटोस' का अर्थ है 'शासन' या 'सरकार'। यानी शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखा जाये तो डेमोक्रेसी का आशय 'जनता का शासन या जनता की सरकार से है'।[1]

लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का सम्मान महत्वपूर्ण होता है। यह व्यवस्था केवल राजनीतिक स्थिरता को नहीं, बल्कि समाज में विविधता को भी बढ़ावा देती है। जोसेफ ए. शुपीटर लिखते हैं – 'लोकतंत्र न तो जनता की सरकार है और नहीं उसकी अपनी आकंक्षाओं को अभिव्यक्त करने का साधन, बल्कि वह एक ऐसा तंत्र है, जिसमें समाज के आगे बढ़े तबके के दो, तीन या चार प्रतिनिधि राजनीति के बाजार में खड़े होते हैं और जनता अपने मत के जरिये उनमें से किसी एक के हाथ में देश की बागडोर सौंप देती है।'[2] प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अर्थात् स्थान परिवर्तन को ही यात्रा कहा जाता था। इस प्रकार यात्रा करने वाले यायावर जब अपने निजी अनुभवों, अनुभूतियों के साथ प्रस्तुत करते हैं या लिपिबद्ध करते हैं, उसे यात्रावृत्त कहा जाता है। 'सौंदर्य की दृष्टि से, उल्लास की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यायावर एक प्रकार से साहित्यिक मनोवृत्ति के माने जा सकते हैं और उनकी मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा साहित्य कहा जाता है।'[3]

यात्रावृत्त में लोकतंत्र का विषय गहराई से शामिल होता है। ये यात्रावृत्त न केवल स्थलों का वर्णन करते हैं, बल्कि उसमें समाज, संस्कृति और राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार प्रस्तुत करते हैं। यात्रा के दौरान लेखक विभिन्न सामाजिक मुद्दों का सामना करते हैं, जैसे जातिवाद, धार्मिक भिन्नता, आर्थिक विषमताएँ आदि। यह लोकतांत्रिक विमर्श को समृद्ध बनाता है। यात्रावृत्त में राजनीति के महत्व पर भी चर्चा की गई है, राजनीति का अर्थ सिर्फ किसी नेता के हाथ निर्णय लेने की तरीका से नहीं है, राजनीति के अन्तर्गत विभिन्न दलों, नेताओं, मतदाताओं, विभिन्न आन्दोलनों आदि आते हैं। राज्य का संचालन करने वाली राजनीतिक स्थितियों से यात्रा साहित्य हमेशा संबंधित रहता है। इसलिए यात्री की दृष्टि सत्ता का स्वरूप, विभिन्न दल, चुनाव प्रक्रिया, न्याय

व्यवस्था आदि पर भी जाती है। यात्रा के समय जिन–जिन राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण यात्रा साहित्यकार करता है, सालों बाद वह उस देश की राजनीति का इतिहास बन जाता है। अतरू यात्रा–साहित्य में जिस राजनीति का चित्र है, वह सचमुच राजनीतिक इतिहास बन जाता है।

'बुद्ध का कमंडल लद्दाख' कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई यात्रा–वृतांत है, जिसमें लेखक ने लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, राजनीति और वहाँ के लोगों के जीवन को भी प्रस्तुत किया है। इस यात्रावृत्त में लोकतंत्र के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेखिका उजागर किया गया है। लद्दाख की यात्रा के दौरान लेखक ने वहाँ की विविध संस्कृतियों और परंपराओं का अनुभव किया है। यह विविधता लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रतीक माने जाते हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। 'बुद्ध का कमंडल लद्दाख' में लेखिका ने लद्दाख की धार्मिक सहिष्णुता और संवाद को भी महत्व देते हुए चित्रित करता है। धार्मिक सहिष्णुता से तात्पर्य है – विभिन्न धर्मों के प्रति आदर एवं प्रेम भाव का प्रदर्शन करना। डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार– 'धर्मों के बीच भेद महत्वपूर्ण इसलिए मालूम होता है कि हम अपने धर्मों के मूल सत्य के संबंध में जानकारी नहीं रखते।'[4] विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सहयोग और समझदारी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाते हैं। लेखिका ने यह दर्शाया है कि कैसे धार्मिक सहिष्णुता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 'यह जानता सुखद लगा कि अशोक महान द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की ऐतिहासिक घटना को लद्दाख ने वार्षिक समारोह के रूप में याद रखा है। इस विशेष दिवस को खूब धूमधाम से मनाया जाता है।'[5]

यात्रा के दौरान लेखक ने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत की, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। वहाँ के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, जो लोकतंत्र की आवश्यकताओं में से एक है। लेखक ने इन विचारों को सांझा करते हुए लोकतंत्र के प्रति स्थानीय लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

लद्दाख की राजसी वंशावली का चित्रण भी प्रस्तुत यात्रावृत्त में अत्यंत रूप से दिखाया गया है। 'मैं बिना ब्रश के ही उन राजाओं और योद्धाओं को अपनी कल्पना में जिंदा कर रही हूँ। सनगे नमगियाल, दैलदन नमगियाल, दैलगस नमगियाल, नीमा नमगियाल, पंतसंग नमगियाल, तेहमाँग नमगियाल, तेहस्पाल नमगियाल, तहवांग नमगियाल, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह ने नुरुदा स्टैंजीन को लद्दाख का गवर्नर नियुक्त किया। पुराने समय में किलों के देखभाल के लिए लद्दाख में किलंदर को नियुक्त करते हैं। किला कमांडर को लद्दाख में 'खारपोन' कहलाते हैं। यहाँ के गवर्नर 'लेहपोन' नाम से जाने जाते हैं। महाराज की सेनाओं को 'माकपेन' पुकारते हैं। राजा के कोषाध्यक्ष के लिए 'छग सांट' शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजा के चीफ न्यायाधीश 'शेकस पोन' के नाम से जाने जाते हैं और राजा का कोतवाल 'छगसी गोबास' है।'[6] लद्दाख में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेखिका ने वहाँ की पंचायती प्रणाली का उल्लेख किया है, जिसमें स्थानीय समुदाय अपने मामलों में निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह स्वशासन स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है और लोकतंत्र को आगे बढ़ाता है। 'राजसी शासन पद्धति' होते हुए भी प्रजाओं का विश्वास शासन में पंचायत की भागीदारी था। नीमा नमगियाल के काल में राज्य परिवार के झगड़े सुलझाने के लिए एक उच्च सामंती का गठन किया था। राज्य और प्रजाओं की ओर से चुने हुए इन समिति के सदस्य में राजसी परिवार के 9 सदस्य, पुरोग के 8 सदस्य मंत्री और लोंपो के 50 सदस्य, पंचायतों के सरपंच के 4 सदस्य गोमपावों के

लामा के 10 सदस्य, लहसा का प्रतिनिधि सदस्य, कश्मीर के ऊन और पश्मीना व्यापारी 6 सदस्य इस प्रकार कुल 88 सदस्यांग है और इन समिति के मुख्य वरिष्ठ लामा है।'[7]

शासन की सुविधा के लिए समिति कई निर्णयों को अपनाकर लोकतंत्र की संवेदनाओं को पूरा करती है। समिति के निर्णयों के अनुसार खारबू और घाटी का नियंत्रण टाशी नमगियाल को नहीं देगा। उनके पास सिर्फ पूरेगा का शासन ही होगा। इसी तरह बाल्टीस्तान और कश्मीर के बीच आने जाने वाले व्यापारियों को परेशान ना करने का निर्णय भी प्रस्तुत समिति लेती है। जनताओं के बीच पारस्परिक संबंध और सहचरी भाव पैदा करने में ऐसी राजनीतिक निर्णय अत्यंत उपयोगी ही है। लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि यह एक संवेदना है। लद्दाख की यह सामाजिक संरचना लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व को उजागर करने में सहायक मानी जाती है। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं, बल्कि यह नागरिकों की सहभागिता, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को समझना है।

'बुद्ध का कमंडल लद्दाख' की यात्रा केवल एक भौगोलिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को समझने का माध्यम भी है। लेखिका ने सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय स्वशासन, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संवेदनशीलता के माध्यम से लड़ाई के लोकतांत्रिक मूल्यों को उजागर किया है। यह यात्रावृत्त लोकतंत्र की व्यापकता और उसकी जड़ों को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची :

1. द न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पन्द्रहवाँ संस्करण, वॉल्यूम 4, पृ. 5
2. जोसेफ ए. शूपीटर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, 1942
3. संगीता पी., संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन हिन्दी यात्रावृत्त, 2016, अमन प्रकाशन कानपुर, पृ. 12
4. डॉ. एस. राधाकृष्णन, Speeches and Writings, Combined Edition 1952, 59:305
5. कृष्णा सोबती, बुद्ध का कमंडल लद्दाख, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 13
6. वही, पृ. 66
7. वही, पृ. 67

sasianjana3@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 1-2
पृष्ठ : 200–211
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

चुने हुए दलित नाटकों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति

सुबिता.के.एस
शोधार्थी, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालड़ी।

भारत में वर्ण व्यवस्था पुराने ज़माने से चली आ रही है। पाखंडों से भरे समाज के एक वर्ग की मानसिकता समाज के दूसरे वर्ग को हमेशा दमन करती रहती है। दलित ऐसा एक वर्ग है, जो सवर्ण द्वारा शोषण का शिकार बनता है। दलित वर्ग को सामाजिक तौर पर शिक्षा ग्रहण करना, व्यवसाय करना आदि दूसरे वर्ग के समान आसान कार्य नहीं है। विद्वानों ने 'दलित' शब्द से संबंधित अपना मत स्पष्ट किया था। 'दलित' शब्द का व्युत्पत्ति संस्कृत के 'दल' धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है –अस्पृश्य, टुकड़ा हुआ, रौंदा हुआ, वंचित, शोषित, घृणित, मसला हुआ, विनष्ट, मर्दित, पस्त-हिम्मत, हतोत्साहित आदि। दलित वर्ग को भारतीय संविधान द्वारा उसे अनुसूचित जाति का दर्जा भी दिया है। 'दलित' शब्द का पहला प्रयोग डॉ. अंबेडकर ने किया था। गांधीजी ने ईश्वर के संतान के रूप में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया। अनेक आलोचकों ने 'दलित' शब्द को परिभाषित किया है। कंवल

भारती के अनुसार 'दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया हो, जिसे कठोर गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया हो, शिक्षा ग्रहण करना, स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया हो, वही दलित है।'[1] शरण कुमार लिंबाले के अनुसार 'दलित केवल हरिजन और नव बौद्ध नहीं। गाँव की सीमा के बाहर रहने वाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन खेत मज़दूर, श्रमिक, कष्टकारी जनता और यायावर जातियाँ सभी की सभी दलित शब्द से व्याख्यायित होती है।' [2] पाश्चात्य विद्वानों ने दलित शब्द के लिए downtrodden, depressed class, marginalized आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दलित कोई जाति से भी परे होकर सामाजिक, आर्थिक रूप से बुनियादी अधिकारों से वंचित एक समूह है। यह समूह कोई भी हो सकता है, जो उच्च वर्ग द्वारा पीड़ित है।

दलित साहित्यकारों ने दलित पैंथर आंदोलन के दौरान उनके दुःख भरी यातनाओं को आम जनता को अवगत कराने के लिए बहुत प्रयास किया था। इनके फलस्वरूप लगभग 1960 में सबसे पहले डॉ. अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि द्वारा दलित समूह को अलग रूप में पहचान मिलने के लिए दलित साहित्य की शुरुआत की। आत्मकथा से शुरू होकर विभिन्न विधाओं में दलित साहित्य का विकास आज देखा जा सकता है। हीरा डोम की 'अछूत की शिकायत' कविता दलित साहित्य की पहली रचना मानी जाती है।

लगभग 1980 के आसपास हिन्दी में दलित साहित्य का उद्‌भव हुआ। हिन्दी दलित साहित्य के क्षेत्र में ओमप्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद, तुलसीराम, सुशीला टाकभौरे, कर्मशील भारती, डॉ. एन. सिंह आदि साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के द्‌वारा दलित जीवन के यथार्थ चित्रण किया है।

भारतीय संविधान में दलितों को भी दूसरों जैसे जीने के लिए अधिकार लागू किया गया है। अधिकार एक व्यक्ति होने के नाते मिलने वाली सुविधा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप में एक व्यक्ति की उन्नति और विकास के लिए यह अनिवार्य है, जो बिना किसी भेद भाव के साथ जैसे धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर समान रूप में प्राप्त है। मानवाधिकार का उद्‌देश्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, गरिमा आदि को सुरक्षित और सुनिश्चहित करना है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्‌वानों ने अधिकार से संबंधित अपना मत भी स्पष्ट किया है।

दलित नाटक में अधिकार की प्रधानता दलित समूह के यथार्थ के साथ जुड़ा है। दलित नाटक मनोरंजन से ज़्यादा संवेदना का साहित्य है और उसका उद्‌देश्य मानसिक परिवर्तन के द्‌वारा सामाजिक परिवर्तन से है। माता प्रसाद,

सूरजपाल चौहान, सुशीला टाकभौरे आदि अपने नाटकों के माध्यम से स्त्री शोषण, दलित उत्पीड़न, अधिकारों से वंचित समूह आदि विभिन्न समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। माता प्रसाद के नाटक 'धर्म के नाम पर धोखा' में अंधविश्वास के तहत जनता की लूट एवं स्त्री के साथ शोषण आदि समस्याओं को प्रस्तुत किया है। सूरजपाल चौहान के नाटक 'छू नहीं सकता' में तीन लघु नाटक सम्मिलित हैं। 'छू नहीं सकता' नाटक में अस्पृश्यता का नज़र दिखाई पड़ता है। 'सच कहने वाला शूद्र' में सवर्ण मानसिकता पंडित से शूद्र को सवाल पूछने का हक़ भी नहीं देता है। सुशीला टाकभौरे के नाटक 'नंगा सत्य' में दलित स्त्री को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। वर्णवाद, जातिवाद, छुआछूत आदि कठोर यथार्थ को भी प्रस्तुत किया गया है। इन तीनों साहित्यकारों के नाटकों से यह स्पष्ट है कि निम्न वर्ग को संविधान द्वारा लागू किए गए अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

दलित नाटकों के केंद्र बिंदु है समाज में व्याप्त जातिगत भेद-भाव और असमानता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम के साथ क्या जोड़ना, क्या नहीं जोड़ना अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन अपने नाम के साथ जाति का नाम भी जोड़ना दलित समूह के लिए शोषण की व्यवस्था ज़ारी करता है। जाति की

वजह से अपमान सहना पड़ता है। सुशीला टाकभौरे के 'नंगा सत्य' नाटक में दलित को अपना पूरा नाम तक लेना गुनाह माना गया है। एक उदाहरण देखिए -

शेखर: महाराज, हम है रधुआ के पोता, रमुआ के बिटवा शेखर जी...शेखर चौहान जी....

धनसिंह: कौन रदऊआ रे?

शेखर: महाराज, राधेलाल वाल्मीकि –

धनसिंह: कौन वाल्मीकि रे

मुनीम: राधेलाल भंगी ..मलिक रधुआ भंगी।[3]

शेखर को नाम के कारण शोषण सहना पड़ता है । नाम सब के लिए अपनी पहचान है। यह सवर्ण के लिए शोषण का दरवाज़ा है। नाम कई बातों को लक्षित करता है; जैसे जाति, अस्पृश्यता, शोषण, गरीबी आदि। जाति व्यवस्था उच्च वर्ग को स्वयं दूसरे से एक सीढ़ी ऊपर रहने का महसूस देती है। जाति सवर्ण और अवर्ण के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाता है। माता प्रसाद के 'धर्म के नाम पर धोखा' नाटक में करमी नाम की लड़की डोम होने के

कारण अपने पति से बहुत मार पीट खानी पड़ी थी। आख़िर पति उसको छोड़ कर किसी और के साथ रहता है -

कामिनी: इनका नाम तो करमी है। लेकिन इनका करम ही फुट गया है। यह इसी शहर के झगडू डोम की लड़की है। इनके पति ने दूसरी औरत रख ली, इसे मार कर घर से निकाल दिया।[4]

दूसरे संदर्भ में इस करमी को अपनी जाति छुपाना पड़ा -

आनंद देव : हाँ ! करमी को बता देना वह अपने को डोम की लड़की भूलकर ना कहे और रमपत्ती भी भर, की लड़की अपने को ना बताए।[5]

सूरजपाल चौहान के 'छू नहीं सकता' नाटक में एक बालक को अपने अध्यापक से जाति की वजह से अमानवीय शोषण सहना पड़ा और उस बच्चे को कई नाम से भी पुकारा जाता है -

अध्यापक: भीमा, महार की औलाद, स्याले अछूत, नीच, डोम।[6]

नाटकों में दलित वर्ग के स्वाभिमान और गरिमा के हनन की स्थिति को दर्शाया गया है। एक व्यक्ति की ज़िंदगी में पानी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पानी सब की बुनियादी ज़रूरत है। अवर्ण जाति के लोगों को तालाब, कुआँ, नल, मटका आदि से पानी पीना वर्जित है या इनसे पानी पीना अशुभ माना

जाता है। नाटकों में भी यही वातावरण प्रस्तुत किया गया है। सूरजपाल चौहान के 'छू नहीं सकता' नाटक का एक वर्णन इस प्रकार है –

इंस्पेक्टर: क्या नाम है तुम्हारा ? तुमने अभी तक अपना हाथ ऊपर क्यों उठा रखा है?

बालक : सर, मेरा नाम भीमराव है । अभी मास्टर जी ने सवाल पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है, जिसे देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते? सर, सभी बच्चों ने 'सूर्य' कहकर उत्तर दिया है, लेकिन मुझे इसका दूसरा उत्तर भी आता है।...

इंस्पेक्टर: अच्छा, अच्छा बताओ तो सूर्य के अलावा ऐसी कौन - सी चीज़ है, जिसे देख तो सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते?

बालक : सर, वह पानी से भरा मटका, जिसे मैं देख तो सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता।[7]

इस कथन से व्यक्त है कि वह बच्चा निम्न जाति का है; इसलिए मटके से पानी पीना उनके लिए मना है। बचपन से ही उस बच्चे की मानसिकता ऐसी है कि जाति के कारण समाज में उसका स्थान नीचे है और यह विचार उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाता है। इससे मुक्ति मिलना आसान नहीं है और बात भी

है कि निम्न वर्ग के होने के कारण यह संभावना भी है कि वह दूसरे बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठ पाता।

दलित स्त्रियों का स्थान समाज में हमेशा दोयम दर्जे का है। जाति के नाम पर उन्हें दूर रखा जाता है और अवसर आने पर उनका शोषण किया जाता है। नाटक के कई प्रसंगों में दलित स्त्रियों पर शोषण होते नज़र आता है। 'नंगा सत्य' नाटक में दलित स्त्री नीलिमा को सत्यजीत से शोषण सहना पड़ता है। इसी तरह के कई शोषण झेलते हुए भी सत्य को छिपाने का कोशिश की जाती है। सत्य जानने वाले अपना मुँह बंद करने के लिए मज़बूर होते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब का मूलभूत अधिकार है। लेकिन डर के करण यह उनके हाथों से फिसल जाता है और न्याय मिलने से वह वंचित रहता है -

सुखराम: बुद्धिराम, इस चीख को पूरा देश सुन रहा है और तुम कहते हो, तुम्हें चीख सुनाई नहीं दे रही है।

बुद्धिराम: हाँ भाई सुखराम, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। पुलिस को यही बताना है। नहीं तो दोनों तरफ़ की मार खानी पड़ती है। जीना मुश्किल हो जाता है।[8]

'धर्म के नाम पर धोखा' नाटक में एक स्त्री दूसरी स्त्री को बाधा बनती है। नाटक में उन स्त्रियों को छोड़ने के लिए भीग माँगती है दूसरी स्त्री से; लेकिन वह नहीं मानती -

कामनी : माता जी! इस नरक से उद्धार करने में, हमारी सहायता करे। स्त्री जाति की लज्जा की रक्षा करें।

आश्रम माता : तुम्हारे उद्धार का अब यही मार्ग है कि तुम लोग जिसके साथ कहा जाए चली जाओ, वहम आराम से तुम्हारी ज़िंदगी कटेगी।

कामिनी : आप एक स्त्री है। क्या आपका स्त्रीत्व भी सो गया है, जो इस प्रकार की बातें कह रही है।[9]

स्त्री पूरे अधिकार के साथ यहाँ जी नहीं सकती। क्योंकि उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता दूसरों के हाथों में सौंप दिया गया है। दलितों को शिक्षा से दूर रखना सवर्णों का षड्यंत्र है। नाटक में शिक्षा का महत्व भी दर्शाया गया है। आर्थिक परिवर्तन शिक्षा द्वारा ही संभव है। सवर्ण को यह नहीं सह सकता है कि दलित उनसे बेहतर पढ़कर, लिखकर उनसे ऊपर हो जाए। 'नंगा सत्य' नाटक में जब दलित परंपरा को तोड़कर आगे चलने का सपना देखती है,

लेकिन सवर्ण लोग उस रास्ते पर बाधा बनकर नई शुरुआत को रोक दिया करते हैं -

धनसिंह : अरे तू कितना पढ़ा है, मैं जानता हूं रे। अंगूठे लगा दे। तेरे बाप-साले यही करते आए हैं। तू क्या यही रीत शुरू करता है रे?[10]

'सच कहने वाला शूद्र' नाटक में जब शूद्र अपनी शंका दूर करने के लिए पंडित से सवाल पूछता है तब पंडित ध्यान नहीं देता है; क्योंकि पूछहने वाला वह एक शूद्र है और सवर्ण के मुताबिक़ शूद्र को शिक्षा से दूर रहना ही चाहिए और सवाल पूछना उनका हक़ नहीं है, शिक्षा पर सिर्फ़ और सिर्फ़ सवर्ण का अधिकार है -

शूद्र : पंडित जी, जिस शिव-धनुष को बड़े-बड़े योद्धा, राजा-महाराजा टस से मस न कर सके, उसी शिव-धनुष को सीता द्वारा घर के आँगन में झाड़ू लगाते हुए एक ही हाथ से इधर-उधर रखना एक आम बात कैसे हो सकती है?

पंडित: तू शूद्र जान पड़ता है, ऐसी सवाल शूद्र ही कर सकता है। अरे पकड़ो इसे। इस शूद्र के कान में काँच पिघला कर डाल दो। इसने यह सवाल किया कैसे?[11]

असल में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो मानवाधिकार के संरक्षण में सहायता करती है।

कई तरह के शोषण, अत्याचार, अन्याय आदि झेलना दलितों का नियति बन गई है। दलित समूह की एक कमी थी - संगठन का अभाव। डॉ. अंबेडकर का नारा है – 'शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो'। दलितों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष, संगठन, शिक्षा इन तीनों तीर से ही संभव है। इसके बिना अधिकार पाना संभव नहीं है। दलित साहित्य में सत्य को यथार्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। परंपरा से मुक्ति पाने की आशा से जीवन जीने वाले एक शोषित सामूहिक की व्यथा-कथा को इन नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। दलित समूह को कई अधिकार हैं, जैसे; सामाजिक न्याय, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा आदि। नाटकों का मुख्य उद्देश्य भी मनोरंजन को छोड़ कर समाज की सच्चाई को बताना है। प्रस्तुत नाटकों में मानव मूल्यहीनता, अधिकार और शिक्षा से वंचित होना, स्त्री शोषण आदि समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। संसार के सारे क़ानून, नियम, संविधान आदि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। सच तो यही है कि दलितों के लिए यह अधिकार मात्र पन्नों में रह गये हैं। समाज में दलितों की संवेंदनशीलता और बदलाव की

संभावना तब संभव है, जब वह अपने पूर्ण अधिकार के साथ जीने में सक्षम बने।

सहायक ग्रंथ सूची

1. नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज, पृ-23
2. ओमप्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, पृ- 30
3. सुशीला टाकभौरे, नंगा सत्य, पृ- 79
4. माता प्रसाद, धर्म के नाम पर धोखा, पृ- 31
5. वही, पृ- 33
6. सूरजपाल चौहान, छू नहीं सकता, पृ- 16
7. वही, पृ- 15,16
8. सुशीला टाकभौरे, नंगा सत्य, पृ- 104
9. माता प्रसाद, धर्म के नाम पर धोखा, पृ- 34
10. सुशीला टाकभौरे, नंगा सत्य, पृ- 33
11. सूरजपाल चौहान, छू नहीं सकता, पृ-18,19

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा
Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)
Website : www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com
Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)
Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674
Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)
Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535
Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

सानिया प्रकाशन एवं गिना प्रकाशन द्वारा
संयुक्त रूप से नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2394-6458
Impact Factor : 6.500

RESEARCH JOURNAL OF MEEMANSA

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES HALF YEARLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)
Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Editor-in-Chief : Dr. Lata S. Patil
Managing Editor : Dr. Jaivir Langyan M. 9728790909
Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना देवी शोध संस्थान भिवानी के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज भिवानी से छपवाकर कार्यालय #202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से वितरित की।

ISSN 2321:8037

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

आदमी से आजमी तक – कैफी आजमी के रचना संसार का छान बीन

Authored by

रेमीसा सी. यु.
शोधार्थी, हिंदी विभाग,
श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालड़ी, केरल।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 8-13

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

भारत में आर्थिक मंदी का लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रभाव (2019–2025)

Authored by

Dr. Varshika Gupta
Assistant Professor, Department of Economics,
SRDA PG College, Hathras.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 14-25

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

Emerging Trends and Challenges in Global English Literature

Authored by

Arya Mohandas
Krupanidhi College of Commerce and Management,
Koramangala Bangalore -34

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 26-30

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

जनसंचार माध्यमों में हिंदी

Authored by

संतोष कुमार

ग्राम–बरौना, पोस्ट–किछौछा, जिला–अंबेडकर नगर,
पिन कोड–2241 55

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 31-33

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

Science Technology And Society

Authored by

Lt. (Dr.) Jyoti Gupta

Assistant Professor and Head, Department of Sociology,
Madanmohan Malaviya Post Graduate College,
Kalakankar, Pratapgarh.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 34-39

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

वैश्वीकरण के संदर्भ में भारत का सामाजिक–राजनीतिक विकास

Authored by

डॉ. सुशीला देवी यादव

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 40-43

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute
AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)
Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

Transformational Leadership and Organizational Citizenship Behaviour in Indian Airlines : A Sectoral Analysis

Authored by

Sanjay Kumar, Research Scholar
Dr. Sufiya Syed, Research Supervisor
Shri Venkateshwara University, Gajraula,
Amroha (Uttar Pradesh)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 44-48

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

आज के दौर में विविध विमर्श

Authored by

डॉ. सुनीता सिंह मरकाम

सहायक प्राध्यापक, हिन्दी

शास. इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या महाविद्यालय शहडोल (म. प्र.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 49-55

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

कुसुम मेघवाल और अनिता भारती की कहानियों में दलित संदर्भ

Authored by

डॉ. शशि कुमार शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग,
बर्द्धमान विश्वविद्यालय, राजबाटी, गोलाब बाग–713104

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 56-61

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

झारखण्ड के उराँव जनजाति के पारम्परिक शासन व्यवस्था : पड़हा पंचायत

Authored by

डॉ० प्रमीला उराँव

असिस्टेंट प्रोफेसर, कुँड़ुख़ विभाग
करमचन्द भगत महाविद्यालय, बेड़ो, राँची।
राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 62-64

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

दिनकर के काव्य में ओजस्विता का अध्ययन

Authored by

डॉ. यतीन्द्र सिंह कुशवाहा

सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
डी. ए. वी. कॉलेज, कानपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 65-73

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

वर्तमान समय में कॉलेजों के छात्रों में बढ़ रहें अकेलेपन का कारण एक अध्ययन

Authored by

लक्ष्मी कुमारी, शोध–छात्रा, मनोविज्ञान विभाग,
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

डॉ० सांत्वना कुमारी, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग,
सुन्दरवती महिला महाविद्यालय, भागलपुर।
तिलकामाँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर–812007

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 74-78

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

पूर्वी सिंहभूम जिला के बिरहोर आदिम जनजाति का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन : मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में

Authored by

राजेश समीर कच्छप
शोधार्थी (मानवशास्त्र विभाग)
सोना देवी विश्वविद्यालय, घाटशिला।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 79-83

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

झारखंड में महिला एवं बाल श्रम का सामाजिक–आर्थिक यथार्थ : शोषण, असमानता और अस्तित्व का संघर्ष

Authored by

देवेश कुमार

शोधार्थी, सोना देवी विश्वविद्यालय,
घाटशिला, झारखंड, भारत।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 84-93

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों का योगदान

Authored by

डॉ. दिनेश कुमार चौधरी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (वि.सं.)

राजकीय महाविद्यालय, कल्याणपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 94-98

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

निर्मल वालिया के काव्य संग्रह 'बन्दगी' में धार्मिक संवेदना

Authored by

डॉ. कुलदीप कौर, सहायक प्रोफेसर

किरन रानी, शोधार्थी

हिन्दी विभाग, सैंटर फॉर डिस्टैंस एण्ड ऑनलाइन एजुकेशन,
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 99-103

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

ब्रजक्षेत्र के लोकगीतों एक अध्ययन

Authored by

डॉ. अंकुर श्रीवास्तव
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग,
बरेली कॉलेज, बरेली।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 104-110

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

DIGITALIZATION AND E-INVOICING : RESHAPING INDIA'S TAX ADMINISTRATION

Authored by

Prof. (Dr.) Manish Kumar Kannojia
Department of Commerce
V. B. S. Government of Degree College,
Canpiearganj, Gorkakhpur.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 111-117

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

Diversifying Indian Energy Imports : Need and Challenges

Authored by

Dr. Satyawan Jatain
Associate Professor,
GPGCW Rohtak, Haryana.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 118-124

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' : जीवनवृत्त एवं रचनाधर्मिता

Authored by

मीना कुमारी, शोधार्थी

डॉ. अजयपाल सिंह, शोध निर्देशक एवं अध्यक्ष,

हिन्दी विभाग, देश भगत विश्वविद्यालय मंडी गोबिन्दगढ़, पंजाब।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 125-132

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

सीकर जिले में कृषि का आधुनिकीकरण : एक भौगोलिक अध्ययन

Authored by

धूड़ाराम महरिया, शोधार्थी

डॉ. सचिन कुमार, शोध निदेशक

भूगोल विभाग, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ, राजस्थान।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 133-138

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

रसोपासना / निकुंजोपासना में रचित औत्सविक ब्रजभाषा काव्य हरिन्त्रयी (हरिवंश, स्वामी हरिदास एवं हरिव्यास देव) की परंपरा के संदर्भ में

Authored by

प्रो. विजय श्रीवास्तव, प्राचार्य,

मनोज कुमार, शोधार्थी

हिंदी विभाग, आर. बी. एस. कॉलेज, आगरा।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 139-141

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एम.एन. रॉय के शैक्षिक दर्शन का वैचारिक समन्वय और सुदृढीकरण

Authored by

शिवानी व्यास, रिसर्च स्कॉलर,
डॉ. प्रीति ग्रोवर, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
टाटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर, राजस्थान।
विवेक व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रशासन विभाग स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर, राजस्थान।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 142-148

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

Gender Neutrality under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 : An Analysis of Its Legal and Social Implications

Authored by

Dr. Sanjay Kulshrestha
Professor & HOD,
Institute of Law, Jiwaji University.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 149-153

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

Pension as a Social Security Right for Government Employees : Legal Challenges and Reform Needs in Madhya Pradesh

Authored by

Bhartendu Chaudhary
Research Scholar,
Jiwaji University, Gwalior.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 154-157

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

भारतीय परम्परा और लोक कलायें तथा संस्कृति काशी के विशेष सन्दर्भ में

Authored by

प्रोफेसर चन्द्रशेखर

परियोजना समन्वयक,

समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,

Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 158-163

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

सोशल मीडिया : नीति और नैतिकता

Authored by

डॉ. सी. मणिकंठन

सहायक प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
धर्ममूर्ति राव बहादुर कलवल कण्णन चेट्टि हिन्दू महाविद्यालय,
पटटाभिराम, चेन्नई।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 164-168

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

Transforming Indian Education : NEP 2020 Implementation and Digital Integration

Authored by

Dr. Ankit Goyal
Assistant Professor,
B.K. College of Education, Bawani Khera.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 169-178

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate of Publication for the paper titled*

उत्तररामचरिते गूढार्थप्रतीतिमूलकालंकाराणां समीक्षा

Authored by

Dr. Bholanath Mondal

Village : Dakshin Tangarberia, Post : Chhayani,
Ps : Baruipur, Dist: South 24 Parganas,
Pin: 743376, State : West Bengal

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 179-184

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

उत्तरआधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी की दशा और दिशा

Authored by

कोमल भारती, शोधार्थी,
तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
Thiruvarur (610005)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 185-189

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

'हादसे' : पितृसत्ता वर्ग संघर्ष और स्त्री स्वायत्तता का आत्मकथात्मक विमर्श

Authored by

प्रिंस गुप्ता

पी.एच.डी. शोधार्थी, हिंदी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 190-196

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

बुद्ध का कमंडल लद्दाख : यात्रावृत्त में अभिव्यक्त लोकतंत्र

Authored by

अंजना जी

शोध छात्रा, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालडी।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 197-199

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

https://doi.org/10.5281/zenodo.18690345

Certificate* of Publication for the paper titled

चुने हुए दलित नाटकों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की अभिव्यक्ति

Authored by

सुबिता.के.एस

शोधार्थी,

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालड़ी।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, Jan.-Feb. 2026,
Vol. 14, Issue 1-2, Part-3, Page No. 200-211

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com